राजभाषा भारती

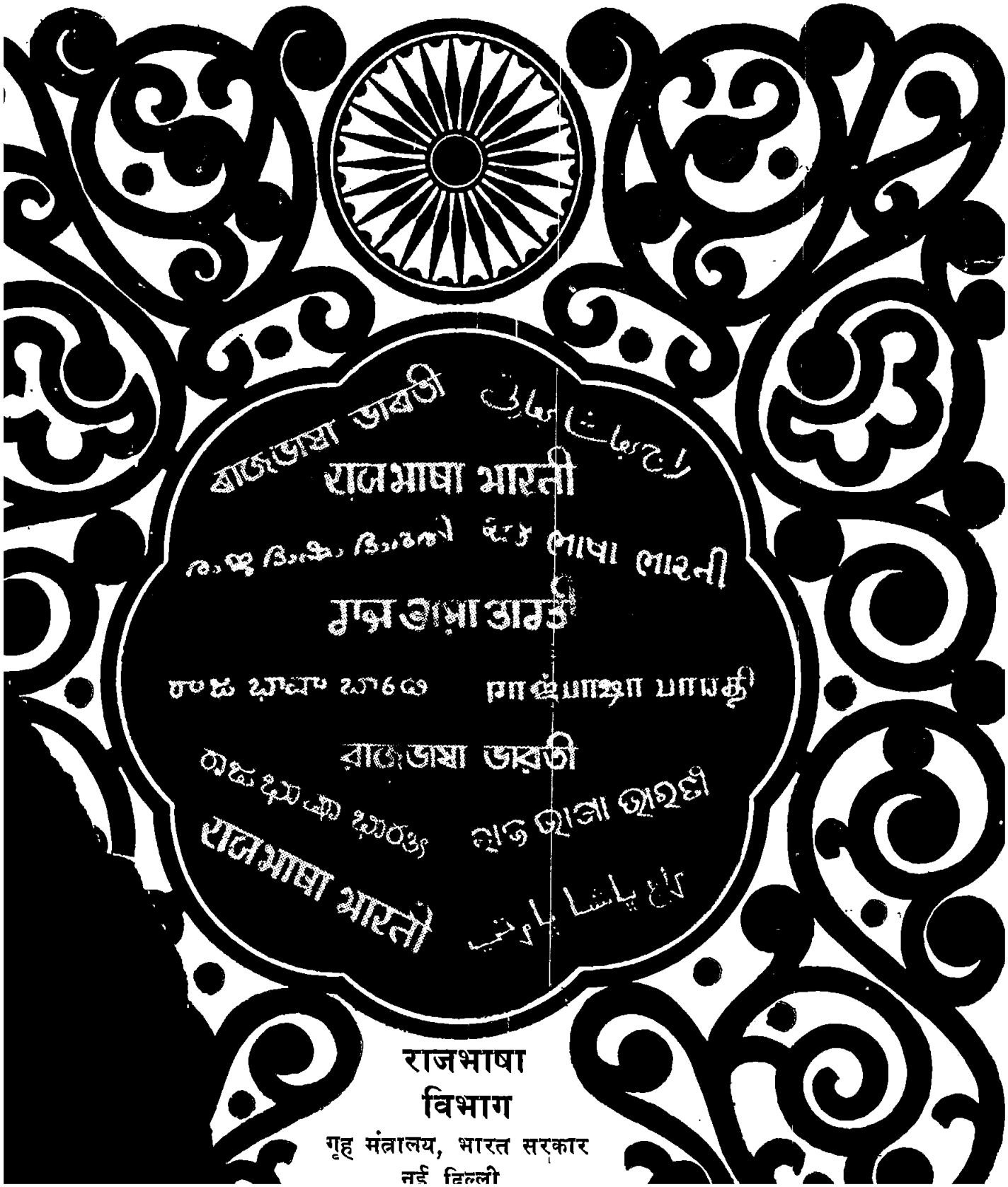

राजभाषा
विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरम्।
विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥

—भर्तृहरि : वाक्यपदीयः 1.1

शब्द तत्व ब्रह्म के समान है। यह अनादि, अनन्त और अविनश्वर है। यह शब्द तत्व निरन्तर बढ़ता और फैलता रहता है। इसी अभिव्यक्ति द्वारा संसार के समस्त पारस्परिक व्यवहार और कार्यकलाप संचालित होते हैं।

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

5, अंक:17-18 अप्रैल- सितम्बर, 1982

संपादक
राजमणि तिवारी

उप संपादक
रंगनाथ त्रिपाठी राकेश

व्यवहार का पता :
पादक, राजभाषा भारती,
भाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
नायक भवन (प्रथम तल)
ान मार्केट, नई दिल्ली–110003

: 698617, 617807

में प्रकाशित लेखों की व्यक्ति से राजभाषा विभाग का ित होना अनिवार्य नहीं है ।

(नि:शुल्क वितरण के लिए)

विषय-सूची

कुछ अपनी · · · · कुछ आपकी 2—3

1. हिन्दी का प्रचलन प्रेम तथा सद्भावना से बढ़ाया जाए ——श्री प्रकाश चन्द सेठी, गृह मंत्री, भारत सरकार 5
2. संत साहित्यकार—फादर कामिल बुल्के ——शंकर दयाल सिंह 7
3. भारत की सर्वांगीण अभिव्यक्ति और हिन्दी ——डा० राकेश चतुर्वेदी 10
4. परिचर्चा : उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग—समस्याय और समाधान
   (1) ——मुकुलचन्द पाण्डेय 13
   (2) ——रामेश्वर दास गुप्ता 15
   (3) ——रामकृष्ण गुप्ता 16
   (4) ——हरिबाबू कंसल 17
   (5) ——कलानाथ शास्त्री 19
   (6) ——बृहस्पतिदेव पाठक 20
   (7) ——कस्तूरचन्द जैन 22
5. देवनागरी कम्प्यूटर की उपयोगिता ——डा० ओम विकास 24
6. द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन : निर्णय और क्रियान्वयन——राजमणि तिवारी 27
7. राष्ट्रीय संस्कृति और हिन्दी ——गोविन्द सिंह 34
8. कार्यालयीन हिन्दी : कितनी सरल कितनी कठिन ——श्रीमती सीता कुंचितपादम् 35
9. सर्वभारतीय साहित्य : शिखर की तलाश ——रंगनाथ राकेश 37
10. हिन्दी और तमिल के समान तत्व ——ह० वालसुब्रह्मण्यम् 43
11. अनुवाद पद्धति और उसका व्यावहारिक पक्ष ——चन्द्रपाल शर्मा 47
12. भाषा बहता नीर —— संकलित 50
13. राज्यों में उनकी प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग—
   (1) महाराष्ट्र ——डा० एन० वी० पाटील 52
   (2) गुजरात ——डा० नारायण वी० व्यास 54
14. हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें—कुछ प्रमुख निर्णय
   (1) योजना मंत्रालय 56
   (2) नागरिक पूर्ति मंत्रालय 62
   (3) नौवहन और परिवहन मंत्रालय 64
15. विविधा
   (1) हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा विधि गोष्ठी का आयोजन 68
   (2) मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा "अक्षरा" का प्रकाशन 70
   (3) हिंदी अकादमी, दिल्ली का उद्घाटन समारोह 71
   (4) नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा तुलसी जयन्ती का आयोजन 72
   (5) छठा अखिल भारतीय नागरी लिपि सम्मेलन 73
16. राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम 74

कुछ अपनी

राजभाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसकी परिधि उन सभी क्षेत्रों का स्पर्श करती है, जो राजकीय कार्यकलाप के अन्तर्गत आते हैं। यही कारण है कि जीवन के विविध क्षेत्रों से सम्बद्ध सुधीजन हमारी पत्रिका के पाठक हैं। उनकी समस्याओं को उभारना और उन पर विद्वानों के विचार प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है। 'राजभाषा भारतीय' के पिछले दो अंकों में आयोजित परिचर्चाओं की पाठकों ने सराहना की है। उससे प्रेरित होकर इस अंक में हमने "उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी" के प्रयोग संबंधी समस्याओं और समाधान के बारे में परिचर्चा का आयोजन किया है।

उद्योग और व्यापार किसी भी राष्ट्र की समृद्धि की वह आधार शिला है जिस पर देश की प्रगति और समृद्धि निर्भर होती है। यदि ये कार्य जनता की भाषा में किए जा सकें तो उसे अधिक सहूलियत होगी। श्री मुकुल चन्द पांडेय ने उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में स्वतन्त्रता के बाद की हमारी मानसिकता को परखा है और उसे नई दिशा देने का प्रयास किया है। श्री राम कृष्ण गुप्त एवं श्री रामेश्वर दास गुप्त की परिचर्चाओं में व्यापारी वर्ग की सामान्य कठिनाइयों का अंकन हुआ है। उनका विश्वास है कि जागरूकता की दृष्टि अपनाने से इनका निराकरण अवश्य होगा। श्री हरिबाबू कंसल ने अंग्रेजी की उस जकड़ का उल्लेख किया है जिसके कारण हिन्दी अभी भी उभर कर नहीं आ पा रही है किन्तु इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का सम्यक् प्रचार किए जाने से दूसरों को प्रेरणा प्राप्त होगी। श्री कलानाथ शास्त्री ने अंग्रेजियत की ललक तथा हिन्दी के मार्ग में आने वाली बाधाओं एवं अवरोधों को स्पष्ट करते हुए संकेत दिया है कि वर्तमान स्थिति में परिवर्तन अवश्यंभावी है। समस्या इस बात की है कि हमारी गुणवत्ता का स्तर हिन्दी में क्यों नहीं उभर सका है? श्री बृहस्पति देव पाठक ने इसको इंगित करते हुए बताया है कि किसी वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाने में भाषा कहीं बाधक नहीं होती अपितु भाषा तो उसे सार्थक सहयोग प्रदान करती है।

संत साहित्यकार फादर कामिल बुल्के पर श्री शंकर दयाल सिंह का लेख इस कृती साहित्यकार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही साथ उनका एक विशेष आकलन भी प्रस्तुत करता है। हिन्दी केवल भाषा ही नहीं वरन् राष्ट्रीय [illegible] की सशक्त कड़ी है, इस सूत्र को केन्द्र में रखकर डा० राके[illegible] चतुर्वेदी ने भारत और भारतीयता की सर्वांगीण अभि[illegible] के रूप में हिन्दी को देखा है। विज्ञान के बढ़ते चरण [illegible] ढांचे को बदल रहे हैं। इस दिशा में हिन्दी के [illegible] प्रौद्योगिकी का महत्व कम नहीं है। इस संदर्भ में डा० [illegible] विकास का लेख देवनागरी कम्प्यूटर की बहुआयामी उपयो[illegible] का विवरण प्रस्तुत करता है। श्रीमती सीता कुंचितपादम ने "कार्यालयीन" हिन्दी की सरलता और कठिनता दोनों का सुंदर विवेचन किया है। राष्ट्र के भावात्मक एकीकरण की दिशा में सर्वभारतीय चेतना को जागृत करने में साहित्य के पुरस्कारों का अपना विशिष्ट महत्व है। 14 वें अंक में मलयालम के महाकवि जी० शंकर कुरूप तथा संयुक्तांक 15-16 [illegible] बंगला के ताराशंकर बंद्योपाध्याय की कृतियों का लेखा-[illegible] देने के बाद इस अंक में कन्नड़ तथा गुजराती के दो दि[illegible] साहित्यिकों के कृतित्व की संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत की जा रही है।

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन दिसम्बर, 1982 में होना था परन्तु अद्यतन सूचना के अनुसार अब यह सम्मेलन 19 से 21 मार्च, 83 तक हो रहा है। इस संदर्भ में यह प्रासंगिक है कि द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के निर्णयों पर हुई अनुवर्ती कार्रवाई से अपने पाठकों को अवगत कराया जाए। संपादक ने इस दिशा में कुछ विचार व्यक्त किए हैं।

"राजभाषा भारती" का यह परिवर्तित रूप आपके सामने है। आपकी सम्मति जानकर हमें प्रसन्नता होगी।

—संपादक

कुछ आपकी

'राजभाषा भारती' का संयुक्तांक 15-16 प्राप्त हुआ। पत्रिका के इस अंक में "राजर्षि टंडन और राजभाषा हिन्दी" शीर्षक सम्पादक का लेख अत्यन्त भावपूर्ण और विचारोत्तेजक है। इसका प्रारंभिक अंश तो अत्यन्त मार्मिक बन पड़ा है। बधाई। मुझे यह देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आपके सहयोगी श्री रंगनाथ राकेश भी पत्रिका के कलेवर को संवारने में भरसक योगदान कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत 'सर्वभारतीय साहित्य : शिखर की तलाश' शीर्षक लेख-माला देश के महान् लेखकों के व्यक्तित्व और कृतित्व को उजागर करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

पत्रिका के इसी अंक में डा० कुंतलमेघ का लेख 'राजभाषा का आधुनिकीकरण' मूल्यवान और महत्वपूर्ण प्रतीत हुआ। 'द्विभाषिकता' विषयक विद्वानों के टिप्पणी-लेख भी पठनीय हैं। "राजभाषा भारती" के माध्यम से राष्ट्रभाषा हिन्दी के अभ्युत्थान और उन्नयन का जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं, उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

—डा० रवीन्द्र भ्रमर, रीडर, हिन्दी विभाग,
अलीगढ़ विश्वविद्यालय

यह संयुक्तांक पढ़कर मुझे तथा मेरे अन्य सहयोगियों को बहुत ही प्रसन्नता हुई। शब्दार्थ प्रयोग को मान्यता कैसे मिलती है यहां से लेकर परिचर्चा, भाषा बहता नीर, हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें : कुछ प्रमुख निर्णय तथा राजभाषा विभाग का वर्ष 1982-83 का कार्यक्रम पढ़कर काफी नयी जानकारी मिली, इसके लिए हम आपको तथा लेखकों को धन्यवाद देते हैं। अन्य आलेख भी बहुत ही अच्छे हैं। आपने यह संयुक्तांक भेजकर "राजभाषा भारती" के बारे में इस कार्यालय में एक कुतूहल तथा उत्सुकता उत्पन्न की है, इसलिए अब आपका यह दायित्व हो जाता है कि इस कार्यालय को "राजभाषा भारती" के भविष्य के अंक भी अविरत प्राप्त होते रहें।

—श्री गो० सोहानी,
सहायक निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान
उद्योग मंत्रालय, पोलोग्राउन्ड, इन्दौर—452003

राजभाषा भारती का यह अंक बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी है। डा० विजयेन्द्र स्नातक का राजभाषा हिन्दी के विकास से संबंधित लेख काफी विद्वतापूर्ण तथा हिन्दी से जुड़ी हुई वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में मार्गदर्शक भी है। राजभाषा के संदर्भ में द्विभाषिकता संबंधी परिचर्चा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रायः सभी विद्वानों ने अपने विचार समस्या के गहन विवेचन के साथ समुचित समाधान की दृष्टि से रखे हैं। राजर्षि टण्डन पर श्री राजमणि तिवारी का लेख बहुत सराहनीय है। 'अतीत के झरोखे से' स्तम्भ में आप सचमुच अतीत से मुलाकात करा देते हैं। कुल मिलाकर इसमें प्रस्तुत की गई सामग्री सभी के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक है। मंत्रालयों की ही भांति यदि समय-समय पर विभिन्न राज्यों की हिन्दी संबंधी योजनाओं की उपलब्धियों और कार्यक्रमों की जानकारी भी राजभाषा भारती के माध्यम से दी जा सके तो पारस्परिक आदान-प्रदान और तालमेल के विचार से इसका लाभ हो सकता है। कुशल सम्पादन तथा सामग्री के चयन के लिए आप बधाई के पात्र हैं।

—डा० नारायण दत्त पालीवाल
सचिव, हिन्दी अकादमी, दिल्ली
5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054

राजभाषा संबंधी प्रगतियों का लेखा-जोखा तथा मार्ग में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के अतिरिक्त मार्गदर्शन को इस अंक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त मुझ जैसे हिन्दी प्रेमियों के लिए यह आकर्षण की वस्तु है। मेरा सुझाव है कि फीजी जैसे देश में जहां हिन्दी को कुछ अंश तक राजभाषा का स्थान प्राप्त है, उसके विकास की जानकारी यदि आप स्वदेशवासियों को दें तो उत्तम रहेगा।

—ब्रह्मदत्त स्नातक,
9/144 रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली।

निस्सन्देह यह अंक उपयोगी है। देश का हृदयांचल भाषायी संदर्भ में आन्दोलित है। ऐसी स्थिति में इस पत्रिका का विशेष महत्व है। इसकी सामग्री संग्रहणीय, पठनीय और प्रेरणादायी है। आपका प्रयत्न आज राष्ट्र की महती आवश्यकता की पूर्ति में संलग्न है।

—कृष्णचन्द्र बेरी,
हिन्दी प्रचारक संस्थान, वाराणसी-221001

राजभाषा भारती का संयुक्त अंक प्राप्त हुआ। डा० विजयेन्द्र स्नातक का निबंध "राजभाषा हिन्दी के विकास की समस्या और साहित्यकार" गंभीर चिन्तन और अनुभव के फल-स्वरूप लिखा गया है। इसमें सुझाए गए उपाय यदि क्रिया-

न्वित किए जाएं तो उनसे राजभाषा हिन्दी के विकास की समस्या एक हद तक हल की जा सकती है। इसी प्रकार आपके द्वारा लिखित "राजर्षि टंडन और राजभाषा हिन्दी" भी अत्यधिक सारगर्भित और नई जानकारी देने वाला लेख है। यह अंक प्रत्येक दृष्टि से संग्रहणीय है । इतने उपयोगी अंक का संपादन करने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई।

—ईश्वर चन्द्र,
राजपाल एण्ड सन्ज,
कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

आपके द्वारा प्रेषित राजभाषा भारती का संयुक्तांक कल सधन्यवाद प्राप्त हुआ । आपके द्वारा किए गये प्रयत्नों का मैं ब्यौरेवार विवरण पढ़कर प्रसन्न हुआ कि भारत सरकार के कतिपय सद-प्रयासी अधिकारियों के परिश्रम एवं कार्यों से हिन्दी को राजभाषा का संवैधानिक अधिकार मूर्त रूप में प्राप्त हो सकेगा।

—पूरनमल स्वामी, सहायक कार्यक्रम सलाहकार,
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना,
क्षेत्रीय केन्द्र, पूर्वी लोहानीपुर, पटना-31

मुझे राजभाषा भारती का अक्तूबर 1981—मार्च 1982 का संयुक्तांक प्राप्त कर महान प्रसन्नता हुई। यह अंक बहुत ही रुचिकर एवं विभिन्न विषयों से परिपूर्ण है। "राजभाषा के संदर्भ में द्विभाषिकता : समस्याएं और समाधान" परिचर्चा प्ररणादायक तथा शिक्षाप्रद रही है। मुझे विशेष रूप से इस अंक का "राजभाषा का आधुनिकीकरण" नामक लेख बहुत पसंद आया। इसके अलावा श्री कुबेर नाथ राय का "भाषा बहता नीर" लेख भी उतना ही रोचक है।

—न० ब० पाटील,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य
नवीन प्रशासन भवन, बम्बई-32

इस पत्रिका के माध्यम से आप शुद्ध सर्जक और समीक्षक लेखकों को भी राजभाषा चिंतन के क्षेत्र में ला सके, यह अत्यंत सराहनीय है। डा० रमेश कुंतलमेघ का प्रौढ़ लेख तथा डा० स्नातक जी का विचारोत्तेजक निबंध पत्रिका का महत्व बढ़ाते हैं। परिचर्चा में भाग लेने वाले कई विद्वान पश्चिमी संकल्पनाओं का हिंदी अनुवाद देते हुए कोष्ठक में अंग्रेजी शब्द देते हैं। यह तथ्य द्विभाषिकता की संपुष्टि करता है।

—डा० एन० ई० विश्वनाथ अय्यर
26/2035, कालेज लेन, त्रिवेन्द्रम-695001

राजभाषा भारती का अंक 15–16 प्राप्त हुआ। धन्यवाद । भाषा एवं राष्ट्रीय एकीकरण संबंधी परिचर्चा तथा अन्य पठनीय सामग्री उपयोगी और राजभाषा के बारे में हुई प्रगति का प्ररिचायक है । सुन्दर प्रकाशन के लिये मेरी बधाई स्वीकार करें । भारत के संविधान की 351 धारा के अनुसरण में अन्य भारतीय भाषाओं के समानार्थी शब्दों को आत्मसात कराना भी उतना ही आवश्यक है जितना संस्कृत पर मूलत : निर्भरता ।

—वासुदेव सिंह,
खाद्य तथा रसद मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

इस अंक में दी गई विषय सामग्री तथा विदेशों में हिन्दी कहां कहाँ पढ़ाई जाती है; अत्यधिक सहायक एवं ज्ञानवर्द्धक है । इस प्रकार की सामग्री जिनकी जानकारी सामान्यत: राजभाषा अधिकारियों को नहीं रहती, काफी महत्वपूर्ण है ।

कृपया इस प्रकार के ज्ञानवर्धक स्तम्भों का अधिकाधिक समावेश करें ताकि हम अपने सहयोगियों को हिन्दी के प्रति अधिकाधिक आश्वस्त कर सकें।

—रागिनी श्रीवास्तव, राजभाषा अधिकारी
यूनियन बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली

पत्रिका में प्रस्तुत राजभाषा के संदर्भ में उठी द्विभाषिकता की समस्यायें एवं उनके समाधान से संबंधित सामग्री समयानुरूप एवं सुविस्तृत होने से प्रशंसनीय है । साथ ही "रूप अनेक भाव एक" तथा अतीत के झरोखे से" आदि सामग्री ज्ञानवर्धक तो है ही, रोचक भी है ।

—जगजीवन सिंह पवार, सहायक अधीक्षक,
यूनियन बैंक आफ इंडिया, 239, बैंक
रेक्लेमेशन, बम्बई 400021

प्रस्तुत पत्रिका राजभाषा के स्वरूप, समस्याएं एवं कार्यान्वयन से संबंधित कार्यकलापों का दर्पण है । आशा की जाती है कि यह इसी प्रकार हिन्दी के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों व अनुवादकों का उचित मार्गदर्शन करती रहेगी ताकि वे अपने दायित्वों को भलीभांति समझ सकें और उनका निर्वाह कर सकें ।

—गिरीश चन्द्र भटनागर, कार्यक्रम अधीक्षक
आकाश वाणी, नजीबाबाद,

अंक क्रमश : उत्तम और ज्ञानवर्धक होते जा रहे हैं यह वस्तुत: आप सभी की लगन, दूरदर्शिता और व्यापक दृष्टि का ही सुफल है । इस उपलब्धि के लिये कुछ सुललित लेख तथा प्रत्येक अंक में एक मुद्दे को लेकर परिचर्चा का आयोजन निश्चय ही भारत की सामासिक एकता को एक सूत्र में पिरोने का लक्ष्य हिन्दी के द्वारा पूरा हो रहा है, यह शुभ संकेतों का परिचायक है । राजभाषा का आधुनिकीकरण लेख बहुत पसन्द आया । इसमें हिन्दी के साहित्यकारों को राजभाषा की दृष्टि से सोचने का खुली

(शेष पृष्ठ 51 पर)

हिन्दी का प्रचलन प्रेम तथा सद्भावना से बढ़ाया जाए

—श्री प्रकाश चन्द सेठी
गृह मंत्री, भारत सरकार

(23 सितम्बर, 1982 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय राजभाषा शील्ड तथा अन्य पुरस्कारों के वितरण समारोह के अवसर पर भारत सरकार के गृहमंत्री माननीय श्री प्रकाशचन्द सेठी द्वारा दिया गया भाषण)

भारत सरकार की द्वितीय राजभाषा शील्ड (1980-81) एवं अन्य पुरस्कारों के वितरण समारोह (तथा केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बारहवीं बैठक) में भाग लेते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। आशा है इससे हिन्दी में काम करने वालों का उत्साह बढ़ेगा तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को इससे प्रेरणा मिलेगी, जिससे हिन्दी के प्रयोग तथा कार्यान्वयन में प्रगति को एक नई दिशा मिलेगी।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया है। समय-समय पर भारत सरकार की ओर से आदेश जारी होते रहे हैं कि सभी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय एवं सरकारी उपक्रम आदि हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। सभी विभागों के उच्च अधिकारियों पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि वे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएं।

आरम्भ में हिन्दी के प्रयोग के विषय में भारत सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए एक हिन्दी कार्यान्वयन समिति की स्थापना हुई थी, जिसमें भिन्न-भिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि, सदस्यों के रूप में शामिल किए गए थे। बाद में यह निर्णय हुआ कि सभी मंत्रालयों/विभागों और उन से संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिन्दी कार्यान्वयन समितियां गठित की जाएं तथा इनकी बैठकें हर तिमाही में एक बार की जाएं। इनका काम सरकार के आदेशों व निदेशों का अनुपालन कराना तथा कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखना है।

प्रारम्भ में इन समितियों की स्थापना सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में की गई। बाद में देश के विभिन्न नगरों में 56 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थापना भी की गई। हिन्दी के कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करने में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग का कार्य राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कानून बनाना और आदेश जारी करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है राजभाषा नीति का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है, जिस पर उसे गर्व होता है। उसमें कार्य करना सुविधाजनक तो है ही, एक पुनीत कार्य भी है। अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्षों से अंग्रेजी में काम करने की आदत रही है। आजादी के 35 वर्ष बाद भी यह प्रवृत्ति अभी पूरी तरह छूट नहीं पाई है। इसलिए सरकारी आदेशों के होते हुए भी वे हिन्दी में काम करना आरम्भ नहीं कर पाते। किसी काम को आरम्भ करना कठिन मालूम होता है किन्तु करने से ही उसकी आदत पड़ती है और वह आसान भी हो जाता है। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है कि वे हिन्दी में काम करना शुरू तो करें। धीरे-धीरे इसमें वे स्वयं प्रवीण हो जायेंगे। झिझक को छोड़ कर आपको साहस से आगे बढ़ना है। गलतियां स्वयं दूर होती जाएंगी।

जहां हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना भारत सरकार का दायित्व है, वहां सरकार की यह सुविचारित नीति भी है कि हिन्दी को अहिन्दी क्षेत्रों में थोपा न जाए बल्कि हिन्दी के प्रचलन को अनुनय-विनय तथा सद्भावना के द्वारा प्रोत्साहित किया जाए। हिन्दी का किसी भी अन्य भाषा के साथ कोई विरोध नहीं है। सरकार अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिए सार्थक कदम उठा रही है और बहुत सी ऐसी योजनाएं शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में चल रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हिन्दी को न केवल केन्द्र सरकार की राजभाषा के रूप में बल्कि सर्व भारतीय संदर्भ में सम्पर्क भाषा की भूमिका भी निभानी है। संसद के दोनों सदनों द्वारा दिसम्बर, 1967 में पारित संकल्प का भी यही मनोरथ था। सरकार की राजभाषा नीति संसदीय संकल्प में वर्णित उद्देश्यों पर आधारित है।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग तथा इसके कार्यान्वयन का प्रश्न आज महत्वपूर्ण है। राजभाषा अधिनियम तथा नियमों में किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए अनेक आदेशों के होते हुए भी उनका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सभी को राजभाषा अधिनियम तथा अन्य नियमों की जानकारी देना परमावश्यक है। जैसे हम सरकार के अन्य कानूनों, नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही हमें राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों का पालन भी करना चाहिए। वास्तव में इसे केवल कानून के अनुपालन की बात न सोचकर देश की गरिमा बढ़ाने का प्रश्न मानना चाहिए। अतः इसमें प्रत्येक कर्मचारी का योगदान आवश्यक और अपेक्षित है। ज्यों-ज्यों यह भावना पैदा होती जाएगी, त्यों-त्यों राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन का प्रश्न सहज होता जाएगा।

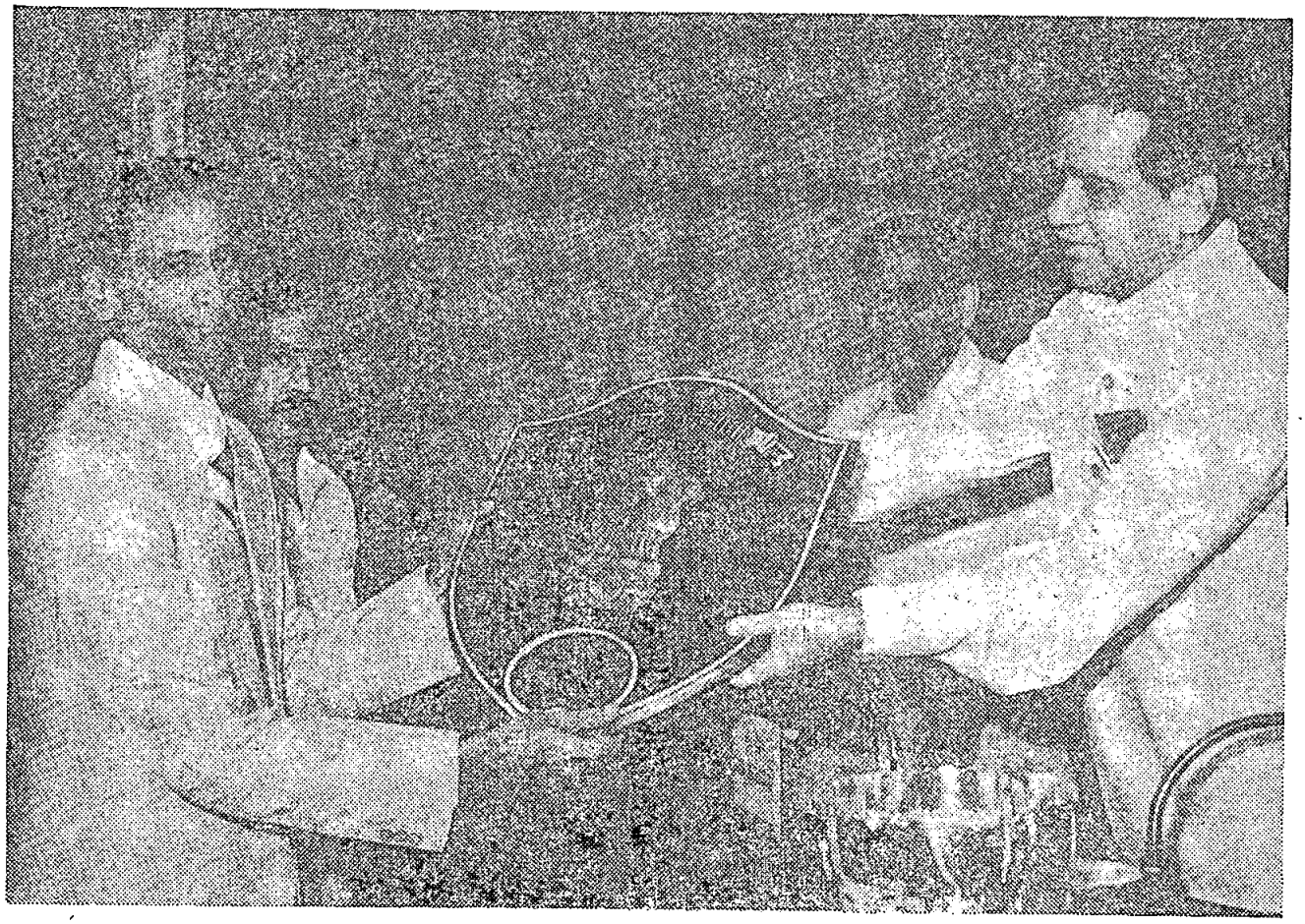

23 सितम्बर, 1982 को विज्ञान भवन में गृह मंत्री श्री प्रकाशचन्द सेठी, श्री पी० एस० हरिहरन, संयुक्त सचिव पूर्ति) विभाग, पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय) को राजभाषा शील्ड (1980-81) प्रदान करते हुए

हमारी राजभाषा हिन्दी कैसी हो? यह प्रश्न भी महत्व-पूर्ण है। कई क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हिन्दी के संबंध में कुछ भ्रामक धारणाएं प्रचलित हैं।

एक वर्ग सीधी-सादी हिन्दी का पक्षपाती है, तो दूसरा संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का। जो भाषा दूसरी भाषाओं के शब्दों के लिए अपने द्वार वन्द कर देती है, वह कभी भी पनप नहीं सकती और कुछ समय पश्चात् मर जाती है। भारत सरकार की ओर से यह वात कई वार स्पष्ट की जा चुकी है कि सरकारी कामकाज की भाषा सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए। इसमें अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 351 में निदेश दिया गया है कि हिन्दी का विकास अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली का समावेश करके किया जाना चाहिए।

भाषा तो वहते हुए नीर की भांति है। उसका वहाव रुकना नहीं चाहिए। वह रुकावट के वगैर चलती जाए, ऐसी ही हिन्दी हम चाहते हैं।

इस वात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुवाद का सहारा विशेष स्थितियों में ही लिया जाए। जितना काम मूल रूप में हिन्दी में होगा, उतना ही इसके विकास में साधक होगा। शब्दावली न होने या न जानने का वहाना करके अथवा तकनीकी शब्दों की बात कह कर इसकी प्रगति में वाधा नहीं डाली जानी चाहिए।

राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सरकार के किसी अकेले विभाग अथवा मंत्रालय की नहीं है अपितु सभी विभागों की है। अतः हम सभी को निष्ठापूर्वक इसके विकास में हाथ वटाना है। रुकावटें और समस्याएं अवश्य मार्ग में आएंगी, पर साहस से, हमें अपने लक्ष्य की ओर वढ़ना है। हम अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे।

अन्त में मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को अपनी हार्दिक वधाई और शुभ कामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आगे चलकर अन्य मंत्रालय तथा विभाग भी इस राष्ट्रीय कार्य में सच्ची लगन एवं निष्ठा लेकर पुरस्कार के पात्र वनेंगे।

संत साहित्यकार—फादर कामिल बुल्के

—शंकर दयाल सिंह
भूतपूर्व संसद सदस्य

अभी तक मैं स्पष्ट नहीं हूं कि फादर कामिल बुल्के को संत कहूं या साहित्यकार ? उनका धवल-श्वेत पादरी का वस्त्र, निर्विकार जीवन-पद्धति, चर्च के साये में बिताया जाने वाला जीवन, उनकी ईसाइयत से भरपूर दिन-चर्याएं, उनका भोला-भाला-सरल मुखड़ा, उनकी हृदय को छू लेने वाली वाणी और दया, ममता तथा करुणा से लबालब उनका मानव-हृदय मुझे इस बात के लिए बार-बार उकसाता है कि ऐसे व्यक्ति को पहले संत कहूं, तब साहित्यकार ।

महात्मा तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रसखान आदि सबके सब पहले संत ही थे, बाद में कवि और ऐसी ही परम्परा रही है विश्व-साहित्य में । अपने को संत कहलाने का हकदार फादर कामिल बुल्के ने इसलिए भी बना लिया था कि उन्होंने अपना विषय भी ऐसा ही लिया था—रामकथा और संत तुलसीदास का साहित्य । रामकथा के उद्भव और विकास पर उन्होंने जो काम किया है, वह विश्वव्यापी है तथा गोस्वामी तुलसीदास का समग्र साहित्य जिस तरह से उन्होंने मथा या पढ़ा—वैसी अन्तर्चेतना कम लोगों में पाई जाती है । इसीलिए जब कभी उन्हें रामभक्त कहा जाता था, तब तुरन्त वे इसका संशोधन करते थे—रामभक्त नहीं, तुलसी-भक्त ।

तुलसी के सम्बन्ध में बोलते हुए वे तुलसीमय हो जाते थे, वैसे ही जैसे स्वयं तुलसी राममय । रामचरितमानस, दोहावली, कविता-वली, रामललानहछू आदि समग्र तुलसी साहित्य को उन्होंने आत्मसात कर लिया था और बातचीत में भी वे प्राय: उनका उल्लेख करते थे ।

ऐसे तपस्वी-साधक को केवल साहित्यकार कह देने से मन को सन्तोष नहीं होता, अत: सही रूप में वे संत थे ।

फादर कामिल बुल्के से मेरा सम्बन्ध 30–35 वर्षों का रहा और इसका उल्लेख करके वे स्वयं कहते थे—'तुम जब पहली बार मुझसे मिले थे, तो इतने बड़े बच्चे थे ।' यह कहकर वे हाथ से दिखाते थे कि 10–12 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है ।

मेरे पिताजी से फादर की मैत्री थी अत: पिताजी जब कभी रांची जाते, तो उनसे मिलते थे और फादर जब कभी पटना आते थे तो मेरे पिताजी से मिलते थे । पिताजी की मृत्यु के बाद जब कभी मैं फादर कामिल बुल्के से मिलता और मैं 'फादर' कहता, तो वे 'तुरन्त टोक देते थे—'फादर नहीं, पिता । मैं तुम्हारा पिता हूं ।'

उनके अन्दर ऐसी आत्मीयता थी कि जो भी उनके सम्पर्क में आता था, उनका हो जाता था । मैं जब कभी रांची जाता था, तो उनसे मिलने जरूर जाता था । उनके पास शोध-कर्ताओं और सामान्य पाठकों का आना-जाना निरन्तर बना रहता था, जो उनसे शंका-समाधान करने, मार्ग-दर्शन लेने और पुस्तकों के लिए आते थे । फादर कामिल बुल्के के पास हिन्दी और संस्कृत की विशाल-लायब्रेरी थी, जिसका उपयोग सैकड़ों लोग करते थे और फादर उदारतापूर्वक उन्हें पुस्तकें देते थे । कह नहीं सकता कि उनकी कितनी पुस्तकें वापस होतीं थीं, जिसका कटु अनुभव हम लोगों को होता है । लेकिन मेरा विश्वास है कि उनकी पुस्तकें लौट आती होंगीं ।

मैक्समूलर और ग्रियर्सन जैसे विदेशी विद्वानों को श्रद्धा के साथ बराबर इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने अपना सारा जीवन संस्कृत और भारतीय साहित्य के शोध और संग्रह में लगा दिया । फादर कामिल बुल्के उनसे बहुत आगे माने जायेंगे, इस रूप में कि आज से 50 वर्षों पूर्व वे बेल्जियम से भारत आये एक धर्म प्रचारक के रूप में, जो पादरी का अपना धर्म होता है, लेकिन यहां आकर रम गये हिन्दी की सेवा में । उन्होंने भारत को ही अपना घर मान लिया और संत एंड्रूज, मीरा बैन और सरला बहन के समान इसी धरती के एक अंग हो गये ।

उन्होंने अपने शोध का विषय रामकथा को लिया और उसके बाद तो वे आत्मसात् हो गये रामकाव्य और तुलसी-साहित्य में । तुलसीदास का विवेचनात्मक अध्ययन करते हुए भी वे उनके आध्यात्मिक पक्ष से अपने को अछूता नहीं रख सके । तभी तो 1976 में हिन्दुस्तानी-एकेडमी, इलाहाबाद द्वारा आयोजित भाषण-माला में 'रामकथा और तुलसीदास' विषय पर बोलते हुए फादर कामिल बुल्के ने कहा था—"तुलसी स्वयं राम अवतार में विश्वास करते हैं, किन्तु वह इतने उदार हैं कि वह उन लोगों से सहानु-भूति रखते हैं जो अवतारवादी नहीं बन पाते हैं और उन्हें नाम साधना का मार्ग दिखलाते हैं । दूसरी ओर उनके भक्ति मार्ग के तात्विक सिद्धान्त किसी सम्प्रदाय विशेष से ऊपर उठकर मनुष्य-मात्र के लिए हितकारी और प्रेरणादायक हैं । यदि सभी लोग तुलसी की शिक्षा हृदयंगम कर लेते, तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाती ।"

तुलसीदास के काव्य का, उनके आचरण का और भक्तिभाव का ऐसा प्रभाव फादर कामिल बुल्के पर अप्रत्यक्ष रूप में पड़ा था कि कभी-कभी वह उसमें खो जाते थे । डा० पाल ब्रेन्टन ने जब

'गुप्त भारत की खोज' नामक पुस्तक लिखी तो प्रारम्भ में ही बताया कि---"माना कि भारत सदियों से गफलत की नींद में सो रहा है, माना कि आज भी वहां के करोड़ों किसान घोर-अज्ञान सागर में डूबे हुए हैं, माना कि उनका अंध-विश्वास और धार्मिक भोलापन तथा अज्ञानता चौदहवीं शताब्दी के अंग्रेज किसानों जैसी ही है, यह भी मान लेते हैं कि इस देश के ब्राह्मण पंडित आज भी मध्यकालीन योरोपीय विद्वानों के समान ही बाल की खाल निकालने वाले तर्कों में तथा दार्शनिक विचारों की बारीकियों में, अपनी सारी पंडिताई चौपट कर रहे हैं, फिर भी भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य निधि अभी पूर्ण रूप से नहीं मिट गई है और उसके बचे-खुचे अंश हमें आज भी उस वर्ग के व्यक्तियों में प्राप्त हो सकते हैं जो योगी जैसे साधारण नाम से पुकारे जाते हैं ।"

फादर कामिल बुल्के की उत्सुकता का सार भी यही कहा जायेगा ---भारतीय साहित्य, रामकथा, तुलसीदास का व्यापक जन-साहित्य । फादर कामिल बुल्के जब उसमें डूबे तो उन्होंने केवल उसका धर्म पक्ष ही नहीं देखा, मर्म पक्ष भी देखा और अपनी सरल वाणी में जब कभी उन्होंने उसकी व्याख्या की तो बताया कि तुलसी ने करोड़ों जनमानस को अपनी सरल भक्ति से प्रभावित किया है ।

लेकिन डा० कामिल बुल्के का केवल 'रामकथा का उद्भव और विकास' ही एक मात्र उल्लेखनीय कार्य नहीं है और न ही तुलसी-साहित्य का मनन-चिन्तन । बल्कि अंग्रेजी-हिन्दी कोश' के रूप में उन्होंने जो कार्य हमारे सामने रखा है, उसे तो कोई भूल नहीं सकता । फादर कामिल बुल्के से पहले अंग्रेजी-हिन्दी की जो भी डिक्शनरियां थीं वे या तो बहुत हल्की थीं या फिर बहुत व्यापक । फादर कामिल बुल्के ने दोनों के बीच का रास्ता निकाला और इतने परिश्रम और मनन के साथ इस उपयोगी कोश का निर्माण किया कि वह आज कार्यालयों से लेकर विद्यार्थियों तक सबसे लोकप्रिय कोश है ।

इस कोश-निर्माण के क्रम में वे लगभग 10 वर्षों तक रात-दिन परिश्रम करते रहे और इसमें जो समय तथा श्रम लगाया, उससे उनके स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ा । एक बार कोष-निर्माण के समय मुझे उनका एक कार्ड मिला---हिन्दी में 'गदहबेर' के लिए कौन-कौन से प्रचलित शब्द हैं ?--मैं समझता हूं कि उस अवधि में बहुतों को उनके ऐसे पत्र प्राप्त हुए होंगे । कोष निर्माण के क्रम में वे स्वयं एक विद्यार्थी के समान लगे हुए थे, उन्होंने कभी विद्वान की पंक्ति में अपने को माना ही नहीं ।

कोष-निर्माण का विचित्र संतोष उनके अन्दर था । इस बात से उसकी लोकप्रियता ऐसी बढ़ी कि उसके अनेक संस्करण और पुनर्मुद्रण होते गये । मुझे जो प्रति उन्होंने उस कोश की भेंट की उस पर बड़े स्नेह के साथ लिखा--'पितृभक्त श्री शंकर दयाल सिंह को सस्नेह' ।

आखिरी पुस्तक जो उन्होंने मुझे भेंट की थी वह है--- 'नया विधान'---न्यू टैस्टामेंट । अंतिम समय में वे बायबिल के सरल अनुवाद में जुटे थे और जब भी मैं उनके पास इधर गया, उसी में लगे देखा । उनका एक मिनट का समय भी व्यर्थ नहीं जाता था । पढ़ना-लिखना-मनन करना और लोगों से प्रेम तथा स्नेह के साथ मिलना । ऊर्जस्वित भाल दूर से ही किसी योगी की अनुभूति देता था तथा जब वे हिन्दी में बातें करने लगते थे तो उसकी मिठास का आभास हर किसी के कानों को आकर्षित करता था । जब कभी कोई उनसे अंग्रेजी में बातें करता था, तब भी वे उससे हिन्दी में ही बातें करते थे और कभी-कभी तो वे अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों के प्रति उद्वेलित भी हो जाते थे---मैं विदेशी होकर जब आपकी भाषा में बातें कर रहा हूं और लिखता-पढ़ता हूं तो आप क्यों नहीं अपनी भाषा में बातें करते हैं ।

हिन्दी पर और राष्ट्रभाषा पर उनका बहुत बड़ा ऋण है । भारत सरकार की अनेक कमेटियों में, केन्द्रीय हिन्दी समिति में तथा देश की अनेक हिंदी संस्थाओं में सदस्य के रूप में रहकर उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता । सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हिन्दी के संबंध में विचार करने वाली जिस समिति में वे होते थे, लोगों की नज़र उनकी ओर ही गड़ी होती थी । इसका मुख्य कारण यह था कि लोग उन्हें देखकर गर्व और संकोच दोनों का अनुभव करते थे कि एक विदेशी हिन्दी विद्वान के रूप में हमारे बीच में बैठा है और हम अभी भी राष्ट्र-भाषा के प्रश्न को अधर में लटकाए हुए हैं ।

सच में उनके समान किसी व्यक्ति का कहीं होना ही गौरव की बात थी और न होना आज एक ऐसी अपूरणीय क्षति है--- जिसे शायद ही हम भर पायें । दोनों विश्व हिन्दी सम्मेलनों में एक प्रतिनिधि तथा किसी न किसी संगोष्ठी के अध्यक्ष अथवा उद्घाटक के रूप में फादर कामिल बुल्के उससे जुटे हुए थे । अब तीसरा विश्व हिन्दी सम्मेलन इसी वर्ष अथवा अगले वर्ष के प्रारम्भ में होने जा रहा है, लेकिन यदि किसी एक व्यक्ति के अभाव में वह सूना लगेगा, तो वह सूनापन रहेगा फादर कामिल बुल्के के अभाव में ।

हिन्दी के साथ-साथ भारतीय संस्कृति से भी उनका लगाव किसी संत के समान ही था । उन्होंने साहित्य के उन्हीं अंगों को अपने साहित्य का प्रतिपाद्य बनाया, जो भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए रहे और उनकी दृष्टि ऐसी थी, जिसमें धर्म से अधिक संस्कृति का मर्म ही प्रधान था । वह किसी भारतीय विद्वान से उतना संभव नहीं था, जितना एक विदेशी होने के नाते हुए उनसे ।

फादर कामिल बुल्के से हुई आखिरी मुलाकात का हवाला देना आवश्यक मानता हूं । डा० कर्ण सिंह जी के साथ गत 23 अप्रैल, 1982 को रांची में फादर के ही आवास पर हमारी उनसे आखिरी मुलाकात हुई । उनकी रुग्णावस्था की बात सुनकर डा० कर्ण सिंह ने हवाई अड्डे पर ही कहा कि मैं यहां से सीधा डा० कामिल बुल्के को देखने जाऊंगा और जब हम वहां पहुंचे तो फादर ने डा० कर्ण सिंह को स्नेहालिंगन में लपेट लिया और वे हिन्दी और राष्ट्रभाषा के प्रति स्वाभाविक चिन्ता व्यक्त करने लगे ।

डा० कर्ण सिंह ने जब यह कहा कि आप इसकी चिन्ता छोड़ें। आप दिल्ली आ जायें, वहां आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीच्यूट में आपका इलाज ठीक से होगा तो अपनी स्वाभाविक मुद्रा में फादर बोले—पता नहीं वहां तक पहुंच पाता हूं या नहीं और पहुंचता भी हूं तो क्या होता है ?

वे पहुंच तो जरूर गये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीच्यूट में, लेकिन वापस नहीं आ सके और फादर का अनुमान सही निकला। इधर वे अपने स्वास्थ्य को लेकर चिन्तित तो नहीं, लेकिन परेशान जरूर थे। इसका कारण यह था कि उन्होंने कई कामों का संकल्प कर लिया था, जिसे वे पूरा करना चाहते थे, लेकिन वह सब हो नहीं पा रहा था और उसे जल्द से जल्द समाप्त करने की जिज्ञासा-लालसा में वे अपने को अधिक से अधिक क्षतिग्रस्त कर रहे थे।

फादर कामिल बुल्के के उठने का अर्थ औरों के उठने से भिन्न होता है। उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिन्दी प्रेमी फादर कामिल बुल्के को उसी प्रकार बराबर याद करते रहेंगे, जैसे संत-कवियों को, और निश्चित रूप से फादर उसी परम्परा के एक जीवन्त व्यक्तित्व थे। □ □ □

नए राजभाषा सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार की नियुक्ति

30 सितम्बर, 1982 को श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव (आई० ए० एस०) राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। इसी दिन राजभाषा विभाग के भूतपूर्व सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री जय नारायण तिवारी (आई० ए० एस०) अपने पद से सेवा-निवृत्त हो गये।

श्री श्रीवास्तव भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपने पहले-पहल 1950 में पटना विज्ञान महाविद्यालय में लेक्चरर के रूप में काम करना शुरू किया था और 1952 में आई० ए० एस० में नियुक्त हुए थे। आप 1953 से 73 तक बिहार राज्य में विभिन्न उच्च प्रशासकीय पदों पर कार्य कर चुके हैं। 1973-74 में आप दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव थे। 1974 में आपने योजना आयोग में संयुक्त सचिव का पदभार संभाला और बाद में उसके सलाहकार के पद पर नियुक्त किए गए।

श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार

राजभाषा विभाग में आने से पूर्व आप पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में पर्यटन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। श्री श्रीवास्तव एक अनुभवी, कुशल और मेधावी प्रशासक हैं। हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में आपकी गहरी दिलचस्पी है। आशा है आपके कार्यकाल में राजभाषा हिन्दी के विकास, प्रचार-प्रसार और प्रयोग संबंधी कार्यकलापों को नई गति और प्रेरणा प्राप्त होगी।

□ □ □

भारत की सर्वांगीण अभिव्यक्ति और हिन्दी

—डॉ० राकेश चतुर्वेदी, डी० लिट्
प्रवक्ता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

हिन्दी केवल एक भाषा ही नहीं वरन् राष्ट्रीय एकता की कड़ी है। सांस्कृतिक, सामाजिक और सार्वभौम जीवन-मूल्यों की आधायिका शक्ति है। भारत की मल चिन्तन-धारा की गति, यति और नियति है। भारतीय जनमानस की सर्वांगीण अभिव्यक्ति है। विविधमुखी जनबोध की सामूहिक चेतना है। राष्ट्रीय प्रतिभा के बृहत्तर सामंजस्य, विराट संयोजन एवं सर्वतोमुखी एकीकरण की सतत् स्रोतस्विनी है। जातीयता, क्षेत्रीयता, प्रान्तीयता, धर्मान्धता एवं संकीर्णता के दायरे तोड़कर—विश्व भाषाओं के साहचर्य में वैज्ञानिक संस्कृति की निर्भ्रांत नियोजिका है। इसके आभ्यन्तर में भारत की बांकी-झांकी झलकती है। सहस्राब्दों में न जाने कितने ज्ञात-अज्ञात, रूप-गुण प्रवृत्तिमूलक मोती कवीन्द्र, रवीन्द्र के महामानवेर सागर से इसने संजाये हैं। अपने शत-शत समुच्छवासों से आज हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर 80 देशों तक जा पहुंची है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्वभाषाओं में तीसरे स्थान पर आसीन हुई है। यह भारत के स्वतन्त्रता संग्राम की ऐक्य-विधायिका, समाहारकर्त्री और विगत तेरह-चौदह शताब्दियों के जनआन्दोलनों की संवाहिका है। अपनी ही अदम्य सर्जन-क्षमता और स्वतः संस्फूर्त प्रेरणा लेकर, कितने ही शासकीय परेशानियों के पहाड़ चकनाचूर कर यह निरन्तर कोटि-कोटि कंठों की गलहार बनी है।

भारत एक राष्ट्र है। भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी है और इसकी राष्ट्रलिपि है देवनागरी। हिन्दी भारत की सामासिक संस्कृति की प्रतीक है। राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीयता की अजस्रधारा है। 1925 ई० में ही अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी भाषा का प्रयोग और प्रान्तीय स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग का प्रस्ताव कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। 1929 ई० में राजा जी ने कहा था "हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत की राजभाषा भी होगी।" आजादी के बाद 1950 ई० में, भारतीय संविधान में, हिन्दी को संघ की राजभाषा का उचित स्थान प्राप्त हुआ जिसका अर्थ है सम्पूर्ण भारत की एक राष्ट्रभाषा हिन्दी। स्पष्ट है कि भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधिपालिका, प्रशासन एवं राष्ट्रीय स्तर पर समस्त कार्यकलापों की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होनी चाहिए। भाषावार प्रान्तों के निर्माण के उपरान्त, प्रान्तों का कामकाज प्रान्तीय भाषाओं में, अन्तर्प्रान्तीय कार्य हिन्दी में, केन्द्रीय स्तर पर कार्य हिन्दी में और अन्तर्राष्ट्रीय संचार-सम्पर्क हिन्दी में होना था। 1965 ई० तक भारतीय संघ की राजभाषा को प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी का स्थान लेना था। यह दायित्व केन्द्रीय सरकार का था कि वह राष्ट्रीय संकल्प लेकर भारतीय संविधान द्वारा निदेशित, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के प्रयोग का मन्तव्य पूरा करती।

यह सर्वविदित है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सिक्के और आदेश हिन्दी में छपते थे। मद्रास का लेफ्टिनेन्ट टामस रोबक हिन्दी सीखकर काश्मीर से कन्या कुमारी तक भारत की यात्रा कर सकता था। दक्षिण भारत के सन्त कवि, आचार्य और भक्त हिन्दी में अपनी कीर्तिगाथा गढ़ सकते थे। महाराष्ट्र के नामदेव, गुजरात के नरसी मेहता, राजस्थान के रज्जब, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु, पंजाब के गुरुनानक, असम के शंकर देव, उत्तरी-दक्षिणी सूफी संत, मुगल बादशाह, पेशवा, सिन्धिया, होलकर, अफगान, मराठे, राजपूत, जाट, सिख और तमाम कबीले हिन्दी का प्रयोग कर सकते थे। कोलब्रुक तथा कोशकार शेक्सपियर सरीखे सैकड़ों अहिन्दी विद्वान हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करते हैं। अहिन्दी भाषी राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी, एनी-बेसेण्ट, तिलक, गोखले, मुखोपाध्याय, मुंशी, अरविन्द, बोस, बंकिम, रमेशचन्द्र दत्त, राजेन्द्र लाल मित्र, टैगोर, नायडू, रामास्वामी अय्यर, अनंतशयनम् आयंगर, रामचन्द्र दिवाकर, गोपालन, राघवन, चन्द्रहासन, बालकृष्ण राव, बाशौर रेड्डी, प्रभृति सहस्रों साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी मनीषियों के उद्घोषों एवं आदर्शों की उपेक्षाकर राष्ट्रभाषा हिन्दी के सार्वभौम प्रयोग के लिए समय-सीमा बढ़ाना उचित नहीं है। यदि लंका एक वर्ष में ही सिंहली को राजभाषा बना सकता है, कमालपाशा टर्की में तत्काल लिपि परिवर्तन कर सकता है, इण्डोनेशिया राष्ट्रीय शब्दावली तैयार कर सकता है, आयरलैण्ड, आजादी मिलते ही आइरिश का प्रयोग कर सकता है—तब भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? विभिन्नता और विच्छिन्नता की लड़ियां क्यों पिरोयी जा रही हैं?

कवि टामस डेविड के शब्द 'कोई राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र नहीं कहा जा सकता।' राष्ट्रप्रेमियों के लिए चुनौती है। यह चुनौती हम सभी को स्वीकारनी है।

"भारतीभिः भारती सजोषा"—ऋग्वेद की यह वाणी जिसका अर्थ है भारत भारती समस्त उपभाषाओं द्वारा सेवनीय है, आज तक चरितार्थ न हो सकी। राजनीतिक नेताओं ने अपने रंग बदले, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डा० सुनीति कुमार चटर्जी इसके प्रमाण हैं। संविधान की शपथ लेने वालों ने संविधान की उपेक्षा की अतः संविधान के अन्तर्गत किए गए राष्ट्रभाषा सम्बन्धी उद्घोष मात्र अभिलाषा बनकर रह गये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, केवल संस्करण की वस्तु बन गये। क्या यह आवश्यक नहीं था कि भारतवर्ष की भावनात्मक एकता, प्रगति और लोकव्यथा को वाणी देने के लिए देश के कर्णधार सम्पूर्ण देश के लिए एक भाषा और एक लिपि का उद्घोष करते? अद्यावधि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रीय शब्दकोष तैयार न कराना क्या राष्ट्र की अस्मिता का अपमान नहीं है? इण्डोनेशिया और टर्की के चरण-चिन्हों पर भी चलने की क्षमता भी हमारे देश ने नहीं दिखाई? सम्पूर्ण भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा और एक राष्ट्रलिपि की दिशा में कदम न उठाना राष्ट्र भक्ति है या कि राष्ट्र द्रोह? निश्चय ही यह गम्भीर गवेषणा का विषय है। और इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के विचार यहां प्रस्तुत करते हुए यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक है कि भारत की भाषा मूलतः एक है।

कतिपय निष्णात विद्वज्जनों ने इस तथ्य की खोज का उल्लेख्य प्रयास किया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री एम० बी० इमेन्यू ने 1956 में "भारत एक भाषा क्षेत्र" शोध लेख प्रस्तुत किया था और उन्हीं के द्वारा 1956 में "भारत और भाषा क्षेत्र" विषय पर अन्नामलाई यूनीवर्सिटी में भाषण दिया गया जिसमें आर्य और द्रविड़ परिवारों की भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों के विविध क्षेत्रों एवं विषयों में साम्य और वैषम्य का विन्यास प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार डा० भगवानदास के द्वारा आर्य-द्रविड़ भाषाओं की मूलभूत एकता, विषयक प्रबन्ध के अन्तर्गत आर्य भारतीय बोलियों की प्रकृति, आर्य-द्रविड़ शब्द भण्डार का साम्य निर्दर्शित किया गया है। प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी प्रभृति विद्वानों ने हिन्दी तथा द्रविड़ भाषाओं के समानरूपी भिन्नार्थी शब्दों का विश्लेषण किया है। श्री बी० रा० जगन्नाथन के द्वारा हिन्दी और तमिल की समानस्रोतीय भिन्नार्थी शब्दावली और श्री बी० गोपीनाथन् ने मलयालम और हिन्दी की क्रियाओं का भाषा शास्त्रीय अध्ययन किया। डा० अम्बा प्रसाद 'सुमन' के द्वारा हिन्दी और भारत की प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन में—हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलगू, कन्नड़ और मलयालम आदि के साम्य का आकलन किया गया। श्री काल्डवेल को भी आर्य और द्रविड़ भाषाओं की अनेक क्षेत्रों में साझेदारी मान्य थी। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के तत्वावधान में अनुसंधायकों ने हिन्दी का विभिन्न भाषाओं—कन्नड़, गुजराती, डोगरी, तेलगू, पंजाबी, बंगला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम आदि के साथ भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन पर लगभग 30 गवेषणात्मक शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किए गए हैं। डा० कैलाशचन्द्र भाटिया ने ध्वन्यात्मक स्तर पर भारतीय भाषाओं में मूलभूत एकता का विश्लेषण (गवेषणा के चतुर्थ अंक में) किया है। श्री पी० के० कुंजिराजन के द्वारा मलयालम तथा हिन्दी व्याकरण में समानता-असमानता दिखाई गई है। कन्नड़ और हिन्दी के संख्यावाचक विशेषणों की समीक्षा श्री रामकृष्ण नावड़ा ने की है। मलयालम और हिन्दी की समान शब्दावली के सम्बन्ध में सुश्री बी० पी० मेरी ने कार्य किया है। तेलगू और हिन्दी के शब्द समूह में समानता का तात्विक विश्लेषण श्री सीताराम शास्त्री के द्वारा किया गया है। श्री एम० बी० जायसवाल ने हिन्दी साहित्य कोष, भाग-1 में लिखा है कि "वाच्यार्थ की दृष्टि से हिन्दी शब्द का प्रयोग · · · हिन्द या भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़ तथा अन्य कुल की भारतीय भाषाओं के लिए हो सकता है"। प्रसिद्ध भाषाविद् श्री चिलवकूरि नारायण तेलगू भाषा को आर्य भाषा परिवार की मानते हैं। श्री भीमसेन 'निर्मल' ने तेलगू और हिन्दी व्याकरणों का तादात्म्यपूर्ण विवेचन किया है। मलयालम को भी कुछ विद्वानों ने संस्कृत से उत्पन्न माना है और कुछ ने तमिल तथा संस्कृत का संगम। तमिल का मणि प्रवाल शैली में संस्कृत से सामीप्य है। किंबहुना, अब तक आर्य-द्रविड़ आदि भाषा और साहित्य के क्षेत्र में, प्रकृति-प्रवृत्ति-प्रारूप-परिवेशमूलक अनेक शोध-प्रबन्ध विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा अभी भी एतद्विधि अनुसंधान कार्य जारी है।

अद्यावधि सम्पन्न किये गये इन शोध-कार्यों की विवक्षा इस प्रतीति को पुष्ट करती है कि अधिकांश भारतीय भाषाओं का उत्स एक ही है। पुनश्च यदि विश्व की लगभग 3,000 भाषायें, 12 प्रमुख भाषा-परिवारों में परिगणित की जा सकती है, सन् 1887 ई० में डा० जमेन हाफ एक विश्व भाषा 'एस्पेरेन्तों' की उद्भावना कर सकते हैं, 1907 ई० में 'ईडो' नामक नवीन विश्व भाषा की रचना श्री कांटूरेंट महोदय के द्वारा हो सकती है तब निश्चय ही भू-भाषा विज्ञान, समाज-विज्ञान एवं मनोभाषिकी की अधुनातन प्रवृत्तियों की पीठिका पर भारत को एकभाषिक इकाई के रूप में अभिहित किया जा सकता है। इस भाषा का नाम भले ही 29 करोड़ जनसंख्या की भाषा हिन्दी न हो, 'भारती' हो, 'हिन्दुस्तानी' हो या कुछ भी नामकरण किया जाये—किन्तु भारत की सीमा रेखा में उल्लिखित 826 भाषाओं को मूलतः बाच्चार्थ की दृष्टि से, सांस्कृतिक संरूपों की आधृति पर, इतिवृत्तात्मक परिवेश में, व्याकरणिक वैविध्य से परे भाषा-शास्त्रीय चिन्तन की चरम चिति में एकात्मकता से अनुस्यूत माना जा सकता है। और सम्भवतः इसके लिए भाषा विज्ञान का एक नया स्कूल "भारतीय स्कूल" ठीक उसी प्रकार का स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिस प्रकार वर्तमान रूसी स्कूल, अमेरिकी स्कूल, ब्रिटिश स्कल, फ्रान्सीसी स्कूल, कोपेन-हेगेन स्कूल, प्राग-स्कूल अथवा जेनेवा स्कूल प्रवर्तित है।

विचित्र विडम्बना यह भी है कि यद्यपि रूसी, चीनी और अंग्रेजी आदि भाषाएं विभिन्न कालखण्डों में उसी प्रकार परिवर्तित होती रहीं, जिस प्रकार वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, देशज भाषा और हिन्दी आदि विकसित हुई किन्तु उन भाषाओं का नाम नहीं बदला, केवल प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालों में ही उनका वर्गीकरण किया गया। वहीं दूसरी ओर भारत में प्रत्येक काल में भाषा का नाम बदल दिया गया। क्या यह विचारणीय नहीं कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य, द्रविड़ आदि भाषाओं की गतिशीलता में शाश्वत सातत्य है, और इन्हें एक नाम से पुकारा जा सकता है तथा तीन कालों में यह भी विभाज्य हो सकती है।

डा० रामविलास शर्मा के अनुसार आज भी यदि सम्पूर्ण विश्व में अंग्रेजी समझने वाले 25 करोड़ होंगे तो हिन्दी समझने वाले 35 करोड़। श्री ब्लूमफील्ड का कथन है कि यार्कशायर की अंग्रेजी, अमेरिकी नहीं समझता और हालीवुड की अंग्रेजी फिल्म के भारतीय विद्वान समझने में अपने को असमर्थ पाते हैं। इतना ही नहीं पेकिंग की उत्तरी चीनी और कैंटन की दक्षिणी चीनी में आज भी शब्दभण्डार की दृष्टि से उतना साम्य नहीं जितना कि वर्तमान हिन्दी और उसकी बोलियों में है या कि संस्कृत और हिन्दी में है। श्री मारियों पेई भी चीनी भाषा की बोलियों को स्वतन्त्र भाषा मानते हैं और श्री ब्लूमफील्ड के अनुसार परस्पर दुर्बोध भाषाओं का परिवार चीनी भाषा है। यह सत्य है कि उत्तरी चीनी जानने वालों को दक्षिणी चीनी सीखनी पड़ती है तथा दक्षिणी चीनी भाषियों को उत्तरी चीनी—किन्तु भाषा एक ही है।

वस्तुतः इन विचार-बिन्दुओं की परिमिति में भाषायी असीम को ससीम किया जा सकता है और निश्चय ही भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यंजना के लिए सम्पूर्ण भारत की भाषा के लिए हिन्दी अथवा "भारती" संज्ञा का औचित्य है। आवश्यक केवल इतना ही है कि भारत के भाषा वैज्ञानिक, वैयाकरण और साहित्यकार, राजनीतिक घातों-प्रतिघातों से बचकर उक्त दिशा की ओर अग्रसर हों तथा राजनीति के कर्णधार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, 346 और 351 के प्रति कृतसंकल्प हों।

यह भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि भारतवर्ष के लिए सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, व्यावहारिक एवं प्राविधिक विषयों के लिए सम्पूर्ण भारत में देवनागरी की अनिवार्यता है। यद्यपि भारत में अभी तक लगभग एक दर्जन लिपियां प्रवर्तित हैं किन्तु ये समस्त लिपियां एक लिपि "ब्राह्मी" से ही समुद्भूत हैं और उत्तर से लेकर दक्षिण तक विविध क्षेत्रों, कालखण्डों एवं साहित्य-धाराओं के अनुसार ये अनेक रूपों में बदल गई हैं। यदि भारत सरकार एक समिति बनाकर भारत में एक लिपि को प्रोत्साहन देती अथवा इंग्लैण्ड की तरह किसी आंग्उन या रिचर्ड्स सरीखे लिपि-वैज्ञानिक द्वारा समस्त भाषाओं की ध्वनियों को समाहित करते हुए देवनागरी लिपि का विकास कराती तो निश्चय ही यह कार्य दो दशक पूर्व ही सम्पन्न हो गया होता। यहां देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का विश्लेषण करना हमारा मन्तव्य नहीं है और न रोमन आदि लिपियों की तुलना में इसकी श्रेष्ठता निदर्शित करना है। यहां केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुरूप देवनागरी लिपि को सार्वजनीन बनाना अत्यावश्यक है और इस सम्बन्ध में मुद्रण, टेलीप्रिन्टर, अनुवाद सम्बन्धी सम्पूर्ण कठिनाइयों का निवारण करना भी अभीष्ट है।

राष्ट्रीय भाषा नीति, राजभाषा अधिनियम 1963, भाषा सम्बन्धी संवैधानिक अनुच्छेद, आदि के सन्दर्भ में लिए गए निर्णय कठोरता के साथ कार्यान्वित किए जाने चाहिए न कि कुछ सरकारें अपने निहित स्वार्थ के कारण जब चाहें भाषायी उन्माद का प्रदर्शन करें। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव उपयोगी हो सकते हैं :—

अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश एवं सेवाकाल की अनिवार्य भाषा—राजभाषा हिन्दी हो। केन्द्रीय प्रशासन, विधायन, न्यायपालिका, तकनीकी, विज्ञान, वाणिज्य व्यवसाय एवं केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी संस्थानों की भाषा हिन्दी हो। प्रान्तों में यही कार्य प्रान्तीय भाषाओं में किया जाए।

हिन्दी के अखिल भारतीय प्रयोग के लिए समुचित यांत्रिकीय सुविधाओं जैसे टाइपराइटर, एड्सोग्राफ, टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था अविलम्ब की जाए।

राजभाषा आयोग 1955 और संसदीय राजभाषा समिति 1957 की अनुसंशाओं के अनुरूप प्रशासनिक आदि राष्ट्रीय शब्दावलियों का प्रयोग अनिवार्य किया जाये। अनुवाद एवं अन्य संबंधित सुविधाएं तत्काल मुहैय्या की जाएं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यक्रमों में तदनुसार परिवर्तन, शिक्षा-माध्यम आदि में समरूपता हेतु तुरन्त फैसला किया जाए।

समस्त भारतीय भाषाओं के लिए वैकल्पिक रूप में देवनागरी लिपि के प्रयोग की व्यवस्था की जाए। हिन्दी उर्दू में केवल लिपि का ही अन्तर है।

राजभाषा हिन्दी की प्रगति, प्रसार और विकास का कार्य केवल सरकारों द्वारा संभव नहीं और इसके लिए स्वेच्छा-सेवी संगठनों को भरपूर वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

भारत के प्रत्येक विकास खण्ड पर एक सहायक विकास अधिकारी स्तर का हिन्दी-सेवक नियुक्त किया जाए। सरकारी एवं गैर-सरकारी विविध संस्थानों में हिन्दी-सेवक का पद अनिवार्य किया जाए।

इलाहाबाद में केन्द्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजर्षि हिन्दी शोध-संस्थान की, स्थापना की जाए।

इस प्रकार के विविध उपायों द्वारा हिन्दी का अधिकाधिक विकास करने और उसका प्रयोग बढ़ाने के प्रबन्ध किये जा सकते हैं।

परिचर्चा :

उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग : समस्याएं और समाधान

(उद्योग और व्यापार किसी देश की समृद्धि के सशक्त आधार होते हैं। इस क्षेत्र की प्रगति से देश की प्रगति और जनता की खुशहाली का अनुमान लगाया जाता है। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में जो भी कार्य-कलाप किए जाते हैं, उनसे जनता का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अतः ये कार्य-कलाप जनता की भाषा में किए जा सकें तो किसी वस्तु का निर्माण करने, उत्पादन बढ़ाने और उसका सुचारु रूप से वितरण करने में बड़ी सहूलियत होगी। इतना ही नहीं औद्योगिक उत्पादों पर अपनी भाषा में विवरण पढ़कर देशवासियों को गौरव का अनुभव होगा।

भारत के परतन्त्र होने के पूर्व देश का उद्योग और व्यापार देशी भाषाओं के माध्यम से किया जाता था। परतन्त्रता के युग में भी यह प्रक्रिया किसी न किसी रूप में चलती रही, किन्तु, जैसे जैसे अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार होता गया, वैसे-वैसे अंग्रेजी भाषा का भी प्रसार होता गया और हमारी देशी भाषाएं दबती गईं। यद्यपि भारत को स्वतंत्र हुए 35 वर्ष हो गये हैं और सभी क्षेत्रों में जनता को आजादी का लाभ प्राप्त हो रहा है, किन्तु उद्योग और व्यापार की भाषा के रूप में अभी भी अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है। अब भी अधिकांश उद्योगपति और व्यापारी विदेशी भाषा के सहारे अपना काम कर रहे हैं। यह एक चिंतनीय स्थिति है और प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी के लिए चुनौती भी।

राष्ट्रीयता का तकाजा है कि हम अपना कार्य राजभाषा हिन्दी अथवा भारतीय भाषाओं में करें, चाहे ऐसा करने में हमें कोई भी कठिनाई क्यों न उठानी पड़े। फिर भी चूंकि आदर्शवाद और यथार्थवाद में बहुत अन्तर होता है, अतः हो सकता है कि इस समस्या पर कुछ लोगों के विचार इससे भिन्न हों। इसके सभी पहलुओं से परिचित होने के लिए पाठक प्रायः उत्सुक रहते हैं। तो प्रस्तुत है यहां ऐसे ही उद्योगपतियों, व्यापारियों, प्रबन्धकों एवं चिन्तकों के विचार। —संपादक)

(1) मुकुलचन्द पाण्डेय

संपादक, उद्योग-विज्ञान जगत, लखनऊ

देश में तेजी से हो रही औद्योगिक प्रगति और इससे जुड़ी हुई व्यावसायिक मनोवृत्ति अब देशवासियों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि आजादी के 32 वर्ष बाद भी हम भाषायी दासता के चंगुल में क्यों फंसे हैं। उत्तर सीधा-सा है। उपभोक्ताओं की रुझान और उत्पादों के भड़कीले विदेशी नाम की दिलोदिमाग पर पड़ी गहरी छाप अपने में साफ जाहिर करती है कि कोई कमी रह गयी है जिससे उद्योग-धंधों तथा वाणिज्य-व्यवसाय के क्षेत्र में हिन्दी की लोकप्रियता में ह्रास हुआ है।

यह बड़ा ही ज्वलंत और समसामयिक प्रश्न है जिसकी ओर सभी देशवासियों का ध्यान बहुत पहले ही जाना चाहिए था। अब जब पानी सिर से ऊपर निकल गया है तो इस पर दृढ़ता से सोचना होगा। दरअसल देश में फैल रहे उद्योग धंधों के जाल-वितान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता बहुत पहले से ही महसूस की जाती रही है, परन्तु आज़ादी के बाद हम यथावत पुरानी लीक पर ही चलते रहे, वही घिसीपिटी परिपाटी चालू रखी। विदेशी प्रभाव कम नहीं हुआ, बढ़ता ही चला गया। अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं के आयात होने के कारण हम अंग्रेजी नामों के भी प्रायः गुलाम बन गए। स्विटजरलैण्ड की घड़ियां, इंगलैण्ड की सुपरफाइन धोती, लांगक्लाथ के कपड़े, मोटर-गाड़ियां, घरेलू साज-सामान वस्तुतः जापान, इंगलैण्ड तथा अन्य देशों से मंगाने के आदी रहे। जिन पर वहीं की भाषाओं के नाम लिखे थे। व्यापारिक नामों में भारत की माटी की गंध न आ सकी। नतीजा यह हुआ कि पूर्ववत अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा।

आजादी के बाद हमारा औद्योगिक ढाँचा मज़बूत हुआ। सुई से लेकर अंतरिक्ष यान तक हम अपनी तकनीक में विकसित करने लगे, परन्तु शुरू-शुरू में हमें तकनीकी मदद के लिए विदेशी विशेषज्ञों का सहारा लेना पड़ा। उनसे परस्पर विचारों का आदान-प्रदान, संपर्क-व्यवहार में भी विदेशीपन

का ही बोलबाला रहा, नतीजा यह हुआ कि अनेक विदेशी फर्मों के साथ काम करते हुए हमने उन्हीं की भाषा का सहारा लिया परिणामस्वरूप स्वदेशी भाषा का क्रमशः लोप होता चला गया। जब गाड़ी चल निकलती तो फिर बीच में रुकावट नहीं आ पाती, इसी सिद्धांत पर औद्योगिक परिवेश में हिन्दी नहीं आ पायी, यह हमारी कमजोरी थी। अब जड़ें इतनी गहराई तक पहुंच चुकी हैं कि इससे उबरना आसान नहीं है।

उद्योग और व्यापार अन्योन्याश्रित हैं। दोनों का वर्तमान ढांचा बिल्कुल ही पाश्चात्य रंग में रंगा हुआ है। भारतीयता और भारतीय भाषाओं का समावेश मंदगति से होता प्रतीत हो रहा है। चाहे निजी क्षेत्र के औद्योगिक घराने हों या सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियां, उद्यम-प्रतिष्ठान सभी फिलहाल अंग्रेजी के चंगुल में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। लोक प्रतिष्ठानों पर तो राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है परन्तु निजी क्षेत्र के उद्यम निरंकुश हैं। वे मनमाने ढंग से भारतीयता या हिन्दी को तिलांजलि देकर अंग्रेजी के व्यामोह में फंसे हुए हैं। अधिकतर उत्पादन एकक अपना सारा काम-काज केवल अंग्रेजी में कर रहे हैं, जो वस्तुतः चिंता का विषय है। यह प्रवृत्ति रोकी जानी चाहिए वरना कभी भी हिन्दी का व्यवहार इन क्षेत्रों में नहीं हो सकेगा।

अब हमें इसकी मानसिकता की ओर देखना है। उपभोक्ता की तो कोई अपनी परख होती नहीं, विज्ञापन प्रचार-प्रसार के शब्दजाल से उन्हें अपनी ओर सहज भाव से खींचा जा सकता है। कुछ नाम तो वस्तुओं के पर्यायवत् बन गये हैं जैसे वनस्पति को लोग डालडा से ही जानते हैं। हाल के कुछ वर्षों से जबकि हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रचलन बढ़ा है, काफी प्रचार सामग्री हिन्दी में भी दी जाने लगी है। लेकिन अभी भी व्यापारिक चिह्न या नाम अंग्रेजी में ही हैं। सिगरेट की नयी ब्रांड को भी अंग्रेजी नाम से अभिषिक्त देखा जा सकता है। आम उपभोग की वस्तुओं पर भी हिन्दी नाम नजर नहीं आते, फिर भी उनका प्रचार हिन्दी में होता है। व्यापार के क्षेत्र में प्रादेशिक भाषाएं भी सामने उभर कर आ रही हैं। यह स्वस्थ परंपरा का परिचायक है। अंग्रेजी के मोह जाल से छूटने पर हिन्दी का संबल लेकर भारतीय भाषाएं एक दूसरे से जुड़ेंगीं और संयोजक हिन्दी होगी। उद्योग धंधे कभी भी भाषा की सीमाओं से घिरे नहीं रहे हैं। उन्हें तो ग्राहक और उपभोक्ता की पसन्द चाहिए। यही एक मात्र साधन है जो भारतीय परिवेश और हिन्दी को उद्योग व्यापार क क्षेत्र में प्रतिष्ठित करेगी। यदि हिन्दी नामों का धड़ल्ले से इस्तेमाल आरम्भ हो जाये तो उपभोक्ता उसे अपनाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे, चाहे वे किसी प्रदेश के निवासी हों।

इस रास्ते में सरकारी उद्यमों का रुख उदासीनता और तटस्थता का है। हिन्दी प्रयोग की अरुचि-अनिच्छा ही वस्तुतः जनमानस को अंग्रेजी नामों वाले उपभोक्ता वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए विवश कर रही है। स्कूटर्स इण्डिया लि०, लखनऊ के विजय, विक्रम, सेटों आदि उत्पादनों के नाम भारतीय होते हुए भी अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं। ठीक इसी तरह घड़ियों के नाम जवान, काजल, आदि अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं। दूरदर्शन उपकरण, कैलकुलेटर, दवायें, उर्वरक, रक्षा उत्पाद आदि में हिन्दी का प्रयोग नगण्य-सा हो रहा है।

जहां तक आंतरिक काम-काज का प्रश्न है "ग" क्षेत्र के उद्यमों को छोड़ भी दें तो "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित उद्योग धंधों में भी अंग्रेजियत हावी है। सामान्यजन के मस्तिष्क पर हिन्दी के प्रति यह उपेक्षा भारतीयता से परे ले जाने वाली है। उत्पादकता वर्ष में अन्य उपलब्धियों के साथ-साथ हिन्दी प्रयोग को भी एक मुद्दा बनाया जाना समीचीन और समसामयिक कदम होगा। हाल में कुछ कदम अवश्य उठाये गये हैं परन्तु अभी वे व्यवहार में नहीं आ सके हैं।

अनेक औद्योगिक और व्यापारिक घरानों से संपर्क करने पर उन्होंने अपनी सामग्री की अन्तर्राष्ट्रीय खपत में हिन्दी के बाधक होने की बे-बुनियाद दलीलें दी हैं। जब कि विदेशी सामानों पर रूसी, चीनी, जापानी और अंग्रेजी नाम हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं तो हिन्दी नाम वाले उत्पादनों का व्यापारिक स्तर घट जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहां तक कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भी अपनी निर्मित वस्तुओं का अंग्रेजी नाम रखा है। कुछ औषधियों के नाम जैसे—कर्कुमीन, सेंट स्क्वाय, आदि अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० (आई० डी० पी० एल०), हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०, आदि औषधि निर्माण की सरकारी संस्थाओं की दवाओं पर भी हिन्दी में नाम नहीं लिखे जा रहे हैं। निजी दवाओं के निर्माताओं का कहना है कि भारतीय नाम रखने पर उन दवाओं की बिक्री पर बुरा असर पड़ता है। डाक्टरों की मानसिकता भी अंग्रेजी समर्थन की है अतएव औषधि उद्योग के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग अत्यल्प है। कुछ बड़ी कंपनियों ने द्विभाषिक नाम लिखने आरम्भ कर दिये हैं। जनता इनको सहर्ष स्वीकार भी कर रही है। यह कदम सराहनीय होगा यदि नामों को देवनागरी और रोमन दोनों रूप लिखा जाए। किसी भी भाषा के व्यापारिक नाम हों, फिलहाल देवनागरी में लिखकर उनको जनप्रियता मिल सकती है।

भारत सरकार के उद्योग, वाणिज्य, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय उर्वरक निगम, आयुध निर्माणी, लघु उद्योग मंडल, खादी ग्रामोद्योग आयोग को इस दिशा में पुनः गम्भीरता से सोचना होगा। अभी भी यहां हिन्दी के प्रयोग की स्थिति संतोषजनक नहीं है, यह शिथिलता सरकारी तंत्र की उदासीनता का प्रतिफल है। उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें ही नियमित

नहीं बुलाई जातीं वरना इनमें कड़ाई के साथ कुछ उपयोगी और प्रभावकारी कदम उठाने की बात होती। जब सरकारी क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र) में राजभाषा नीतियों का उल्लंघन हो रहा है तब फिर निजी क्षेत्र पर दबाव कैसे डाला जा सकता है, यह विचारणीय प्रश्न है।

जनमत की उपेक्षा कर के अभी भी नये नाम धड़ल्ले के साथ अंग्रेजी में ही रखे जा रहे हैं। जबकि इस दिशा में सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि उत्पादनों पर भारतीय भाषाओं में ही नाम लिखे जायें। रेलवे आदि विभाग तो इसका पालन कर रहे हैं लेकिन उद्योग मंत्रालय इस दिशा में मौन साधे हैं। जहां तक मानक नाम ढूंढ़ने का सवाल है स्पष्ट संकेत हैं कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और राजभाषा विभाग से परस्पर विचार-विमर्श करके नाम रखे जायें परन्तु इस ओर शायद किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हो पाता।

इस दिशा में जो महत्वपूर्ण समाधान ढूंढ़ा जा सकता है वह है लाइसेंस नीति में परिवर्तन। साथ ही निर्यात, बाजार में माल भेजने के पहले जांच बिन्दु पर यह सुनिश्चित हो जाये कि इस सामग्री के विपणन में राजभाषा नियमों का पालन किया गया है। मानक संस्था मानकीकरण के पूर्व इस प्रमाणपत्र को भी देखे। सभी प्रचारात्मक फोल्डर साहित्य आदि हिन्दी में भी अवश्य उपलब्ध कराये जाने चाहिएं। इसी तरह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र, लाइसेंस, परमिट आदि देते समय राजभाषा नियमों का पालन किया जाना नितांत आवश्यक होना चाहिए।

प्रोत्साहन और अवरोधक दो कदम सरकार द्वारा उठाए जा सकते हैं। विभिन्न संस्थाओं के बीच हिन्दी प्रयोग पर प्रोत्साहन पुरस्कार-स्पर्धाएं आदि आयोजित की जायें। जन भावनाओं का आदर करने के लिए स्वैच्छिक हिन्दी सेवी संस्थाओं को हिन्दी के प्रयोग में कमी का संकेत दिलाने पर पुरस्कार राशि दी जाये। इस दिशा में राजभाषा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी ताकि उद्योग-धंधों के बढ़ते जाल में हिन्दी की भी कड़ी जुड़ जाये। समय-समय पर चेतावनी, उपयोगी सुझाव, लाइसेंस निरस्त किये जाने आदि की कार्रवाई की जाए तथा सरकारी विपणन निरीक्षकों एवं अधिकारियों को निदेश दिये जायें कि वे यह सुनिश्चित करें कि उद्योग व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है।

(2) रामेश्वर दास गुप्त

प्रसिद्ध व्यवसायी तथा महामंत्री,
हिन्दी व्यवहार संगठन, नई दिल्ली

व्यापारी वर्ग समाज का अभिन्न अंग होता है अतः सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव उस पर भी पड़ना प्रायः निश्चित ही है। यह ठीक है कि परतन्त्र होने से पूर्व देश का उद्योग और व्यापार देश की भाषाओं में किया जाता था किन्तु अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ इस क्षेत्र में भी अंग्रेजी ने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। व्यापारियों को अपने व्यापार के विस्तार के लिए वही माध्यम अपनाना पड़ता है जिसे सरकार स्वीकार करती है। उसके मन में यह भावना रहती है कि उसके संचार के साधन ऐसे हों जिन पर सरकार या अन्य औद्योगिक संस्थाओं की अनुकूल प्रतिक्रिया हो।

यह सर्वविदित है कि व्यापारी वर्ग को न तो परतंत्रता के युग में और न ही अब अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी है, किन्तु उन्हें एक ऐसी विवशता अंग्रेजी में काम करने के लिए मजबूर करती है जो देश के स्वाभिमान के अनुकूल कभी नहीं कही जा सकती। व्यापारी वर्ग को जिस दिन इस बात का दृढ़ विश्वास हो जायेगा कि सरकार को हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं में भेजे गए पत्रों पर तुरन्त कार्रवाई होती है और वे हिन्दी सैल अथवा अनुवाद कक्ष को न भेजे जाकर अंग्रेजी के पत्रों की तरह ही स्वीकार किए जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि वे अंग्रेजी में ही अपना पत्र-व्यवहार न करें। इस कार्य में कठिनाई नाम की चीज व्यापारियों के सामने कोई नहीं है बल्कि उन्हें आसानी ही रहेगी कि जो पत्र सरकार को अथवा अन्य व्यापारिक संस्थाओं को भेजे जा रहे हैं, उनको वे आसानी से समझ लेंगे। यह देखने में आया है कि अब औद्योगिक उत्पादनों पर विवरण हिन्दी में भी लिखा जाने लगा है और उसका प्रचार साहित्य भी हिन्दी में तैयार किया जा रहा है क्योंकि निर्माता को इस चीज की जानकारी है कि देश की अधिकांश जनता हिन्दी जानती है अतः उसके उत्पादनों का अधिक से अधिक उपयोग होगा।

छोटे व्यापारियों की समस्या यह है कि जितने भी बड़े-बड़े व्यापारिक और वाणिज्यिक संस्थान हैं, वे सारा कारोबार अंग्रेजी के माध्यम से करते हैं। यदि कोई स्वाभिमानी और राष्ट्रभाषा प्रेमी व्यापारी हिन्दी माध्यम से अपना कारोबार शुरू करता है, चाहे वह किसी हिन्दी प्रेमी से प्रेरणा लेकर अथवा राष्ट्र के स्वाभिमान की भावना से ऐसा करता है तो उसके सामने अनेक समस्याएं आ खड़ी होती हैं। पहली हिन्दी के कुशल मुनीमों की अनुपलब्धता, दूसरी देवनागरी के सस्ते और अच्छे टाइपराइटरों और टाइपिस्टों की कमी, तीसरी उनके द्वारा विभिन्न कार्यालयों को भेजे गए पत्रों पर अनुकूल कार्यवाही न होने की आशंका। जबसे व्यापारिक संस्थाओं का कारोबार अंग्रेजी में शुरू हुआ है तब से आयकर विभाग, सीमा शुल्क विभाग, चार्टर्ड अकाउन्टेंट और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्य विभाग हिन्दी और देशी भाषाओं में तैयार किए गए लेखों और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने में आनाकानी करते हैं और छोटे-छोटे व्यावसायियों तथा व्यापारियों को परेशान भी करते हैं। व्यापारी सब कुछ कर सकता है लेकिन वह आर्थिक हानि उठाने के लिए कदापि तैयार नहीं होता और अनेक मामलों में देखा गया है कि

अधिकारी लोग व्यापारियों को प्रायः हानि पहुंचाते हैं। वे खुले तौर से तो नहीं कहते कि तुमने हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में अपना हिसाब-किताब क्यों रखा है किन्तु वे दुलत्ती झाड़ने से बाज नहीं आते। देश के अधिकांश व्यापारियों के मन में यही भय व्याप्त है और यही कारण है कि वे हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अपना हिसाब-किताब रखने और पत्र-व्यवहार करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं।

व्यापारी वर्ग यह जानता है कि सरकार की प्रमुख भाषा हिन्दी है और दूसरी भाषा अंग्रेजी है। किन्तु वास्तव में अंग्रेजी ही देश की प्रथम भाषा के रूप में प्रयुक्त की जा रही है। कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि उनके मन से यह शंका दूर हो। सरकार ने अपने कर्मचारियों को तो हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित किया है किन्तु व्यापारिक संस्थाओं को इनकी सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पातीं हैं और जो निजी संस्थान इन कलाओं का प्रशिक्षण देते हैं उनके यहां से प्रशिक्षण प्राप्त हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपिक इतने दक्ष नहीं होते हैं, की वे व्यापारिक संस्थाओं का कार्य हिन्दी माध्यम से कर सकें। अनेक व्यापारियों को तो संबंधित विषयों के मसौदे इन कर्मचारियों द्वारा स्वयं तैयार मिलने आवश्यक होते हैं। अंग्रेजी टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफरों को इन मसौदों को तैयार करने का अभ्यास होता है और उन्हें केवल विषय मात्र बताने की आवश्यकता है। वे तोते की तरह रटी रटाई भाषा में खट से मसौदा तैयार कर देते हैं। दूसरी ओर इस कार्य में आगे आने के लिए अधिसंख्य व्यापारियों की मनोवृत्ति भी महत्वपूर्ण है। वे लीक से हटना नहीं चाहते और यह समझते हैं कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं में अपना कार्य करने से उनको आर्थिक हानि होगी। व्यापारी वर्ग में पहले तो अधिकांश कम पढ़े-लिखे लोग ही होते थे लेकिन अब उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़कर और उच्च शिक्षा प्राप्त करके व्यवसाय में आ गए हैं और वे अंग्रेजी माध्यम से काम करने में ही सुगमता का अनुभव करते हैं। व्यापारियों और उद्योगपतियों के अनेक संगठनों में भी यह बात उठाने का प्रयास किया गया है कि उनका कार्य हिन्दी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से हो किन्तु इस कार्य में पूरी सफलता नहीं मिली है।

इक्का-दुक्का व्यापारी जब साहस करके अपने संस्थान का नामपट्ट, कैश मेमो और जरूरी कागजात हिन्दी में तैयार कराता तो वह अपने आपको इस क्षेत्र में बिलकुल अकेला-सा महसूस करता है और उसे यही डर बना रहता है कि कहीं मेरे इस कार्य से मेरे व्यवसाय को ठेस न पहुंचे।

इस प्रकार की कुछ समस्याएं व्यापारियों के सामने हैं जिनका निराकरण होना बहुत आवश्यक है।

हिन्दी व्यवहार संगठन नामक संस्था के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है और अनेक सम्मेलनों, और बैठकों में यह बात उठाई गई है कि व्यापारी वर्ग हिन्दी को अपने व्यवहार में लायें। इस दिशा में अभी भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। किन्तु जो प्रश्न ऊपर उठाये गये हैं, सरकार की ओर से उनका निराकरण होना बहुत आवश्यक है।

(3) राम कृष्ण गुप्ता

अध्यक्ष, छोटा नागपुर वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल, राँची

एक छोटी सी पान की दुकान भी चाहे वह एक कस्बे में गली के नुक्कड़ पर हो या किसी बड़ी महानगरी के बहुत बड़े प्रसिद्ध और खर्चीले भोजन-गृह के सामने, वाणिज्य की एक इकाई है, ऐसा मैंने माना है। मुझे बड़ा हर्ष हुआ जब भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य मंडलों के महासंघ (FICCI) के पिछले साल के अध्यक्ष श्री अरविन्द लालभाई ने भी अपने रांची के दौरे में हमारे सदस्यों को इस तथ्य की अनुभूति कराई और उन्हें अपने साथ लेकर चलने पर बल दिया।

अनेक छोटी-छोटी व्यावसायिक इकाइयों में बोल-चाल में तो अधिकतर हिंन्दी अथवा स्थानीय बोलियों का प्रयोग होता ही है, साथ-साथ दुकान का हिसाब-किताब भी हिन्दी में ही रखा जाता है। कभी-कभार इन इकाइयों को पत्र लिखने की आवश्यकता होती है तो यह पत्राचार भी बहुधा हिन्दी में ही किया जाता है। यही नहीं, बाहर के थोक व्यापारी भी चाहे वे कपड़े के हों, गल्ले के हों या और किसी आम आवश्यकता की वस्तुओं के हों अपना लगभग सारा काम हिन्दी (अथवा प्रान्तीय भाषाओं) के माध्यम से चलाते हैं। कुछ राज्य सरकारें भी हिन्दी में पत्राचार करती हैं तथा बिक्री-कर, बिजली तथा अन्य विभागों के सूचना पत्र आदि भी हिन्दी में आते हैं।

पत्र-व्यवहार में हिन्दी के इस प्रयोग से व्यावसायिक इकाइयों को सुविधा होतीं है, इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि हमारे उद्योग मंडल के कार्यालय में भी इन सदस्यों से बराबर मांग आती है कि अधिक से अधिक पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाये तथा सभाओं का संचालन भी हिन्दी भाषा में हो।

यहां तक तो ठीक है, किन्तु जैसे ही हम आगे बढ़ते हुए बड़े-बड़े ठेकेदारों, आयात-निर्यात में संलग्न व्यवसायियों तथा बड़ी-बड़ी फैक्टरियों के कार्यालयों तक पहुंचते हैं, तो स्थिति काफी बदल जाती है। इन जगहों में आज भी बहुत सारा काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही होता है। पत्र व्यवहार ही नहीं, उत्पादन के आंकड़ों का संकलन संबंधी ब्यौरा भी सब अंग्रेजी में तैयार किया जाता है, सभाओं की कार्यवाही अंग्रेजी में होती है तथा उसका विवरण भी अंग्रेजी में ही लिखा जाता है। इसका मुख्य कारण, मेरी राय में, एक लम्बे अर्से से पड़ी हुई आदत तथा अंग्रेजी में टाइप करने आदि की सुविधा ही है।

ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने खरीदारों से भी अंग्रेजी में ही अधिक पत्र-व्यवहार करती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि कुछ राज्यों के भारतीय नागरिक हिन्दी में पत्र पाकर खुश नहीं होते, यद्यपि वे उसे पढ़ और समझ सकते हैं।

हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की ओर वाणिज्य व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अन्ततः आना ही होगा। इस दिशा में मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :—

(1) बड़ी-बड़ी कंपनियों को अपने शेयरों के अधिकार-पत्र (Share Script), विधान आदि हिन्दी में छपवाने चाहियें। हिन्दी भाषी प्रदेशों में यह अनिवार्य भी किया जा सकता है।

(2) हिन्दी के टाइपराइटरों में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए।

(3) हिन्दी की 'शार्टहैन्ड' तथा 'टाइप' की शिक्षा का अधिक प्रचार किया जाए ताकि उद्योग धन्धों तथा बड़ी-बड़ी व्यावसायिक इकाइयों को भी उन की सेवायें उपलब्ध हो सकें।

(4) कंपनियों की आम सभाओं की कार्यवाही हिन्दी में की जाए तथा उसका ब्यौरा भी हिन्दी में प्रकाशित हो।

(5) व्यवसाय से सीधा संपर्क रखने वाले सरकारी विभागों जैसे आय-कर, बिक्री-कर, उत्पाद-कर, उद्योग तथा बिजली विभागों के उच्च अधिकारियों को हिन्दी में अपने निर्णय देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(6) आय-कर अधिकारी व्यापारियों को नोटिस आदि हिन्दी भाषा में ही भेजें तथा हिन्दी में ही पत्राचार करें।

(7) व्यापार में काम आने वाले लाइसेंस आदि हिन्दी भाषा में ही वितरित किये जायें।

1977, 1978 तथा 1979 में मुझे कारोबार के सिलसिले में बंगलादेश में ढाका तथा चटगांव जाने का अवसर मिला था। बंगलादेश विमान के टिकट आकार में वैसे ही हैं जैसे इंडियन एयरलाइन्स के टिकट। परन्तु वे सब बंगला भाषा में छपे हुए थे। ऐसे कार्यों का बहुत बड़ा असर पड़ता है तथा राष्ट्र भाषा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। रेल तथा वायु सेवा विभाग को भी अपने अधिक से अधिक फार्म हिन्दी में ही छपवाने चाहियें।

व्यापारिक संगठनों को अपने सभी सदस्यों को हिन्दी में कार्य करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए परन्तु इसमें कट्टरपंथी तथा रूढ़िवादी-होना श्रेयस्कर नहीं होगा।

(4) हरिबाबू कंसल

भूतपूर्व उप सचिव, राजभाषा विभाग

द्वितीय विश्व महायुद्ध से पूर्व जब भारत में अंग्रेजों राज्य था, भारत के व्यापारी अपना दैनिक काम-काज आमतौर पर हिन्दी अथवा अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे। उस समय भारत में बड़े-बड़े उद्योग नहीं थे। कुटीर उद्योग चलाने वाले लोग भी मामूली पढ़े लिखे होते थे। अपने उद्योग के लिए सामान खरीदते समय अथवा तैयार माल बेचते समय उन्हें ज्यादा लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और जितनी आवश्यकता थी वह काम भारतीय भाषाओं में ही होता था। जिन व्यापारियों का माल दूसरे प्रदेशों से आता था उनका परस्पर पत्राचार भी एक दूसरे को समझ में आने वाली भारतीय भाषा में होता था, न कि अंग्रेजी में। व्यापारियों का वास्ता या तो अन्य व्यापारियों से अथवा सामान्य जनता से पड़ता था। उद्योग अथवा व्यापार के संबंध में उन्हें सरकारी विभागों से सामान्यतया कोई काम नहीं पड़ता था।

द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने के कुछ समय बाद युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान की खरीद के लिए सरकारी टेण्डर निकलने लगे तथा माल की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों को सरकारी विभागों से वास्ता पड़ने लगा। युद्ध के दौरान ज्यों-ज्यों आवश्यक वस्तुओं की कमी पड़ती गई त्यों-त्यों विभिन्न वस्तुओं में मूल्य नियंत्रण आदि लागू होने लगे, अनेक वस्तुओं की बिक्री तथा आपूर्ति के लिए लाइसेंस तथा परमिट जारी किए जाने लगे, कुछ वस्तुओं के लिए कोटा प्रणाली प्रारम्भ हुई। इस प्रकार उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में सरकारी दखल होने लगा। अंग्रेजी शासन में सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी थी। अतः अपना काम जल्दी करवा लेने के उद्देश्य से सामान्य पढ़े-लिखे व्यापारी सरकारी कार्यालयों से अपना पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में करने लगे। वे स्वयं अंग्रेजी नहीं जानते थे। इस प्रकार उन्हें सरकारी कार्यालयों को अपने आवेदन प्रस्तुत करते समय अंग्रेजी पढ़े व्यक्तियों की सेवाओं का सहारा लेना पड़ता था। इससे पूर्व जो व्यापारी अपना दैनिक पत्र-व्यवहार स्वयं कर लेते थे अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के काम के लिए अंशकालिक अंग्रेजी जानने वाले बाबू रखने पड़े। फिर भी व्यापारियों का परस्पर पत्राचार अधिकांश रूप में भारतीय भाषाओं में होता रहा। द्वितीय विश्व महायुद्ध से पूर्व बहुत कम ऐसे व्यापारी थे जो किसी छपे लैटर पैड का उपयोग करते रहे हों। अधिकांश व्यापारिक-पत्र बिना छपे साधारण कागज पर ही लिखे जाते थे। हिसाब किताब के लिए भी छपी हुई कैश बुक अथवा लैजर नहीं होते थे और न छपे हुए वाउचर ही होते थे। व्यापारिक संस्थाओं का हिसाब बहियों में रखा जाता था जो बिना छपे कागज की बनी होती थीं। सरकारी विभागों से पत्राचार करने के लिए अनेक फर्मों को छपे लैटर पैड की

आवश्यकता अनुभव होने लगी । आरम्भ में लैटर पैडों पर व्यापारिक फर्मों के नाम भारतीय भाषाओं में छपे होते थे और यदि उनमें अंग्रेजी का नाम भी छपवाया जाता तो भी संबंधित क्षेत्र की भाषा को अवश्य स्थान दिया जाता था ।

द्वितीय विश्व महायुद्ध सन् 1945 में समाप्त हुआ और अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेज़ी राज्य से मुक्ति मिली। देश के स्वाधीन होने के पश्चात् यह आशा की जाती थी कि भारतवासी अपना कामकाज भारतीय भाषाओं में करेंगे, देश का प्रशासन हिन्दी अथवा संबंधित क्षेत्र की भाषाओं में चलेगा और उद्योगपति तथा व्यापारी भी अपना कामकाज हिन्दी अथवा संबंधित क्षेत्र की भाषाओं में करेंगे । यदि प्रशासन तथा न्यायालयों आदि के कार्यों में भारतीय भाषाओं ने अपेक्षित स्थान प्राप्त किया होता तो उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रों में भी उस प्रकार का परिवर्तन अवश्य हुआ होता । किन्तु प्रशासन तथा न्याय आदि के क्षेत्र में अभी भी अंग्रेजी का वर्चस्व होने के कारण उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र को भी अंग्रेजी से मुक्ति नहीं मिली । इतना ही नहीं उन क्षेत्रों में अंग्रेज़ी का दबदबा स्वाधीनता प्राप्ति के समय से भी अधिक हो गया है और अंग्रेजी का माहौल बढ़ता ही जा रहा है । आज अनेक फर्मों के लैटर पैड केवल अंग्रेजी में छपे मिलेंगे । विचित्र बात यह है कि आज़ मामूली व्यापारी भी किसी दूसरे व्यापारी को अपना पत्र अंग्रेजी में लिखना चाहता है चाहे पत्र भेजने वाला अथवा पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं अंग्रेजी न ज़ानता हो तथा दोनों को पत्र भेजते समय तथा प्राप्त करने पर पढ़वाने में दूसरे व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। यह धारणा व्यापक होती जा रही है कि यदि व्यापारिक पत्र हिन्दी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा में लिखा गया तो उससे व्यापारिक फर्म की प्रतिष्ठा घटेगी और दूसरे लोग उसे मामूली हैसियत वाली फर्म समझेंगे । जो व्यापारिक पत्र अंग्रेजी में लिखे जा रहें हैं उनकी भाषा का स्तर घटिया होता है, उनमें वर्तनी की अनेक अशुद्धियां होती हैं तथा व्याकरण की अशुद्धियों की तो गिनती नहीं होती। फिर भी व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अंग्रेजी के प्रयोग की मात्रा बढ़ती जा रही है जो किसी भी स्वाभिमानी स्वाधीन देश के लिए गर्व की बात नहीं हो सकती।

ऐसा नहीं कि सभी उद्योगपति तथा व्यापारी अंग्रेजी के मोहपाश में बंधे हैं तथा उन्हें इस लज्जाजनक स्थिति का भान नहीं होता । अनेक उद्योगपति तथा व्यापारी वर्तमान स्थिति से क्षुब्ध हैं तथा छटपटाते हैं और चाहते हैं कि उनके कामों में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को उचित स्थान मिले । किन्तु चारों ओर जो वातावरण बना हुआ है उसको वे अकेले नहीं बदल पाते और स्वयं में इतनी सामर्थ्य का अनुभव नहीं करते कि वे दृढ़ रह कर अपने प्रयत्नों को जारी रख सकें ।

कभी-कभी बड़ी विचित्र स्थिति दिखाई पड़ती है । अनेक वस्तुएं सामान्य जनता के उपभोग की होती हैं । उन वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए जो प्रचार सामग्री छपवाई जाती है वह संबंधित क्षेत्र की भाषा में न होकर अंग्रेजी में होती है । जब वह जनता के हाथ में पहुंचती है तो उसे थोड़े ही लोग पढ़ पाते हैं जो उद्योगपति तथा व्यापारी अपना पैसा खर्च करते समय पग-पग पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि व्यय किये गये एक-एक पैसे का सदुपयोग हो, वे यह भूल जाते हैं कि साधारण नगरों, कस्बों तथा गांवों में वितरण किए जाने वाले हैन्ड बिल तथा दीवारों पर लगने वाले पोस्टर आदि अंग्रेजी में छपें तो उनका कितना उपयोग होगा और उनकी अपेक्षा यदि इनको हिन्दी में अथवा संबंधित क्षेत्र की भाषा में छपवाया जाता तो वे कितने अधिक व्यक्तियों द्वारा पढ़े जाते तथा उनके द्वारा आसानी से समझे जाते। अनेक बार देखा गया है कि घरेलू खपत की प्रचार सामग्री अंग्रेज़ी में छपवाकर मामूली पढ़ी लिखी महिलाओं में वितरित की जाती है और वह सब सामग्री रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है ।

इस समय अंग्रेजी का चारों ओर जो बोलबाला दिखाई पड़ता है और अंग्रेज़ी का प्रयोग करने की जो आदत इतने वर्षों से बन चुकी है और उस वातावरण में अनेक व्यापारी तथा उद्योगपति अपने आपको जकड़ा हुआ अनुभव करते हैं, उसमें क्या मार्ग निकाला जाए इस पर समय-समय पर विचार होता रहा है। स्थिति के सुधारने के लिए जो प्रयत्न हुए हैं उनका परिणाम वांछित मात्रा में नहीं दिखाई पड़ता । इसके अनेक कारण हैं । यद्यपि सरकार की यह नीति है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में सरकारी कार्यालय जनता के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करें तथा कार्यालयों का आन्तरिक कामकाज भी अधिकांशतः हिन्दी में हो, अभी वहां उस नीति का समुचित पालन नहीं हो रहा है । परिणामस्वरूप सरकारी विभागों की ओर से उद्योगपतियों को, व्यापारियों को तथा सामान्य जनता को अधिकांश पत्र, परिपत्र, नोटिस आदि अंग्रेजी में जाते हैं । लाइसेंस तथा परमिट अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं उससे उद्योगपतियों तथा व्यापारियों के मन में यह धारणा बनी हुई है कि सरकार के काम-काज की भाषा अंग्रेज़ी ही है और यदि उन्हें अपना काम संतोषजनक रूप से और जल्दी निपटवाना है तो उन्हें अपना आवेदन आदि अंग्रेज़ी में ही देना चाहिए । पिछले वर्ष हिसार में एक गोष्ठी हुई थी जिसमें हरियाणा के व्यापारी, उद्योगपति, बीमा व्यवसायों से संबंधित व्यक्ति, सरकारी अधिकारी आदि सम्मिलित हुए थे । उस गोष्ठी में मुझे भी आमंत्रित किया गया था । वहां पर एक उद्योगपति ने बताया कि राज्य के उद्योग विभाग के अधिकारी उन्हें अपना पत्राचार अंग्रेज़ी में करने को कहते हैं तथा उनके हिन्दी में लिखे पत्रों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता । ऐसी शिकायत कई अन्य क्षेत्रों में भी सुनने को मिलती है। अतः सरकार की ओर से इस बात की ओर विशेष ध्यान

दिया जाना चाहिए कि उनके समस्त विभाग, जिनका जनता से संबंध है, हिन्दी भाषी क्षेत्र की जनता को अपने सारे पत्र हिन्दी में भेजें । जनता का भी यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी ओर से सरकारी विभागों को अपने पत्र आदि हिन्दी में लिखें । अनेक व्यक्ति ऐसा करते भी हैं और उन्हें उनके उत्तर संतोषजनक रूप से प्राप्त होते हैं । यदि पत्रों के निपटान में देरी होती है तो वह केवल हिन्दी पत्रों के संबंध में नहीं होती, अंग्रेजी में लिखे गए पत्रों के निपटान में भी उतनी ही देरी लगती है । जो-जो व्यापारी तथा उद्योगपति हिन्दी में पत्राचार करते हैं उससे उन्हें कोई हानि नहीं होती ऐसे उदाहरण भी प्रकाश में लाए जाने चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिले और इस समय जो निराशा का वातावरण है उसे दूर करने में सहायता मिले ।

(5) कलानाथ शास्त्री

निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

हिन्दी शताब्दियों से इस देश की सम्पर्क भाषा रही है। कबीर, नामदेव, नानक, दादू आदि संतों ने जो चाहे वे महाराष्ट्र के रहे हों, पंजाब के या राजस्थान के, हिन्दी में ही उन्होंने अपना उपदेश दिया क्योंकि उन्हें जनसाधारण तक अपनी बात पहुंचानी थी । साधु-सन्तों के उपदेश की यही भाषा मुगल काल में दूर-दूर के सिपाहियों की सम्पर्क भाषा बनी । देशी रियासतों में भी इसी भाषा में सरकारी कामकाज होते थे, महाजनी बही-खाते और हुण्डियां भी लिखी जाती थीं और विभिन्न प्रदेशों का आपसी पत्राचार भी होता था । उस समय यह भाषा सही मायनों में "सम्पर्क भाषा" थी अर्थात् इसमें देशी भाषाओं के शब्द भी शामिल रहते थे, भांति-भांति की शैलियां रहती थीं पर लिपि देवनागरी थी । देशी भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती थीं । लिपि का मोड़ चाहे थोड़ा बदलता रहा हो पर भाषा हिन्दी के आस-पास रहती थी । शताब्दियों से उत्तर भारत के तीर्थ यात्री दक्षिण में रामेश्वरम् तक, पश्चिम में द्वारका तक, पूर्व में गंगासागर संगम तक जाते थे अ र वहां के तीर्थ यात्री उत्तर भारत में बद्रीनारायण तक आते थे । ये सब आपस में सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का इस्तेमाल करते थे । और कोई चारा ही नहीं था ।

इस प्रकार हिन्दी सम्पर्क की भाषा भी रही और बहुत अंशों में राजभाषा भी । किन्तु 1880 से 1947 तक की अवधि में ब्रिटिश क्राउन के शासन के कारण अंग्रेजी सारे देश में जम गई । संविधान ने 1950 से हिन्दी को राजभाषा और सम्पर्क भाषा का रूप पुनः दिया । उसके बाद छः राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश (दिल्ली) ने इसे अपनी राजभाषा घोषित किया और सारे कामकाज इसमें होने लगे । पिछले 30 वर्षों से भाषा परिवर्तन की प्रक्रिया इस देश में बराबर रही है । 30 वर्ष पूर्व जहां सारा राजकाज अंग्रेजी में होता था वहां अब बहुत बड़े क्षेत्र में हिन्दी में होने लगा है । राज्यों में राजकीय स्तर पर हिन्दी के विकास के और समस्त कार्यों में लागू करने के प्रयत्न हो रहे हैं । हिन्दी के विकासार्थ अकादमियां तथा विभाग काम कर रहें हैं । इसी प्रकार पिछले 30 वर्षों में देश के बहुत बड़े भाग में शिक्षा के माध्यम के रूप में भी हिन्दी प्रतिष्ठित हो गई है । प्रायः सारे हिन्दी क्षेत्र में कला, वाणिज्य आदि की उच्चतम स्तर तक की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से होने लगी है । विधि और विज्ञान में भी स्नातकोत्तर कक्षाओं को छोड़ कर सभी जगह हिन्दी माध्यम स्वीकृत है । अब केवल विज्ञान की स्नातकोत्तर परीक्षाओं में और डाक्टरी, इंजीनियरी के तकनीकी पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी माध्यम है । अब हिन्दी भाषी राज्यों की भर्ती परीक्षाऐं हिन्दी माध्यम से होने लगी हैं । गत 2-3 वर्षों से अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में भी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएं स्वीकृत कर ली गई हैं ।

अंग्रेजियत की ललक

इस प्रकार इन सारे क्षेत्रों में हिन्दी के प्रतिष्ठित हो जाने के कारण एक नया युग आरम्भ हुआ है । आवश्यकता इस बात की है कि इस युग के अनुरूप भाषा परिवर्तन बड़े उद्योगों, बैंकों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के क्षेत्र में भी हो । आज की स्थिति यह है कि बैंकों में भी सरकारी भाषा नीति का अनुसरण जरूरी होने के कारण हिन्दी का प्रवेश तेजी से होने लगा है । किन्तु बड़े औद्योगिक घरानों और प्रतिष्ठानों में अब भी अंग्रेजी जमी हुई है । आश्चर्य की बात है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र के अनेक बड़े सेठों के घरों में जहां धर्म और संस्कृति की परम्पराऐं सदियों से बराबर पनपती रही हैं, मन्दिरों और धर्मशालाओं का बनवाना हर पीढ़ी के लिये स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति रही है वहीं पिछले दिनों वेश-भूषा और भाषा में पश्चिमी प्रभाव तेजी से बढ़ा है । हिन्दी-भाषी सेठों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, टाई और सूट पहनते हैं । विमान से यूरोप और अमरीका आते-जाते हैं । उल्लेखनीय है कि उनकी मातृभाषा मारवाड़ी या हिन्दी ही रही है क्योंकि माताएँ अब तक इंगलिस्तानी प्रभाव में नहीं आई हैं, पर अंग्रेजी पढ़ाई के कारण वे आधे अंग्रेज बन गए हैं । यह भी एक कारण है कि आज बड़े प्रतिष्ठानों का पत्राचार और दैनिक-कार्य-व्यवहार अंग्रेजी में होता है । किन्तु जिस प्रकार बैंकों में हिन्दी का प्रयोग तेजी पकड़ रहा है उसी प्रकार उसे उद्योगों और वाणिज्य के क्षेत्र में भी प्रसारित करना होगा ।

अनेक ऐसे क्षेत्रों में हिन्दी आश्चर्यजनक रूप से आगे बढ़ी है जिनमें उसके प्रतिष्ठित होने की आशा अधिक नहीं थी, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय खेलों, क्रिकेट, हाकी आदि की कमेन्ट्री में तथा टेलीप्रिन्टर आदि तकनीकी यंत्रों में । आज क्रिकेट

कमेन्ट्री हिन्दी में भी उतने ही चाव से सुनी जाती है जितनी अंग्रेज़ी में । हिन्दी टेलीप्रिन्टर सेवा देश के बहुत बड़े भाग में समाचार भेज रही है । अब तो हिन्दी में कम्प्यूटर भी बनने वाला है । पतालेखी (एड्रेसोग्राफ) हिन्दी में बन गया है । इन सब क्षेत्रों में जब हिन्दी बढ़ सकती है और उसका प्रयोग गौरव की वस्तु बन सकता है तो फिर बड़े उद्योगों में क्यों नहीं ? इस मनोवृत्ति को यदि धीरे-धीरे निकाल दिया जाए कि फर्राटे से अंग्रेज़ी बोलना और सूट पहनना अधिक शिक्षित या प्रतिष्ठित होने का प्रतीक है, तो वह हीन भावना समाप्त हो जायेगी जो गुलामी के दिनों की देन है । धीरे-धीरे ऐसा होने भी लगा है । शायद आज से 10 वर्ष पूर्व खोटी अंग्रेज़ी बोल कर भी रौब जमाया जा सकता था । कोट-पैन्ट पहन कर बड़ा आदमी दिखने की परम्परा भी थी । अब तो जेबकतरे भी सूट और टाई पहनते हैं, तस्कर भी । अंग्रेज़ी बोलने वाले भी अनेक तस्कर और अपराधी मिल जायेंगे । गांधीजी के स्वदेशी आंदोलन की कृपा से सादा परिधान और धोती कुर्ता भी अब प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है । सूट जरूरी नहीं । इसी प्रकार धीरे-धीरे यह स्थिति आ रही है कि किसी भी भाषा का शुद्ध और प्रभावोत्पादक रूप से प्रयोग करना प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जायेगा, किन्तु खोटी भाषा चाहे वह अंग्रेज़ी ही क्यों न हो, किसी को प्रतिष्ठित नहीं बना सकती ।

बाधाएं और अवरोध

भाषा-परिवर्तन की इस प्रक्रिया में जो थोड़ी-सी बाधाएं हैं वे 2-3 प्रकार की हैं । एक तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आगे बढ़ने की ललक के कारण अंग्रेज़ी का प्रयोग होता है । दूसरे बैंकों और बड़े उद्योग धंधों के ऊंचे पदों के लिये अब भी अंग्रेज़ी ज्ञान जरूरी माना जाता है । आशा है इस स्थिति में भी धीरे-धीरे परिवर्तन आयेगा । परिणामस्वरूप उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग होगा । ऐसा होना भी चाहिये । जब आई०ए०एस० की प्रतियोगिता परीक्षा हिन्दी में देकर एक व्यक्ति अधिकारी बन सकता है तो बैंकों की प्रतियोगिता परीक्षा का माध्यम हिन्दी क्यों नहीं हो ? यह मांग उठने लगी है और इसके फलस्वरूप वहां भी पिछले दिनों वैकल्पिक रूप से हिन्दी स्वीकृत होने लगी है । इसी क्रम में अब बड़े प्रतिष्ठानों में भी हिन्दी प्रयोग की शुरूआत होगी क्योंकि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में सरकारी काम और बैंकों का काम हिन्दी में होने लगा है, तब वहां के उच्च पदों पर हिन्दी का ज्ञान आवश्यक माना जाने लगेगा । इस प्रक्रिया को गति देना आज के हिन्दी-सेवियों का सामूहिक कर्त्तव्य है ।

तथाकथित पब्लिक स्कूलों और अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में प्रवेश की आज जो होड़ है वह अवश्य ही हिन्दी की पूर्ण प्रतिष्ठा में बाधक बन रही है । इसका कारण भी यही है कि एक तो इनमें पढ़ाई का स्तर अच्छा होता है, दूसरे, इन्हें प्रतिष्ठा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक माना जाता है । समय की गति के साथ इसमें भी परिवर्तन आयेगा, यद्यपि उसकी गति अब तक धीमी रही है । अब अधिकांश पब्लिक स्कूलों में और उन सेन्ट्रल स्कूलों में, जो प्रमुखतः केन्द्रीय सेवाओं के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित हैं, हिन्दी माध्यम भी स्वीकृत हो गया है । उनमें हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाने लगी है । इस प्रकार उस क्षेत्र में भी हिन्दी का प्रवेश होने लगा है । यही गति रही तो अंग्रेजी के छिपने के लिये जो अंधेरे कोने इस समय बचे हैं उनमें में भी हिन्दी जा बैठेगी और उद्योग तथा व्यापार का क्षेत्र इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा । परिवर्तन की इस गति को अब रोक पाना अधिक दिनों तक सम्भव नहीं दिखता । यह बात अवश्य है कि परिवर्तन की गति तेज भी हो सकती है और शिथिल भी । मेरी अपनी यह मान्यता है कि जिस देश का इतिहास सहस्राब्दियों का रहा है उस देश में भाषा परिवर्तन की प्रक्रिया में यदि 10–20 वर्ष अधिक भी लग जायें तो कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं होने वाली है ।

(6) बृहस्पतिदेव पाठक

कार्यकारी निदेशक, दिल्ली क्लाथ मिल, दिल्ली

उद्योग और व्यापार का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी भी भाषा का प्रयोग बिना कुछ किये देशव्यापी हो सकता है और जिस भाषा का भी प्रयोग उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में होगा वह देशव्यापी रूप में ग्राह्य हो जायेगी । मात्र यही एक ऐसा स्थान है जो कि विवादास्पद नहीं है । हिन्दी राष्ट्र की बहुभाषी जनता और बहुसंख्यकों की भाषा है जोकि प्रत्येक प्रदेश में थोड़ी बहुत तो अवश्य ही समझ ली जाती है । इसका प्रमुख कारण है इस भाषा की सरलता । बिना पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा भी मात्र 15 दिनों के अभ्यास से यह भाषा सीखी जा सकती है ।

उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में तो यह बहुत ही आसानी से प्रयोग की जा सकती है । अंग्रेज़ी से पहले भी हिन्दी का क्षेत्रीय रूप ही व्यापार की भाषा रहा है । आज विज्ञापन के युग में भी हिन्दी को, जोकि एक लोकप्रिय और सुगम भाषा है, अपनाने में कोई कठिनाई नहीं । है अगर कोई कठिनाई है तो केवल मन की कठिनाई और संकोचवृत्ति है । हम यह मान लेते हैं कि हिन्दी का प्रयोग करने से दूसरे व्यापारी या उद्योगपति हमें शिक्षित नहीं समझेंगे । यह हीन भावना हममें नहीं होनी चाहिये । हमें तो दूसरे देशों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि वे किस प्रकार अपनी भाषा अपनाकर प्रगति के पथ पर बढ़ते चले जा रहे हैं और हम पिछड़ते जा रहे हैं । जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, जापान आदि की औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति का मूलमन्त्र है उनका अपनी भाषा में कार्य करने का दृढ़ संकल्प । जबकि हम भारतवासी अपनी भाषा के प्रयोग करने को हीनता समझते

हैं और विदेशी भाषा का प्रयोग करने में गर्व की अनुभूति करते हैं ।

उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग करने में कोई समस्या नहीं है । हम स्वयं ही समस्या हैं । इस समस्या का समाधान है संकोच और हीनता की भावना का परित्याग । हम पत्र तो अपनी भाषा में लिख लेते हैं पर हस्ताक्षर अंग्रेजी में ही करते हैं क्योंकि हम अपनी छवि इस प्रकार की रखना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। बस हमारी यही हीन भावना हिन्दी को अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट, बाधा या समस्या है ।

प्रशासन एक सबसे बड़ी समस्या है । इसके कार्यकर्त्ता लीक पर ही चलना जानते हैं । वे कार्य के सुचारु और शीघ्रतापूर्वक हो जाने में जरा सी भी प्रतिभा व्यय नहीं करना चाहते । अब प्राय: लगभग सभी लोगों ने तोते के राम-राम की तरह कुछ प्रशासनिक शब्द रट लिए हैं । बस उन शब्दों को देखा और रटी हुई भाषा में नोट लिख दिया । कई बार तो ऐसी टिप्पणियों का अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता क्योंकि वह कुछ शब्दों के आधार पर लिखी गई होती है और उसका भावार्थ मूल पत्र से भिन्न होता है ।

अगर हम हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ कर दें तो हमारा कार्य सरल हो जायेगा । आम व्यक्ति जो उद्योग में कार्य कर रहा है वह आज के उद्योग और व्यापार की भाषा का जानकार नहीं है । न ही उसे नियम आदि का प्रारम्भिक ज्ञान है क्योंकि वह तो सभी कुछ अंग्रेजी में है । बहुत से औद्योगिक विवाद तो नियम आदि की पूर्णतया जानकारी न होने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं ।

कर्मचारी व प्रबन्धकों के बीच हिन्दी भाषा के प्रयोग से विचार संचार का कार्य बहुत ही सरलता पूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है जोकि आज के युग में एक विशेष महत्व रखता है । विचारों का आदान-प्रदान बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकता है । एक विशेष बात यह है कि हिन्दी के प्रयोग की हम सभी केवल बात ही करते हैं, उसे कार्यान्वित नहीं करते । अरब उद्योगपतियों ने यह नियम बना लिया है कि वे आयात किये गये माल का विवरण अपनी ही भाषा में लिखेंगे । वे समस्त कार्यविधि भी अपनी ही भाषा में लिखित रूप में चाहते हैं और उन्हें अपने उद्योग व्यापार में कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि हर देश अपना उत्पादन अधिक से अधिक बेच कर लाभ कमाना चाहता है । यह भी उल्लेखनीय है कि इन देशों में उत्पादित वस्तु का विवरण केवल अरबी भाषा में ही लिखा होता है । यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि आज अमेरिका जैसा बहु-उद्योगी देश जापान जैसे छोटे से देश के आगे अपना उत्पादन नहीं बेच पा रहा है । विशेषकर इलैक्ट्रोनिक्स और इंजीनियरिंग का जैसा श्रेष्ठ स्तर का सामान जापान प्रस्तुत करता है वह अमेरिका में स्वप्न की बात है । यह मात्र अपनी भाषा अपनाने का श्रेय है। जापानी भाषा के प्रयोग से हर तकनीकी जानकारी वहां के छोटे से छोटे कर्मचारी तक को उपलब्ध है जोकि हमारे यहां बहुत ही सीमित मात्रा में कुछ व्यक्तियों में निहित है ।

विदेशी भाषा के माध्यम से उपलब्ध होने वाला ज्ञान, शुद्ध अर्थों में हम तक नहीं पहुंचता । वह परिवर्तित रूप में ही प्राप्त होता है । मात्र उसे सुनने से ही पूर्णता का ज्ञान कभी कभी नहीं हो पाता ।

पहले भी तो अंग्रेजों से इस देश का उद्योग-व्यापार होता था और व्यापार आदि का स्तर ढाके की मलमल के रूप में विश्व विख्यात था । क्या उस समय अंग्रेजी थी ? तब फिर यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि भाषा नहीं बल्कि उत्पादन की श्रेष्ठता ही फलदायक होती है ।

संस्कृत का एक श्लोक है :—

गुणा: सवर्त्र पूज्यन्ते
पितृ वंशों निरर्थक:
वासुदेवम् नमस्यन्ति
वसुदेवम न मानवा: ।

गुणों की सर्वत्र पूजा होती है पिता के वंश की नहीं । सभी लोग कृष्ण की पूजा करते हैं वसुदेव का नाम तक नहीं लेते ।

इसी प्रकार भाषा की कोई समस्या नहीं होती । समस्या तो इस बात की है कि हमारी गुणवत्ता क्या है ? मात्र गुणवत्ता के स्तर को छिपाने के लिये हम यह कहते हैं कि हिन्दी के प्रयोग से व्यापार में कठिनाई आयेगी ।

यह भाषा ही की कठिनाई है कि हमारे देश में एक ही काम के लिये कर्मचारी, निरीक्षक और अधिकारी तक होते हैं पर फिर भी हम निश्चिन्त नहीं होते कि उत्पादित माल की गुणवत्ता क्या होगी । जबकि जापान में गुणवत्ता की परवाह ही नहीं की जाती और उन का उत्पादन अमेरिका के उद्योगों को अपने माल की गुणवत्ता से विश्व बाजार में पछाड़ता जा रहा है । मात्र भाषाई अवरोध दूर करके ।

हम कुछ इस मनोवृत्ति के भी हो गये हैं कि हर बात का नियम बने, कानून हो । अगर आज यह नियम हो जाये कि राजसत्ता के आदेशानुसार प्रार्थना पत्र और समस्त कार्य हिन्दी में होगा तब फिर क्या होगा ? हम स्वयं विवेक से कार्य करने की मनोवृति खो चुके हैं । आज्ञा और आदेश ही हमें अनुशासन के अनुपालन के लिये प्रेरित करते हैं । भारतीयों को स्वयं अपने विवेक से और राष्ट्रीय एकता के निमित्त हिन्दी में कार्य करना चाहिये । उद्योग-व्यापार के द्वारा राष्ट्रीय एकता का स्वरूप और भी अधिक सुदृढ़ होगा । आज धर्म का स्थान उद्योग व व्यापार ने ले लिया है । उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक देवपूजा के मंत्र एक ही हैं । बद्री विशाल की पूजा केरलवासी नम्बूदरीपाद भी उसी भांति करेगा जैसे कांशी का पंडित । काश्मीरवासी अमरनाथ और रामेश्वरम की पूजा में शिव स्तुति एक ही रूप से करेगा । इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता के लिये यदि हम संकल्प करलें कि हम

उद्योग और व्यापार में हिन्दी का प्रयोग करेंगे तो समस्यायें ही हल होती चली जायेंगी।

दृढ़ संकल्पों से ही विघ्न बाधाएं हारतीं।
भाग्य सहारे बैठे रहते कामचोर आलसी ।।

आज हम 'दैवदैव आलसी पुकारा' की स्थिति में हैं और करने से पहले ही हतोत्साहित हो जाते हैं कि कैसे होगा? समस्या और समाधान कह कर हम काम छोड़ देते हैं जबकि हमें चाहिये कि कार्य प्रारम्भ कर दें समस्याएं अपने आप हल होती जायेंगी। अगर भगीरथ भी समस्या और समाधान की बात गंगा लाने से पूर्व सोचते तो सम्भवतः गंगा अवतरण न होता तथा भागीरथी जाह्नवी न कहलातीं। समस्या तो यह भी थी पर इस का निराकरण बाद में हुआ पहले नहीं।

भाषा राष्ट्र की संस्कृति का प्रतीक होती है। मातृ-भूमि का सम्मान हम तभी कर सकते हैं जबकि हमें अपनी संस्कृति का मूल स्रोत ज्ञात हो और यह मातृभाषा, अर्थात राष्ट्रभाषा को जिसे हम हिन्दी के नाम से पुकारते हैं, जानने से ही प्राप्त होगा। अपनी संस्कृति का ज्ञान होने पर राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रीय सम्मान की सुरक्षा की भावना स्वयंमेव उत्पन्न होगी। जापान ने देशभक्ति का जो परिचय दिया है वह कहीं नहीं मिलता। उसका कारण यह है अपनी भाषा द्वारा संस्कृति की पूर्ण जानकारी। हमें अन्य देशों से यह गुण सीखना चाहिये कि राष्ट्र का सम्मान किस प्रकार सुरक्षित रह सकेगा तभी हम भारतीय कहलाने का गौरव सुरक्षित रख पायेंगे।

हमें चाहिये कि हम दृढ़ संकल्प द्वारा कार्य का श्रीगणेश करें। समस्याओं का समाधान समयानुसार स्वयं होता चलेगा। श्रीगणेश का श्रेय किसे मिलेगा इसका निर्णय हम नहीं, समय करेगा। हमें तो हिन्दी में कार्य करने का श्रीगणेश कर देना चाहिये।

(7) कस्तूर चन्द जैन

जवाहर नगर, नई दिल्ली

यदि आप मेरी तरह दिल्ली दूरदर्शन देखते हों तो आपने यूनाइटेड इण्डिया बीमा कम्पनी—जो एक सरकारी प्रतिष्ठान है तथा नाफेड—जो एक सरकार संरक्षित सहकारी उद्योग है—के विज्ञापन भी प्रायः देखे होंगे। और आपने एक महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर भी किया होगा। इन विज्ञापनों की भाषा हिन्दी नहीं—अंग्रेजी होती है जो दिल्ली व आसपास के क्षेत्र में एक बहुत ही छोटे से वर्ग द्वारा समझी जाती है। बीमा पालिसी का तथा टमाटर की चटनी का खरीदार उस अल्पवर्ग का व्यक्ति है जिसको अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए अंग्रेजी व अंग्रेजियत दोनों बैसाखियों की अनिवार्यता निरन्तर महसूस होती रहती है। इत्तफाक से विज्ञापनदाता भी इसी वर्ग के सदस्य हैं।

एक भारत ही शायद विश्व का ऐसा जनतान्त्रिक देश है जहां का नागरिक सगर्व कह सकता है कि वह देश की प्रमुख राजभाषा ही नहीं वरन् कोई भी भारतीय भाषा नहीं जानता परन्तु अंग्रेजी जानता है क्योंकि कैरानी की नौकरी के लिए भी अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है। आजादी के पैंतीस वर्ष बाद भी देश के समस्त कानून अंग्रेजी में ही बनते हैं तथा केवल उनका अंग्रेजी पाठ ही कानून सम्मत है। आज तक सर्वोच्च न्यायालय में हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के व्यवहार पर निषेध है। आज यदि कदम कदम पर सत्ताधारी व्यक्ति अपने आचरण से हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी से निकृष्ट साबित करने पर तुला हुआ हो तो आम आदमी भी जो सत्ताधारी का अन्ध अनुकरण करता है—स्व-भाषाओं का व्यवहार करने में हीनता महसूस करने लगे तो आश्चर्य की क्या बात है?

व्यापारी का एक ही उद्देश्य होता है—अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। उसे न अंग्रेजी से विशेष मोह है और न हिन्दी से विरोध। मैं तमिलनाडु के एक शहर कन्याकुमारी गया था। वहां अधिकांश सैलानी बंगाली होते हैं। वहां का दुकानदार सैलानियों को देखते ही आह्वान करने लगता है।

एइ दिदि, एइ मादुरटि देखे जान। एइ शांखटि बड्डो भालो।

इसी प्रकार काठमाण्डू प्रवास में हमारे यहां एक नौकरानी 'कांचि' थी। एकदम निरक्षर भट्टाचार्य। उसकी मातृभाषा नेवारी—(नेपाल की एक प्रादेशिक भाषा) थी तथा राष्ट्रभाषा नेपाली थी। इन दोनों भाषाओं को तो वह भली प्रकार बोल सकती ही थी। इनके अलावा उसने 8—10 वर्ष तक भारतीय दूतावास के अधिकारियों के घरों में नौकरी कर हिन्दी, बंगाली, पंजाबी व मलयालम में भी महारत हासिल कर ली थी। पर यह गुण उस अकेली नौकरानी में ही नहीं, दूतावास में काम करने वाली प्रायः सभी कांचिओं में था।

इसलिए जब आज का दुकानदार देखता है कि उसे और बड़ा व्यापारी बनने के लिए या वर्तमान व्यापार को अधिक सुगमता से चलाने के लिए अंग्रेजी का व्यवहार जरूरी है तो वह बिना किसी हिचक के अंग्रेजी अपना लेता है। **जब वह अपना तार हिन्दी में लिखता है तब तार बाबू कहता है कि यदि चाहते हो कि तार जल्दी पहुंचे तो अंग्रेजी में भेजो' तब वह पचास पैसे और खर्च कर किसी मुंशी से अंग्रेजी में ही तार लिखवाता है।** जब वह किसी सार्वजनिक कम्पनी के शेयर आदि खरीदने के लिए फार्म भरता है और फार्म पर लिखा होता है कि केवल अंग्रेजी में ही भरें, तब वह अंग्रेजी का इस्तेमाल करने पर बाध्य हो जाता है। इसी प्रकार जब उसका चार्टर्ड अकाउण्टेंट या वकील उसे अपना बही खाता या पत्र व्यवहार अंग्रेजी में रखने को कहता है तो उसके सामने पर अन्य कोई चारा नहीं रहता। आज हर कदम पर व्यापारी को किसी न किसी कानून की खानापूर्ति करनी होती है। यदि वह यह खानापूर्ति हिन्दी या किसी अन्य

भारतीय भाषा में करता है तो फौरन टोक दिया जाता है--क्या अंग्रेजी में नहीं भर सकते? या क्या अंग्रेजी नहीं जानते; घटना कुछ वर्ष पूर्व की है पर बहुत पुरानी नहीं कि अप्रासंगिक हो। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एक औषधालय की प्रभारी चिकित्साधिकारी कर्मचारियों का वेतन बांटने के लिये एक आर्डर चेक का भुगतान लेने भारतीय स्टेट बैंक की संसद मार्ग, नई दिल्ली शाखा में गईं। वह अहिन्दीभाषी अधिकारी अपने हस्ताक्षर केवल हिन्दी में ही करती थीं। उन्होंने चेक की पीठ पर हस्ताक्षर कर बीमा निगम के लेखाधिकारी---जिन्होंने वह चैक काटा था--से अपने हस्ताक्षर तसदीक करा लिए थे। पर बैंक बाबू ने मांग की कि चिकित्साधिकारी पहले अपने हिन्दी हस्ताक्षर का अंग्रेजी अनुवाद किसी वरिष्ठ बैंक अधिकारी से तसदीक करा कर लाएं तब ही चेक का भुगतान सम्भव है। चिकित्साधिकारी नियम कानूनों से वाकिफ थीं। उन्होंने कहा कि वह ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं। "आप इस पर भुगतान न देने का कारण लिख कर चैक लौटा दीजिए।" वह चैक ले लिया गया पर उसका भुगतान उन्हें अपराह्न साढ़े तीन बजे के लगभग मिला। वह चिकित्साधिकारी ऐसा इस लिए कर सकीं कि चैक का भुगतान मिलने या न मिलने अथवा देर से मिलने के कारण उनका अपना निजी लाभ या हानि कुछ नहीं था। पर क्या एक औसत व्यापारी ऐसा कर सकता है?

इसी तरह की एक अन्य घटना है। सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन एक मुकदमे में एक हिन्दी प्रेमी सज्जन प्रतिवादी थे। उन्हें अपना एक प्रति-शपथपत्र दाखिल करना था। क्योंकि उन्हें देश की प्रमुख राजभाषा से लगाव था, इसलिए उन्होंने नीचे की अदालतों में लगभग सभी आवेदन प्रतिवेदन आदि हिन्दी में लिख कर दाखिल किये हुए थे। उनमें से कुछ दस्तावेजों को भी प्रति-शपथपत्र के साथ दाखिल करना था। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय की भाषा आजादी के 35 वर्ष बाद भी अंग्रेजी है। अब समस्या यह खड़ी हुई कि व सज्जन देश की प्रमुख राजभाषा में लिखे अपने दस्तावेजों की नकल तभी दाखिल कर सकते हैं जब वे अधिकृत अनुवादक से उनका अंग्रेजी अनुवाद तसदीक करा कर साथ दाखिल करें। इसके लिए न केवल समय वरन् खर्च का भी प्रश्न था। बस तब से उन्होंने कसम खा ली कि अदालती कामों में वह अंग्रेजी को छोड़ कर अन्य किसी भाषा का व्यवहार करने की भूल भविष्य में नहीं करेंगे।

हिन्दी के व्यवहार पर व्यापारी को होने वाली कानूनी अथवा नौकरशाही द्वारा पैदा की गई कृत्रिम कठिनाइयों के दर्जनों उदाहरण दिये जा सकते हैं। पर दो मुख्य कारणों का जिक्र और कर दूं।

उत्तर भारतीय व्यापारी चाहे वह दिल्ली में बसा हो या कलकत्ता अथवा मद्रास में, अपना सारा कामकाज---विशेषकर बही खाता मुण्डी में ही करता व रखता था। पहले उसे इन भाषाओं में काम करने वाले आसानी से मिल जाते थे। पर अब यदि उनका कोई कर्मचारी बूढ़ा हो जाने के कारण अवकाश ग्रहण करले अथवा मर जावे तो उन्हें नया कर्मचारी नहीं मिलता। कारण अब किसी मदरसे या कालेज में इन देशी भाषाओं में व्यावसायिक काम करना नहीं सिखाया जाता। इसलिए न चाह कर भी व्यापारी को अपने काम-काज में हिन्दी की जगह अंग्रेजी अपनानी पड़ती है। इसी परिस्थिति का दूसरा रूप है: आज व्यापार के लिए लिमिटेड कम्पनियों का चलन बढ़ता जा रहा है। लिमिटेड कम्पनियों पर सरकारी अंकुश भी अन्य प्रतिष्ठानों की अपेक्षा अधिक हैं। लिमिटेड कम्पनियों में भरती होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान तो अनिवार्य है पर किसी भारतीय भाषा या हिन्दी में काम करने का ज्ञान जरूरी नहीं। जाहिर है वहां अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में काम होगा ही नहीं।

इन कठिनाइयों का निवारण करना आज प्रत्येक राष्ट्र-प्रेमी का कर्तव्य है ताकि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ सके। □ □ □

देवनागरी कम्प्यूटर की उपयोगिता

—डा० ओम विकास
इलेक्ट्रॉनिकी आयोग, नई दिल्ली

उद्योग में कम्प्यूटर के प्रयोग से कार्यगति में वृद्धि और कार्य-नियमन की सुविधा से उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन लागत में काफी कटौती हुई है। कम्प्यूटर के प्रयोग ने संचार के विविध माध्यमों, जैसे दूर संचार, प्रकाशन आदि को भी नए आयाम दिए हैं। कम्प्यूटर एवं संचार साधनों को कम कीमत पर सुलभ कराने से विभिन्न प्रकार की जानकारी पाने और सम्बन्धित विषयों के बारे में जानकारी एकत्र करके समयानुसार प्रबन्ध निर्णयों में इसका उपयोग करने की प्रवृति का विकास हुआ है। सूचना के बढ़ते महत्व को सूचना-क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। समाज विशेष की भाषा में ही सूचना संग्रह और उपयोग के लाभ जन-जन तक पहुंचाए जा सकते हैं। तकनीकी प्रयोग सामाजिक मूल्यों को भी प्रभावित करते हैं।

कम्प्यूटर क्या है ?

सूचना का उपयोग प्रबन्ध-निर्णयों के लिए भी किया जाता है। सूचना सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह और कम्प्यूटर की सहायता से संसाधन (प्रोसेसिंग) करके रिपोर्ट तैयार की जाती है। कम्प्यूटर तीव्र गति से प्रोसेसिंग करने वाली मशीन है। इसमें द्विमानांकों (0 और 1) का ही संग्रह होता है और गणना भी इन्हीं के आधार पर होती है। कम्प्यूटर में एक शब्द के निश्चित (8, 12, 16 आदि) द्विमानांकों को एक साथ संग्रहीत किया जा सकता है और एक साथ पढ़ा जा सकता है। संग्रहीत अंक समूहों पर क्या करें—जोड़, अन्तर, गुणा, भाग आदि—इसके लिए कार्य-निर्देश (इन्स्ट्रक्शन) बनाए गए हैं। कार्यनिर्देशों का क्रमबद्ध संकलन प्रोग्राम कहलाता है। कम्प्यूटर विकास के प्रथम चरण में प्रोग्राम द्विमानांकों के माध्यम से लिखे जाते थे लेकिन बाद में कम्प्यूटर कार्मिकों की सुविधा को ध्यान में रख कर काम में लाई जाने वाली भाषा के अनुरूप ही प्रोग्राम लिखने की भाषा का विकास किया गया। वैज्ञानिकों के लिए फोट्रान, एल्गोल, व्यापारी वर्ग के लिए कोबाल इत्यादि भाषाएं प्रचलित हुईं। वस्तुतः कम्प्यूटर के पांच प्रमुख अंग होते हैं :—(1) इनपुट यूनिट :—प्रोग्राम अथवा आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए, (2) आउटपुट यूनिट—रिपोर्ट प्रस्तुत करने छापने के लिए, (3) मेमोरी (स्मृति)—प्रोग्राम और आंकड़ों को संग्रह करने के लिए, (4) प्रोसेसिंग (प्रक्रिया) यूनिट—गणना के लिए और (5) कण्ट्रोल यूनिट (नियंत्रक) —आंकड़ों को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक पहुंचाने के लिए। कम्प्यूटर के विभिन्न अंगों को "हार्डवेयर" के अन्तर्गत रखा जाता है, और प्रोग्राम लिखने की प्रक्रियाओं को "सोफ्टवेयर" के अन्तर्गत।

देवनागरी कम्प्यूटर

कम्प्यूटर का प्रयोग विभिन्न देशों में किया जा रहा हैं और ये इन्हीं देशों की भाषा में सूचना उपलब्ध करा रहे हैं; उदाहरण के लिए जापान, इसराइल, रूस, इटली, नार्वे, स्पेन, डेनमार्क आदि। भारत में भी भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर के विकास के लिए और इनमें सूचना-संसाधन की पद्धतियां निकालने के लिए बहुत प्रयास हुए हैं। अब ऐसे कम्प्यूटर का विकास करना संभव हो गया है, जो देवनागरी में सामग्री स्वीकार कर सकते हैं और प्रोसेसिंग के बाद देवनागरी में परिणामों और रिपोर्टों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे पहले देश के बहुत थोड़े लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकने में सक्षम रहे, क्योंकि 97 प्रतिशत से अधिक भारतवासी अंग्रेजी नहीं समझ सकते। किन्तु देवनागरी कम्प्यूटर प्रणाली के विकसित होने से आधुनिक तकनीकी का लाभ देश की अधिकांश जनता को मिल सकेगा। यह समाचार हर्षदायक है।

संचार साधनों में देवनागरी टेलीप्रिण्टर का विकास महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिण्टर देवनागरी में सूचना संप्रेषण के लिए उपलब्ध होंगे। इन्हें सभी भारतीय भाषाओं के लिए काम में लाया जा सकता है। टेलीप्रिन्टर और कम्प्यूटर में सूचना संग्रह एवं सम्प्रेषण के लिए कोड "परिवर्धित देवनागरी", जो सभी भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त है, पर आधारित है। इसलिए लिप्यंतरण की कोई समस्या नहीं होगी और एक देवनागरी कम्प्यूटर से दूसरे देवनागरी कम्प्यूटर को सूचना का आदान-प्रदान सम्भव है। स्थानीय एवम् दूरस्थानीय देवनागरी कम्प्यूटर—तंत्र (नेटवर्क) का विकास कम्प्यूटर के विधि साधनों—मेमोरी (स्मृति), प्रोसेसिंग (संसाधन) यूनिट, इनपुट (आगत) और आउटपुट (निर्गत) यूनिट और सूचना—संहिताओं का अनुकूलतम साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण होगा।

देवनागरी कम्प्यूटर के उपयोग

कम्प्यूटर के प्रयोग से बेहतर उत्पादन नियंत्रण, बेहतर क्रेडिट नियंत्रण, बेहतर प्रबन्ध-निर्णय आदि अनेक लाभ होते हैं । देवनागरी कम्प्यूटर सभी भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त है । सभी भारतीय भाषाएं ध्वन्यात्मक हैं, उनकी वर्णमाला एक ही क्रम में है । देवनागरी कम्प्यूटर में परिवर्धित देवनागरी के कोड प्रयोग किए जाते हैं, अतएव लिप्यंतरण की कोई समस्या नहीं है । देवनागरी कम्प्यूटर अनेक महत्व-पूर्ण क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होंगे :—

पुलिस

विभिन्न अपराध और अपराधियों के बारे में विवरण-संग्रह का आकार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है । अपराध जांच के लिए देवनागरी कम्प्यूटर का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक हो गया है । कम्प्यूटर की सहायता से उंगलियों के निशानों को भी पहचाना जा सकता है । अपराधों एवं संभावित अप-राधियों की सूचना पुलिस थाने पर एकत्र करके पुलिस कम्प्यू-टर सैण्टर को भेजी जा सकती है । सारे आंकड़े प्रोसेस करने के बाद तुरन्त रिपोर्ट तैयार की जा सकती है । अन्तर्राज्यीय अपराधियों के सम्बन्ध में सूचनाएं एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर सैण्टर को भेजी जा सकती है ।

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में देवनागरी कम्प्यूटर वरदान सिद्ध होंगे । परीक्षाफल तैयार करने के लिए और खेल-कूद प्रतियोगिताओं में इनका उपयोग लाभकारी होगा । कम्प्यूटरेन शिक्षण सुविधा से शिक्षण की नई और प्रभावी पद्धतियों का विकास होगा । राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बाल पुस्तकों का कम्प्यू-टर की मदद से अनुवाद प्रारूप मिल सकने सें समय पर, अच्छी और विविध प्रकार की बाल पुस्तकों को तैयार करना सम्भव हो सकेगा ।

देवनागरी कम्प्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान होगा भार-तीय भाषाओं को समझने में । भारतीय भाषा के संदर्भ में कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स (काम्प्य भाषा-विज्ञान) पर शोध कार्य आरम्भ हो सकेंगे । देवनागरी कम्प्यूटर की सहायता से अज्ञात पाण्डुलिपियों के रचयिताओं को भी जाना जा सकेगा ।

श्रम शक्ति

देवनागरी कम्प्यूटर की मदद से श्रम शक्ति के बिखरे स्वरूप को सही और सामयिक आंकड़ों से सुव्यवस्थित किया जा सकेगा । कम्प्यूटर पर श्रम-संहिता (डेटावेस) को विभिन्न प्रयोजनों के लिए काम में लाया जा सकेगा ।

कृषि

भारत कृषि प्रधान देश है । कृषि सम्बन्धी सूचना ग्राम/ ब्लाक स्तर पर एकत्र करके जिला कम्प्यूटर सैण्टर को भेजने से जिला स्तरीय कृषि नीति निर्धारण में विशेष सहायता मिल सकेगी । देवनागरी कम्प्यूटर से कृषि ऋणों का लेखा-जोखा रखना आसान होगा, कृषि सम्बन्धी अन्य अनेक उपयोगी सूच-नाएं भी संग्रह और प्रोसेस की जा सकेंगी ।

उद्योग

देश के औद्योगीकरण में छोटे-मंझोले उद्योगों का विशेष महत्व है । छोटे उद्योगों के बहुत से मालिक अंग्रेजी में प्रशिक्षित नहीं होते हैं । देवनागरी कम्प्यूटर उपलब्ध होने पर ऐसे अनेक उद्योग-मालिकों को कम्प्यूटर की उपयोगिता समझना अधिक आसान हो जाएगा । इसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, खर्च में कटौती, नए-नए सुधरे डिजायनों का विकास आदि अनेक लाभ मिल सकेंगे ।

सभी प्रकार के उद्योगों में कर्मचारियों के विषय में पूरी सूचना रखने और प्रोसेस करने के लिए देवनागरी कम्प्यूटर विशेष उपयोगी होंगे । कर्मचारियों के वेतन बिल भी इसी से तैयार किए जा सकेंगे ।

न्याय

न्याय के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए देवनागरी कम्प्यूटर का विकास प्रासंगिक और सामयिक है । देवनागरी कम्प्यूटर का प्रयोग हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा में कम्प्यूटरित न्याय-संहिता निर्माण के लिए किया जा सकेगा । न्यायाधीश एवं वकील इनका उप-योग करके शीघ्र न्याय संबंधी निष्कर्ष निकाल सकेंगे । देवनागरी कम्प्यूटर को सम्मन आदि लिखने-भेजने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा ।

जनगणना

जनगणना में देवनागरी कम्प्यूटर बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे । इससे व्यक्ति और स्थान के नाम कदापि अशुद्ध नहीं होंगे, जैसे कि अंग्रेजी के प्रभाव से तिरुअनंतपुरम से त्रिवें-द्रम, कर्णपुर से कानपुर, बड़हारी से बधारी, मुम्बई से बॉम्बे, दिल्ली से देहली, ठाकुर से टैगोर, कन्नूर से कैन्नानोर इत्यादि विकृत हो गए हैं । जनगणना के लिए सूचना ग्राम/ जिला स्तर पर एकत्र कर देवनागरी कम्प्यूटर में संग्रहीत की जा सकेंगी । बाद में देश भर की सारी सूचना प्रोसेस करके देवनागरी कम्प्यूटर से रिपोर्ट तैयार की जा सकती है ।

मुद्रण

देवनागरी कम्प्यूटर का उपयोग टाइप सेटिंग (छपाई) में पंक्ति समंजन (लाइन जस्टीफिकेशन) के लिए किया जा सकेगा । इस कार्य हेतु एक विशेष प्रक्रिया सामग्री (साफ्टवेयर) की आवश्यकता होती है जिससे छपाई सामग्री में जोड़ा और घटाया जा सकता और कुछ अंश संशोधित किया जा सकता है । इसके बाद की सामग्री को कम्प्यूटर के द्वारा ही पंक्ति समंजन कर छापा जा सकता है । यदि लाइन के अन्तिम शब्द को तोड़ कर रखना पड़े तो कम्प्यू-टर में संग्रहीत तालिका एवं समास नियमों का प्रयोग करके

योजक चिह्न लगाकर शब्द को विभाजित कर सकते हैं ।

देवनागरी कम्प्यूटर की सहायता से विभिन्न आकार के अक्षरों से छपाई सामग्री दृश्य टी० वी० की भांति टर्मिनल पर दर्शायी जा सकती है और उसे छपाई की फोटो-कम्पोजीशन पद्धति में प्रयोग में ला सकते हैं ।

मुद्रण में देवनागरी कम्प्यूटर के प्रयोग से पाठ्य-पुस्तकों का अच्छे स्तर का प्रकाशन समय से और कम कीमत पर किया जा सकता है ।

योजना

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी योजना बनाते समय अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों की सूचना-संहितायें (डाटा-बेस)—जैसे वित्त, कृषि, व्यापार, प्राकृतिक सम्पदा, ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा इत्यादि के सम्बन्ध में सूचना-संहिताऐं उपयोगी होंगी । इस प्रकार राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर देवनागरी कम्प्यूटर अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे, इनके द्वारा सूचना-संहिता निर्माण में विशेष सहायता मिलेगी । योजना बनाने में आर्थिक माडल, इनपुट-आउटपुट मेट्रिक्स आदि विधियों का प्रयोग कम्प्यूटर के द्वारा ही सम्भव है ।

देवनागरी कम्प्यूटर से देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से होगी क्योंकि अधिकांश भारतवासी इसके लिए सूचना संग्रह करने में, प्रोसेस करने में, और कम्प्यूटर रिपोर्टों को स्वयं ही समझ सकने में सक्षम हैं ।

नागरिक सुविधाएं

भारतीय रेलवे में कम्प्यूटर की उपयोगिता स्वयंसिद्ध है । देवनागरी कम्प्यूटर से रेलवे रिजर्वेशन चार्ट देवनागरी में छापे जा सकेंगे । स्टेशन पर विभिन्न सूचनाएं टी० वी० स्क्रीन पर दिखाई जा सकेंगी । देवनागरी कम्प्यूटर से रेलवे समय-सारणी, टेलीफोन डायरेक्टरी दूरभाष-दर्शिका, टेलीफोन बिल, बिजली के बिल आदि आसानी से तैयार किए जा सकते हैं ।

बैंकों में भी देवनागरी कम्प्यूटर बहुत उपयोगी होंगे । इससे व्यापारी वर्ग को बैंक से लेन-देन में सुविधा होगी । बैंकों का देवनागरी कम्प्यूटर तंत्र (नेटवर्क) विकसित होने पर यह आवश्यक नहीं रहेगा कि जिस स्थानीय बैंक में हिसाब रखा है वहीं से रोकड़ (धनराशि) निकाली जा सके, अन्य बैंक से भी धनराशि निकालना सम्भव होगा ।

जनस्वास्थ्य की अनेक योजनाएं हैं । इनके आंकड़े एकत्र करके, उनके बीच सम्बन्ध जानने के लिए भी देवनागरी कम्प्यूटर उपयोगी होंगे । देवनागरी कम्प्यूटर की सहायता से स्वास्थ्य शिक्षण की योजना भी सम्भव है । इससे अस्पताल में रोगियों का विवरण रखने और दवाओं की सूची तैयार करने में भी मदद मिलेगी ।

पुस्तकालयों में कम्प्यूटर का प्रयोग आवश्यक होता जा रहा है । भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का कम खर्चे में लेखा-जोखा देवनागरी कम्प्यूटर से ही सम्भव है । पुस्तकालय-विज्ञान में देवनागरी कम्प्यूटर की सहायता से विविध शोध परियोजनाओं पर कार्य करना सम्भव हो सकेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

ज्ञातव्य है कि कम्प्यूटर में देवनागरी प्रयोग की दिशा में अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम आदि देशों के कई विश्व विद्यालयों में भी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं । देवनागरी कम्प्यूटर के विकास के लिए किए गए प्रयासों से भारतवर्ष अब ऐसी स्थिति में है कि अन्य भाषाओं में कम्प्यूटर प्रयोग की पद्धतियां जल्दी ही विकसित की जा सकती हैं । हमें इस अनुमान के साथ आगे बढ़ना होगा कि एशियाई देशों में कम्प्यूटरेन भाषायी अध्ययन के लिए भारत केन्द्र बिन्दु बन जाए ।

सारांश यह है कि हर क्षेत्र में देवनागरी कम्प्यूटर के द्वारा शीघ्र और बेहतर काम करने में बहुत सुविधा होगी । इसके प्रयोग से जन सामान्य का जीवन प्रभावित होगा, जीवन-स्तर बेहतर होगा, तकनीकी उपलब्धियों को समझने और प्रयोग में लाने की अभिरुचि बढ़ेगी और तभी "सूचना-क्रान्ति" के लाभ जन-जन तक पहुंच सकेंगे ।

विचार-कण

हिन्दी एक जानदार भाषा है । वह जितनी बढ़ेगी, देश को उतना ही लाभ होगा । —जवाहर लाल नेहरू

हिन्दी अब सारे भारत की राष्ट्रभाषा बन गई है । हमें उस पर गर्व होना चाहिए ।
—सरदार वल्लभ भाई पटेल

हिन्दी देश की एकता की कड़ी है । —डा० जाकिर हुसैन

सबको हिन्दी सीखनी चाहिये—इसके द्वारा भाव विनिमय से सारे भारत को सुविधा होगी ।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

मेरे देश में हिन्दी की इज्जत न हो, यह मैं नहीं सह सकता —विनोबा भावे

हिन्दी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है । उसे हम सबको अपनाना है । लाल बहादुर शास्त्री

19, 20 और 21 मार्च, 83 को दिल्ली में आयोजित हो रहे तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के संदर्भ में--

द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन : निर्णय और क्रियान्वयन

राजमणि तिवारी
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी एवं
संपादक, राजभाषा विभाग

28 अगस्त, 1976 । प्रातः-कालीन वेला। चतुर्दिक फैली मोहक हरीतिमा। स्वागत करती शस्य श्यामला मही। मारिशस के सुरम्य स्थल मोका में स्थित महात्मा गांधी संस्थान का विशाल प्रांगण। दूर-दूर पर दृष्टिगोचर होती हुई पर्वतमालाएं और उनकी उपत्यकाओं में लहराते ईख के खेत। उनकी मधुर मनुहार मन को मोह रही थी।

महात्मा गांधी संस्थान का सम्पूर्ण प्रांगण विश्व की चुनी हुई मनीषा और पांडित्य के सान्निध्य से पुलकित हो रहा था। लेखकों, कवियों, पत्रकारों, विद्वानों, विचारकों, समीक्षकों, प्रशासकों आदि का विशाल जमघट लगा हुआ था। उत्साह, स्फूर्ति, उल्लास और उमंग के भाव साक्षात स्वरूप धारण करने को उद्यत प्रतीत हो रहे थे। द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के उद्घाटन के क्षण निकट आ रहे थे । विश्व के लगभग 20 देशों के विद्वान अपनी-अपनी वेशभूषा में वहां उपस्थित थे, फिर भी वहां भारतीय वेशभूषा और भारतीयता का ऐसा प्राधान्य दिखाई पड़ रहा था मानो हम भारत से 3000 मील दूर न हो कर भारत के ही किसी नगर में बैठे हुए हों। इस सम्मेलन में भारत, इंगलैण्ड, अमरीका, फ्रांस, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, हालैंड, जापान, जर्मन जनवादी गणतंत्र, चेकोस्लोवाकिया, इटली, स्वीडन, हंगरी, कीनिया, जाम्बिया, मलावी, तंजानिया, मैडागास्कर आदि लगभग 20 देशों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इनके अतिरिक्त मारिशस के कोने-कोने से आए साहित्यकार, लेखक, विद्वान तथा सामान्य जनता अपार संख्या में उपस्थित थी।

भारत सरकार की ओर से 30 विद्वानों का एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, जिसमें हिन्दी के मूर्धन्य विद्वानों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के वरेण्य विद्वानों, साहित्यकारों, प्रशासकों आदि को भी सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, कालेजों, स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं तथा निजी संस्थानों के लगभग 150 विद्वान एवं कलाकार आदि भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे। उस समय विशाल पंडाल में उपस्थित अपार जनसमूह के सम्मुख मारिशस, भारत और अन्य देशों के विद्वान मंच पर विराजमान थे। सम्मेलन प्रारम्भ होने की उद्घोषणा और मंगलाचरण के पश्चात् मारिशस की कुछ बालिकाओं ने निम्नलिखित प्रार्थना-गीत प्रस्तुत किया :--

हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे।
प्रेम के सिंधु, दीन के बंधु, दुःख दरिद्र विनाशक हे।
नित्य अखंड अनंत अनादि, पूरणब्रह्म सनातन हे।
जग आश्रय जगपति जगवन्दन, अनुपम अलख निरंजन हे।
प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, जीवन के अवलम्बन हे।
हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे।

इस प्रार्थना-गीत के उदात्त और मधुर स्वरों ने उस वातावरण को किसी पुनीत मंत्र की भाँति इस प्रकार अभिभूत कर दिया, जो केवल अनुभव का विषय है, वाणी का नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो हम धरातल से ऊपर उठते जा रहे हों और किसी अनिर्वचनीय विराटता का अनुभव कर रहे हों। ऐसे ही आह्लादकारी वातावरण में द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ।

इस सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजते हुए प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि "हिन्दी विश्व की महान तथा सशक्त भाषाओं में से एक है। हमारे स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान और आजादी के बाद भारत में, और दूसरे देशों में भी हिन्दी भाषा की अभिवृद्धि हुई है तथा इसके साहित्य का बहुत विकास हुआ है। आज कई महादेशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है।

यह बहुत अच्छी बात है कि विश्व के हिन्दी-प्रेमी ऐसे सम्मेलनों में मिलते हैं, जिससे वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना बढ़ती है। लेकिन हिन्दी को किसी अन्य भाषा का अहित करके आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलना है, जैसे कि एक परिवार छोटे-बड़े सभी सदस्यों के सहयोग से चलता है।"

सर्व प्रथम उपस्थित प्रतिनिधियों और जनसमुदाय का स्वागत करते हुए इस सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री दयानन्द लाल बसन्त राय ने कहा--"आज मारिशस के इतिहास में यह एक सुनहरा दिन है, जब इस देश में द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आज हमारा हृदय अत्यन्त हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है

और हम इस सम्मेलन में पधारे हुए अपने सभी सम्मानित अतिथियों, प्रतिनिधियों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य आमंत्रित भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा ध्यान खास तौर पर उन उदारमना अतिथियों की ओर जाता है, जो भारत सहित अनेक दूर-दूर के देशों से यात्रा के कष्ट और असुविधाओं को सहन कर हमारे देश में पधारे हैं। इनके आगमन से हमारे इस विराट् आयोजन की शोभा बढ़ी है। आप सब के स्वागत में केवल यहां की हिन्दी भाषी जनता ही नहीं, अपितु समूचे मारिशस के तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि भाषाएं बोलने वाले भी सम्मिलित हैं।"

इसके बाद मारिशस के तत्कालीन प्रधान मंत्री एवं हिन्दी के अनन्य प्रेमी डा० शिवसागर रामगुलाम ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों में कहा—"मारिशस में हिन्दी का विकास हमारे समाज के विकास का दस्तावेज है। हमारे जो पूर्वज यहां आए थे, वे खाली हाथ थे, उनके पास लड़ने का कोई हथियार नहीं था। उन्होंने बहुत दुःख सहा। जानवर की तरह खेतों में रात-दिन काम किया किन्तु अपने धर्म को जतन से बचाये रखा, क्योंकि उनके पास अपनी भाषा थी। वे हिन्दी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि बोलते थे। इन भाषाओं में बहुत ऊंचा ज्ञान और साहित्य है। अपनी भाषा की डोरी से उन्होंने अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बांध रखा था।" मारिशस में भारतीय भाषाओं के विकास का क्रम बताते हुए उन्होंने आगे कहा, "हमारा विश्वास है कि इन भाषाओं की रक्षा से हमारे देश की संस्कृति की रक्षा होती है और इन संस्कृतियों के मेल से हम मारिशस में नई संस्कृति का निर्माण करेंगे, जिसमें सबका योगदान होगा। मेरा विश्वास है कि हिन्दी प्यार और एकता की भाषा है। यह हमेशा से जनता की भाषा रही है। भारत और मारिशस, दोनों को स्वतन्त्र कराने में हिन्दी का हाथ रहा है।"

अपने सारगर्भित अध्यक्षीय भाषण में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता डा० कर्ण सिंह ने हिन्दी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा—"आज हिन्दी सभी प्रकार के विचारों की एक समर्थ वाहिनी बन चुकी है और बोलने वालों की संख्या को देखते हुए यह विश्व की चार प्रमुख भाषाओं में से एक है। इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता है। देववाणी संस्कृत के साथ तो हिन्दी का अधिक सामीप्य है, क्योंकि वह हिन्दी की ही नहीं, कई भाषाओं की जननी है। इस अवसर पर एकत्र सदस्यगण के सामने मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि जहां वे हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अग्रसर हैं, वहां उनका संस्कृत की ओर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। इस सशक्त, सजीव भाषा के सीखने के प्रबन्ध हर उस देश में होने चाहिएं, जहां हिन्दी भाषा-भाषी रहते हों। इससे हिन्दी साहित्यकारों तथा दार्शनिकों को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त हिन्दी तथा अन्य भाषाओं का परस्पर अनुवाद के माध्यम से संबंध होना जरूरी है। भारत में लिखे जाने वाले हिन्दी साहित्य को अन्य देशों तक, और अन्य देशों के साहित्यकारों की हिन्दी रचनाओं को भारत तक पहुंचाना एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। इसी से हिन्दी जगत की आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और हिन्दी का अन्तर्राष्ट्रीय रूप अधिक निखरेगा। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी पत्रिकाओं की आवश्यकता है, जो हिन्दी का संदेश विश्व के हर उस क्षेत्र तक पहुंचाए, जहां हिन्दी भाषी तथा हिन्दी प्रेमी रहते हों।

यह सम्मेलन तीन दिन तक चलता रहा। सम्मेलन में जिन 4 प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श हुआ, वे इस प्रकार हैं :—

1. हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, शैली और स्वरूप
2. जनसंचार के साधन और हिन्दी
3. हिन्दी के प्रचार में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका
4. विश्व में हिन्दी के पठन-पाठन की समस्याएं

प्रत्येक विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए 3-3 विद्वानों का एक-एक अध्यक्ष मंडल बनाया गया था। इस अध्यक्ष मंडल का एक सदस्य मारिशस का, दूसरा भारत का और तीसरा इनसे भिन्न अन्य किसी देश का विद्वान होता था। इसके अतिरिक्त एक विद्वान विषय के संयोजन का कार्य करता था। पहले विषय पर बनाए गए अध्यक्ष मंडल में श्री खेर जगत सिंह (मारिशस), प्रो० डी० पी० यादव (भारत), प्रो० के० दोई (जापान) तथा डा० लोठार लुत्से (जर्मन संघीय गणराज्य) शामिल थे। डा० धर्मवीर भारती ने इसका संयोजन किया था। इस विषय पर भाग लेने वालों में श्री जय नारायण राय, श्रीमती धनवंती रिक्काय, श्री रामदेव धुरन्धर, श्री देववंशलाल रामनाथ, श्री सोमदत्त बखौरी, श्री लेनार्ट पियर्सन, श्रीमती निकोल बलवीर, श्रीमती इवा अरादि, श्री ओदोलेन स्मेकल, श्रीमती कोहेन तथा प्रो० के० दोई प्रमुख थे। इन सभी विद्वानों ने हिन्दी की महत्ता बतलाते हुए उसे राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने पर जोर दिया।

"जन-संचार के साधन और हिन्दी" नामक विषय पर विचार करने के लिए श्री वासुदेव सिंह (भारत), प्रो० के० दोई (जापान) और श्री मोहन लाल मोहित (मारिशस) का अध्यक्ष मंडल बनाया गया था। इसके संयोजक श्री चन्दूलाल चन्द्राकर थे। वक्ताओं में सर्वश्री शंकर दयाल सिंह, महावीर अधिकारी, दीप चन्द्र बिहारी, मनोहर श्याम जोशी, रवीन्द्र वर्मा, श्रीकान्त वर्मा, ए० रमेश चौधरी आरिगपूडि, कमलेश्वर, राजेन्द्र अवस्थी, धर्मवीर जी धुरा, अरविन्द कुमार आदि प्रमुख थे। हिन्दी के ऐतिहासिक योगदान की चर्चा करते हुए वक्ताओं ने बतलाया कि इसके माध्यम से कवियों, साहित्यकारों, संतों, विचारकों आदि ने अपनी अनुभूतियों से संपूर्ण देश को जागृत किया है और वे इसे सार्वदेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे हैं।

"हिन्दी के प्रचार-प्रसार में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका" नामक विषय पर हुए विचार-विमर्श के अध्यक्ष मंडल में श्री सूरज प्रसाद सिंह मंगर (मारिशस), श्री एम० वी० कृष्णराव (भारत) और श्रीमती निकोल बलवीर (फ्रांस) शामिल थीं। इसका संयोजन भारत के श्री आंजनेय शर्मा ने किया। वक्ताओं में सर्वश्री मधुकर राव चौधरी, मोहन लाल मोहित, डा० जयरामन, योगेन्द्र शर्मा, इन्द्रदेव भोला, डा० रत्नाकर पांडेय, हयग्रीवाचारी, राधाकृष्ण मूर्ति, मंगलप्रसाद तिलकधारी, डा० राजेश्वरैया इत्यादि प्रमुख थे। इन वक्ताओं ने कहा कि—अगर हिन्दी के विकास, प्रचार और प्रसार का इतिहास देखा जाए तो साफ हो जाता है कि इसे प्रारम्भ से अगर किसी का योगदान मिला है, तो स्वैच्छिक संस्थाओं का, जिन्होंने अथक प्रयत्नों से हिन्दी का उत्थान, उस का प्रचार, तथा उसका विकास, अहिन्दी भाषा-भाषी प्रांतों में और विदेशों में भी किया है। शासन के द्वारा तो कार्रवाई होती रही, लेकिन जहां पर शासनों को दिक्कतें रहीं वहां स्वैच्छिक संस्थाओं ने कार्य किया है।

चौथे सत्र में "विश्व में हिन्दी के पठन-पाठन की समस्या" विषय पर विचार-विमर्श हुआ, जिसके अध्यक्ष मंडल में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त श्री सतकाम बुलेल (मारिशस) और प्रो० ओदोलेन स्मैकल (चेकोस्लोवाकिया) शामिल थे। इसका संयोजन प्रो० रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने किया। जिन-जिन विद्वानों ने इसमें भाग लिया, उनमें प्रो० हरवंश लाल शर्मा, श्री के० के० मंडल, डा० गोपाल शर्मा, डा० नामवर सिंह, प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी, डा० कामिल बुल्के, श्री ठाकुरदत्त, श्री पूजानंद नेमा, श्री मोहन गौतम, श्रीमती कमलारत्नम्, प्रो० श्यामनंदन किशोर तथा श्री सुधाकर पांडेय के नाम उल्लेखनीय हैं। इन वक्ताओं का विचार था कि हिन्दी के अध्ययन एवं अध्यापन की प्रणाली को और सशक्त बनाया जाए, इसके लिए नए आविष्कारों का भी प्रयोग किया जाए और शोध के क्षेत्रों को व्यापक बनाया जाए। भाषा और साहित्य की रक्षा के लिए मातृभाषा को ही अध्ययन-अध्यापन का माध्यम बनाया जाना चाहिए।

सभी सत्रों में विचार-विमर्श का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का रहा। उनमें हिन्दी के प्रचार, प्रसार, प्रयोग, प्रशिक्षण इत्यादि सभी पहलुओं पर गंभीरता और विस्तार से विचार किया गया। इस विचार मंथन के परिणामस्वरूप सम्मेलन के अंत में एक मंतव्य प्रचारित किया गया, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :—

"1. इस अधिवेशन ने प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के बोधवाक्य—"वसुधैव कुटुम्बकम्"—को स्वीकार किया है, जिसके अनुसार विश्व की एक परिवार के रूप में कल्पना की गई है। इस सम्मेलन का विश्वास है कि आज जब मानवता एक चौराहे पर जा खड़ी है, हिन्दी को प्रेम, सेवा और शांति की भाषा के रूप में उन सारी शक्तियों को बल देना चाहिए, जो "एक विश्व एक परिवार" के आदर्श को सुदृढ़ करें और जहां मानव के लिए जाति, धर्म, वर्ण और राष्ट्रीयता की सीमाएं न हों। यह सम्मेलन उसी दृष्टिकोण को दुहराना चाहता है, जिसे प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन ने भी स्वीकार किया था कि वह हिन्दी के मामले में किसी भी प्रकार की जोर-जबरदस्ती या लादने की दृष्टि नहीं रखता है और इसी प्रकार यह मानता है कि जो भाषा स्वेच्छा से स्वीकार की जाएगी, वही सारे विश्व में लोक-प्रियता और मान्यता प्राप्त करेगी।

2. सम्मेलन ने प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन में पारित इस प्रस्ताव का फिर समर्थन किया कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान मिले और यह सिफारिश की कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। सम्मेलन को यह जान कर संतोष हुआ कि प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के अन्य निर्णयों के बारे में भी ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना का निर्णय भी शामिल है।

3. सम्मेलन में भारत में समाचार-पत्रों के संकलन के बारे में निर्गुट देशों के उस सम्मेलन का भी स्वागत किया गया, जिसमें सभी संवाद-सामग्री का एक "पूल" बनाने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन की धारणा है कि जन-संचार के अन्य सभी साधनों, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म तथा अन्य प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का हिन्दी के प्रचार-प्रसार में उपयोग किया जाए, ताकि वह "एक विश्व एक परिवार" की उदात्त भावना का प्रचार कर सके।

4. सम्मेलन की धारणा है कि मारिशस, भारत, फीजी, त्रिनिडाड, गुयाना, जैसे अन्य देशों में वहां की स्वैच्छिक संस्थाओं ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह माना गया कि इन सभी संस्थाओं को उन देशों की सरकारों तथा जनता से सहायता मिलनी चाहिए। मारिशस और भारत जैसे देशों में तो हिन्दी का अभियान राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना के आंदोलन से ही जुड़ा रहा है, लेकिन इन देशों की संस्थाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अपना हिन्दी प्रचार कार्य जारी रखा है।

5. सम्मेलन ने विश्व के अनेक देशों में हिन्दी की पठन-पाठन संबंधी समस्याओं पर भी विचार किया और इसमें पाठ्य-पुस्तकों, वैज्ञानिक उपकरणों तथा अन्य बातों के अभाव में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन पर भी विचार किया। इन कठिनाइयों को दूर करने का अवश्य ही प्रयत्न होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी विचार प्रकट किया गया कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को विशिष्ट गोष्ठियों का आयोजन कर इन समस्याओं के बारे में व्यावहारिक सुझाव और समाधान प्रस्तुत करने चाहिएं। विश्व हिन्दी सम्मेलन जैसे विशाल मंच पर तो इन समस्याओं का निदेश-मात्र दिया जा सकता है।

6. द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन मारिशस में हुआ है, इस बात पर सभी प्रतिनिधियों ने अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की और उसका मुक्त कंठ से अभिनन्दन किया। सम्मेलन जिस कुशलता के साथ संचालित हुआ, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। अनेक प्रतिनिधियों ने यह इच्छा व्यक्त की कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मेलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से किसी संगठन का विचार किया जाए। एक विशेष सुझाव दिया गया कि मारिशस में ही एक विश्व हिन्दी केन्द्र की स्थापना की जाए, जो सारे विश्व की हिन्दी गतिविधियों का समन्वय कर सके और एक अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन हो, जो भाषा के माध्यम से ऐसे समुचित वातावरण का निर्माण कर सके, जिसमें मानव विश्व का नागरिक बन कर रहे और विज्ञान और अध्यात्म की महान शक्ति एक नए समन्वित सामंजस्य का रूप ले सके। सम्मेलन के विचार में यह उचित होगा कि इस कार्य के नेतृत्व के लिए मारिशस के प्रधान मंत्री डा० शिवसागर रामगुलाम जी से ही निवेदन किया जाए, जो द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष हैं और जिनका सुयोग्य, अनुभवी एवं प्रज्ञायुक्त मार्गदर्शन इसके लिए परम उपयोगी होगा।

7. द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों का यह अभिमत रहा है कि यह सम्मेलन मात्र हिन्दी के इतिहास में ही नहीं, वरन् मानवता की निरंतर यात्रा में भी एक युगांतरकारी घटना है। इसलिए यह सम्मेलन विश्व के उन समस्त स्त्री-पुरुषों की ओर स्नेह और मैत्री का हाथ बढ़ाता है, जो ऐसे ही महान आदर्शों के लिए काम कर रहे हैं। सम्मेलन में यह सुदृढ़ धारणा प्रकट की गई कि तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन होने तक की अवधि तक हिन्दी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में आदर्श प्रगति कर लेगी।"

इन निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, पिछले 6 वर्षों से निरन्तर प्रयास चलता रहा है। इसके लिए राजभाषा विभाग ने सम्बन्धित मंत्रालयों तथा सरकारी संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की 9 बैठकें बुलाईं तथा उनसे विचार-विमर्श करके कार्रवाई कराई। इनके क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए सबसे पहली बैठक राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के तत्कालीन हिन्दी सलाहकार श्री रमा प्रसन्न नायक की अध्यक्षता में 9-12-76 को बुलाई गई थी। इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं विद्वान उपस्थित थे :—

(1) श्री सुधाकर द्विवेदी, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, (2) श्री सनत् कुमार चतुर्वेदी, निदेशक (भाषा), शिक्षा मंत्रालय, (3) डा० हरवंश लाल शर्मा, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, (4) डा० गोपाल शर्मा, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, (5) श्री वे० आंजनेय शर्मा, सचिव, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, 75, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली, (6) डा० आर० एन० श्रीवास्तव, अध्यक्ष, भाषा-विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, (7) श्री केवल कृष्ण सेठी, उप सचिव (भाषा), शिक्षा मंत्रालय, (8) श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी, उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, (9) श्री बी० पी० सिन्हा, विशेषाधिकारी, हिन्दी, विदेश मंत्रालय, (10) श्री हरिबाबू कंसल, उप सचिव, राजभाषा विभाग, (11) श्री आर० पी० एम० त्रिपाठी, उप सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा विभाग तथा (12) श्री राजमणि तिवारी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग। इनमें से अधिकांश अधिकारी द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के कार्यक्रमों में उपस्थित थे।

इस बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई :—

(1) **हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिलाने के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाना**— बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए यह जरूरी है कि पहले हमारे सभी बड़े-बड़े दूतावासों में हिन्दी का अच्छा प्रचार हो और वहां हिन्दी में कार्य भी किया जाये। इसके लिए आवश्यक है कि बड़े-बड़े दूतावासों में तथा उन देशों में जहां भारतीय मूल के लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक, हिन्दी टाइपराइटर, हिन्दी पुस्तकालय तथा हिन्दी में कार्य करने से संबंधित सभी उपकरण और सुविधाएं सुलभ कराई जायें। इस सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जाए और हिन्दी के प्रयोग के लिए ठोस आधारभूमि तैयार की जाए। इसके अतिरिक्त यदि दूतावासों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अब तक हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था न हुई हो तो उन्हें शीघ्र हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। बैठक में यह विचार भी व्यक्त किया गया कि विदेश मंत्री जी द्वारा केन्द्रीय हिन्दी समिति की 26 मई, 1976 की बैठक में दिए गए इस आश्वासन के संदर्भ में कि जो सदस्य राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक में हिन्दी में भाषण करेंगे उनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थित हमारे कार्यालय द्वारा अनुवाद देने की व्यवस्था की जायेगी, अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

(2) **हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए रेडियो, टेलीविजन, फिल्म तथा अन्य वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना**— इस विषय के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए रेडियो तथा टेलीविज़न द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में इस कार्य को और अधिक तेज़ किया जाएगा। बैठक में सुझाव दिया गया कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार का दिग्दर्शन कराते हुए एक फिल्म तैयार की जाए और उसका उपयोग देखने के बाद इस विषय पर भविष्य में और फिल्में बनाने की व्यवस्था की जाए।

(3) **हिन्दी की स्वैच्छिक संस्थाओं को पर्याप्त सरकारी सहायता प्रदान करना**--शिक्षा मंत्रालय के राजभाषा निदेशक श्री सनत् कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को पर्याप्त सरकारी सहायता दी जा रही है और जरूरत पड़ने पर इसमें और भी वृद्धि की जाएगी।

(4) **हिन्दी की पठन-पाठन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए पाठ्यपुस्तकों और वैज्ञानिक उपकरणों आदि का प्रयोग तथा विशेषज्ञों की बैठकें बुलाना**--श्री चतुर्वेदी ने सूचित किया कि हिन्दी की पठन-पाठन सम्बन्धी समस्याओं पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

(5) **मारिशस में विश्व हिन्दी केन्द्र की स्थापना**—इस विषय पर विस्तार से विचार किया गया और यह सुझाव दिया गया कि मारिशस में तो विश्व हिन्दी केन्द्र की स्थापना की ही जाए, साथ ही विश्व के अन्य भागों में भी जहां हिन्दी भाषी लोग रहते हैं अथवा जहां भारतीय मूल के लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं वहां-वहां पर चार-पांच विश्व हिन्दी केन्द्र और खोले जाएं। इन सभी केन्द्रों को सहायता देने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए भारत में (दिल्ली में) एक "विश्व हिन्दी संस्थान" स्थापित किया जाए। इन विश्व हिन्दी केन्द्रों के माध्यम से न केवल हिन्दी बल्कि भारतीय साहित्य तथा संस्कृति के प्रचार-प्रसार की भी व्यवस्था होनी चाहिएं।

(6) **मारिशस से विश्व हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन**--विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री बी० पी० सिन्हा ने बताया कि मारिशस सरकार ने विश्व हिन्दी पत्रिका के प्रकाशन का भार महात्मा गांधी संस्थान के अध्यक्ष डा० के० हजारी सिंह को सौंप दिया है जो इस सम्बन्ध में कार्रवाई कर रहे हैं और वे शीघ्र ही भारत आकर उसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देंगे। राजभाषा विभाग के सचिव ने विचार प्रकट किया कि पत्रिका के विषयों, स्तंभों तथा अन्य प्रमुख मदों के सम्बन्ध में जो रूपरेखा बनाई जाए उसके सम्बन्ध में यदि राजभाषा विभाग से भी परामर्श कर लिया जाए तो अच्छा हो।

(7) **हिन्दी की स्वैच्छिक संस्थाओं के पाठयक्रमों में मारिशस के हिन्दी साहित्य का समावेश करना**--बैठक में सूचना दी गई कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में इस कार्य के लिए एक समिति बनाई गई है जो इस विषय पर विचार कर रही है। उपस्थित अधिकारियों ने विचार प्रकट किया कि हिन्दी निदेशालय को इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए और स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं की परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में विकल्प के रूप में मारिशस, फिजी आदि देशों के हिन्दी साहित्यकारों की रचनाएं तथा पुस्तकें भी शामिल कर लेनी चाहिए।

उपर्युक्त विषयों तथा इनसे सम्बन्धित अन्य विषयों पर कार्रवाई कराने तथा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए राजभाषा विभाग में समय-समय पर सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों की बैठकें बुलाई गईं जिनमें सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। इस प्रकार की अन्तिम दो बैठकें राजभाषा विभाग के सचिव श्री जयनारायण तिवारी की अध्यक्षता में क्रमशः 14-8-81 और 28-9-81 को बुलाई गई। इन बैठकों में भाग लेने वाले अधिकारियों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों में निम्नलिखित के नाम उल्लेखनीय हैं: (1) श्री एच० वी० गोस्वामी, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, (2) श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, निदेशक तथा श्री राजकृष्ण बंसल, उप सचिव, राजभाषा विभाग, (3) बी० पी० सिन्हा, विशेषाधिकारी, हिन्दी, विदेश मंत्रालय, (4) श्री के० के० खुल्लर, उप सचिव, शिक्षा मंत्रालय, (5) श्रीमती कान्ति देव, अवर सचिव, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, (6) डा० रणवीर रांग्रा, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, (7) श्री आर० पी० मालवीय, निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, (8) श्री राजनारायण बिसारिया, उप निदेशक, कार्यक्रम, दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली, (9) डा० रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अध्यक्ष, भाषा विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्व विद्यालय, (10) श्री शंकर राव लोंढ़े, प्रतिनिधि, विश्व हिन्दी विद्यापीठ, (11) डा० कैलाश वाजपेयी, प्रतिनिधि, विश्व हिन्दी प्रतिष्ठान, (12) श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रतिनिधि, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली, (13) श्री आर० के० अग्रवाल, सहायक निदेशक (कार्यक्रम), आकाशवाणी, नई दिल्ली, तथा (14) श्री राजमणि तिवारी, वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी, राजभाषा विभाग।

हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिलाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कई उपाय किये हैं। उसने इस विषय में अन्य देशों के प्रतिनिधि मण्डलों के साथ अनौपचारिक परामर्श किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अनुवाद सुलभ कराने के लिए इससे संबंधित संभावनाओं का पता लगाया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ महत्वपूर्ण सामग्री का हिन्दी में अनुवाद भी करवा लिया है। अन्य ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों और प्रकाशनों की सूची भी तैयार की गई है जो अनुवाद और प्रकाशन की दृष्टि से उपयोगी समझी गई है। इन दस्तावेजों के अनुवाद, प्रकाशन तथा वितरण की लागत और अन्य संबंधित विषयों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

विदेश स्थित 142 भारतीय मिशनों में हिन्दी के कार्य की गति तेज की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में इन मिशनों को 108 हिन्दी टाइपराइटर भेजे जा चुके हैं। निकट भविष्य में अन्य मिशनों में भी एक-एक हिन्दी टाइपराइटर भेज दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त मिशनों में एक-एक हिन्दी टाइपिस्ट और हिन्दी आशुलिपिक उपलब्ध कराने की भी

व्यवस्था की जा रही है। ऐसे देशों में जहां हिन्दी जानने वाले लोगों की संख्या अधिक है जैसे मारिशस, फीजी, गुयाना आदि में हिन्दी अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं। अन्य कुछ प्रमुख देशों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति करने पर विचार किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों में हिन्दी के प्रचार के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है। इन देशों में दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, इंगलैंड, अमरीका, रूस, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और जापान आदि देश शामिल हैं। इन देशों में हिन्दी लेखन, हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी पुस्तकालयों की स्थापना इत्यादि में सहायता देने के लिए विशेष प्रबन्ध किये गये हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, दिल्ली में विदेशियों को हिन्दी का शिक्षण देने के लिए लगभग 50 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसके लिए विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों एवं मिशनों से प्रार्थना-पत्र मंगाएं जाते हैं। चुने गये विद्वानों को 500 रुपये प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है और उन्हें अपने देश से भारत (दिल्ली) आने तथा यहां से वापस जाने के लिए हवाई जहाज का किराया भी दिया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय ने सूरीनाम, त्रिनिडाड तथा गुयाना में एक-एक हिन्दी प्राध्यापक की व्यवस्था की है। इसी प्रकार श्रीलंका के लिए दो अंशकालिक अध्यापकों का प्रबन्ध किया गया है। इन अध्यापकों का चुनाव और नियुक्ति भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा की जाती है और इनके वेतन तथा भत्तों पर होने वाला व्यय शिक्षा मंत्रालय वहन करता है। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दी भाषा और साहित्य के विभिन्न पदों पर व्याख्यान देने के लिए विश्व के भिन्न-भिन्न देशों में हिन्दी के विद्वानों को भी भेजा जाता है।

विदेशों में रहने वाले हिन्दी पाठकों तथा भारतीय मूल के लोगों को पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों एवं मिशनों को हिन्दी की पर्याप्त पुस्तकें भेजी गई हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के हिन्दी पुस्तकालय के लिए एक पुस्तकालयाध्यक्ष का प्रबन्ध किया गया है। विदेशों में हिन्दी कक्षाएं प्रारम्भ करने के लिए पाठ्य पुस्तकें भी भेजी गई हैं।

पिछले 6 वर्षों में अकेले मारिशस को दो लाख रुपये के मूल्य की हिन्दी पुस्तकें भेजी गई हैं। इसी प्रकार अन्य देशों के लिए प्रति वर्ष 2 लाख रुपये से अधिक मूल्य की पुस्तकें भेजी जाती हैं। मारिशस, फीजी और श्रीलंका में हिन्दी के प्रचार का कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं के उपयोग के लिए अनेक हिन्दी टाइपराइटर भेजे गये हैं। फीजी के हिन्दीभाषी लोगों के बच्चों को हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद की सहायता से हिन्दी पाठ्य पुस्तकों की छपाई की एक योजना बनाई जा रही है जिस पर ढाई लाख रुपये के व्यय का अनुमान है।

द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यमों ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :—

1. गीत और नाटक प्रभाग ने हिन्दी गीत तथा नाटक और हिन्दी में प्रस्तुत किये जाने वाले उच्च कार्यक्रम पहले से लगभग डेढ़ गुना अधिक कर दिये हैं।

2. पत्र सूचना कार्यालय ने प्रेस रिलीजों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से ग्रामीण पत्र सेवा, यूनेस्को फीचर सेवा, कृषि पत्रिका सेवा और विशेष सेवा प्रारम्भ की है।

3. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के पहले विभिन्न हिन्दी समाचार पत्रों को लगभग 6,500 विज्ञापन दिये थे। किन्तु वर्ष 1976-77, 77-78, 78-79, 79-80, 80-81 एवं 81-82 में हिन्दी समाचार पत्रों को क्रमशः 10,668, 9,454, 12,559, 13,127, 12,351 और 12,333 विज्ञापत्र दिए हैं।

4. आकाशवाणी के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों द्वारा हिन्दी पढ़ाने के कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया है और अब लगभग 30 अहिन्दी भाषी केन्द्रों से हिन्दी में पाठ प्रसारित किये जाते हैं।

5. दूरदर्शन के प्रसारणों में हिन्दी को उच्च स्थान दिया जाता है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा अधिकांश कार्यक्रम हिन्दी में ही दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों से भी प्रचुर मात्रा में हिन्दी के कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं।

6. फिल्म प्रभाग ने द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के बाद मूल रूप से हिन्दी में पहले की अपेक्षा अधिक डाकुमेंट्री फिल्में बनाई हैं। जो फिल्में मूल रूप से हिन्दी में नहीं बनाई जातीं, उनका भी हिन्दी में रूपान्तर तैयार किया जाता है। इनकी संख्या में भी पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है।

7. फिल्मों के माध्यम से हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के लिये भी सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं किन्तु अभी इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

हिन्दी की स्वैच्छिक संस्थाओं को बहुत पहले से सरकारी सहायता दी जा रही है। द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के पश्चात् इन्हें सहायता देने पर अधिक ध्यान दिया गया है और ऐसी प्रायः सभी संस्थाओं को जो अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण तथा पुस्तकालयों के संचालन का कार्य कर रही हैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आर्थिक सहायता दी जा रही है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों और स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को भी जो हिन्दी और नागरीलिपि के विभिन्न पक्षों के विकास में लगी हुई हैं आर्थिक सहायता दी जाती है।

इन स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं द्वारा पढ़ाए जाने वाले हिन्दी पाठ्यक्रमों में विदेशों में लिखे गए हिन्दी साहित्य को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार हिन्दी विद्यापीठ, देवघर, बिहार, ने अपने पाठ्यक्रमों में ऐसी 14 पुस्तकों को नियोजित करने का निश्चय किया है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने मारिशस के 3 लेखकों की 4 पुस्तकों को अपने पाठ्यक्रम का अंग बनाने का निर्णय किया है। राष्ट्रभाषा परिषद, उड़ीसा ने एक पुस्तक को अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई, मार्च, 1981 से एक पुस्तक को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर चुकी है। मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बंगलौर, की शिक्षा समिति ने भी अपने पाठ्यक्रम में तीन पुस्तकों को स्थान देने का निश्चय किया है। हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद, तथा कर्नाटक हिन्दी महिला सेवा समिति, बंगलौर, 1982 से अपने पाठ्यक्रमों में विदेशी लेखकों की रचनाओं को शामिल कर रही हैं। इसी प्रकार, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे, तथा बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई, ने भी ऐसी पुस्तकों को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करने का निश्चय किया है।

इस प्रकार अब विदेशों में लिखे जा रहे हिन्दी साहित्य को भी हिन्दी के पाठ्यक्रमों में शामिल करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। राजभाषा विभाग के सुझाव पर विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रयोजन मूलक हिन्दी का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इस सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें 47 विश्वविद्यालयों के भाषा विभागों के अध्यक्षों तथा कुलपतियों ने भाग लिया था। आयोग ने इस कार्य के लिए एक उपसमिति बनाई है जो इस विषय में आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में अपने सुझाव देगी।

चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरी आदि विषयों और व्यावसायिक क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को अपनाए जाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस विषय में शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इन विषयों में बहुत सी मौलिक और अनूदित पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं और इनके प्रचार के लिए तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में इन्हें अपनाये जाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इन विषयों से संबंधित मंत्रालय भी इनके बारे में पुस्तकें लिखवाने के सम्बन्ध में कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रकार विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की तरफ से विधि के क्षेत्र की श्रेष्ठ पुस्तकों का अनुवाद कराया जा रहा है तथा मौलिक ग्रन्थ भी लिखवाये जा रहे हैं। इस मंत्रालय ने मौलिक ग्रन्थों पर पुरस्कार देने की एक योजना चलाई है ताकि लेखकों को प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त हो सके।

राजभाषा विभाग तथा अन्य मंत्रालयों की तरफ से यांत्रिक उपकरणों की सहायता से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उपाय किये जा रहे हैं। इस दृष्टि से देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों की व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य यांत्रिक साधनों जैसे टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर, पता लेखी मशीन, बिजली से चलने वाले टाइपराइटर, इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर, पिन प्वाइंट टाइपराइटर आदि के निर्माण के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों और निर्माता कम्पनियों के सहयोग से कार्रवाई कराई जा रही हैं।

द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के निर्णय के अनुसार यद्यपि अभी मारिशस में विश्व हिन्दी केन्द्र की स्थापना नहीं हो पाई है और न तो अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन ही प्रारम्भ हो सका है किन्तु भारत में पिछले कुछ वर्षों से "विश्व हिन्दी प्रतिष्ठान" नामक एक स्वैच्छिक हिन्दी संस्था की स्थापना हो गई है और यह अपने प्रयासों से विश्व के विभिन्न भागों में हिन्दी केन्द्र स्थापित करने के लिए कार्रवाई कर रही है। इस संस्था के सहयोग से 'विश्व हिन्दी दर्शन' नामक एक पत्रिका भी जनवरी 1979 से प्रकाशित होने लगी है। पहले यह पत्रिका त्रैमासिक रूप में प्रकाशित हो रही थी किन्तु इसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए अब इसे मासिक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

इस विवरण से ज्ञात होगा कि द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन के पश्चात् भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं की तरफ से उसमें लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन करने के लिए भरपूर प्रयास किये गये हैं। इस सम्बन्ध में आयोजित की गई बैठकों में तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन के सम्बन्ध में भी निरन्तर विचार-विमर्श होता रहा है जिसके परिणामस्वरूप अब तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।●

पृष्ठ 73 का शेषांश

ढंग से किया जाना चाहिए कि विवाद उत्पन्न न हो। परिषद् के अध्यक्ष डा० मलिक मोहम्मद ने स्पष्ट किया कि परिषद नागरी लिपि को देश की समान लिपि बनाने की बात नहीं करती बल्कि इसे विभिन्न भाषाओं की संपर्क लिपि, सह लिपि अथवा अतिरिक्त लिपि बनाने का प्रयास करती है। इस कार्य में आचार्य विनोबा भावे का आशीर्वाद प्राप्त है। इस अवसर पर श्री लल्लन प्रसाद व्यास, डा० पी० गोपाल शर्मा, श्री यशपाल जैन, श्री मोती लाल जोतवाणी और श्री जगदीश चन्द्र जीत तथा भिक्षु कौण्डिन्य ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये। सम्मेलन में केरल, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि के 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परिषद के मंत्री श्री सी० ए० मेनन ने प्रतिनिधियों तथा अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया।□□□

राष्ट्रीय संस्कृति और हिन्दी

—गोविन्द सिंह
हिन्दी अधिकारी, देहरादून

पिछली पीढ़ियों द्वारा अर्जित जो भी श्रेष्ठ ज्ञान-विज्ञान, साहित्य और कलाएं हमें विरासत में मिली हैं वे सब हमारी सांस्कृतिक सीमाओं के भीतर आती हैं तथा समाज के परिष्कार हेतु सांस्कृतिक धारा को गतिशील बनाये रखने में अपूर्व सहयोग देती हैं। इस अर्थ में भारतवर्ष की भाषाओं का इस देश के जीवंत साहित्य, संगीत और कलाओं की सांस्कृतिक परम्परा को बनायें रखने में अपूर्व योगदान रहा है।

जन्म लेने के बाद बालक को जो प्रथम संस्कार मिलता है वह है, भाषा, अर्थात् मां की आवाज। इस संस्कार के बल पर बालक आगे चलकर अपने सभी गुणों का विकास करता है और सभ्य कहलाता है। विधाता ने जिन्हें जुबानरहित किया है वे ही जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। मां की गोद में अबोध शिशु जो भी प्रारम्भिक आवाज सुनता है वही उसके जीवन पथ की परिचालक होती है, इस दृष्टि से भारत वर्ष की लोक भाषायें एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी भारतीय समाज को संस्कार पूर्ण बनाती है।

यह सच है कि अंग्रेजी शासकों ने लगभग तीन शताब्दियों तक इस देश की जनता पर शासन चलाया और उनकी भाषा अग्रजी भी किसी न किसी रूप में इस देश में छायी रही और आज भी छायी हुई है। इसलिए भारतवर्ष की सांस्कृतिक धारा को गतिमान रखने में उसका भी किसी न किसी रूप में महत्व है किन्तु यह भी सत्य है कि अंग्रेजी भारतीय जनता की शैशवकाल की बोली कभी नहीं रही, यद्यपि आज कुछ तथाकथित नवकुबेर वर्ग के मुट्ठीभर लोगों का यह दूराग्रहपूर्ण कथन हो सकता है कि अंग्रेजी उन्हें शैशव में ही मिल चुकी है। यह तर्क अत्यन्त भ्रामक है क्योंकि यह तो निर्विवाद सत्य है कि अंग्रेजी के माध्यम से मां की गोद में भारतीय शिशु को न ही कभी संस्कार मिले हैं और न कभी मिलेंगे। फिर भी अंग्रेजी हमारे देश, हमारे संस्कारों पर छायी रही और अब भी छायी हुई है। इस बात को भुलाकर हम स्वयं को भ्रम में रखेंगे, कि मां की गोद में न सही, पाठशाला, कालेज, विश्वविद्यालय में हमें इसके माध्यम से संस्कार मिलते हैं। बल्कि मां की गोद में मिले सहज संस्कार तब छुई-मुई हो जाते हैं, जब स्कूल, कालेज या यूनिवर्सिटी का माहौल उन्हें नकार देता है, और मां के दिये संस्कार प्रवंचना के शिकार बन बिलख-बिलख कर सिसकने लगते हैं। यही दशा हिन्दी की है।

आज इस दिशा में सुधार का मार्ग कुछ प्रशस्त हुआ है, फिर भी समाज में स्थिति संतोषजनक नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए हिन्दी विषय ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को पग पग पर इसका कोपभाजन बनना पड़ता है। कोई भी विद्यार्थी (चाहे मूर्ख ही क्यों न हो) यदि अंग्रेजी में एम० ए० कर रहा हो, तो लोगों में अपने आप ही यह भाव जागृत हो जाता है कि वह तो काफी शिक्षित है। इस तरह की प्रवृत्ति दास मनोवृत्ति की प्रतीक ही कही जा सकती है। परन्तु विडम्बना यह है कि फिर भी यह मनोवृत्ति हमारे समाज में शेष है। इस अर्थ में अंग्रेजीयत व अंग्रेजी की गुलामी ने भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति की जड़ों को खोखला किया है और यदि भविष्य में ऐसी ही स्थिति बनी रही तो परिणाम और भी घातक सिद्ध हो सकते हैं।

अंग्रेजी का एक दूसरा पक्ष भी है जिसने आजादी से पूर्व भारतीय जनजीवन में जागरण की ज्योति जलायी थी, देशवासियों के सामने, शिक्षा का एक नया पक्ष रखा था और अंग्रेजी का वह पक्ष भी है जिसने भारतीय संस्कृति को विश्व भर में फैलाया है। तात्पर्य यह है कि हमारी जीवित सांस्कृतिक परम्परा में अंग्रेजी की भूमिका भी कम सार्थक नहीं रही है। अंग्रेजी का यह दुहरा रूप ही भारतवर्ष में अंग्रेजी के भविष्य सम्बन्धी विवाद का मूल कारण है।

हिन्दी चिन्तकों के समक्ष यह स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिये कि अंग्रेजी का कौन सा रूप हमारे लिये ग्राह्य है, और कौन सा अग्राह्य। हिन्दी की उदारतम परम्पराओं के दृष्टिगत हिन्दी किसी भी भाषा की विरोधी नहीं हो सकती। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति को परिष्कृत करने में माना-संस्कृतियों का योगदान रहा है, उसी प्रकार हिन्दी में भी वह पाचक शक्ति है जो निर्विकार भाव से सभी भाषाओं, बोलियों, लिपियों के भले गुणों को ग्रहण कर सकती है। अपनी मां सबको प्यारी होती है किन्तु दूसरे की मां के भले गुणों को देखकर मन में यह विचार भी आता है कि काश! मेरी मां में भी अमुक भला गुण होता। निश्चय ही हम में अपनी मां के भीतर उन सभी सदगुणों को देखने की अभिलाषा सतत गतिशील रहनी चाहिये, जो कि दूसरी माताओं में हैं और सहज ही हमारे लिए ग्राह्य हैं, उपयुक्त हैं। अतः अंग्रेजी का विरोध भाषा की प्रकृति व साहित्य से न होकर उसके अन्धानुकरण से होना

(शेष पृष्ठ 36 पर)

कार्यालयीन हिन्दी : कितनी सरल कितनी कठिन

—श्रीमती सीता कुंचितपादम्
हिन्दी अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक, मद्रास

यह तो सभी जानते ही हैं कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और राजभाषा भी। देश की राजभाषा में काम करना सरकारी कर्मचारियों का कर्त्तव्य है। आम तौर पर हम देखते हैं कि प्रत्येक भाषा के दो रूप होते हैं, बोलचाल की भाषा अलग है और लिखित भाषा अलग। जिन लोगों की मातृभाषा तमिल, मलयालम या तेलुगु है, वे इस बात से भली भांति परिचित हैं। इन प्रांतीय भाषाओं को ही नहीं अपितु यदि अंग्रेजी को भी लें तो हमें यह जाहिर होता है कि अंग्रेजी के भी दो रूप नहीं बल्कि तीन रूप हैं। एक बोलचाल की अंग्रेजी है, दूसरा रूप है साहित्यिक अंग्रेजी का जो king Alfred के युग से लेकर, Chaucer, Shakes-Peare, Milton आदि के युगों में कुछ भिन्न-भिन्न रूप धारण करते हुए आज James Hadley, Chase आदि की भाषा पर आकर रुका है। तीसरा रूप है आधिकारिक या शासकीय अंग्रेजी का यथा—"I am directed to inform you that this may please be treated as most urgent" etc.

अंग्रेजी की ही भांति हिन्दी के भी तीन रूप पाये जाते हैं। बोलचाल की हिन्दी अलग है, वह भी बम्बई में अलग है, हैदराबाद में अलग, दिल्ली में अलग और लखनऊ में अलग। बम्बइया हिन्दी तो अब इतनी प्रचलित हो गई है कि जो व्यक्ति बिल्कुल हिन्दी नहीं जानता वह भी एकाध महीने में बेधड़क हिन्दी बोलने लग जाता है। बम्बई में हिन्दी भाषा के लिंग/वचन आदि के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता। "हम जाता है, तुम काहे को पूछता है" वाली भाषा सर्व-सम्मत हो गई है। इस में लोगों को व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है और इसी कारण यह हिन्दी अपनाई गई है। साहित्यिक हिन्दी से प्राज्ञ के पुराने विद्यार्थी कुछ हद तक परिचित होंगे। श्रीयुत जयशंकर प्रसाद की "कामायनी" का प्रथम छंद देखिये—हिमगिरि के ....प्रवाह" यह संस्कृत गर्भित भाषा है और इसमें अनुप्रास आदि अलंकारों पर ध्यान दिया गया है। यह साहित्य पढ़ने वालों के लिये अत्यन्त आकर्षक भाषा है और इस का रसास्वादन करने वालों का अपना संसार होता है।

अब आएं हम कार्यालयीन हिन्दी पर। कार्यालयों में प्रयोग हेतु हिन्दी के एक अलग रूप का जन्म हुआ है जिसका अस्तित्व ही अनुवाद पर आधारित लगता है। चूंकि हम अंग्रेजी में कहते आये हैं I am directed to inform you, हम हिन्दी में भी यह कहने के लिये मजबूर हो गये हैं कि "मुझे यह कहने का निदेश हुआ है।" चूंकि अंग्रेजी पत्रों की शुरुआत With reference to your letter No—dated—I am advise you that से होता है, हिन्दी में इस का रूपान्तरण हुआ है, आपके पत्रांक .....दिनांक..... के सन्दर्भ में निवेदन है कि .....

जो कर्मचारी बचपन से लेकर अपनी मातृभाषा और या अंग्रेजी में शिक्षा पाता आ रहा है और कार्यालय में भी अंग्रेजी में ही 10–12 वर्षों से पत्राचार करता आ रहा है, उसे सारा पत्राचार हिन्दी में शुरू करने में कुछ कठिनाइयां तो अवश्य हो सकती हैं किन्तु आमतौर पर हमारी प्रवृत्ति यही हो गई है कि हम पहले अंग्रेजी में सोचते हैं और बाद में उसका हिन्दी में अनुवाद करते हैं। इसी से हिन्दी में पत्राचार करने में—वह भी कार्यालयीन हिन्दी में—कठिनाइयां पैदा होती हैं।

मेरा निवेदन है कि अब अंग्रेजी में सोच कर उसका हिन्दी अनुवाद करने के बजाय हिन्दी में ही सोचना शुरू किया जाना चाहिये। हिन्दी में सोचना शुरू शुरू में कठिन लग सकता है इस को आसान बनाने के लिये एक युक्ति है। यदि आप अपनी मातृभाषा में सोचेंगे तो आप उसका अनुवाद हिन्दी में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कारण यह है कि भारत की सभी भाषाओं में वाक्य रचना एक समान है। मिसाल के तौर पर एक सरल वाक्य लें :—

I am going to office.
मैं दफ्तर जा रहा हूं।

सभी भारतीय भाषाओं में क्रिया का प्रयोग वाक्यांत में होता है। इसके अलावा प्रायः सभी भाषाओं का मूल संस्कृत है। अतः शब्दों को चुनने में भी आसानी महसूस हो सकती है। अब मैं आप लोगों के सामने एक नमूना प्रस्तुत कर रही हूं जिस से प्रतीत होगा कि हिन्दी में पत्राचार बहुत ही कठिन है :

"प्रायः यह देखा गया है कि बैंकों द्वारा संसद सदस्यों, विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायत पत्रों

पर द्रुतगति से वांछित कार्यवाही नहीं की जाती है तथा इस निदेशालय स्तर से समय-समय पर भेजे गये पत्रों का उत्तर बार बार अनुस्मारक पत्र देने पर भी नहीं दिया जाता है जिसके फलस्वरूप संबंधित जनप्रतिनिधियों को अन्तिम उत्तर भेजने में कठिनाई होती है।

इसको सरल बनाकर यों लिखा जा सकता है; "यह देखा जाता है कि संसद के सदस्यों, विधायकों और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लिखे शिकायत पत्रों का जवाब बैंक समय पर नहीं देते हैं। उन पर आवश्यक कार्रवाई भी नहीं की जाती है। इस निदेशालय से समय समय पर भेजे गये पत्रों और स्मरण-पत्रों के उत्तर भी हमें नहीं मिलते हैं। इस कारण उक्त सदस्यों को उत्तर भेजने में हमारी ओर से विलम्ब होता है।"

कार्यालयीन हिन्दी अपने आप में कठिन नहीं हैं, किन्तु हम उसको अनुवाद की भाषा के रूप में ही देखते हैं और इस लिये उतने ही लम्बे-चौड़े वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं जितने अंग्रेजी में होते हैं। यदि हम उसे सरल भाषा में लिखें, छोटे-छोटे वाक्य लिखें और विषय वस्तु को समझकर, उसकी जड़ को पकड़ कर उसका अनुवाद करें (यदि अनुवाद करना ही पड़े) अथवा स्वतन्त्र रूप से विषय को व्यक्त करने का प्रयत्न करें तो कार्यालयीन हिन्दी सरल बन सकती है। बोलचाल के प्रचलित शब्दों को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। अंग्रेजी के शब्द जैसे Bank, Budget, Cheque, Draft आदि हिन्दी में ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गये हैं। वैसे ही तमिलनाडु जैसे अहिन्दी प्रदेश में भी गरम, बेजार, बेईमान, जल्दी, चाय, जरूर, बगल आदि शब्द बोल चाल में प्रचलित हो गये हैं। अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को हम बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करें और वाक्य-रचना को सरल बनायें तो कार्यालयीन हिन्दी कठिन हो ही नहीं सकती है। धीरे धीरे हम भी हिन्दी में पत्राचार करने के आदी हो जायेंगे और देश की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को आसानी से बढ़ावा मिलने लग जायेगा। □□□

(पृष्ठ 34 का शेषांश)

चाहिये, कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी मां को भुलाकर और दुत्कार कर दूसरे की मां को अपना लेना हमारे लिये शोभनीय नहीं है।

जिस प्रकार छोटी-छोटी नदियां मिलकर बड़ी नदी, और बड़ी नदियां मिलकर सागर-महासागर का निर्माण करती हैं उसी प्रकार लोक संस्कृतियां मिल-मिलकर राष्ट्रीय संस्कृति एवं विश्व संस्कृति का निर्माण करती हैं। किसी भी राष्ट्रीय जीवन में लोक संस्कृतियों की उपेक्षा नहीं हो सकती। इन के मोड़ों, पड़ावों के बीच कहीं भी टकराव नहीं होता है। यही स्थिति राष्ट्रभाषा हिन्दी और भारतीय भाषाओं के मध्य है। संविधान सम्मत पन्द्रह भाषायें एवं अनेक लोक भाषायें एवं बोलियां इस देश में बोली जाती हैं। भाषा विज्ञानी कहते हैं, "प्रत्येक बारह मील बाद इस देश में भाषा बदल जाती है।" यही नहीं प्रत्येक लोकभाषा का अपना-अपना लोक साहित्य भी है। लोक कलाओं, लोक भाषाओं का लालित्य सम्बन्धित समाज की विशिष्ट छवि को बारीकी से चित्रित करने में जितना समर्थ होता है उतनी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। अतः जिस प्रकार राष्ट्रीय संस्कृति की पूर्णता विविध लोक संस्कृतियों के अद्भुत सम्मिश्रण के बाद ही झलकती हैं उसी प्रकार बोलियों, लोक भाषाओं और प्रान्तीय भाषाओं की चेतना भी राष्ट्रभाषा के स्वरूप को बनाती है, निखारती है। इस सहज प्रक्रिया में कहीं भी टकराव नहीं, कहीं भी विद्वेष नहीं।

अतः हिन्दी और भारतीय भाषाओं के मध्य किसी भी प्रकार का टकराव अनुचित ही नहीं दुर्भावनापूर्ण भी है, जिसे रोकने के लिये दोनों ही पक्षों को सद्भावना के साथ चलना होगा। कुछ न कुछ त्याग तो करना ही होगा। हमारे सामाजिक साथ ही सांस्कृतिक जीवन से अंग्रेजियत हटनी ही चाहिये। इस से किसी का मतभेद नहीं हो सकता। हिन्दी भाषी, अहिन्दी भाषी कोई भी इस सत्य से असहमत नहीं होगा कि अंग्रेजी की सत्ता-समाप्ति के पश्चात् ही हमारी अपनी संस्कृति के आधार पर इस देश में जीवनमूल्यों की नीव पड़ेगी, और समाज का नव निर्माण होगा। इस पुनीत कार्य के लिये भारतीय भाषाओं की एकता एवं साहित्यिक समृद्धि नितान्त अनिवार्य है। □□□

श्री पुट्टप्पा

सर्वभारतीय साहित्य : शिखर की तलाश

—रंगनाथ राकेश
उपसंपादक

[14 वें अंक में विशाल राष्ट्रीय दृष्टि और सर्वभारतीय चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से 'भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार' लेख माला की प्रथम किस्त शुरू की गई थी। इसमें मलयालम के महाकवि श्री जी० शंकर कुरुप का परिचय तथा उनकी दो कविताओं का मलयालम मूल सहित अनुवाद प्रस्तुत किया गया था। अंक 15–16 में सन् 1966 के भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार विजेता स्वर्गीय ताराशंकर बंद्योपाध्याय के कृतित्व तथा व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय दिया गया था। इस अंक में 1967 के भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार के दो सह पुरस्कार विजेताओं की कृतियों "श्री रामायण दर्शनम्" तथा "निशीथ" के चुने हुए कविता के अंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये क्रमशः डा० कु० वें० पुटप्पा तथा डा० उमा शंकर जोशी की कन्नड़ तथा गुजराती की काव्य कृतियां हैं।]

श्री पुट्टप्पा का जन्म 29 दिसम्बर, 1904 को कुप्पल्ली ग्राम में तीर्थ हाली तहसील के अन्तर्गत शीमोगा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ और इनकी माता का नाम सितम्मा था। इनकी प्रमुख शिक्षा-दीक्षा वैसली मिशन हाई स्कूल मैसूर में हुई और सन् 1918 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। होनहार पौधे के पत्ते तो शुरू से ही चिकने होते हैं। श्री पुट्टप्पा में कविता के अंकुर सन् 1922 में स्पष्टतः फूट पड़े थे। 1924 में इनका कहानी संग्रह 'अमलन कथे' प्रकाशित हुआ। 1925 में यह रामकृष्ण मिशन मैसूर से सम्बद्ध रहे। 1927 में उन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1929 में कन्नड़ भाषा और साहित्य में इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से एम० ए० की और इसके बाद वह कन्नड़ के प्राध्यापक नियुक्त हो गये। इनका पहला कविता संग्रह 'कोललु' 1930 में छपा। 1933 में ये 19वें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। 'चित्रांगदा' का प्रकाशन भी इसी वर्ष हुआ। 1937 में ये दाम्पत्य सूत्र में बंधे और 1938 में इनका उपन्यास 'कानोरू एग्म हणति' सन् 1939 में यह मैसूर विश्वविद्यालय में रीडर नियुक्त हो गए और इनका सारा जीवन कन्नड़ साहित्य के लिये समर्पित हो गया।

सन् 1967 में भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार के सह विजेता के रूप में उभर कर ये सम्पूर्ण भारतीय साहित्य के क्षितिज पर उद्भासित हो उठे। उनके मूल कन्नड़ की छन्द योजना तथा रसमयता को डॉ० सरोजिनी महिषी ने काफी प्राणवत्ता संग प्रस्तुत किया है।

इस विशिष्ट रचना में अतीत का वर्तमान में भविष्यत से करस्पर्श होता है, दिव्यता दानवता को आलिंगन में लेती है और महान की परिणति में तुच्छतम भी योगदान करता है। अतिशयोक्ति नहीं कि 'श्री रामायण दर्शनम्' एक समूचे आध्यात्मिक जीवन का निष्कर्ष है, एक तन्मयकारी अतिमानस चेतना का अवदान, जहां पूर्व और पश्चिम भी परिणय-प्रीति के सूत्र में बंधे मिलते हैं।

'श्री रामायण दर्शनम्' महा छन्दों में रचित कन्नड़ भाषा का वह प्रथम महाकाव्य है जो श्री बाल्मीकि रामायण पर आधारित होते हुए भी नये-नये आयामों का विस्तार पा कर पूर्णतर हो उठा है। प्रस्तुत महाकाव्य के इस पूर्वरंग में वास्तव में और वास्तविक कालगत और शाश्वत सामयिक और चिरस्थायी, तथा भौतिक और आध्यात्मिक, सब मिला कर एक विराट सम्पूर्ण में अन्तर्प्रेरित कुशलता के साथ समेकन हुआ है। प्रस्तुत है, 'कवि ऋषुदर्शनम्, बाएं मूल कन्नड़ लिप्यन्तरण तथा दाहिनी ओर हिन्दी रूपान्तरण।

कविक्रतुदर्शनम्

श्री राम कथेयम महर्षि नारद वीणेयिम्
केलदु कणदावरेयोलश्रुरसमुगुवन्नेगम
रोमहर्षभ्दालदु सहृदयम्वाल्मीकि ताम्
नडेतंदनात्मसुखी, केल, तमसा, नदी तटिगे,
तेजस्वी, तरुणम, तपोवल्कल वस्त्रशोभि
मुम्बिसिल होम्बण्णमम् मिन्दु कलकलिसि
नगुतिर्द कान्तार-पंक्ती-विस्तारदलि
चैत्रऋतु पक्षिइन्चरवनास्वादिसुते
तेलुगालिगोययनेये निरि निरि विकंपिसुव
पटिक निर्मल नदिय पुलकित मुकुरदल्लि
मज्जनक्कुज्जुगिसि सलिलावगाहक्के
सोपानगलनिलिदु दिण्णेमल्लम दांटि
होलेव जीवनदंचनडिगलिगे सोंकिसिरे
केलदत्तदोन्दु रतिसुख चारुनिस्वनम्
गगनवीणा तंत्रियम् मिडिद तेरनागला
हर्षचित्तम्, महर्षि कण् सुलिदनागसके
कविपुंगवम् कंडु नलिदुदु मनम् मिथुनमम्
दंपतिकौंचन्गला, नोडुतिरे, तेक्कनेये
गालिवट्टेयोलाडुतिर्दा विहंगमगललि
गन्डुकोंचे ओरलदु दोपपने नेलक्कुरुलदु
पोरलदुदु कारिदत्तर्देगे चुच्चिद सरल्
नेतरम्, जोकोवियंतेवोल, हुदुगिर्द
होदेयिन्दे कारोडल बिल्लवनुरदे चिम्मि
तुडुकिददम् मांसदोलविन्दे, कोंचेवेण
बिसुनेत्तरोल, नादु, पोलेमरल पुडियोल्
पोरलदु, बियदन कैगे सिलुकिदिनियाण्मनम्,
कन्डु चीर्दादुर्दय् चक्रगतियम् पादु
गिरिवनाचिव्येतनमे चीत्करिसुवन्ते
करगितंतेये करुल मुनिगे कण्वनियुण्मुवोल्
वेदनेय कर्मुगिल तीविवरे हृदयदोल्
मरुगिदनु ऋषि, मनके मिचला तन्न पूर्वम्,
बालगब्बदोल करुणे ताम् बेनेगुदिदोडमलते
मेरेदपुदे पोरपोण्मुता महाकाव्य शिशु ताम,
चारु वागवैखरिय छन्दश्शरीरदिमं
कुरितु मरुगिदनितु कोंचेगुलि बियदंगे
"माण" निषादने, माण ! कोले साल्गुमय्यो माण ।
नलियुतिरे बान् बनद तोरे मलेय भुवनकवनम
सुखद संगीत के विषादमम् श्रुतियोडिद
केडिसुवय ? नानुमोर कालदोल निन्नबोले
कोलेय कलेयल्लि कोविदनागि मलेतिर्देनय
नारद महाऋषिय दये कणा करुणेयम्
कलितेन, येंदात्मकथेयात्म तत्ववनोरेदु
कब्बिलगे बगे करगुवन्ते बोधंगेयदु
कृपेदोरुतांतगहिसा रुचियनित्तु
कोंचेवक्किय मेय्यिना बाणमम् बिडिसि

कविक्रतुदर्शनम्

श्रीराम कथा सुनी ऋषिवर नारद की वीणा से
आनन्दाश्रु बहते रहे नयन कमलो से
आत्मानन्द लीन चल पड़े ऐसी अवस्था में
सहृदय मुनिवर बाल्मीकि तमसा के तट पर,
तेजस्वी, युवक, तपोवल्कल वस्त्रशोभी
बालसूर्य के सुनहरे किरण–शोभित कान्तार में
बसन्त ऋतु सूचक पक्षी कूजन सुनते-सुनते
मन्दानिल–कम्पित–लहरि–सरिता के
स्फटिक-धवल-पुलकित दर्पण से
पानी में हुई इच्छा स्नान की ।
सीढ़ी उतर चले बालू पर मुनिवर
पैर रखा पानी में, सुना उतने में ही
पक्षियों का निनाद श्रृंगार-सुख–विनोद
लगी गगनवीणा की स्वर जहरी सी
हर्षचरित मुनिवर ने ऊपर आंखें उठायीं
देखा क्रोचमिथुन, भरा मन संतोष से,
तुरन्त आवाज उठी, उड़ते क्रौंचमिथुन में,
पति गिरा भूमि पर मर्माहत बाण से,
लगा पिचकारी से रक्त निकला वेग से
था काला शिकारी पेड़ के पीछे
कूद पड़ा बाहर पक्षी-मांस के लोभ से
क्रौंचमिथुन में पत्नी दुखतप्त चिल्लाती
रुधिरसिक्त होकर बालू में गिरी
व्याध के हाथ में प्रियतम को देखते ही
लगा गिरि-गहर चैतन्य सब कांप उठे
मन पिघला मुनि का, निकले आंसू आंखों में
जुटे थे वेदना के काले बादल हृदय में
दुःखतप्त बना मुनिवर, याद आयी पुराकृत की ।
जीवन काव्य में करुणा जब प्रसव पाली
तभी तो जनमेगा न महाकाव्य का शिशु
सुन्दरतम छन्दः शरीर युक्त बाणी में
घातक व्याधि के प्रति प्रकट किया दुःख
कहा मुनिवर ने, "नहीं" निषाद मत मारो,
गिरिधरा-कानन-नदियों के निस्वन रूपी
संगीत में क्यों मिलाते हो विषाद-श्रुति
मैं भी था किसी समय तुम्हारी ही भांति
हनन-कला में कोविद था, गर्व भी था
मुनिवर नारद की कृपा है बड़ी
समझ लिया करुणा क्या चीज है"
अपनी कथा सुनाई अपना तत्व भी ।
हृदय-द्रावक उपदेश दिया व्याध को
अहिंसा की गरिमा बतायी, कृपा से
क्रौंचपक्षी की देह बाण विमुक्त की
प्राण संचार हुआ पक्षी में संजीवनी से
युगल की पत्नी शान्त बनी मुनि-कृपा से,

प्राणमम् बरिसि संजीवन जीवनदिन्दे
तविसि पेण्वक्कियोडलेरियना वाल्मीकि
तमसेयिम तनेलेवनेगे मरलदु, ध्यानदोल
मुलेगिरल मिचितय काव्य दिव्य प्रज्ञे
नवनवोन्मेष शलिनि, नित्यता प्रतिभे
होम्मिता दर्शनम् बगेगण्णे चिम्मिदती
वर्णनम नालगेगे पिडिवोलत्तादुदके
कन्नडियनप्पुदके मुनेडियनुलिवन्तेयुम
कंड रामायण व नेल्लमम् कंडते
हाडिदनों, केलद लोकगंलेल्लम् तणिववोल्
तन्न लीला लोक लोकगलम सुजिसल्
अनादिकवि, परम पुरुषोत्तममसर्वेश्वरम
बेरेबेरेय विश्व कविगलम ब्रहार्कलम
निर्मिपोल नरमी चतुमुख जगतकर्तुताम
तन्न लीलेय काव्य सतेय बृहतकृतिगलम
सृष्टि से बसुन्धरेयोलन्तेये कवीन्द्रर्कलम्
पुट्टिपन् ब्रहा कृतियोल् सच्चिदानंदमम
व्यक्तगोलिपंतुटा अव्यक्त परम तत्वम
वरकविय काव्य सत्तेयोलात्मरससत्यमम्
प्रकटिसुविनी ब्रहानन्य विधर्दिन्देम्म
मर्त्य पृथ्वी तत्व प्रकटनासासाध्यमम्
अनिवर्चन बोध्मम् प्रतिमा विधानादिम्
रसश्रुषि प्रतिमान मात्रसंवेद्यमम् ।

लौटे मुनिवर पर्णकुटी, ध्यानस्थ बने,
झलक मिली काव्य की, दिव्य प्रतिभा की
नवनवोन्मेष-शालिनी है नित्यता प्रतिभा ।
हुआ अन्तरंग में दर्शन उसका
मिली वर्णनशक्ति जिव्हाग्र को
आगत का दर्पण, अनागत का प्रस्ताव
दर्पण में प्रतिबिम्ब जैसी मिली दिक सूची
जो देखी रामायण की कथा पूरी, गायी
गान-सुधा पीकर लोक सब सन्तुष्ट हुए ?
अपनी लीला से लोक लोक का सृजन करने
अनादि कवि परम पुरुषोत्तम सर्वेश्वर
जैसा विश्व-कवि ब्रह्मों को अलग सृजेगा
वैसा चतुर्मुख जगत्कर्त्ता भी हमारा
अपनी लीला की बृहत्काव्य रचना करने
निर्माण करता कविगण भूतल में ।
ब्रह्मा-कृति में सच्चिदानन्द जैसा मिलता
वैसा अव्यक्त परमतत्व मिलता
वर-कवि रचना में, आत्मरस सत्य मिलता
प्रकट कराता ब्रह्म और ढंग से
इस मर्त्य पृथ्वी-तत्व में उसी को
जो सत्य प्रकट नहीं होता, है अबोध्य भी
है साध्य किन्तु रस-ऋषि की प्रतिभा में ।

डॉ० उमा शंकर जोशी का जन्म 21 जुलाई, 1911 को उत्तर गुजरात के ब्रामणा नामक जिले में हुआ था । अर्थशास्त्र और इतिहास विषय लेकर उन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और एम० ए० किया गुजराती तथा संस्कृत में । गुजराती के श्रेष्ठ कवियों में इनका शीर्ष स्थान माना जाता है । आलोचना, निबन्ध, एकांकी तथा कहानी-संग्रह भी इनके नाम के साथ सार्थकरूप से जुड़े हुए हैं। 'निशीथ' शीर्षक कविता संग्रह पर 1967 में भारतीय ज्ञानपीठ का सह-पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था । भावानुभूति, कल्पना की सत्यता और चिन्तन की समृद्धि इनकी कविताओं में परिलक्षित होती है । समकालीन विचार-धारा की संवेदन-शीलता भी यत्र-तत्र दिखाई पड़ती है। यहां 'विराट प्रणय' 'शुंशुं साथे लई जाईश हुं' तथा 'अग्नि की तीन अंगुलियां' तीन कविताओं के मूल गुजराती अंश तथा उनके हिन्दी रूपान्तर दिए जा रहे हैं ।

आदर्श और यथार्थ के बीच एक अद्भुत सामंजस्य उमाशंकर जोशी की कविताओं में उझक कर दिखाई पड़ता है । मानवीय वेदना के उस उदात्त शिखर पर गुजरात की माटी का यह सपूत अनायास जा बैठता है जहां से हम उसे सर्वभारतीय चेतना के अग्रदूत के रूप में स्पष्ट देख सकते हैं। देवनागरी लिपि में इन तीनों कविताओं को (गुजराती मूल, में पढ़कर गुर्जर-धरा का रूपी-रस-माधुर्य आप पा सकेंगे । प्रस्तुत हैं तीनों कवितायें ।

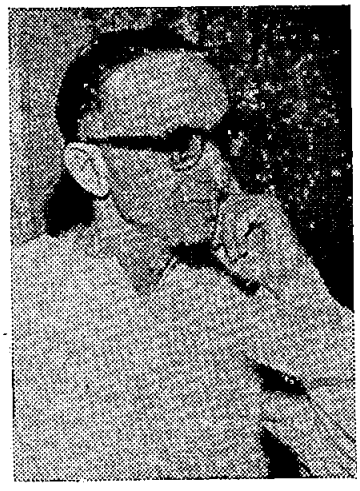

डॉ० उमाशंकर जोशी

विराट प्रणय

पच्चीशी हजु तो प्हेली पूरी मांड करी न त्यां
प्रीत आ वसमी क्यां थी मने लागी अभागीने
जगना प्रणयोनी ना शीख्यो बाराखाड़ी पूरी

विराट प्रणय

अभी तो पहली पच्चीसी भी पूरी की-न की
प्रीत यह कैसी जगी अभागे मुझसे ?
जगत के प्रेम का पूरा ककहरा भी नहीं अभी सीखा

त्यां तारे प्रेमपाशे रे पडयो यां जगसुन्दरी

मानवीमानवी आंखे मननुं शोध्युं मानवी

शोधतां कयायंथी ते आ मवी को प्रेयसी मली

रम्य ने भव्य ए प्रेम प्रेमी किंतु अजाण हुं

हवे एके रडुं छुं ने हसुं छुं बीजी आंखथी

निहाली रहुं बेयथी

निहाली रहुं बेयथी अजब मूर्ति तारी सखी
विशाल पृथिवीपटे तृणपटे मीठे गालीचे
शिलाथी शिर टेकवी सिंहण वन्य उन्मत शी
उघाड़ी वली मींचती हरणनेणनुं मार्दव
उरे उझरडा पडया रूझवती निसासे अने
शमावी रही डूसके धड़क छातानी कारमी
छातीनी कारमी आवी व्यथा शे शमवी शकुं
अनोखो प्रेम ने आवो जतोये शे करी शुंक
तने तुरन्त त्यां निहाली मदमस्त झूझंती, हो
अनेक उरगो चतुष्पद कुलोनी हिंसा सह
डिलेथी मृदु ल्हेरती अनिलनी उडे लोबंडी
हता ज नखदंत रक्तटपकंत तीणा तीखा
हती तडित नेत्रमां, धड़क मांही झंझानिलो
प्रचंड पदतालतांडवप्रपात उल्का झरे
सखी, सुरमणीय मूर्ति तब ते कराली हती
मने मुरत देती ए चिरलसंत नेत्रोत्सव
सखी निखिलनग्न, मग्न निज अंगलावण्यना
निरीक्षण महीं रसांकित वल्लांक अंगांगना
अकुंठित हतां तब भ्रमण शैशवक्रीडनो
तजी अनुभवी रही तरवराट कौमारनो
अने रुधिरयौवने द्रुतपदे प्रवेशी मदे
सुयौवन दीपावती सखी बनीठनी कोक दी ।
विराजती रसे भरी अचलशृंग सिहासने
झुकावती कटाझपात स्मितवल्लीनी बंकिमा
बड़े अदम्य पौरुष; प्रणयथी भरी छातडी
झकी तब सखी अने प्रणयिनी बनी तुं खरी
गुहाकुहर ने पलाशवटआदिना मंडपो
रचेल नवपल्लवे वनलतालचंता तहीं
मची रमणकेलि मस्त सुरतीनी लीला तव
हता करतलो सुरक्त कमलो समा ने मुखे
संरती सुरखी तणी अजब ल्हेरखीओ सखि
रगेरग धसे दडे रुधिराना महाधोधवा

कि तेरे प्रेमपाश में
बंध गया कैसे विश्व-सुन्दरी ?
मनुष्य-मनुष्य की आंखों में खोजा मन का मनुष्य
खोजते खोजते कहां से मिल गई
एक नई प्रेयसी ।
रम्य और भव्य यह प्रेम किन्तु मैं अनजान प्रेमी
अब रोता हूं एक आंख से, हंसता दूसरी से,
देखता हूं दोनों से
देखता हूं दोनों से तेरी अद्भुत मूर्ति सखी
विशाल पृथ्वीपट पर
तृण के मृदु गलीचे पर
शिला पर सिर धर कर, वन्य उन्मत सिहनी सी
खोलती है, फिर मूंदती है हरिणनेत्रों का मार्दव,
हृदय में लगी खरोंचों को पूरती है निश्वासों से
और शान्त करती है सिसकियों से
छाती की तीव्र धड़कनों को
जिगर की इस भारी व्यथा को
भला शान्त कैसे करूँ ?
और इस अनोखे प्रेम को जाने भी कैसे दूं ?
तुझे देखा वहां तुरन्त मदमस्त, जूझती हुई
अनेक उरगों और चतुष्पद कुलों की हिंसा के साथ ।
देह पर उड़ रहा मृदु अनिल का आंचल ।
नखदंत थे, रक्त स्रवित पैने-तीखे,
तड़ित थी नेत्रों में, धड़कन में थे झंझानिल,
प्रचंड-पद-ताल-तांडव प्रपात से झरती उल्का
सखी है, तुम्हारी वह सुरम्य मूर्ति थी कराल ।
वह मूर्ति देती मुझे चिर नेत्रोत्सव
निखिल नग्न अपने अंग-लावण्य के निरीक्षणों में मग्न
अंगांग की रसांकित बंकिमा ।
अंकुठित था तव संचरण ।
तज कर शैशवक्रीडा अनुभव किया चापल्य कौमार का,
और फिर प्रवेश किया द्रुत पदों से रम्य यौवन में ।
शोभित करती अपने यौवन को
बनठन कर कभी बिराजती थी सगर्व
अचल शृंग के सिंहासन पर
कटाक्षपातु, स्मितवल्ली की वंकिमा से विजित करती
अदम्य पौरुष को,
प्रणयसे भरी छाती तुम्हारी झुकी हुई
और, बनी तू सचमुच में प्रणयिनी
नवपल्लव और वनलता से रचित
गुहा-कुहर और पलाश-वट आदि के मंडप में
की रमण–केलि
रची मस्त लीलाएं, सुरत क्रीडाएं ।
थे करतल सुरक्त कमलों के समान
और मुख पर थी अनुपम रेखाएं लालिमा की
प्रत्येक नस में धंसता–गिरता
रुधिर का महाप्रपात

चित्र समाचार

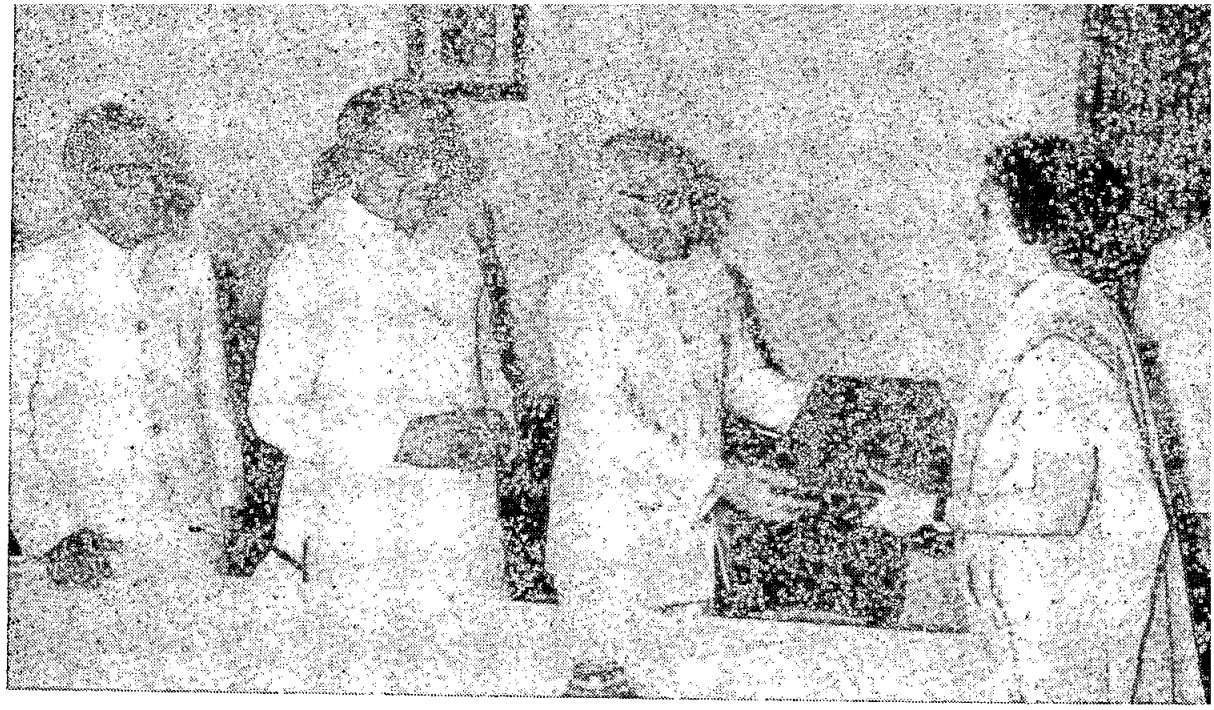

विधि मंत्री श्री जगन्नाथ कौशल 'भारत का संविधान' की हिन्दी प्रति प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को अर्पित करते हुए।

राजस्थान के शिक्षा एवं भाषा मंत्री श्री चन्दनमल बैद को 'भाषा परिचय' की प्रति समर्पित करते हुए भाषा निदेशक (राजस्थान) श्री कलानाथ शास्त्री।

हिन्दी अकादमी, दिल्ली के उद्घाटन समारोह का दृश्य। माइक पर हैं अकादमी के सचिव डा० नारायणदत्त पालीवाल।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा आयोजित 'विधि गोष्ठी' का उद्घाटन करते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री रामवृक्ष मिश्र।
मंच पर (बाएं से दाएं) श्री श्यामकृष्ण पांडेय, डा० प्रेमनारायण शुक्ल, श्री जगदीश स्वरूप, न्यायमूर्ति श्री प्रेमशंकर गुप्त तथा श्री श्यामनाथ कक्कड़।

विधि गोष्ठी के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में (दाएं से बाएं)—श्री कलानाथ शास्त्री, न्यायमूर्ति श्री महावीर सिंह, न्यायमूर्ति श्री प्रेमशंकर गुप्त, श्री नाथूलाल जैन, डा० मोती बाबू, डा० एम० जे० सिंह आदि।

महालेखाकार, आन्ध्र प्रदेश के कार्यालय में संसदीय राजभाषा समिति की उप-समिति की बैठक। (बाएं से दाएं)—श्री जगन्नाथ राव जोशी, श्री ओमप्रकाश मेहता

विधि पुस्तक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर बोलते हुए लोक सभा अध्यक्ष डा० बलराम जाखड़। साथ में बैठे हैं विधि सचिव श्री आर० वी० एस० पेरिशास्त्री तथा तत्कालीन विधि राज्य मंत्री श्री ए० ए० रहीम।

'बम्बई नगर हिन्दी सप्ताह' समारोह का उद्घाटन करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री आई० एच० लतीफ। साथ में खड़े हैं (बाएं से दाएं) बम्बई के महापौर डॉ० प्रभाकर, श्री हरिशंकर (संयोजक) तथा प्रो० अनन्त राम त्रिपाठी।

कैनरा बैंक, आगरा में आयोजित हिन्दी कार्यशाला में अधिकारियों का स्वागत करते हुए मंडल कार्यालय, आगरा के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री जी० के० कामत तथा राजभाषा अधिकारी श्री रमेशचन्द्र।

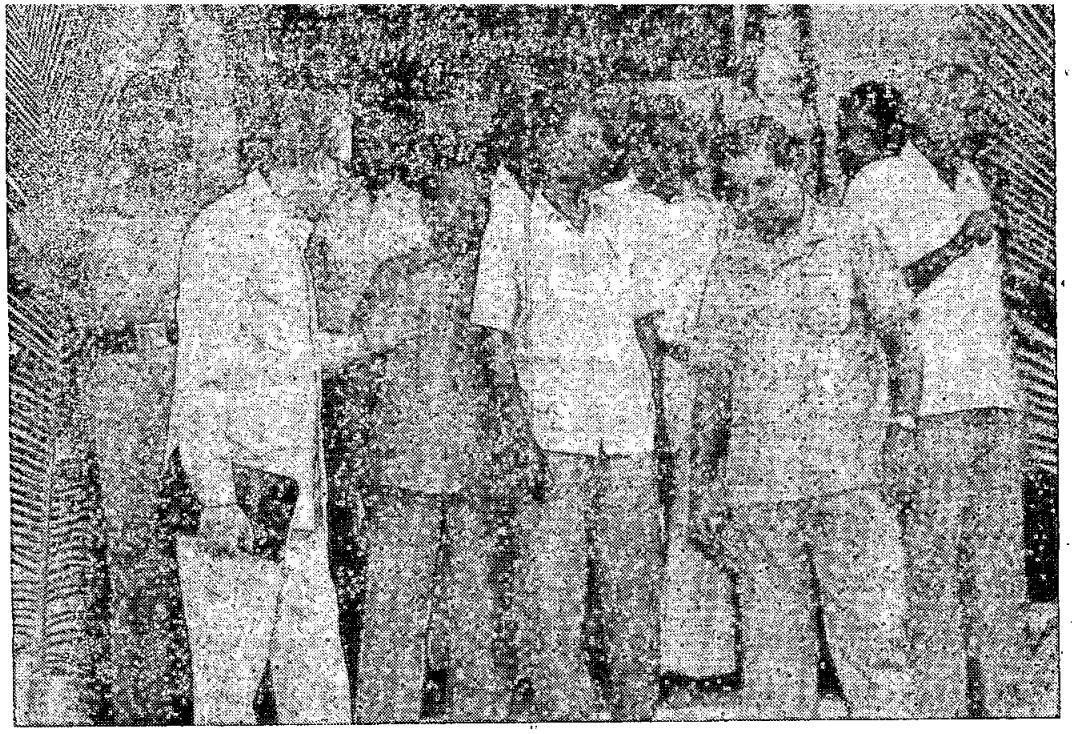

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भावनगर में राजभाषा प्रदर्शनी के अवसर पर भूतपूर्व राजभाषा सचिव श्री जयनारायण तिवारी, उपसचिव श्री वी० सिन्हा, राजभाषा विभाग तथा अन्य अधिकारीगण ।

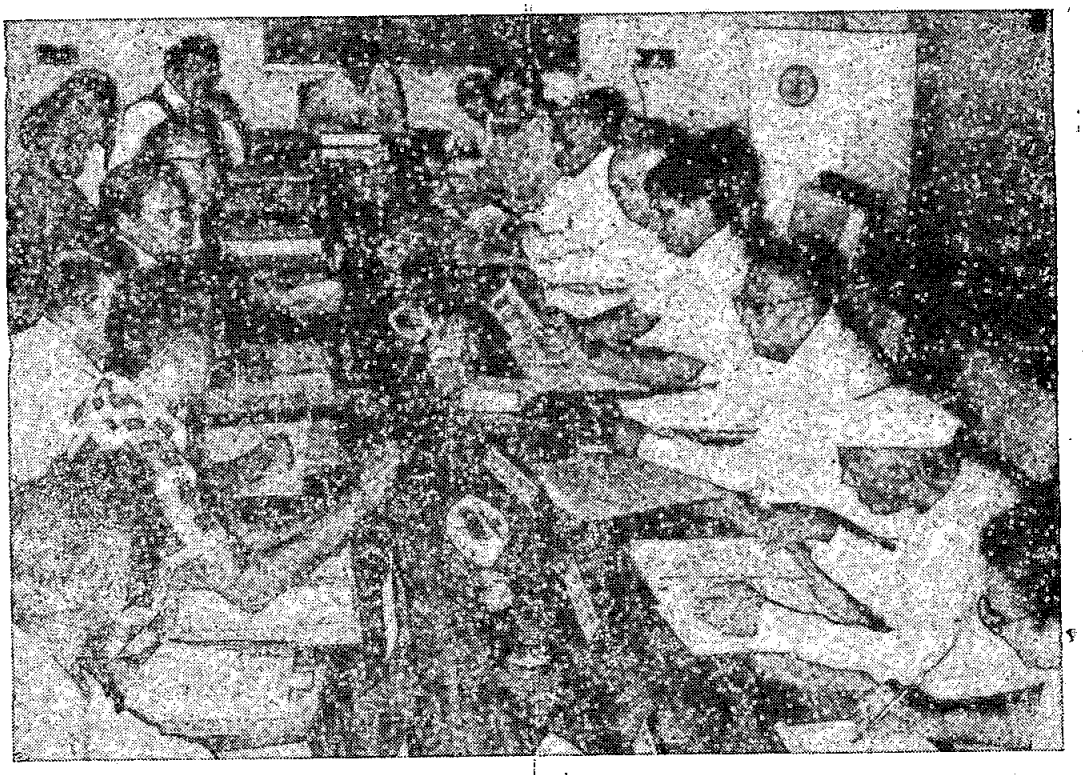

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ का निरीक्षण ।

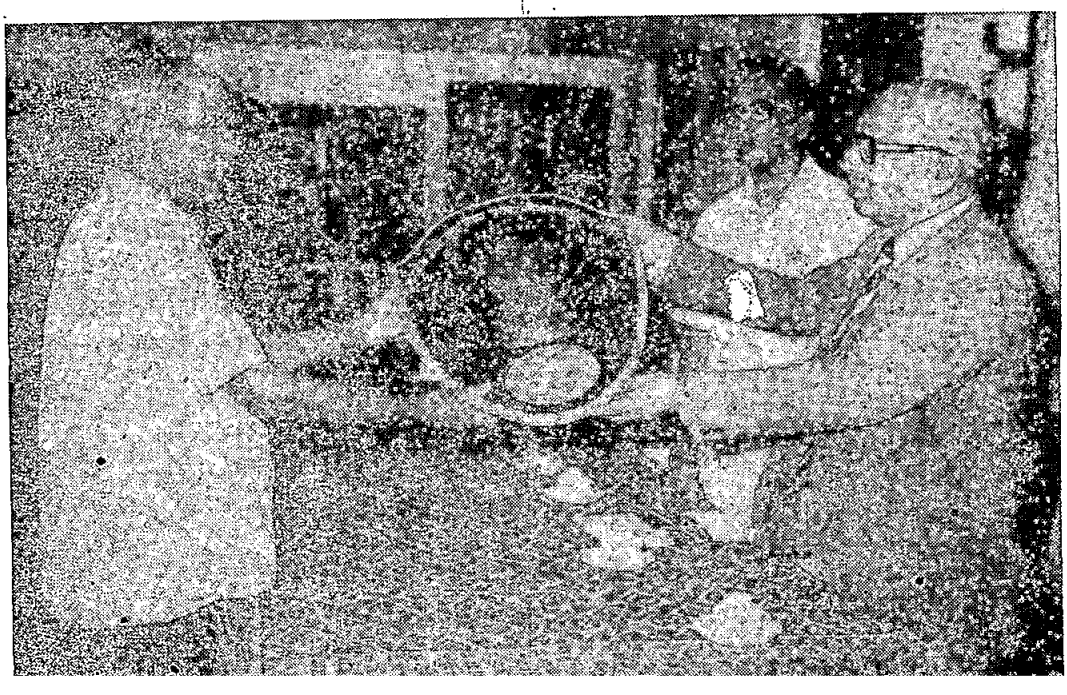

भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा 'राजभाषा शील्ड' का वितरण

द्रुतश्वसनथी स्तनो थडकी ऊपडे कारमा
शमावती सुगौर स्पर्शती स्तनांत हस्तांगुलि
ऊठे हृदयामां हुलास नवसर्जनोना मीठा
नए अरधमूर्छिता मूरत ताहरी छानी, जे
युगोयुग तपो तपी मली ज रत्नगर्भे तने
अरे लघुक उमरे प्रणयपाशमा ताहरा
पडयो, न चसकी शकुं चसकवा न चाहुंय ते
चहुं ज बस एक नित्य उर तारूं आस्वादवा
क्षमा। यदि हुं चाहुं को इतर वस्तु तुं काज-रे
निरन्तर रटी रहुं शिवभविष्य तारूं प्रिये
हुं तो क्षण क्षणार्ध आंही टकीनी मटी जैश, ने
कदीय मलशे मने खबर तारी केमेय ना
तुं तो युगयुगान्तरो अमरयौवना जीवशे
स्मरीश पण ना, हतो प्रणयी एकदा एक को
प्रणयी एकदा केवो एक कोई हतो तव
संभारीश न, संभार्ये कोईनुंय भलुं कशुं ?
छतां चरम वांछना तब पदे करो हे सखी
कृपा हृदयप्राण तुंमय मदीय घेलां सदा
मीठो प्रणयनो अरे न प्रतिशब्द मागे जरी
मने न पारवा धरे हृदयमांही वा उपरे
तुं आ हृदयने भले न कदीये, न के रागनी
परागभर शेणिमाथी तरबोल आत्मा करे
तने उचित भव्यरीत मर हुं न चाही शकुं
परन्तु प्रिय प्रार्थु के नित रहो तुं च्हावा जशी
रहो तुं चाहवा जेवी हुंथी के अन्य कोईथी
एटली उद्‌भवी तुंने च्हातांच्हातां ज झंखना
अने च्हानारनी को दी कमीना न हजो तने,
अविश्रांत तने चाही मागुं आज हुं एटलुं
हजो वीरो रसात्माओ हैयुं हेले चडावता,
तारा कारी व्रणमुखे सींचनार सुधा तणा
हजो आयुष्मती । व्हेली स्व-स्थ तुं स्मितमंडना,
हसजे जरी झाझुं के, प्रेयसी हे चिरंतना
सेवी ती को स्थलेकाले में ए दुर्दम्य झंखना

द्रुत श्वसन से उठते स्तन धड़क कर वेग से,
शांत करती सुगौर करांगुलि से स्पर्श कर स्तनांत।
उठते हैं हृदय में नवसर्जन के मधुर उल्लास।
नहीं है गुप्त तेरी वह अर्धमूर्छिता मूर्ति
जो युगों तक तप-तप कर
मिली है तुझे, हे रत्नगर्भे
अरे, छोटी ही उम्र में
बद्ध हुआ हूं तेरे प्रणयपाश में,
झटक नहीं सकता झटकना चाहने पर भी ।
चाहता हूं नित्य बस एक तेरे हृदय का आस्वाद
–क्षमा !
यदि मैं कामना करता हूं अन्य वस्तु की तेरे लिए
मैं निरन्तर रटन करता हूं––
प्रिये, तेरे मंगल भविष्य की ।
मैं तो क्षण क्षणार्ध
यहां जी कर मिट जाउंगा
और कभी भी मुझे नहीं मिलेगी तेरी खबर कैसे भी।
तू युगयुगान्तर तक जीएगी अमरयौवना,
याद भी नहीं करेगी :
था कभी एक कोई तेरा प्रेमी
कैसा था कभी एक कोई तेरा प्रेमी।
याद मत करना
याद करने से किसी का क्या भला होता है ?
फिर भी चरम अभिलाषा है तेरे चरण में,
हे सखी, कृपा कर।
तुझमें, मत्त मेरे ये पागल हृदय-प्राण
प्रणय के मधुर प्रतिशब्द की याचना नहीं करते ।
मुझे परवाह नहीं इसकी कि तू मेरे इस हृदय को
अपने हृदय में या ऊपर से धारण करेगी या नहीं,
अथवा मेरी आत्मा को राग की परागमय रक्तिमा से
तरबतर करेगी या नहीं ।
तुझे उचित भव्य रीति से
मर्त्य में चाह नहीं सकता,
फिर भी हे प्रिये, प्रार्थना करता हूं
बनी रहे तू चाहने योग्य सदा ।
बनी रहे तू चाहने योग्य मुझसे या अन्य किसी से।
तुझे चाहते-चाहते
पैदा हुई है ऐसी तीव्र कामना ।
और, न कभी कमी हो तुझे चाहने वालों की,
निरन्तर तुझे चाह कर इतनी याचना करता मैं आज ।
हो यहां वीर रसात्मा
हृदय को अत्याधिक उल्लसित करने वाले,
तेरे भारी घाव में सुधा का सिंचन करने वाले ।
आयुष्मती होना तू !
और होना जल्दी स्व-स्थ स्मितमंडना
हंसना थोड़ा ज्यादा
कि; हे चिरंतना प्रेयसी !
मैंने इस दुर्दम्य अभिलाषा को
किसी एक देश-काल में सेया था !

शुं शुं साथे लई जईश हुं ?

शुं शुं साथे जईश हुं ? कहुं ?
लई जईश हुं साथे
खुल्ला खाली हाथे
पृथ्वी परनी रिद्धि हृदयभर
वसंतनी म्हेकी उठेली उज्जवल मुखशोभा जे नवतर
मेघल सांजे वृक्षडालियों महीं झिलायो तडको
विमल उमटयो जीवनभर को अढ़लक हृदय उमलको
मानवजाति तणा पगमां तरवरती क्रांति
अने मस्तके हिमाद्रिश्वेत झबकती शान्ति
पशुनी धीरज, विहंगनां कलनृत्य, शिलानुं मौन चिरंतन
विरह धडकतुं मिलन, सदा मिलने रत संतन
तणी शान्त शीली स्मितशोभा
अंधकारना हृदयनिझोड समी मृदु कंपित सौम्य तारकित आभा
प्रिय हृदयोनो चाह
अने पडघो पडतो जे "आह" !
मित्रगोठडी मस्त, अजाण्या मानबंधु
तणुं कदी एकाद लूछेलुं अश्रुबिन्दु
निद्रानी ल्हेरखड़ी नानी-कहो, एक नानकडो
स्वप्न-दाबडो
(स्वप्न थजो ना सफल बधां अहींयां ज)
अहो ए वसुधानो रसरिद्धिभर्यो बस स्वप्न साज !—
वधु लोभ मने ना
बालकना कई अनंत आश चमकता नेनां
लई जईश हुं साथे खुल्ला बे खाली हाथे
खुल्ला बे "खाली" हाथे ?

त्रण अग्निनी अंगुली

(गांधी जीनी हत्या प्रसंगे)
त्रण अग्निनी अंगुली वडे
प्रभु चूंटी लीधुं प्राणपुरुष तें
वर एवी विभूति स्पर्शवा
न घटे अग्निथी ओछुं शुद्ध कैं

क्या क्या साथ ले जाऊंगा मैं ?

क्या-क्या साथ ले जाऊंगा मैं कहूं ?
ले जाऊंगा मैं साथ, खुले खाली हाथों में
पृथ्वी पर की ऋद्धि हृदयभर
बसन्त की मंहकी गमकी उज्जवल मुखशोभा नवतर
वृक्षडालियों में भरी मेघल शाम की धूप
उमड़ा जीवन भर कोई राशि-राशि विमल हृदय-हुलास
मानवजाति के पैर में झलकती क्रांति
और मस्तक पर हिमाद्रिश्वेत झिलमिलाती शान्ति
पशु का धैर्य, विहंग के कलनृत्य
शिला का मौन चिन्तन, विरह धड़कता मिलन
सदा-मिलन-रत संतलन की शान्ति शीतल स्मितशोभा
अंधकार के हृदयनिचोड़-सी मृदु कंपित
सौम्य तारकित आभा, प्रिय हृदयों की चाह
और प्रतिध्वनित जो "आह"
मित्रगोष्ठी मस्त, अनजान मानवबंधु का
क्वचित् एकाध पोंछा हुआ अश्रुबिन्दु
निद्रा की नन्हीं सी लहरी
कहिए कि एक छोटी सी स्वप्न-डिबिया
(न हों मेरे सभी स्वप्न सफल यहीं)
—अहो वह, वसुधा का रसऋद्धिभरा बस स्वप्न साज
अधिक लोभ नहीं मुझको
बालक के कई अनन्त आशा दीप्त नयन
ले जाऊंगा साथ
खुले दो खाली हाथों में ।
खुले दो "खाली" हाथों में

अग्नि की तीन अंगुलियां

(गांधी जी की हत्या के प्रसंग पर)
तीन अग्नि की अंगुलियों से
हे प्रभु चुन लिया तूने
प्राणों का यह पुष्प
ऐसी वर विभूति को छूने के लिए
चल सकता नहीं कुछ
अग्नि से कम शुद्ध । □□□

हिन्दी और तमिल के समान तत्व

--ह० बालसुब्रह्मण्यम
सहायक शिक्षा अधिकारी,
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली

आधुनिक भाषा–विज्ञान के प्रवर्तकों ने अपने शोध-परिशोध एवं अन्वेषण-गवेषण के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की आर्यभाषाओं का ईरानी, यूनानी, जर्मन, और लातीनी भाषाओं से तो संबंध है, परन्तु विंध्यांचल के दक्षिण में प्रचलित भाषाओं से आर्यभाषाओं का कोई संबंध नहीं है । पाश्चात्य पंडितों द्वारा निर्मित वह 'रंगीन चश्मा' आज तक अपना करिश्मा दिखा रहा है जिसे धारण करके हम भी मानने लग गए कि दक्षिण की भाषाएं द्रविड परिवार की हैं और उत्तर की भाषाएं आर्यभाषाएं हैं । पादरी कॉल्ड-वेल की पुस्तक, 'द्रविड भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन' ने दाक्षिणात्यों के मन में इस धारणा को दृढ़ मूल कर दिया कि हमारी भाषाओं का उत्तर भारत की भाषाओं से कोई मेल नहीं हो सकता । तत्कालीन शासकों के लिये भी यही अभीष्ट था कि भाषावर्ग के नाम पर दोनों जातियां अलग ही रहें तथा भाषा एवं सांस्कृतिक समानता इनकी दृष्टि में कभी न पड़े । इसके विपरीत इस शताब्दी में फ्रेंच विद्वान एम० बी० एमनों ने एक सत्य का उद्घाटन कर दिया कि एक ही भूखंड की भाषाएं होने के कारण उत्तर और दक्षिण भारतीय भाषाओं की वाक्य-रचना में, प्रकृति एवं प्रत्यय में, शब्द और धातु में, कथन-शैली में, भाव-धारा में एवं चिन्तन–प्रणाली में यत्र-तत्र सर्वत्र समानता मिल सकती है ।

उत्तर और दक्षिण के बीच समन्वय कब से शुरू हुआ, इसका अनुमान लगाना इतिहासकार के वश की बात नहीं है । पुराणों और प्राचीन इतिहास-ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि महर्षि अगस्त्य ने विंध्य को पार किया और दक्षिण में ताम्रपर्णी नदी (तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु) के तट पर बस गए । महर्षि अगस्त्य ने जहां अपना आश्रम स्थापित किया, वह स्थान 'पापनाशम्' और 'कल्याण तीर्थम्' के नाम से आज भी स्थित है । तमिल के सर्वप्रथम प्राप्य व्याकरण "तोल् काप्पियम्" में "अगत्तियम्" के नाम से अगस्त्य–कृत आदि व्याकरण का उल्लेख है जो आज अनुपलब्ध है । अगस्त्य–कृत व्याकरण तो नहीं मिलता, परन्तु ज्योतिष, तंत्रशास्त्र और वैद्यक के कुछ ग्रंथ तमिल में अगस्त्य की परम्परा के मिलते हैं, जिनकी विषय-वस्तु संस्कृत से भिन्न नहीं है । परवर्ती तमिल–सिद्धों की 'बानी' उत्तरापथ के संतो की वाणी से मिलती-जुलती है । वही रामायण वही भागवत और वही देवी देवता, कहीं कोई भेद नहीं । बाह्य आवरण में भिन्नता हो सकती है, अंतस् या आत्मा तो एक है । भाव की भूमि में जो समानता दृष्टिगत होती है, यदि आस्था और निष्ठा के साथ उसे खोजा जाय तो भाषा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ समानता मिल जाएगी ।

आज खड़ी बोली हिन्दी आर्यभाषा परिवार की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है और तमिल द्रविड़ परिवार की प्राचीन भाषा है । दिल्ली-मेरठ का कौरवी क्षेत्र कहां और सहस्रों मील दक्षिण की तमिल भूमि कहां, परन्तु संस्कृत से भिन्न कोई प्राकृतमूल इन दोनों भाषाओं में अंतर्धारा के रूप में दृश्यमान है । इसका रहस्य, संभवत : मोहन-जोदड़ों और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त लेख बता सकते हैं या भारत में वेदकाल से पूर्व की वह संस्कृति बता सकती है जिसकी कड़ियां लुप्तप्राय हो चुकीं हैं । भाषा की प्रकृति के स्तर पर हिन्दी और तमिल के क्रिया-पदों में–क्रियापद की रचना में–जो अद्भुत समानता मिलती है, वह खड़ी बोली और अवधी में नहीं मिलती या तमिल और मलयालम में नहीं मिलती ।

क्रियापद रचना में समानता है, इसका तात्पर्य यह है कि दोनों भाषाओं की आत्मा एवं आन्तरिक प्रकृति अभिन्न है । क्योंकि क्रिया जो है, वाक्य का 'नाभिकीय तत्व' है । दोनों भाषाओं की क्रिया-पद-रचना में समानता दोनों के समान नाभिकीय तत्व की ओर इंगित करती है । उदाहरण सहित इस तथ्य का परीक्षण करने से पूर्व शब्द-स्तर पर एकाध रोचक बातों का उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा ।

उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, जन साधारण की जिह्वा में जब संस्कृत-शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता तो "क्ष" का "ख"/छ, "ज्ञ" का "ग्य"/"ग्न" हो जाता है ।

संस्कृत	भाषा/बोली
नक्षत्र	नखत, नच्छत्तर
लक्ष्मण	लखन
अक्षर	अच्छर
विज्ञान	विग्यान
(ज्+ञ)	(ग्+य)

तमिल में भी इनका हिन्दी की बोलियों जैसा ही उच्चारण होता है, साथ ही शब्द के अन्त में पुंलिग प्रत्यय "अन्" या नपुसंक प्रत्यय "अम्" लगता है और रकार-लकार से पूर्व "इ" का आगम होता है । उपर्युक्त शब्दों के तमिल रूप यों होंगे : नटचत्तिरम्, इलक्कुवन्, अट्चरम् विञ्ञानम् । तमिलनाडू के ग्रामीण क्षेत्र में "अज्ञान" को "अक्यानम्" कहते हैं, इसमें भी हिन्दी क्षेत्र का "ग्य" ध्वनित होता है ।

तुलसीदास ने लक्ष्मण को "लखन" कहा तो तमिल के महाकवि कम्बन ने अपनी रामायण में उसे "इलक्कुवन्" कहा । राक्षस या "रक्ष" तमिल में "अरक्कन्"होता है, इसमें "अन्" पुंलिग प्रत्यय है और रकार से पूर्व "अ" का आगम है। इसी प्रकार "साहित्य" और "व्याकरण" के अर्थ में तमिल में प्रचलित शब्द "इलक्कियम्" "इलक्कणम्" में से 'अम्' नपुसंक प्रत्यय और आगम "इ" को निकाल देने पर "लक्क" और "लक्कण" बचता है जो वास्तव में "लक्ष्य" और "लक्षण" हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास पर कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, प्रारम्भिक पृष्ठों में इस आशय का कोई वाक्य मिलेगा—पहले लक्ष्य-ग्रंथ बने, फिर लक्षण-ग्रंथों का प्रादुर्भाव हुआ, स्पष्ट है कि "लक्ष्य" साहित्य है और "लक्षण" व्याकरण या काव्यशास्त्र है । फिर तमिल का "काप्पियम्" संस्कृत का "काव्यम्" नहीं तो और क्या है ?

कहते हैं, हिन्दी को संस्कृत का सार-सर्वस्व विरासत के रूप में मिला है । उधर तमिल भाषियों का दावा है कि तमिल का संस्कृत या किसी भी आर्यभाषा से नाता-रिश्ता नहीं है । परन्तु वास्तविकता क्या है ? दैनंदिन वार्तालाप के चार पांच वाक्य चुगली कर देंगे कि दोनों भाषाओं में कौन संस्कृत से ओत-प्रोत है

1. अय्या वाङ्ग, सौक्कियमा ?
2. उङ्ग पुण्णियत्तिले सौक्कियं तान्
3. एन्न समाचारम् ?
4. विशेषमाह ओन्नुं इल्ले ।
5. पयणम् सौकर्यमाह इरुन्ददा ?
6. आमाम् ।

अय्या, संबोधन है (संस्कृत: आर्य) हिन्दी में शैली भेद से "श्रीमान्" या "जनाब" कहते हैं । "सौक्कियमा" सौख्यम् (कुशल-मंगल) पुण्णियम्-पुण्य । 'विशेषमाह'—खास, पयणम्-प्रयाण, यात्रा । सौकर्यमाह-सुविधाजनक । आमाम्-आम् आम् (संस्कृत) हां (हिन्दी) । उपर्युक्त वाक्यों की हिन्दी अभिव्यक्तियां इस प्रकार होंगीं ।

1. श्रीमान जी (जनाब) आइए, कुशल से तो हैं (खैरियत) ?
2. आपकी मेहरवानी ।
3. क्या हालचाल है ?
4. खास कुछ नहीं है ।
5. यात्रा ठीक रही ?
6. हां, हां ।

दैनंदिन वार्तालाप में प्रयुक्त उपर्युक्त तमिल वाक्यों की उन्हीं परिस्थितियों में हिन्दी क्षेत्र में प्रयुक्त वाक्यों से तुलना करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि तमिल ने संस्कृत के शब्दों को तद्भव रूप में ही सही बहुत पचा लिया है । हिन्दी में तो "सौकर्य" "सौख्य" आदि शब्द साधारण व्यवहार में नहीं हैं । तमिल यहां बाजी ले गई ।

तमिल भाषियों को हिन्दी सिखाते हुए यदि उनके मन में यह विश्वास भर दिया जाए कि हिन्दी में भी वे ही तत्व हैं जो तमिल में हैं, तो उसके भाषा अधिगम की प्रक्रिया सत्वर होंगी । इसी प्रकार हिन्दी भाषी के सामने हिन्दी और तमिल की समानता के कतिपय उदाहरण रखे जाएं तो तमिल उसके लिए सहज एवं बोधगम्य लगेगी—ग्रीक या लैटिन नहीं लगेगी ।

व्यतिरेकी भाषा–विज्ञानी के अनुसार भाषा-अधिगम के सर्वमान्य सिद्धांत इस प्रकार हैं :—

1. जो तत्व दोनों भाषाओं में—अध्येता की भाषा और लक्ष्य भाषा जिसे वह सीख रहा है—समान हों, उन तत्वों को अध्येता सहज ही आत्मसात् कर लेता है, अर्थात् इन तत्वों को सीखने में कठिनाई नहीं अनुभव होती ।

2. जो तत्व आंशिक रूप से समान हों, उनको समझने में थोड़ा विलम्ब होता है । भाषा-शिक्षक को चाहिए कि ऐसे स्थानों पर दो चार उदाहरण अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत करें और अभ्यास कराएं ।

3. जो तत्व असमान हैं, उनको समझाने के लिए विशेष अध्ययन–सामग्री एवं अभ्यास-सामग्री की आवश्यकता होगी ।

हमने पहले ही कह दिया कि हिन्दी और तमिल के क्रिया-पदों की रचना में समानता है और क्रियापद वाक्य का नाभिकीय अंश है । अतएव हिन्दी से तमिल और तमिल से हिन्दी के अध्ययन में इस दृष्टिकोण को सामने रखा जाए और छात्र के समक्ष इन समानताओं को उजागर किया जाय तो भाषा-शिक्षण एवं भाषा–अध्ययन में रुचि बढ़ेगी ।

(1) **विधिरूप रचना**

(क) कर्तृतत्व नी (तमिल) तुम (हिन्दी)

तमिल	**हिन्दी**
पार (पारु)	देखो
उट्कार (उट्कारु)	बैठो
साप्पिडु	खाओ

तमिल की विधि–क्रियाओं में धातु शुद्ध रूप में प्रयुक्त होती हैं या उसके संग "उ" लगता है जबकि हिन्दी में धातु के साथ "ओ" लगता है

पारुङ्गल	देखिए
उट्कारुङ्गल	बैठिए
साप्पिडुङ्गल	खाइए

आदरार्थक विधि क्रियाओं जहां तमिल में धातु के साथ 'ङ्गल' लगता है वहां हिन्दी में 'इए' लगता है ।

(ग) विधि में संयुक्त क्रिया का प्रयोग तमिल में भी प्रचलित है ।

साप्पिट्टुक्कोल,	खा लो
वन्दु विडु	आ जाओ

2. काल-रचना

(क) वर्तमान काल, भविष्यत् काल

वर्तमान

(साप्पिडु+किर+एन्)

नान् साप्पिडु किरेन्	मैं खाता हूं/खाती हूं
नी साप्पिडु किराय्	तुम खाते हो/खाती हो
अवन् साप्पिडुकिरान्	वह खाता है
अवल् साप्पिडुकिराल्	वह खाती है ।

(तमिल में मध्य स्थिति में आने वाले "क" का उच्चारण "ग"/"ह" हो जाता है । अत : उच्चारण में ध्वनित होगा–साप्पिडुहिरेन्)

भविष्यत्काल

(पो+व+एन्)

नान् पोवेन्	मैं जाऊंगा/जाऊंगी ।
नीन् पोवाय्	तुम जाओगे/जाओगी
अवन् पोवान्	वह जाएगा
अवल् पोवाल्	वह जाएगी

द्रष्टव्य है कि हिन्दी के समान तमिल में भी पुरुष के स्तर पर क्रिया की कर्त्ता के साथ अन्विति होती है जो मलयालम में नहीं है । अंतर इतना ही है कि तमिल में उत्तम और मध्यम पुरुष में क्रिया उभयलिंगी है, केवल अन्य पुरुष में लिंग के स्तर पर अन्विति है ।

(ख) **आसन्नभूत**

आया हूं	वन्दिरुक्किरेन् (वन्दु+इरुक्किरेन्)
आये हो	वन्दिरुक्किराय् (वन्दु+इरुक्किराय्)
आया है	वन्दिरुक्किरान् (वन्दु+इरुक्किरान्)

"इरुक्किरेन्" के तीनों रूपों में हिन्दी के हूं, हो, है के तत्वों को देख सकते हैं । पूर्णभूत में इरुक्किरेन् (हूं) का भूतकालिक रूप "इरुन्देन्" प्रयुक्त होगा । जैसे–मैं आया था-नान् वन्दिरुन्देन् तुम आये थे-नी वन्दिरुन्दाय्

3. **कर्ता+को संरचनाएं**

शारीरिक और मानसिक व्यापार के द्योतन में, आवश्यकता/बाध्यता प्रकट करने में तथा ज्ञान/जानकारी की अभिव्यक्ति में दोनों भाषाओं में कर्ता संप्रदान-कारक रूप में होता है और क्रिया वाक्य की को-रहित संज्ञा से अन्वित होती है ।

(क) शारीरिक दर्द/आघात

1. राम को सिरदर्द है ।
   रामनुक्कु तलैवलि क्रिया-लुप्त वाक्य
2. लड़के को चोट लगी ।
   पैयनुक्कु कायं पट्टदु

(ख) मानसिक व्यापार

1. हमें बड़ी प्रसन्नता है ।
   एङ्गकुक्कु रोम्ब सन्तोषम क्रिया–लुप्त वाक्य
2. रामलाल को गुस्सा आया ।
   रामलालुक्कु कोपं वन्ददु

(ग) इच्छा/आवश्यकता बोधक :

1. मुझे लड्डू चाहिए ।
   एनक्कु लड्डु वेण्डुम्
2. सरला को साड़ी पसन्द आई ।
   सरलाकुक्कु सारि पिडित्तदु

परन्तु "जाना चाहिए" "जाना पड़ता है" आदि प्रयोगों में तमिल में कर्त्ता के साथ "को" प्राय : नहीं लगता ।

अवन् इन्रे पोह वेण्डुम कर्तृ कारक
उसे आज ही जाना चाहिए संप्रदान
नान्/एनक्कु एलुद वेण्डिवन्ददु (कर्तृ/संप्रदान)
मुझे लिखना पड़ा । (संप्रदान)

4. **संयुक्त क्रियाएं विविध प्रयोग**

1. बोलता जाता है
   पेसिक्कोण्डे पोहिरान्
2. बैठा रहता है
   उट्कार्न्दुकांण्डे इरुक्किरान्
3. पढ़ चुका ।
   पडित्तु मुडित्तान्
4. पढ़कर ही छोड़ेगा
   पडित्तुट्टु तान् विडुवान्
5. जाना चाहिए था
   पोह वेणुमाय् इरुन्ददु
6. तैयार किया जा सकता है ।
   तयारिक्कप्पड मुडियुम्
7. सोने दो
   तूङ्ग विडु
8. गाड़ी आने वाली है
   वण्डि वर इरुक्किरदु
9. मैंने कह रखा है
   नान् सोल्लि वैत्तिरुक्किरेन्
10. हो आता हूं
    पोय् वरुहिरेन

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि दोनों भाषाओं की अभिव्यंजना प्रणाली में ही नहीं, संरचना में भी अद्भुत समानता है । हिन्दी के क्रियापद तत्वों का तमिल में समान प्रयोग अधिकांशत: मिलता है। प्रत्येक तत्व को यदि कहीं से निथार-निचोड़ कर देखा जाए तो उसे अन्य भाषाओं में भी प्रतिध्वनित होता पाएंगे ।

हिन्दी और तमिल के समान–प्राकृतमूल के सम्यक् निर्वचन के लिए भारत की समस्त ग्रामीण बोलियों में प्रचलित लोक कथाओं, लोक गीतों, मुहावरों और कहावतों का अध्ययन अपरिहार्य है ।

दोनों भाषाओं में समान–तत्व पर्याप्त मात्रा में है, परन्तु असमान तत्व भी कम नहीं हैं । भाषाध्यापन की दृष्टि से उनकी भी गणना होनी चाहिए। सरल वाक्यों के स्तर पर हिन्दी और तमिल में पदक्रम, अन्विति आदि के विषय में समानता पाई जाती है । इनमें से निषेध वाक्य और ने-युक्त वाक्यों के स्तर पर भारी असमानता है । तमिल में निषेध वाक्य कर्त्ता से अन्वित नहीं होते और हिन्दी में ने-युक्त वाक्य भी कर्त्ता से अन्वित नहीं होते । दूसरे, परिचयात्मक कँप्यूला वाक्यों के स्तर पर तमिल के वाक्य क्रिया-निरपेक्ष होते हैं । जबकि हिन्दी में क्रिया सर्वत्र अनिवार्य तत्व है । यह तो हुई सरल वाक्यों की चर्चा, मिश्र और संयुक्त वाक्यों में हिन्दी की प्रकृति तमिल से भिन्न है । तमिल में "जो वह" "जब.....तब" जैसें...वैसे का विस्तार अनावश्यक समझा जाता है, क्योंकि इन सभी स्थानों में सूक्ष्म और संक्षिप्त कृदन्त प्रयोग कमाल कर जाता है । उदाहरण के लिए :

1. कल जो बात मैंने कही थी (हिन्दी)
2. नेट्रु सोन्न विषयम् (कल कही बात) (तमिल)

यदि हम ज़रा चिंतन और मनन करें, श्रवण और निरीक्षण करें तो हिन्दी में भी इस प्रकार के प्रभावशाली कृदन्त प्रयोगों को पा सकेंगे । शहरी और शिक्षितों के बीच में संस्कृत और अंग्रेजी के अनुकरण में विस्तृत मिश्र वाक्यशैली का प्रयोग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली सीधी सरल वाक्य शैली पुन: हिन्दी और तमिल की प्राकृतमूल-कर्ता की ओर संकेत कर रही है ।

निष्कर्ष यही है कि भाषा एक व्यवस्था है । भाषा के नियम गणित के नियम के समान निश्चित हैं । धैर्य, निरीक्षणात्मक दृष्टि, विश्लेषणात्मिका बुद्धि तथा निष्ठापूर्ण अध्यवसाय का दृढ़ निश्चय लेकर भाषा देवी की उपासना की जाए तो भ्रम, जटिलता और गलत धारणाओं के पर्दे एक-एक करके हटते जाएंगे और तब लगेगा कि सभी भाषाओं का मूल एक ही है । □□□

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के दिल्ली कार्यालय में बैंक के प्रबन्धकों के प्रशिक्षण के लिए 23-9-82 को एक-दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री हर्षवदन गोस्वामी ने किया । इसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सुधीर चन्द्र देव ने की ।

इस कार्यशाला में राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री राजमणि तिवारी, मंत्रिमंडल सचिवालय के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री जे० पी० गुप्त एवं अन्य विद्वानों ने सरकार की राजभाषा नीति एवं बैंकिंग कार्य-पद्धति में राजभाषा के प्रयोग आदि के बारे में प्रकाश डाला । कार्यशाला का संचालन बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री दीनानाथ त्रिपाठी ने किया ।

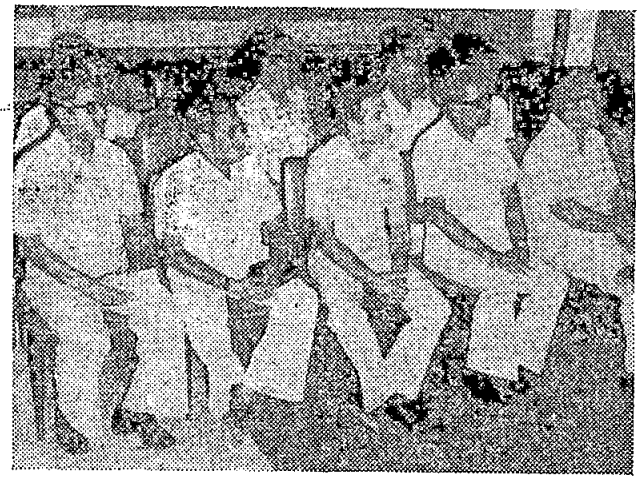

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली अंचल के प्रबंधकों की हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थीगण

अनुवाद पद्धति और उसका व्यावहारिक पक्ष

—चन्द्रपाल शर्मा
प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना, दिल्ली

अनुवाद पद्धति की चर्चा से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि भाषा मनुष्य की मनोवृत्ति का आंशिक रूपायन करती है । भाषा में व्यवधान सहने की शक्ति श्रवण-पक्ष के लिए गाइड का प्रकार्य सम्पन्न करती है । यह तथ्य खंडीय ध्वनियों से अधिक खंडेतर ध्वनियों में अधिक व्याप्त होता है । एक कहानी सुनी थी कि एक चिड़िया की 'टुट–टुट, टुट-टुट' जैसी ध्वनि सुनकर एक पहलवान ने कहा कि चिड़िया कह रही है—"दंड बैठक कसरत" । उसे टोकते हुए एक मौलवी ने कहा कि यह कह रही है—"सुभान तेरी कुदरत" । मौलवी को टोकते हुए एक पंसारी ने कहा कि यह कह रही है "नमक मिर्च अदरक" । अंत में एक पंडित जी ने उसे भी टोका और कहा कि यह कह रही है" राम सीता दशरथ" । इस उदाहरण में श्रवण पक्ष की आंशिक नहीं संपूर्ण मनोवृति का रूपायन है । खंडेतर ध्वनियों में मनोवृत्ति अनायास अनुवाद कर जाती है और यह अनुवाद कभी-कभी अर्थ की काया ही पलट देता है । विवृति अथवा संहिता में प्रायः यही होता है । एक बार आकाशवाणी के एक केन्द्र से "हम रातन ख्वाब ढाई" को उद्घोषक ने इस प्रकार उद्घोषित किया–"यह आकाश-वाणी का केन्द्र है । अब आप बेगम अख्तर से त्रिताल में ख्याल सुनिए । ख्याल के बोल हैं "हमारा तनख्वा बढ़ाई" । इससे स्पष्ट है कि जब वक्ता मूल वाक्य को अपनी मनोवृतिवश अनूदित कर सकता है तो यदि अनुवादक उससे और भी आगे बढ़ जाये तो उसे क्षमा कर देना चाहिए । इटालवी कहावत के अनुसार अनुवादक वंचक होता है। परन्तु भाषा विज्ञान में श्रोता तथा वक्ता भी वंचक होते हैं ।

सिडनी के अनुसार मस्तिष्क के पुष्पायमान क्षण आधी पंखड़ियां बोलने में गिरा देते हैं और तीन चौथाई अनुवाद में । वास्तव में ऐसा 'समतुल्यता सिद्धांत' का निर्वाह न हो पाने के कारण होता है । वक्ता के मन में जो बिंब उभरता है उसे मातृभाषा में भी ज्यों का त्यों उतारना तो संभव नहीं होता । वह जो कुछ कहता है, उस बिंब का अनुवाद मात्र होता है। हां, यह बात अवश्य है कि वक्ता का सक्रिय, भाषाई-कोश जितना व्यापक होगा, उसका बिम्ब से विचलन उतना ही कम होगा । स्पष्ट है कि समतुल्यता का निर्वाह जब मूल भाषा में ही शत–प्रतिशत संभव नहीं है तो अनुवाद में उसका प्रतिशत बहुत ही कम रह जाता होगा । इसी को लक्ष्य करके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने "द आर्ट आफ ट्रांसलेशन" में लिखा है, 'इसका सार्थक तत्व वहां हो सकता है लेकिन फूल और फल का सौदर्य अनूदित अंश में नहीं आ पाता"

अनुवाद की पद्धति कोई भी हो, उसमें अनुवादक को पेशबंदी अर्थात् फोरग्राउंडिंग की स्थिति में विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ता है । पेशबंदी में अर्थ शब्दों, वाक्याशों तथा वाक्यों से अभिव्यक्त नहीं होता बल्कि छिपाया जाता है । इसी कारण भाषा को "अर्थ छिपाने की कला" भी कहा जाता है । यदि वेतन-दिवस की शाम को किसी कर्मचारी की पत्नी एक ही थाली में भोजन करते समय कहे कि हमारी पड़ोसिन एस० कुमार मिल की नई डिजाइन की साड़ी एक सौ सत्तर रुपये में लाई है तो एक सक्षम पति को इसका अर्थ यह लगाना चाहिए कि मेरे लिए एस० कुमार मिल की नई डिजाइन की एक सौ सत्तर रुपये वाली साड़ी ला दीजिए । "अब अनुवादक के सामने समस्या यह आती है कि वह पत्नी द्वारा छिपाये गये अर्थ को कैसे प्रकट करे। यदि प्रकट करता है तो अनुवाद भ्रष्ट होता है और यदि प्रकट नहीं करता है तो संदर्भ की हत्या होती है । इसलिए कहा गया है "अनुवाद एक नारी की तरह है, यदि वह सुन्दर होती है तो वफादार नहीं होती, और यदि वफादार होती है तो सुन्दर नहीं होती।" अनुवादक का कार्य उस पति के समान है जो अपनी पत्नी की सुन्दरता कृत्रिम साधनों से घटाता जाता है, इस आशा से कि उसमें वफ़ादारी बढ़ती जाएगी ।

अनुवाद पद्धति निर्धारित करने से पूर्व अनुवादक को तीन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लेना चाहिए । अनुवाद किसका करना है—अनुवादक किसके लिए किया जाना है—अनुवाद किस लिए किया जाना है ? प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रम के अध्यापन में अनुवाद पद्धति के संबंध में केवल तीसरा प्रश्न ही महत्वपूर्ण है 'क्योंकि इस शिक्षण में मूल उद्देश्य ही पाठ विशेष की विषयवस्तु का व्यापक ज्ञान कराना नहीं, बल्कि उसमें प्रयुक्त अभ्यांतरिक तथा बाह्य संरचनाओं का ज्ञान तथा अभ्यास कराना है । इसके व्यावहारिक पक्ष पर आगे चर्चा की जाएगी ।

अनुवाद पद्धति का विश्लेषण करते हुए नाइडा ने तीन पहलू प्रतिपादित किये हैं (1) विश्लेषण (2) संक्रमण तथा (3) पुनर्नियमीकरण । इसे आरेख द्वारा दिखाया जा सकता है :—

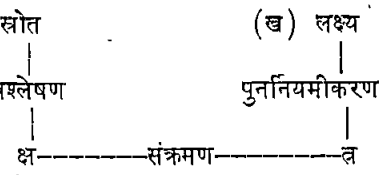

अनुवाद की प्रत्येक पद्धति में विश्लेषण प्रक्रिया पहले आती है, इस कारण हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है । परिणामस्वरूप अनूदित रचना में अनुभूति भी विचार में परिणत हो जाती है । अनुवाद की लेखिमीय पद्धति निष्कृष्टतम होती है क्योंकि उसमें चाक्षुक विशेषताएं लाने के लिए मस्तिष्क को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। जैसे–"रात पिया संग हो गई रस बसियन में खीस। तिरसठ के छाछट भये छाछट के छत्तीस।'

अनुवाद पद्धति के निम्नलिखि रूप होते हैं :—

(1) स्रोत भाषा से स्रोत भाषा में अनुवाद की पद्धति
(2) स्रोत भाषा से लक्ष्य की भाषा में अनुवाद
(3) लक्ष्य भाषा से माध्यम की भाषा में अनुवाद
(4) विधा परिवर्तन पद्धति
(5) लिप्यन्तरण पद्धति
(6) आशु अनुवाद पद्धति
(7) रूपान्तर पद्धति
(8) लेखिमीय पद्धति

इनमें सर्वाधिक अनुवाद द्वितीय पद्धति में किया जाता है। इसके आधार पर अनुवाद से अनेक रूप होते हैं : जैसे 1. शब्दानुवाद 2. भावानुवाद 3. छायानुवाद 4. व्याख्यानुवाद 5. अनुवाद 6. रूपांतरण 7. आशु अनुवाद/प्रचलित पद्धतियों की विशेषता यह है कि स्रोत भाषा की वाक्य संरचनाओं को लक्ष्य भाषा में नहीं लाया जाता क्योंकि इससे अनुवाद विकलांग हो जाता है। परन्तु खंडेतर अभिलक्षणों को लक्ष्य भाषा में यथासंभव उतारा जाता है। माला सुर, बलाघात, विवृति तथा अंत्यपरि रेखा की विशेषताएं लक्ष्य भाषा में भी लानी चाहिए । कोशीय शब्दों की अपेक्षा व्याकरणिक तथा प्रकार्यात्मक (फंक्शनल) शब्द अधिक सटीक होने चाहिएं । तभी अनुवाद की पद्धति का निर्वाह हो पाता है । मुक्त शब्दों की अपेक्षा प्रकार्यात्मक शब्द अर्थ की अधिक रक्षा करते हैं तथा अभिव्यक्ति को स्पष्ट एवं स्वाभाविक गति प्रदान करते हैं । मुक्त शब्दों की "पैराडाइम" (रूपावली) में से उचित शब्द और उसके रूप का चयन प्रसंगानुसार करना पड़ता है ।

इसी प्रकार जिस शब्द या वाक्यांश से सांस्कृतिक संदर्भ जुड़े होते हैं उसका अनुवाद उस भाषा में कठिन होता है जिसमें उस कोशीय शब्द से वैसे सांस्कृतिक संदर्भ जुड़े हुए नहीं होते । प्राज्ञ पाठ माला का एक वाक्य है—"अजी विधि की गांठ जैसी गांठ बांध रहे हो ।" लक्ष्य भाषा में "विधि की गांठ" से सांस्कृतिक मूल्य न जुड़ा हो तो उसमें किया गया अनुवाद अभिव्यक्ति की हत्या कर देगा ।

अनुवाद का व्यावहारिक पक्ष सैद्धांतिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण होता है । व्यावहारिक पक्ष के दो रूप होते हैं :—

1. मूल वाक्य के कोशीय अर्थ और सैद्धांतिक रूपान्तरण का परित्याग करके लक्ष्य भाषा की प्रचलित संरचना का प्रयोग किया जाता है ।

2. दूसरा व्यावहारिक पक्ष अनुवाद के उद्देश्य पर आधारित है । यदि अनुवाद स्वयं उद्देश्य न हो तो केवल किसी को कुछ समझाने के लिए माध्यम मात्र हो तो उस स्थिति में जहां और जितनी आवश्यकता पड़े उतना ही अनुवाद करना चाहिए ।

पहले व्यावहारिक रूप का समावेश दूसरे में ही हो जाता है। परन्तु दूसरे रूप का समावेश पहले में नहीं होता। प्रथम व्यावहारिक रूप को स्पष्ट करने के लिए निषेधवाचकता का उदाहरण प्रस्तुत है—

1. मैं नहीं गया ।
2. मैं कहां गया था !
3. मैं कब गया था !
4. मैं थोड़े ही गया था !
5. मैं गया था ?

इन पांच वाक्यों की अभ्यांतरिक (इंट्रिजिक) संरचना एक ही है, परन्तु वाक्य 2, 3, 4 व 5 का अनुवाद सतही संरचना के आधार पर करेंगे तो अनुवाद अर्थ तत्व का गला घोट देगा । एक कथ्य की अभिव्यक्तियां एक से अधिक हों तो उनकी संरचनाएं अलग-अलग अनुवादों में स्पष्ट कर देनी चाहिए। नाइडा द्वारा प्रणीत पद्धति से भी व्यावहारिक पक्ष का महत्व सिद्ध होता है। पुनर्नियमीकरण के स्तर पर शब्दानुवाद की कमी दूर की जा सकती है। यथा—

(क) कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार कीजिए ! (शब्दानुवाद)

(ख) इस पत्र की पावती भेजें । (व्यावहारिक रूप)

इस व्यावहारिक पक्ष के निर्वाह के लिये अनुवाद से तीन संदर्भ जुड़े होते हैं 1. अनुवाद की कला 2. अनुवाद का कौशल 3. अनुवाद की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि। तीसरे संदर्भ में दार्शनिक, सामाजिक भाषा, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक आयाम भी सम्मिलित रहते हैं । अतः अनुवाद को केवल भाषा और उसके व्याकरण से ही नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसके व्यावहारिक संदर्भ को भी महत्व देना चाहिए । अनुवाद में स्रोत भाषा की रचना की अपेक्षा अनुवाद के पाठक की प्रतिक्रिया का अधिक ध्यान रखना चाहिए ।

स्रोत भाषा के वाक्य की आभ्यंतरिक संरचना की भूमिका सतही संरचना से अधिक होती है इसलिए स्वानिमिक, व्याकरणिक

और लेखिमीय पद्धतियों से किया गया अनुवाद पाठक पर वांछित प्रभाव नहीं छोड़ता । व्यावहारिक दृष्टि से अनुवाद को प्रभावी बनाने के लिए अनुवादक को 'कोड मिश्रण' से भी नहीं डरना चाहिए । द्विभाषिक भाषा समुदाय में यह और भी लाभकारी होता है । प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के छात्र त्रिभाषिक भाषा समुदाय के ही होते हैं ।

अनुवाद पद्धति की नई संकल्पना नाइडा की ही मानी जाती है । इसके मुख्य तत्व 5 हैं :—

1. अनुवादक के पाठक या श्रोता की प्रतिक्रिया को प्रधानता ।
2. लक्ष्य भाषा की "जीनियस" को प्रधानता
3. रूपगत विशेषताएं गौण (यथा—लय, तुक, श्लेष आदि)
4. लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार पुनर्नियमीकरण ।
5. स्रोत भाषा के लेखक के इष्ट अर्थ को प्रधानता ।

इन तत्वों के आधार पर कि ये नये अनुवाद में छह अनिवार्य विशेताओं की रक्षा हो जाती है । (1) पुनस्सृजन (2) समूल्यता (3) नानुवादाभास (4) निकटतमता (5) अर्थप्रधानता तथा (6) शैली । यथा—

(क) एक प्रेस नोट कहता है (ख) एक प्रेस नोट में बताया गया है । 'क' वाक्य में न तो पाठक की प्रतिक्रिया को प्रधानता दी गई है, न लक्ष्य भाषा के जीनियस की परवाह की गई है, न रूप–गत लक्षणों का परिहार हुआ है, न लक्ष्य भाषानुसार पुनर्नियमीकरण है और न स्रोत भाषा के लेखक के इष्ट अर्थ को प्रधानता दी गई है जबकि 'ख' वाक्य में ये सभी बाते हैं ।

इन तथ्यों के आधार पर अनुवाद के भौतिक रूप को बीज वाक्य से प्रारम्भ करना चाहिए । भाषा-विशेष के वाक्यों की कुछ मूल-प्रकृति होती है और उसी के आधार पर वाक्य का विस्तार किया जाता है । इस विस्तार प्रक्रिया में कर्ता एवं क्रिया को छोड़कर शेष अंश के मैक्रों सेगमैन्टस बना लिए जाते हैं और उन सेगमेंटस का भाषा की प्रकृति के अनुसार क्रम बदल दिया जाता है । (क) एक स्त्री कुछ फल और सब्जी खरीदने के लिए हाथ में टोकरी लिये जा रही थी ।

इस वाक्य में कर्ता-क्रिया अर्थात् 'एक स्त्री जा रही थी' बीज-वाक्य है । "कुछ फल और सब्जी खरीदने के लिए हाथ में टोकरी लिए बाजार" यह शेष अंश है । इस शेष अंश में 5 मक्रों सेगमेंट्स हैं :—

1. कुछ फल और सब्जी 2. खरीदने के लिए 3. हाथ में 4. टोकरी लिए 5. बाजार । अंग्रेजी में अनुवाद करते समय बीज वाक्य के बाद इन मैक्रों सेगमेंटस का क्रम उलटना होगा । अर्थात् पहला सैगमेंट अंग्रेजी में अंतिम और अंतिम पहला हो जाएगा । यदि मैक्रोसैगमेंटस उलटने की यह पद्धति न अपनाई जाए तो कभी कोई सैगमेंट और कभी कोई सैगमेंट या तो असंगत हो जाएगा या अस्वाभाविक तथा भाषा की प्रकृति से दूर ।

'रंजक' के साथ यह भी यही बात लागू होती है । फेंक दिया, बचा लिया, डाला करो, रुक गई है, बांध दी गई थी, डाल दिये, आदि में रंजकों का प्रयोग है । इसका शब्दानुवाद न करके अर्थानुवाद करना चाहिए । अनुवाद यदि अध्यापन का माध्यम हो तो संरचना को समझना आवश्यक होता है और रंजक की रचना को समझना आवश्यक होता है और रंजक की संरचना का अनुवाद अंग्रेजी की प्रकृति में रंजक के स्थान पर परसर्ग का प्रयोग होता है ।

कार्यालयीन हिन्दी में दस प्रमुख वाक्य-सांचों का प्रयोग होता है । ये वाक्य-सांचे इस प्रकार हैं :—

1. है ।
2. करें ।
3. किया जाए ।
4. किया जा सकता है ।
5. किया जाएगा ।
6. किया जाना है ।
7. किया है ।
8. किया जाना चाहिए ।
9. किया जा रहा है ।
10. किया जा चुका है ।

इन वाक्य-सांचों का वाक्यस्तर पर अनुवाद द्वारा विशेष अभ्यास कराना चाहिए । टिप्पणी लेखन में 5 चरण होते हैं । यथा—1. विषय 2. कारण 3. नियम 4. कार्यालय, स्थिति 5. सुझाव । इन सभी चरणों में उपरोक्त वाक्य-सांचों में से ही किसी न किसी का प्रयोग होता है । अतः इन सांचों का अनुवाद द्वारा अभ्यास कराकर मसौदा लेखन तथा टिप्पणी लेखन में दक्षता प्राप्त कराई जा सकती है । व्यावहारिक पक्ष की दृष्टि से करना, भेजना, लेना देना, पाना (या प्राप्त करना) तथा पहुंचा देना ये प्रमुख क्रियायें हैं जो कार्यालयीन हिन्दी में छाई रहती हैं । इनका अभ्यास भी विशेष अनुवाद द्वारा कराना उपयोगी सिद्ध होता है ।

□□□

भाषा बहता नीर

(पिछले दो अंकों में हमने इस स्तंभ में भाषा की रवानी, उसकी प्रवाहमयता तथा सहजता को ध्यान में रखकर श्री उपेन्द्रनाथ अश्क के एक लेख से (अंक 14, पृ० 42 पर) तथा "मानस का राजहंस" और 'आवारा मसीहा' से (अंक 15–16 पृष्ठ 37 पर) बतौर बानगी भाषा के कुछ नमूने पेश किए थे। इस बार श्री अमृतलाल नागर की गंगाजमुनी प्रवाहमयी शैली में "खंजन नयन" का एक अंश प्रस्तुत है। साथ ही श्री कमलेश्वर की कहानी से एक उद्धरण भी। इन दोनों अंशों को प्रस्तुत करने के पीछे दो प्रतिनिधि शैलीकारों की भाषा छवि को आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। —संपादक)

(1)

"सूरज (सूरदास) को अपने बचपन के दिन याद आ गए। मैया ने उसके लिए तरह तरह के पशु-पक्षी बनाए थे। तोता, कौआ, गाय, हाथी, घोड़ा। तोता हरा होता है, कौआ काला होता है। गाय, घोड़ा सफेद, भूरे काले, चितकबरे रंगों के होते हैं। चील सबसे बड़ी, कागा उससे छोटा, सुग्गा उससे भी छोटा, गौरैया और छोटी, लाल मुनिया सबसे छोटी। मां की याद आ गई। लाठी कोने में टेक अंगोछे से हवा करते हुए लुच्चू का बड़ा बेटा स्वामी जी के पैर धुलाने के लिए पानी झरी झारी लेकर आ गया। फिर दूध व आम आ गए। स्वामी जी जिस दिन से हरि कथा कह रहे हैं उसी दिन से यही आहार हो रहा है। लुच्चू का छोटा पुत्र अपने वास्ते सुग्गा बनाए जाने की सूचना लेकर आ गया। उससे मीठी-मीठी बातें होती रहीं। फिर देवीलाल की बुढ़िया मां स्वामी जी के चरण छूकर अपनी नित्य की यह विधा दुहराने आ गई कि उसे कानों से सुनाई नहीं देता, आंखें भी धुंधलाती चली जा रही हैं। स्वामी जी उसे यह बतला दें कि वह कब जाने वाली है। और दिनों तो सूर स्वामी उसकी इस बात को टाल जाते थे, आज ज्योतिष वाली चुल उठ आई। विचार कर लुच्चू के बड़े बेटे से कहा कह दे ठाकुर जी की छठी के दूसरे ही दिन उनके लिए भगवान का विमान आएगा। बच्चे ने दादी के कान में मुँह सटाकर ज़ोर-ज़ोर से कहना आरम्भ किया। सूरज के मन में भी एक क्षण के लिए चोर झांका। प्रश्न विचार कर देखूं। किस दिशा में है, कितनी दूर है, फिर दाऊ बाबा का भय लगा। फिर शिला सा हठ ठना मरद की जात एक, बात एक।

विचार शब्दों के द्वारा शारीरिक गति करते हैं। बहुत सी तरंगे केवल वायवीय होती हैं, बीच-बीच में शाब्दिक होकर फूट पड़ती हैं। एक झरना उंचे पहाड़ों से गिरा, भूतल फोड़कर समा गया और फिर धरती फोड़कर जगह-जगह फुहारें बनाता हुआ नदी बनकर बहता चला। थोड़ी देर इन फुहारों को नदी से उड़ते छीटों से भीगता रहा, फिर रो पड़ा। "प्रभु, मैं पतितों में भी सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हूं। मुझे शरण दो। मां, एक बार बचपन में तुमने मुझे श्याम का सहारा दिया था। अब एक बार फिर सहारा दो मैया।" मन के कानों को पिता का स्वर सुनाई पड़ने लगा।

विग्रह पूजन करते समय पिता नित्य गाते थे:—
"राधा रामेश्वरी, रास वासिनी रसिकेश्वरी
कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरुपिणी,
कृष्णा, वृन्दावनी वृन्दा, वृन्दावन विनोदिनी
चन्द्रावती चन्द्रकांता, शत चंद्राभिनाम्ना
कृष्ण वामांग संभूता परमानंद रूपिणी।"

भीतर पिता का गाता हुआ स्वर सुनाई पड़ रहा था, बाहर सूरजमुख पर करुणा बरस रही थी। एक-एक विशेषण भाव के बिम्ब बनाता चला। "कितनी सुन्दर है यह कृष्ण वामाङ्ग सम्भूता कृष्ण स्वरूपिणी। कृष्ण भी, राधा भी। चन्द्रिका भी, रमा भी,। 'जब-जब देखों तेरौ मुख, तब-तब नयो-नयो लागत। ऐसो भरम होत कबहूं न देख्यों री, दुति कौ, दुति लेखनी व कागत।' मैं तुम्हें भी श्याम कहकर ही पुकारूंगा मैया। तुम बोलना। बोलना अवश्य। तुम्हें मेरी कसम।"

अमृतलाल नागर: "खंजन नयन" से

(2)

"यही वह बक्सा था जिसमें सब कुछ पुराना बंद था। घर के बुजर्गो की यादगारें, नकली दांत, घड़ी की चेन, कच्चे गोटे की किनारियां और पल्लें। चांदी के खरके और घिसे हुए बिछुए। माथे की गटापारचे की सुहाग बिंदिया और हिसाब-किताब की पुरानी कापियाँ। कुछ पुराने सिक्के और पीले पड़े खस्ता खत। कुछ कौड़ियाँ और लाल लाल रत्तियां, दवाओं के नुस्खे और किसी धर्मगुरु की दी हुई रुद्राक्ष की माला। गुटका रामायण और वंशवृक्ष के नक्शे। कुछ बहुत पुरानी तस्वीरें और विक्टोरिया के तीन रुपये।

जो भी पुराना होकर बीतता जाता था, इसी संदूक में पहुंच जाता था। संदूक जब भी खुलता, कमरे में गर्म-गर्म भमक सी भर जाती और वह महक काफी देर तक बसी रहती।

श्याम लाल कभी-कभी जब इस बक्से को खोलते तो एक-एक चीज़ को मूर्तियों की तरह आदर से उठाते । उन्हें उलट-उलट कर फिर रख देते और उस शाम पुराने वैभव की दास्तानें सुनाते रहते । दोनों लड़कियां और उसकी मां बड़े चाव से वह सब सुनती जो बीत गया था जिसे उन्होंने देखा नहीं था । पुराने वक्त की शक्ल सभी के सामने उभरने लगती और बुजुर्गों का वह जमाना आंखों के सामने तैर आता, सब लोग बड़े आराम और बेफिक्री से जिन्दगी जी रहे थे ।

—कमलेश्वर : "यादों के गुलाब में कांटा" कहानी से

□□□

(पृष्ठ 4 का शेषांश)

चुनौती और सामयिक प्रसंगों की अच्छी व्याख्या की गई है। विधि स्तभ बहुत पसन्द आया साथ ही 'अतीत के झरोखों से' भी ।

परिचर्चा में प्रो० एन० ई० विश्वनाथ अय्यर का लेख संतुलित और सुविचारित प्रतीत हुआ । इस प्रकार की एक परिचर्चा विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में हिन्दी की संभावनाओं और समाधान पर आयोजित करें तो बहुत ही प्रासंगिक रहेगा । मेरी अपेक्षित सहायता और प्रतिभोगियों के नाम पर सम्मति ले सकते हैं।

—2/10, त्रिवेणी नगर, सीतापुर रोड
लखनऊ–226007.

राज भाषा भारती का 15–16 वां अंक मिला । उसमें सरकारी और अर्धसरकारी संस्थानों में हो रही हिन्दी की प्रगति की अच्छी खासी जानकारी है । सचित्र कार्य विवरण पढ़कर हिन्दी की प्रगति का सही पता चलता है । राजर्षि टण्डन और राजभाषा हिंदी (श्री राजमणि तिवारी), भाषा बहता नीर (कुवेरनाथ राय), राजभाषा का आधुनिकीकरण (डा० रमेश कुंतल मेघ) और श्री रंगनाथ राकेश की रचनायें बहुत ही सुन्दर और समर्थ हैं। विविध कार्यान्वयन समितियों के विवरण प्रगति के प्रयासों पर प्रकाश डालते हैं । 'रूप अनेक, भाव एक' स्तम्भ उपयोगी रहेगा । डा० विजयेन्द्र स्नातक और डा० मुरली धर चतुर्वेदी की रचनायें बेवाक गवाही हैं कि हिन्दी का प्रयोग हर क्षेत्र में हो सकता है, वशर्ते कि उसे स्वीकारने के लिये हमारा मानस तैयार हो ।

संपादन कुशलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । बधाई !

—गिरजा शंकर त्रिवेदी
सह संपादक, नवनीत, हिंदी डाइजेस्ट,
भारतीय विद्या भवन, बम्बई –7

राजभाषा भारती का संयुक्तांक 15–16 प्राप्त हुआ । इस संग्रहणीय अंक को केवल सराहनीय एवं क्रांतिकारी प्रयास कहना प्रर्याप्त नहीं होगा । विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण में चयन की सुरुचि निखर उठी है । परिचर्चा के अन्तर्गत विभिन्न विद्वानों के विचार अत्यन्त समयानुकूल बन पड़े हैं। समीक्षा कालम महत्वपूर्ण है ।

हिंदी के हित को ध्यान में रखते हुए यह अंक आद्योपांत पठनीय एवं व्यावहारिकता के स्तर पर साधुवाद का पात्र है ।

—जे० के० शर्मा, हिंदी अधिकारी
एच० एम० टी० लिमिटेड, श्रीनगर

यों तो इस पत्रिका की सम्पूर्ण विषय सामग्री महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित है, किन्तु विशेष रूप से राजभाषा हिन्दी के विकास की समस्याएं और साहित्यकार" विधि के क्षेत्र में राजभाषा का प्रयोग एवं राज भाषा के संबंध में द्विभाषिकता लेख पठनीय एवं अनुकरणीय है। ये लेख प्रशासनिक क्षेत्र में राजभाषा को एक नई किन्तु सुनिश्चित दिशा की ओर अग्रसारित करते हैं ।

—कृष्ण नरायण मेहता, हिन्दी अधिकारी
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्त्तालय, बम्बई-1

राजभाषा भारती का 15–16 वां संयुक्तांक मिला । आभारी हूं कि अपने यह सुसंम्पादित अंक मुझे भी भेजा । सामग्री आपने खूब जुटाई है । पर्याप्त सचनाएं और खोजपूर्ण आलेख उसमें देकर आपने उसे एक स्वस्थ और पुष्ट अंक बना दिया है । बार बार बधाई ।

—बालकवि बैरागी मनसा (म०प्र०)
जिला मंदसौर–458110

अनेक दृष्टिकोणों से यह अंक अद्वितीय है । इसकी साज-सज्जा, इसका कलेवर, मुद्रण और विषय सामग्री, द्विभाषिकता की समस्यायें और समाधान, परिचर्चा और तत्संबंधी विचारों का संकलन संयुक्त अंक को एक अनोखे प्रकाशन की कोटि में रख देने के लिये पर्याप्त है । डा० विजयेन्द्र स्नातक, डा० रमेश कुन्तल मेघ, डा० पाण्डुरंग राव, श्री राजमणि तिवारी तथा श्री रंगनाथ राकेश के लेख पठनीय, स्तरीय तथा मार्मिक है। सम्पादक मण्डल की सुरुचि इस अंक में सर्वत्र झलकती है ।

—मुरलीधर चतुर्वेदी, प्रवक्ता,
तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जौनपुर ।

राज्यों में उनकी भाषाओं का प्रयोग

1. महाराष्ट्र

---डा० एन० वी० पाटील
भाषा निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई

मराठी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इसका विकास चौथी शताब्दी में नर्मदा के दक्षिण में महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ था। स्वयं महाराष्ट्री प्राकृत का विकास पूर्वकालीन संस्कृत से हुआ था। तथापि, मराठी की साहित्यिक रचनाएं 8वीं शताब्दी के पूर्व की नहीं हैं। मराठी का प्राचीनतम शिलालेख श्रवणबेलगोला का है तथा वह 983 ई० का है। यह श्री चामुंडराय के गौरव में लिखा गया है, जिन्होंने कि कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला स्थान पर बाहुबली की भीमकाय अखंड शिला की मूर्ति प्रस्थापित की थी।

13 वीं और 14 वीं शताब्दी में यादवों के शासन काल में प्रचुर मात्रा में मराठी भाषा का प्रयोग हो रहा था। विजयनगर का साम्राज्य समाप्त होने के साथ ही साथ दक्षिण में बहमनी राजवंश के मुखियों का शासन स्थापित हो गया था। फलत: राजभाषा के रूप में मराठी को ठेस पहुंची थी। तथापि, मराठी लोकभाषा के रूप में बनी रही, यद्यपि फारसी और उर्दू शब्दों के घुलमिल जाने से इस भाषा के स्वरूप में काफी परिवर्तन आ गया था। तथापि साहित्य में विशेषत: काव्य साहित्य, में मराठी अपने परिष्कृत स्वरूप में ही विद्यमान रही। इस काल के पांडित्यपूर्ण प्रबन्ध संस्कृत में ही लिखे गये थे क्योंकि संपूर्ण भारत में पंडितों की भाषा संस्कृत थी। मराठी कवियों की परम्परा में ज्ञानेश्वर से लेकर तुकाराम तक तथा तत्पश्चात् ब्राह्मण कवि (पंत कवि के रूप में ज्ञात) और शाहिर (तंत कवि के रूप में ज्ञात) ने साहित्यिक मराठी की धारा में नवचेतना एवं स्फूर्ति प्रदान की। इस काल की साहित्यिक मराठी भाषा को फारसी और उर्दू के अतिक्रमण से जूझने की सहज शक्ति प्राप्त थी। मराठी ने अपने साहित्यिक स्वरूप में अपनी मूल शब्दावली को संजोये रखा और उसे आने वाली पीढ़ियों को प्रस्तुत किया। छत्रपति शिवाजी से पूर्वकाल में प्रशासन में मराठी का जो स्वरूप प्रचलित था उसमें उर्दू और फारसी शब्दों का बाहुल्य था। सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में महाराष्ट्र के प्रशासन की भाषा में केवल 14 प्रतिशत के लगभग मराठी शब्दों का प्रयोग होता था। शेष उर्दू और फारसी के शब्द थे। यह तो छत्रपति शिवाजी ही थे जिन्होंने स्वाधीनता का उत्साह जागृत करने के लिये मराठी भाषा को नवजीवन प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसे उन्होंने शासकीय पदाभिनाम वाले शब्दों के स्थान पर मराठी शब्दों के प्रयोग से किया। उन्होंने इसके लिए संस्कृत शब्दावली का खुलकर प्रयोग किया क्योंकि मराठी भाषा संस्कृत से ही प्रोदभूत है। उनके काल में सरकारी पत्र व्यवहार के स्वरूप में भी भारी परिवर्तन हुआ। सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में सरकारी पत्र व्यवहार में प्रयुक्त मराठी शब्द 14 प्रतिशत के लगभग थे। उसी शताब्दी के आखिर में यह मात्रा 62 प्रतिशत थी। प्रशासन की भाषा के रूप में परिष्कृत मराठी का पुन: प्रयोग करने की दिशा में छत्रपति शिवाजी द्वारा अपनाए गए कारगर उपायों के परिणामस्वरूप ऐसा हो सकता है।

ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही साथ पूर्व राजभाषा के स्थान में अंग्रेजी की स्थापना हुई। थोड़े समय के भीतर ही संपूर्ण भारत में अंग्रेजी ने सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर लिया। ब्रिटिश शासक अपना राजकाज अंग्रेजी में करते थे। उन्होंने शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी कर दिया। फलस्वरूप प्रादेशिक भाषाओं के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे अविकसित रह गईं।

नेहरू आयोग के प्रतिवेदन (1928) के अनुसार सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रान्तों की रचना के मुद्दे का समर्थन किया था। परिणाम स्वरुप सन् 1956 में भाषाई तौर पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। सन् 1956 में तत्कालीन बम्बई राज्य का पुनर्गठन द्विभाषिक राज्य के रूप में किया गया। तदनन्तर सन् 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य बनाये गये।

महाराष्ट्र राज्य का गठन करते समय ऐसी घोषणा की गई थी कि मराठी इस राज्य की राजभाषा होगी। तथापि, राजभाषा में यह परिवर्तन सहजता से करना था। अत: महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई, 1960 में भाषा संचालनालय की स्थापना की। इस संचालनालय का कार्य था कि वह प्रशासन की भाषा के रूप में सहजता से मराठी लाने के संबंध में अध्ययन करे और तत्प्रयोजनार्थ स्थिति बनाए। इस संबध में संचालनालय को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक सलाहकार समिति की भी नियुक्ति की थी। इस समिति में साहित्यिक क्षेत्र के श्रेष्ठ व्यक्ति थे। प्रशासन की भाषा में परिवर्तन लाने की दिशा में प्रथम

कार्यवाही के तौर पर संचालनालय ने 'पदनाम कोश' का संकलन किया है । इसमें अनेक सरकारी अधिकारियों का मराठी पदनाम दिया गया है । यह कार्य, जिसमें 5000 प्रविष्टियां हैं, उनके पदों के कर्त्तव्यों और पदानुक्रम पर गहराई से विचार करने के बाद किया गया है । नये पदनामों को अंतिम रूप देते समय संगठनों के दृष्टिकोण को विचार में लिया गया था । नये पदनाम प्रचलन में आ गए तथा ऐसे पदनाम अनेक कार्यालयों के नाम पट पर दिखाई देने लगे और शासकीय पत्रव्यवहार में भी उनका प्रयोग होने लगा, यद्यपि, यह काम धीरे धीरे ही हुआ था । इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में मराठी का प्रयोग करने की अनुभूति पैदा हुई । सन् 1964 में संचालनालय ने मराठी में प्रशासनिक मुहावरों और वाक्य विन्यास की एक पुस्तक प्रकाशित की है । तदनन्तर भाषा संचालनालय ने प्रशासनिक शब्दकोष तैयार करने का काम हाथ में लिया । यह कार्य भी भाषा सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में आरम्भ किया गया था । इस कोश में लगभग 30,000 शब्द हैं और सन् 1975 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था । सन् 1978 में इसका पुनर्मुद्रण किया गया था । भाषा संचालनालय ने "शासन व्यवहारात मराठी" नामक पुस्तक भी प्रकाशित की है । इसमें प्रशासन की भाषा के रूप में मराठी का तर्काधार दिया गया है ।

प्रशासन में मराठी के उत्तरोत्तर प्रयोग का प्रश्न शिक्षा के माध्यम से जुड़ा हुआ है । ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी ही उच्च शिक्षा का माध्यम रही है । इससे प्रादेशिक भाषाओं के विकास में बाधा पहुंची और ये भाषायें अविकसित रह गई । अत: यदि विकसित संसार के साथ कदम मिलाकर चलना है तो इन सभी प्रादेशिक भाषाओं को काफी प्रगति करनी होगी । स्वतंत्रता के बाद परिस्थिति में सुधार हुआ और अब प्रादेशिक भाषाएं बाधामुक्त हो गई हैं । विश्वविद्यालयों में उन्हें अपना यथोचित स्थान प्राप्त हो रहा है अब शीघ्र ही वे उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग में लायी जायेंगी ।

महाराष्ट्र में सभी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों और भाषा सलाहकार समिति की संयुक्त बैठक (सन् 1967) में इस बारे में महत्वपूर्ण फैसला किया गया था कि स्नातकोत्तर स्तर तक की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार की जाये । यह कार्य भाषा संचालनालय को सौंपा गया था । नवीन तैयार की गई समान शब्दावली का प्रयोग करते हुए पाठ्य पुस्तकें लिखने का काम विश्वविद्यालय पुस्तक प्रकाशन ब्यूरो को सौंपा गया था ।

संचालनालय ने अनेक विषय समितियां बनाकर सन् 1968 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली तैयार करने का काम शुरू किया । इन विषय समितियों में महाराष्ट्र के सभी विश्वविद्यालयों के ऐसे प्रतिनिधि समाविष्ट हैं, जो कि अधिकतर अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वान हैं । मराठी विज्ञान परिषद जैसे गैर सरकारी निकायों के प्रतिनिधि भी इन समितियों में लिये गये हैं । भाषा संचालनालय किसी विषय के प्रचलित तकनीकी शब्दकोशों का सहारा लेकर शब्दों की सूची तैयार करता है । प्रचलित शब्दों की भी सूची बनाई जाती हैं और ऐसी सूचियां समिति के समक्ष रखी जाती हैं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद ये समितियाँ उचित मराठी शब्दों का चयन करती हैं, अब तक इस संचालनालय ने भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, गणितशास्त्र, भू-शास्त्र, भूगोलशास्त्र, शरीरशास्त्र, शरीर-रचनाशास्त्र, कृषि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र की शब्दावली तैयार की है । अब तक 200000 शब्दों से भी अधिक कार्य हुआ है । संचालनालय अब तक बारह अंग्रेजी मराठी कोष प्रकाशित कर चुका है ।

विश्वविद्यालय पुस्तक प्रकाशन ब्यूरो ने अब तक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों एवं मानविकी पर मराठी में 259 पुस्तकें प्रकाशित की हैं । इससे महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा को शिक्षा के माध्यम के तौर पर शुरू करने में प्रोत्साहन मिला है । हालांकि विज्ञान के विषयों के लिये मराठी को शिक्षा के माध्यम के रूप में शुरू करने में कुछ समय लगेगा ।

विधि तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय की राजभाषा ध यी शाखा ने संपूर्ण भारत संहिता को सभी राजभाषाओं में अनुवाद करने का कार्यक्रम तैयार किया है । महाराष्ट्र में यह कार्य भाषा संचालक को सौंपा गया है । अब तक, संचालनालय ने 55 केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद एवं प्रकाशन किया है । बहुत से केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद करने का काम चल रहा है । राज्य विधान मंडल के विधेयक और राज्य अधिनियमों का अनुवाद संचालनालय द्वारा किया जाता है । विधेयकों के मराठी और हिन्दी अनुवाद एक ही साथ विधान मंडल के सदनों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं ।

प्रशासन की भाषा में परिवर्तन लाने की दिशा में यह आवश्यक था कि मराठी टाइप और आशुलिपि में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग उपलब्ध हो । संचालनालय ने इन दोनों विषयों में प्रशिक्षण योजना परिचालित की थी और अब, मराठी टंकलेखकों और आशुलिपिकों की कोई कमी नहीं रही है । सन् 1963 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठी टाइपराइटरों के मानकीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी । इससे पूर्व मराठी टाइपराइटर के अट्ठारह कुंजीपटल की खोज की गई थी जो कि अक्षरों की बारंबारता और प्रत्येक कुंजी को चलाने पर आधारित थी । अब ऐसे मानक मराठी टाइपराइटर बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ।

भाषा संचालनालय ने मराठी आशुलिपि की पद्धति तैयार की है जो कि पिटमन आशुलिपिक के सदृश है । सरकारी सेवा के आशुलिपिक जो पिटमन की अंग्रेजी आशुलिपि जानते हैं वे

मराठी आशुलिपि जल्द ही सीख सकते हैं। इस बारे में सभी जिला मुख्य कार्यालयों में प्रशिक्षण वर्ग खोले गये थे। भाषा संचालनालय ने मराठी आशुलिपि पुस्तकों का भी प्रकाशन किया है।

भाषा संचालनालय ने गैर-मराठी सरकारी कर्मचारियों को मराठी सीखने की सुविधाएं दी हैं। यह राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों वर्गों के गैर-मराठी भाषी सरकारी कर्मचारियों के लिये मराठी भाषा की परीक्षायें भी संचालित करता है।

महाराष्ट्र सरकार ने सन् 1965 में राजभाषा अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन, 1 मई, 1966 से सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर मराठी का प्रयोग करना था। तथापि, इस धारा का वास्तविक कार्यान्वयन धीमी गति से लगभग डेढ़ दशक तक चलता रहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत भाषा संचालनालय ने मराठी में प्रशासनिक शब्दावली तथा शासकीय पदावली तैयार करने में पर्याप्त कार्यवाही की है। इस विभाग ने टिप्पणी-आलेखन एवं सामान्य पत्र-व्यवहार पर पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इस विभाग ने विभिन्न विभागों के दैनिक प्रशासन में अक्सर जिनकी जरूरत होती है ऐसे सामान्य, मानक तथा विशेष प्रपत्रों के अनुवाद की भी व्यवस्था की है तथा विभिन्न विभागों की पुस्तकें और नियमावलियों का मराठी में अनुवाद भी किया है। यह विभाग विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों का अंग्रेजी के साथ ही साथ मराठी अनुवाद भी उपलब्ध कराता है। इस विभाग ने मराठी टंकलेखन तथा मराठी आशुलिपि इन दोनों के प्रशिक्षण वर्ग एवं मराठी भाषा के भी प्रशिक्षण वर्ग चलाये हैं।

प्रजातंत्र में लोकभाषा का ही महत्व है। प्रजातंत्र के लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिये यह आवश्यक है कि राज्य का प्रशासन लोगों की भाषा में हो। गत दो दशकों में महाराष्ट्र सरकार ने इस दिशा में काफी प्रयास किया है।

2. गुजरात

डा० नारायण वी० व्यास
भाषा निदेशक, गुजरात सरकार

बृहत् द्विभाषी बम्बई राज्य के विभाजन के परिणाम-स्वरूप गुजरात का अलग राज्य 1 मई, 1960 को अस्तित्व में आया। तत्काल ही राज्य सरकार ने राजभाषा संबंधी अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया कि गुजराती का उपयोग सभी स्तरों पर प्रशासन की भाषा के रूप में किया जाएगा। जहां तक गुजराती के राजभाषा के रूप में प्रगति की बात है वहां तक इस अनुरोध ने एक गतिस्थापक और परिवर्तक बल के रूप में काम किया। हमारी भाषा-नीति की रेखायें उसके बाद उभरी हैं।

गुजरात राजभाषा अधिनियम, 1960 में, राज्य की राजभाषा गुजराती के अतिरिक्त यह भी प्रबन्ध किया गया है कि देवनागरी लिपि में हिन्दी राज्य की राजभाषा होगी। गुजरात राज्य ने यह निर्णय, भूतपूर्व बम्बई राज्य द्वारा 1959 में उस समय के वित्त मंत्री डा० जीवराज मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार किया था।

अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने इस सदी के दूसरे दशक में साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उनके नेतृत्व का विशिष्ट लक्षण यह था कि वे इस देश के लाखों गांवों की ओर देखते थे। वे जानते थे कि यदि राष्ट्र को अपना व्यक्तित्व बनाये रखना है और स्वतंत्रता के पश्चात् विश्व में सही ढंग से आगें बढ़ना है तो निजी और लोक क्षेत्रों का तथा सरकारी प्रशासनिक तंत्र का सभी प्रशासन कार्य जनता की भाषा में होना चाहिए। अतः उन्होंने आग्रह किया कि गुजरात को लोक जीवन के सभी क्षेत्रों में, शिक्षा की विविध शाखाओं में और राष्ट्रीय प्रवृत्ति में भी अपना काम-काज केवल गुजराती भाषा में ही करना चाहिए और हिन्दी का उपयोग देश के अन्य भागों के साथ करना चाहिए।

नई परिस्थिति को देखते हुए गुजरात राज्य ने प्रशासन में गुजराती के उपयोग का कार्यक्रम तैयार किया। इस नये और व्यापक परिप्रेक्ष्य में पहली बार निश्चय किया गया कि सचिवालय स्तर पर भी प्रशासन गुजराती में किया जाय। गुजरात राज्य की स्थापना के वर्ष 1960 में सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन भाषा निदेशालय की स्थापना की। राज्य सरकार ने इस दिशा में गहरी रुचि दिखाते हुए सरकारी काम काज में गुजराती भाषा के उपयोग के संबंध में समय समय पर विभिन्न सूचनाएं जारी कीं।

उसके बाद, राज्य प्रशासन में, गुजराती भाषा का त्वरित और सही उपयोग योग्य सिद्ध करने संबंधी वर्तमान स्थितियों की समीक्षा करने, इस प्रश्न पर व्यापक तौर पर विचार करने और राज्य में गुजराती के विस्तृत उपयोग संबंधी आवश्यक कदम सुझाने की दृष्टि से जून, 1977 में राजभाषा समीक्षा समिति बनाई गई थी। इस समिति ने जून, 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस बीच राज्य सरकार को प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की रिपोर्ट प्राप्त हुई और सम्मेलन की सिफारिशों को उक्त समिति के ध्यान में लाया गया था। समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी और अर्ध सरकारी क्षेत्रों का समूचा काम-काज सही रूप में गुजराती में किया जाय इस आवश्यक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी रिपोर्ट में 15 पहलुओं पर कुल मिलाकर 90 सिफारिशें कीं। समिति की सिफारिशों पर ब्यौरेवार विचार करने के बाद राज्य सरकार ने

नवम्बर, 78 में थोड़े परिवर्तनों के साथ सिफारिशों को स्वीकार किया और उन सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों के आधार पर तुरन्त कार्रवाई शुरू करने और उसका अमल सुनिश्चित करने का पूरे सरकारी तंत्र को आदेश दिया ।

भाषा निदेशालय ने अपने 21 वर्षों के समय में प्रशासन में अत्यन्त उपयोगी एवं विविध नियमसंग्रहों और सामान्य परिपत्रों का गुजराती में अनुवाद तैयार किया । 1960 में इस कार्यक्रम का प्रारम्भ हुआ तब से 33 नियम संग्रहों का गुजराती अनुवाद तैयार किया गया है और फिलहाल 6 नियमसंग्रहों का अनुवाद मुद्रणाधीन है और 12 नियम संग्रहों का अनुवाद किया जा रहा है ।

राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि विभिन्न रिपोर्टों (तकनीकी एवं समिति की) का मसौदा गुजराती में तैयार किया जाय अथवा विशेष अवसरों में जरूरत पड़ने पर उन्हें गुजराती में अनूदित कराया जाय । फलस्वरूप ऐसा कार्य भी राजभाषा में किया जा रहा है । अधिकांश सरकारी संकल्पों, अधिसूचनाओं, विभागीय रिपोर्टों, कुछ बजट प्रकाशनों आदि को अंग्रेजी से गुजराती में अनूदित कराने के बजाय मूलरूप से गुजराती में तैयार करने पर अधिक बल दिया गया है । तदनुसार, निष्पादन बजट विभागों के कार्यकलापों की रूपरेखा, विभागीय वार्षिक रिपोर्टों आदि को स्वयं विभागों द्वारा गुजराती में तैयार किया जा रहा है ।

प्रशासनिक अंग्रेजी शब्दों के साथ उनके गुजराती और हिन्दी पर्यायों का शब्दकोष तैयार करने के हेतु राज्य स्तरीय समिति अर्थात त्रिभाषी सलाहकार समिति की रचना की गई है और उसने ए से एच के वर्णों को सम्मिलित करते हुए प्रथम ग्रंथ तैयार कर दिया है जबकि दूसरे ग्रंथ का कार्य किया जा रहा है । आशा है कि इन दोनों ग्रंथों में लगभग 25,000 शब्द सम्मिलित किये जाएंगे ।

राज्य सरकार 1 मई, 1979 से "राजभाषा" त्रैमासिक भी प्रकाशित करती है जो राज्य की राजभाषा का उपयोग बढ़ाने में सहायक हो रही है ।

राज्य सरकार ने गुजराती टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों को प्रशिक्षण देने संबंधी कुछ महत्व के कदम उठाये हैं फिलहाल गुजरात में नौकरी करने वाले अंग्रेजी टाइपिस्टों को गुजराती टाईपिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों को गुजराती स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण देने के लिए एक ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाया गया था । उनके लिए और अपना सरकारी काम राजभाषा में करने वाले कर्मचारियों के लिए परीक्षाओं और प्रोत्साहन देने के लिए इनामों की विभिन्न योजनाएं भी तैयार की गई हैं। सचिवालय में सरकारी अधिकारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने की योजना भी बनाई गई है ताकि वे, केन्द्र सरकार के साथ और जिन राज्यों की राजभाषा हिन्दी है अथवा जो हिन्दी में पत्र व्यवहार करने को सहमत हुए हैं । उन राज्यों के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार कर सकें । राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त होने वाले आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों के लिए गुजराती में सघन प्रशिक्षण वर्गों का संचालन 1973 से लेकर प्रतिवर्ष किया जा रहा है । राज्य सरकार ने ऐसे अखिल भारतीय सेवा में लगे 20 अधिकारियों को उनके संबंधित जिला मुख्यालयों पर गुजराती भाषा में प्रशिक्षण के लिए भी वित्तीय सहायता दी है ।

गुजरात में टाइपराइटरों की उपलब्धता के बारे में स्थिति सामान्य है । राज्य सरकार ने, गुजराती टाइपराइटर के वर्तमान कुंजीपटल को सुधारने की दृष्टि से, 1981 में एक समिति नियुक्त की थी जिसमें टाइपराइटिंग और भाषा के विशेषज्ञों को समाविष्ट किया गया था । समिति ने रिपोर्ट पेश की है । उसके बाद सरकार ने समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक उप-समिति बनाई थी जिस की रिपोर्ट विचारार्थ पेश की गई है ।

श्रेणीबद्ध प्रकाशनों की योजना के अन्तर्गत श्री लाल भाई दलपत भाई भारतीय संस्कृत, विद्यामंदिर, अहमदाबाद द्वारा, दार्शनिक विवरण ग्रंथों के आलोचनात्मक रूप से संकलित अनुवाद के चार खंडों के प्रकाशन का कार्य शुरू किया गया है । इसके उपरान्त राज्य सरकार ने, व्यायाम प्रचारण मंडल, राज पीपला द्वारा "व्यायाम विज्ञान कोश" के 10 ग्रंथों की श्रेणी के प्रकाशन की योजना भी मंजूर की है । इन दस ग्रंथों में से तीन ग्रंथों को प्रकाशित किया जा चुका है। पुनर्मुद्रण की दूसरी योजना के अन्तर्गत, गुजरात की विविध संस्थाओं द्वारा गुजराती साहित्य की दुष्प्राप्य श्रेष्ठ रचनाओं को पुनर्मुद्रित किया गया है । संस्थाओं को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता की इस योजना के अन्तर्गत अभी तक बारह पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं और शेष दो-तीन ग्रंथों को थोड़े ही समय में प्रकाशित किया जायेगा । गुजरात विद्यासभा, गुजरात इतिहास परिषद, श्री ला० द० भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर, गुजरात साहित्य परिषद, अहमदाबाद तथा प्रेमानन्द साहित्य सभा, बड़ोदरा और एम० एस० युनिवर्सिटी बड़ौदा द्वारा संचालित प्राच्य विद्यामंदिर ने इस योजना को अपना सहयोग दिया है और आशा है कि गुजराती साहित्य की कुछ दुष्प्राप्य रचनाएं शीघ्र उपलब्ध हो जाएंगी ।

आधी सदी पहले गांधी जी ने एक बात कही थी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती । सबसे पहले उन्होंने एक प्रश्न रखा था, "स्वशासन की भाषा क्या है" तुरन्त उन्होंने उत्तर भी जोड़ दिया, इसका उत्तर एक ही हो सकता है और वह है "मातृभाषा" । गांधी जी ने सभी युगों और समुदायों के इतिहास में पाया गया सत्य अत्यन्त सरल और सबल प्रकार से प्रस्फुटित किया है यदि यह बात हम सही अर्थों में समझ पाएं तो लोकतांत्रिक स्वतंत्र भारत में अपना उत्तरदायित्व निभाने में हम कोई भी कठिनाई महसूस नहीं कर पाएंगे । □□□

हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें : कुछ प्रमुख निर्णय

1. योजना मंत्रालय

योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक योजना मंत्री की अध्यक्षता में 4 मई, 1982 को नई दिल्ली में हुई। इसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

1. श्री एस० बी० चव्हाण — अध्यक्ष
   योजना मंत्री और उपाध्यक्ष, योजना आयोग
2. श्री राम किंकर, संसद सदस्य — सदस्य
3. श्री राम विलास पासवान, संसद सदस्य — सदस्य
4. श्री गंगा शरण सिंह — सदस्य
5. श्री राम सहाय पांडेय — सदस्य
6. डा० महावीर अधिकारी — सदस्य
7. श्री भगवती शरण सिंह — सदस्य
8. श्री आनन्द जैन — सदस्य
9. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री — सदस्य
10. श्री सुरेन्द्र वर्मा — सदस्य
11. श्री मुकुल चन्द पांडेय — सदस्य
12. श्री पन्ना लाल शर्मा, — सदस्य
    (केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि)
13. डा० मन मोहन सिंह, सदस्य सचिव, — सदस्य
    योजना आयोग
14. श्री जी० सी० बवेजा, सचिव, सांख्यिकी विभाग — सदस्य
15. श्री जय नारायण तिवारी, सचिव, — सदस्य
    राजभाषा विभाग और भारत सरकार
    के हिन्दी सलाहकार
15. श्री एस० एन० चौधरी, सलाहकार — सदस्य
    (प्रशासन) योजना आयोग
17. श्री एस० के० गोविल, सलाहकार — सदस्य
    (योजना समन्वय) योजना आयोग
18. डा० के० सी० सील, महानिदेशक, — सदस्य
    केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन
19. श्री जी० एन० तिवारी, मुख्य कार्यकारी — सदस्य
    अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
20. श्री एच० बी० गोस्वामी, संयुक्त सचिव, — सदस्य
    राजभाषा विभाग
21. श्री के० सी० अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन) — सदस्य
    योजना आयोग
22. श्री मदन शर्मा, — सदस्य-सचिव
    वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, योजना आयोग

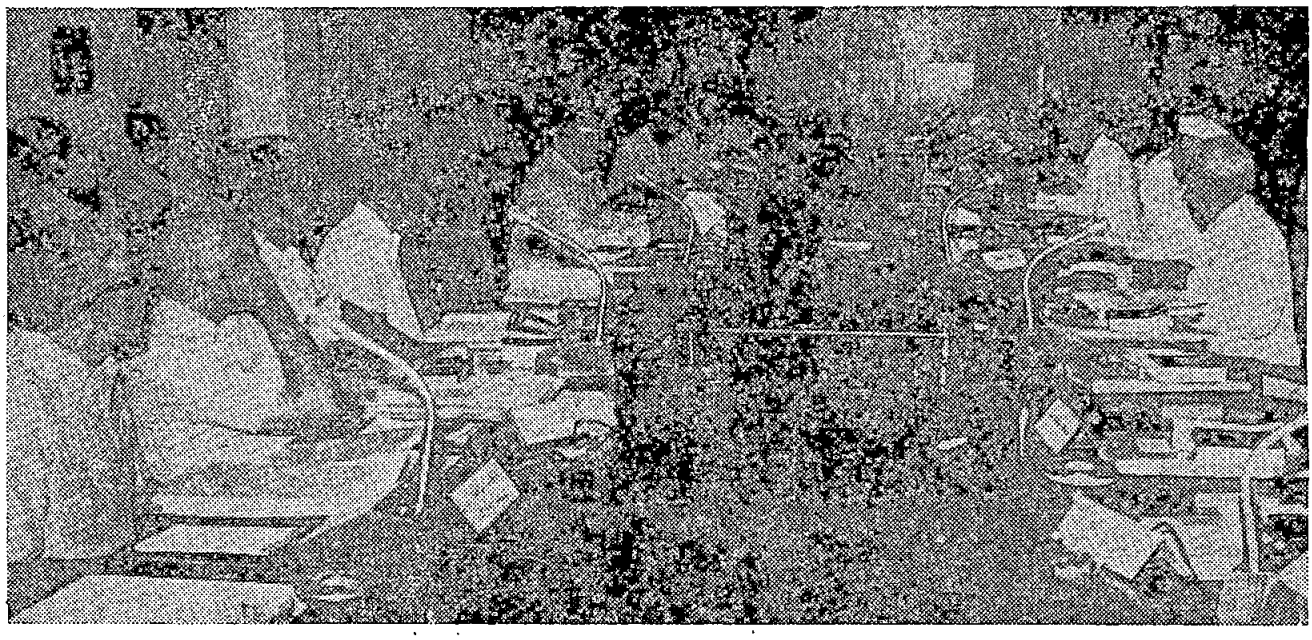

योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यगण एवं अधिकारी

(बाईं तरफ से) श्री के० सी० अग्रवाल (निदेशक प्रशासन), श्री एस० के० गोविल (सलाहकार योजना समन्वय), श्री एम० एन० चौधरी (सलाहकार प्रशासन), श्री मदन शर्मा (वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी), श्री एस० बी० चव्हाण, योजना मंत्री और अध्यक्ष, योजना मंत्रालय हिन्दी समिति, श्री जी०सी० बवेजा, (सचिव सांख्यिकी विभाग), डा० के० सी० सील (महानिदेशक केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन) श्री जी० एन० तिवारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन)

2. गैर सरकारी सदस्यगण— श्री राम किंकर (संसद सदस्य) श्री गंगा शरण सिंह, श्री रघुवीर सिंह शास्त्री, डा० महावीर अधिकारी, आदि।

योजना मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस० बी० चव्हाण ने योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि प्रमुख साहित्यकार और भाषाविद्, पत्रकार और संपादक, लेखक और समाजसेवी व्यक्ति इस समिति के सदस्य हैं जिनके विचारों, सुझावों और मार्गदर्शन से योजना मंत्रालय देश के बहुमुखी विकास के लिये योजना निर्माण के व्यापक और महत्वपूर्ण कार्य के साथ साथ हिन्दी के विकास, प्रचार, प्रसार और प्रयोग के कार्य में भी अपना योगदान देने में समर्थ हो सका है ।

उन्होने बताया है कि योजना मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने योजना आयोग और सांख्यिकी विभाग में हिन्दी में होने वाले कामकाज और हिन्दी के प्रयोगों को बढ़ाने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयत्नों और उपायों की जानकारी प्राप्त की । उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों की इसमें बहुत रचनात्मक और उपयोगी भूमिका रही है । उन्होंने यह स्पष्ट किया कि योजना आयोग और सांख्यिकी विभाग दोनों ही अपने-अपने तकनीकी और विशेषज्ञ प्रकार के कार्यों की सीमाओं के होते हुए भी राजभाषा नीति को कार्यान्वित कर रहे हैं और हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए बराबर प्रयत्नशील रहे हैं तथा इनमें काम कर रहे देश के विभिन्न भागों के विभिन्न भाषा-भाषी अधिकारियों और विशेषज्ञों की राजभाषा नीति के प्रति पूरी निष्ठा, लगन और सद्भावना है । योजना आयोग और सांख्यिकी विभाग अपने सीमित हिन्दी स्टाफ की सहायता से और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रोत्साहन से विविध तकनीकी रिपोर्टों, कागज पत्रों, प्रकाशनों आदि के हिंदी रूपान्तर बिलकुल थोड़े समय में तैयार करते रहे हैं तथा इसमें राजभाषा नीति की विभिन्न आवश्यकताओं का पालन किया जा रहा है ।

उन्होंने कहा कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास, प्रचार, प्रसार तथा शिक्षण के माध्यम के रूप में और साथ ही सरकारी कामकाज में उनके प्रयोग का कार्य, व्यापक और महत्वपूर्ण है और इसमें उनकी शुरू से रुचि रही है । भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के रूप में इस कार्य में उन्होंने अपना विनम्र योगदान देने की कोशिश की थी । योजना मंत्री के रूप में भी वे इस महत्वपूर्ण कार्य में हर संभव योगदान देने के लिये प्रयत्नशील हैं । इस संबंध में उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि देश के बहुमुखी विकास और प्रगति में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास प्रचार, प्रसार, और प्रशासन में प्रयोग की प्रमुख भूमिका है और इस लिए इस कार्य को भी योजनाबद्ध रूप में करने की जरूरत है । उन्होंने कहा कि इस प्रसंग में सदस्यों को यह बताते हुए उन्हें खुशी है कि योजना मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने इस दिशा में अपने विनम्र योगदान के रूप में इस संबंध में राजभाषा विभाग के प्रस्तावों को मानते हुए राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास, प्रसार, और प्रयोग के लिये अब तक योजना से बाहर विषय (Non-Plan Subject) को योजना के विषय (Plan Subjec) के रूप में स्वीकार कर लिया है ।

इससे संबंधित एक प्रमुख विषय का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश की समग्र प्रगति और बहुमुखी विकास में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास प्रचार, प्रसार और प्रशासन में प्रयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है और वह इन सभी भाषाओं के पारस्परिक निकट संपर्क तथा आदान-प्रदान पर निर्भर करती है । हिन्दी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य पर्याप्त समृद्ध हैं और सभी भाषायें साहित्यिक भाषाओं के रूप में विकसित हैं । परन्तु राजभाषा के रूप में इनके प्रयोग और विकास के लिये काफी कुछ किया जाना है । इसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि सभी भाषाओं में उदारता और पूर्ण सद्भावना के साथ शब्द-संपदा, अभिव्यक्ति, शैली आदि का आदान-प्रदान हो । इसमें हिन्दी की भूमिका संपर्क भाषा के रूप में और भी महत्वपूर्ण है । इससे भाषाओं और साहित्यों की समृद्धि के साथ देश की भावनात्मक एकता को बढ़ावा मिलेगा, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है ।

इस संबंध में उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि इस महत्वपूर्ण कार्य को योजनाबद्ध रूप में करने की जरूरत है और उन्होंने समिति को यह विश्वास दिलाया कि इसमें योजना मंत्रालय अपना पूरा योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा तथा इस विषय में राजभाषा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, और अन्य मंत्रालयों तथा राज्यों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों और कार्यक्रमों में अपनी सीमाओं में यथासंभव सहायता करने की कोशिश करेगा ।

अंत में उन्होंने उन सभी सदस्यों के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किया जिन्होंने अपना व्यस्त और बहुमूल्य समय निकालकर इस बैठक में सम्मिलित होने और इन कार्यों में सहयोग और प्रोत्साहन देने की कृपा की । उन्होंने सबको विश्वास दिलाया कि उनके अनुभवपूर्ण और मूल्यवान सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जायेगा ।

समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने हिन्दी के विकास, प्रचार, प्रसार, प्रशासन में प्रयोग, आदि के कार्यों में सक्रिय रुचि ली है और इस योजनेतर विषयको योजनागत विषय बनाने के संबंध में समिति की पहली बैठक में प्रकट किए गए विचार को कार्य रूप में परिणत करके एक बहुत बड़ा कार्य किया है और इसके लिए मंत्री महोदय सदस्यों की ओर से बधाई स्वीकार करें । उनके इस महत्वपूर्ण कार्य और योगदान से सरकार में राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास, प्रसार और प्रयोग के बहुविध कार्यों को नई दिशा मिलेगी । उन्होंने यह आशा प्रकट की कि मंत्री महोदय की प्रेरणा और मार्ग-

दर्शन से इस व्यापक और महत्वपूर्ण कार्य में योजनाबद्ध रूप में प्रगति होगी और इसमें इस समति के सदस्यों को भी सार्थक और रचनात्मक भूमिका रहेगी । वे इस विषय में योजना मंत्रालय को अपने अनुभव और जानकारी, विचार और सुझाव देकर सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे ।

इसके बाद कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर विचार किया गया :—

(1) **योजना मंत्रालय की विशिष्ट शब्दावली के लिए उप समिति**

श्री भगवती शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने उप समिति के सदस्य के रूप में इस कार्य में शुरुआत करने की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में से अनेक तकनीकी शब्दों का संकलन और चयन करने का काम कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न व्यवसायों, तकनीकी विषयों की लोक प्रचलित शब्दावली का विभिन्न क्षेत्रों में जाकर और सर्वेक्षण करके संकलन किया है । योजना मंत्रालय की शब्दावली में उस संकलन से सहायता मिल सकेगी । उन्होंने यह सुझाव दिया कि योजना मंत्रालय की जिस शब्दावली का संकलन तैयार कर लिया गया है या किया जा रहा है उस पर उस समिति के सदस्यों के विचारों और सुझावों को प्राप्त करने की दृष्टि से जैसे-जैसे वे तैयार होते जाएं वैसे-वैसे क्रमिक रूप में उप समिति के सदस्यों को भेजते जाना अधिक सुविधाजनक रहेगा ।

योजना मंत्रालय की ओर से **श्री मदन शर्मा** ने बताया कि योजना आयोग के लगभग दस हजार और सांख्यिकी विभाग के लगभग पांच हजार तकनीकी शब्दों के संकलन और हिन्दी पर्याय निर्धारण का काफी बड़ा काम कर लिया गया है, अब उन्हें विषयों और क्षेत्रकों के अनुसार वर्गीकृत और संकलित करने का काम चल रहा है और जल्दी ही उप समिति के सदस्यों को दो-तीन विषयों की शब्दावली भेज दी जायेगी । इसके बाद क्रमिक रूप में अन्य सभी विषयों की शब्दावली भेजी जाएगी । इससे उप समिति के सदस्यों को उन पर विचार करने और सुझाव देने में सुविधा होगी । इसके बाद उप समिति के सभी सदस्यों की एक साथ बैठकें करके उक्त शब्दावली को अंतिम रूप दे दिया जाएगा ।

इसी प्रसंग में अखिल भारतीय शब्दावली या हिन्दी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पाई जाने वाली समान शब्दावली के निर्धारण के संबंध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किये जा रहे कार्य का उल्लेख भी कुछ सदस्यों ने किया और कहा कि यह सभी भारतीय भाषाओं में निहित भाषायी एकता को उभारने वाला महत्वपूर्ण कार्य होगा । **श्री राम सहाय पांडेय** ने कहा कि योजनाओं का कार्य देशव्यापी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है और उसको देश भर में सरल प्रकाशनों आदि के जरिये लोकप्रिय बनाया जा सकता है । उसमें इस प्रकार की हिन्दी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में समान शब्दावली की बहुत बड़ी भूमिका है । परन्तु उन्हें मालूम है कि शिक्षा मंत्रालय में यह काय एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को बदल कर सौंपे जाने के कारण रुक गया मालूम होता है । इस बारे में **श्री गंगाशरण सिंह** ने बताया कि कभी यह काम केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय कर रहा था और शायद अब शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिये एक आयोग या समिति का गठन किया है । इस लिए शिक्षा मंत्रालय से इस संबंध में नवीनतम स्थिति और प्रगति मालूम कर ली जाए ।

इस संदर्भ में **श्री राम सहाय पांडेय, डा० महावीर अधिकारी** तथा **श्री मुकुल चंद पांडेय** ने पारिभाषिक शब्द निर्माण के क्षेत्र में अपने कार्य का उल्लेख किया । **श्री राम सहाय पांडेय** और **डा० महावीर अधिकारी** ने बताया कि कि उन्होंने कई विषयों, विशेष रूप से मानविकी और योजना संबंधी विषयों में सार्वजनिक क्षेत्रों, प्रतिष्ठानों, माध्यम एककों आदि में प्रचलित शब्दावली का संकलन किया है तथा पत्रकारिता, संपादन, अनुवाद, मूल लेखन, आदि के कार्य करते हुए उन्होंने ऐसे अनेक संकल्पनामूलक, पारिभाषिक और तकनीकी शब्दों के निर्धारण और निर्माण का कार्य किया है । **श्री मुकुल चंद पांडेय** ने कहा कि उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में शब्दावली निर्माण, मानक वैज्ञानिक ग्रंथों के हिन्दी अनुवाद और वैज्ञानिक विषयों में मूल लेखन भी किया है । इस क्षेत्र में उनके अनुभव और कार्य का उपर्युक्त शब्दावली उप समिति के कार्य में उपयोग किया जा सकता है, वे इसमें सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हैं । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन सदस्यों के अनुभव और योगदान का उप समिति में लाभ उठाया जा सकता है ।

(2) **स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर व्यवसायोन्मुख व्यावहारिक हिन्दी भाषा–शिक्षण पाठ्यक्रम एंव**

(3) **पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में जानकारी का समावेशन ।**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री ने कहा कि ये दोनों ही योजनाएं महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं परन्तु शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इतने समय के बाद भी इन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की है । इसलिए उनसे जल्दी ही यह करने के लिए फिर से आग्रह किया जाए ।

श्री राम सहाय पांडेय ने कहा कि योजनाओं का संबंध देश के और जीवन के सभी क्षेत्रों से है, । यह ऐसी गंगोत्री है जहां से सभी धाराओं का उद्गम होता है । इस लिए इनके बारे में देश भर में सभी क्षेत्रों, तथा समाज के सभी वर्गों में शिक्षण और जनसंचार के सभी साधनों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए जिससे योजनाओं के बारे में सबको जानकारी मिलेगी और उनके कार्यान्वयन में सबका सहयोग और सहभागिता प्राप्त हो सकेगी । इस विषय में उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए : (1) योजना आयोग योजनाओं के बारे में जनसामान्य को जानकारी देने और उनके कार्यान्वयन

में सबका सहयोग प्राप्त करने के लिए सरल हिन्दी भाषा में सामग्री/प्रकाशन तैयार करके उन्हें उपलब्ध कराया जाए ।

(2) स्कूल की सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में इनके बारे में जानकारी देने वाले पाठ शामिल किए जायें । (3) रेडियो, दूरदर्शन और फिल्म जैसे जनसंचार के प्रभावी और लोकप्रिय माध्यमों का इस काम के लिए उपयोग किया जाए। इसके लिए यह अधिक उपयोगी होगा कि पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के बारे में, आम लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में रेडियो से 10 मिनट के लिए हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी दी जाए । इसी तरह से दूरदर्शन के माध्यम से भी इस बारे में लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायें । फिल्म्स डिवीजन डाक्यूमेंटरी फिल्म बनाकर यह कार्य और अधिक अच्छी प्रकार से कर सकता है । उन्होंने बताया कि केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य के रूप में उन्होंने वहां भी यह सुझाव दिया था। इन सभी कार्यों का समन्वय योजना आयोग करे।

(4) योजना आयोग तथा सांख्यिकी विभाग में हिन्दी कार्य और पदों की उपयुक्त व्यवस्था

इस संबंध में **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** ने योजना आयोग और सांख्यिकी विभाग में इस कार्रवाई के बारे में हुई प्रगति जाननी चाही । इस बारे में **श्री मदन शर्मा** ने बताया कि हिन्दी सलाहकार समिति के सुझाव के अनुसरण में और योजना आयोग में हिन्दी अनुभाग के महत्वपूर्ण और बढ़े हुए दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक पद बनाने के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं और उनके संबंध में आयोग का आंतरिक कार्य अध्ययन एकक जांच कर रहा है और उसके जल्दी ही अपनी ही सिफारिशें देने और अपेक्षित पद बनाने की आशा है । तथापि जब तक अतिरिक्त पद नहीं बनाए जाते तब तक तकनीकी शब्दावली को अंतिम रूप देने, योजनाओं के संबंध में लोकप्रिय प्रकाशन सरल हिन्दी में निकालने, आयोग की सभी रिपोर्टों और प्रकाशनों को हिन्दी में तैयार करने, सभी मूल पत्र-व्यवहार हिन्दी में करने के विविध कार्य कर पाना संभव नहीं है। इसी तरह से सांख्यिकी विभाग में अतिरिक्त आवश्यक पद बनाने और खाली पदों को भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है । **श्री शास्त्री** ने इस बात पर जोर दिया कि इस विषय में पहले ही काफी देर हो चुकी है, इसलिए ये पद जल्दी बनाए जाएं और भरे जाएं ।

इस पर अपने अनुभव और विचार प्रकट करते हुए **श्री राम बिलास पासवान** ने कहा कि संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में उनका यह अनुभव रहा है कि कई मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक पद बनाने में काफी दिक्कत होती है । वे वित्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य हैं और यदि योजना मंत्रालय को आवश्यक पद बनाने के लिये वित्त मंत्रालय से कोई कठिनाई हो तो वे उनसे इस बारे में आग्रह कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने यह इच्छा प्रकट की कि आवश्यक पद बनाने और भरने का कार्य जल्दी हो जाना चाहिए ।

(5) विज्ञान संबंधी साहित्य को हिन्दी में तैयार करना

इस विषय में **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** का यह विचार था कि यद्यपि विज्ञान संबंधी साहित्य को हिन्दी में तैयार करने का कार्य मुख्य रूप से भारत सरकार के विज्ञान संबंधी विभागों का है, परन्तु यदि योजना आयोग इस विषय में पहल करे और उन विभागों से कहे तो इस दिशा में प्रगति हो सकती है । इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि योजना आयोग इस विषय में उन्हें लिखे ।

इस बारे में **श्री मदन शर्मा** ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हिन्दी में मूल पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी योजना के अन्तर्गत एक पुरस्कार योजना बनाई है और योजना आयोग ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है । **अध्यक्ष महोदय** ने कहा कि यदि ये विभाग भी अपने से संबंधित विषयों में ऐसे वैज्ञानिक साहित्य को हिन्दी में तैयार करने के लिये कोई योजना बनाएं तो आवश्यकतानुसार योजना आयोग उसमें सहायता कर सकता है ।

(6) सांख्यिकी विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति

इस विषय में **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** और **श्री राम बिलास पासवान** ने इस बात पर जोर दिया कि सांख्यिकी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय देश भर में फैले हुए हैं और उनका राज्यों, उनके कार्यालयों, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और जनता से संपर्क रहता है, इसलिए उनमें हिन्दी के अधिकाधिक काम की गुंजाइश है अतः सभी प्रमुख कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों के पद बनाने से इसमें सहायता मिल सकेगी ।

(7) हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था

श्री सुरेन्द्र वर्मा ने अपने इस सुझाव का आशय स्पष्ट करते हुए कहा कि हिन्दी टाइपराइटर, हिन्दी स्टाफ, आदि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक साधन हैं और इनकी कमियों के कारण इस दिशा में अपेक्षित प्रगति पर प्रभाव पड़ सकता है । इसलिए योजनाबद्ध रूप में आवश्यक संख्या में इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

श्री राम बिलास पासवान और **श्री राम किंकर** कहा कि सांख्यिकी विभाग में हिन्दी टाइपराइटर कम हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ।

इस विषय में योजना आयोग के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए **श्री मदन शर्मा** ने बताया कि योजना आयोग में वर्तमान हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटरों से हिन्दी का सारा कामकाज ठीक तरह से चल रहा है; हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उनका ठीक तरह से

विभिन्न अनुभागों में उपयुक्त रूप से वितरण और उनका अधिक उपयोग करते हुए अधिकाधिक हिन्दी का काम-काज हो। योजना आयोग में इन 37 टाइपराइटरों की सहायता से पिछले वर्ष लगभग 15000 मानक पृष्ठ टाइप या साइक्लोस्टाइल रूप में तैयार किये गये हैं। राजभाषा संबंधी सभी सांविधिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं का पालन किया जा रहा है और इसमें हिन्दी टाइपराइटरों की कोई कमी नहीं आई है। तथापि क्रमिक रूप में हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटरों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(8) हिन्दी के लिए वातावरण तैयार करना

श्री सुरेन्द्र वर्मा का यह विचार था कि योजना मंत्रालय, योजना आयोग और सांख्यिकी विभाग में अधिकारीगण राजभाषा नीति के प्रति निष्ठा रखते हैं और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की इच्छा भी रखते हैं। परन्तु इतना काफी नहीं है। इस निष्ठा और लगन को अमल में लाने की भी जरूरत है,। वास्तव में यदि अधिकारीगण हिन्दी के प्रयोग की दिशा में पहल करें और अपनी सुविधा और सीमाओं में रोजाना अपना कुछ सरकारी कामकाज हिन्दी में करने का निश्चय कर लें तो इससे हिन्दी के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों, को, जिनमें से अधिकतर को हिन्दी अच्छी तरह से आती है, अपना काम हिन्दी में करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ योजना मंत्रालय में हिन्दी की प्रगति और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी यह बहुत जरूरी है कि इस महत्वपूर्ण मंत्रालय में हिन्दी अधिकारी के पर्याप्त पद बनाए जाएं और प्रभारी हिन्दी अधिकारी पद उपयुक्त स्तर का हो।

(9) योजना आयोग द्वारा राजभाषा विभाग की हिन्दी की योजनाओं को स्वीकृति

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री ने योजना मंत्री महोदय को इस बात के लिए फिर से धन्यवाद दिया कि उन्होंने हिन्दी के कार्य के प्रति रुचि रखते हुए राजभाषा विभाग के प्रस्ताव पर राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास, प्रचार, प्रसार, आदि के योजना से बाहर के विषय (Non-Plan Subject) को योजना के विषय (Plan Subject) के रूप में स्वीकार कर लिया है इस बारे में **श्री शास्त्री** ने यह जानना चाहा कि राजभाषा विभाग की कौन-कौन सी प्रमुख या उल्लेखनीय योजनाएं हैं जिनके लिए यह स्वीकृति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय ने इसके लिए **श्री शास्त्री** और अन्य सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया और बताया कि अभी तो राजभाषा के रूप में हिन्दी के काम को योजना का विषय बनाने का सिद्धांत रूप में निर्णय किया गया है। अब इसके अनुसार राजभाषा विभाग इस कार्य की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार योजना आयोग की सलाह से विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों को अंतिम रूप देगा। शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी के विकास, प्रचार, प्रसार, आदि के संबंध में कई कार्यक्रम/स्कीमें योजना के विषय के रूप में चल रहे हैं। यदि अन्य मंत्रालय/विभाग भी अपने निर्धारित योजना परिव्ययों और आवंटनों के भीतर इस विषय में कोई कार्यक्रम/स्कीमें तैयार करेंगे तो योजना आयोग, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार की राय से उन पर विचार करेगा। इसी तरह से यदि कोई राज्य अपनी राजभाषा के विकास, प्रसार, प्रयोग आदि के संबंध में कोई कार्यक्रम/स्कीमें अपने निर्धारित योजना परिव्ययों और आवंटनों के भीतर राज्य योजना के भाग के रूप में तैयार करेंगे तो आयोग उन पर भी विचार करेगा।

राजभाषा विभाग के सचिव और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार **श्री जयनारायण तिवारी** ने बताया कि राजभाषा विभाग इस कार्य में लगा हुआ है और जल्दी ही इसे पूरा कर लेगा।

(10) योजना मंत्रालय, तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण के समय दिए गए सुझावों पर कार्रवाई

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के उपाध्यक्ष **श्री पन्ना लाल शर्मा** ने योजना आयोग के प्रकाशनों को हिन्दी में भी निकालने के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया कि जब तक आयोग के हिन्दी अनुभाग में पर्याप्त हिन्दी स्टाफ इस कार्य के लिए नहीं मिल जाता तब तक एक उपाय यह हो सकता है कि आयोग के हिन्दी जानने वाले तकनीकी अधिकारियों से मानदेय के आधार पर प्रकाशनों के हिन्दी अनुवाद का काम करवाया जाए। **अध्यक्ष महोदय** ने कहा कि यह अच्छा सुझाव है और इसे माना जा सकता है।

(11) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण में मंत्रालयों, उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्था

संसदीय राजभाषा समिति के सांख्यिकी विभाग के निरीक्षण के समय समिति द्वारा बताई गई उक्त विभाग की कमियों को दूर करने के लिये सांख्यिकी विभाग ने की गई कार्रवाई का जो विवरण दिया था उसके सम्बन्ध में चर्चा करते हुए **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** ने इस बात पर जोर दिया कि सांख्यिकी विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से की जानी चाहिएं।

सांख्यिकी विभाग के प्रकाशनों के बारे में **श्री राम विलास पासवान** ने कहा कि सांख्यिकी विभाग के सभी प्रकाशन बहुत उपयोगी और सूचनाप्रद होते हैं। 10 प्रकाशन तो अंग्रेजी के साथ ही हिन्दी में भी प्रकाशित किये जा रहे हैं—यह बहुत अच्छा प्रयत्न है। केवल 4 प्रकाशन केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किये जा रहे हैं, इन्हें भी हिन्दी में निकाला जा सके तो बहुत अच्छा हो। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि "सांख्यिकीय पुस्तिका— भारत" बहुत ही सुन्दर रूप में प्रकाशित हुई है, परन्तु यदि इसे और ऐसे ही अन्य सांख्यिकी प्रकाशनों को अंग्रेजी में और हिन्दी में अलग-अलग छापने की

बजाय उन्हे द्विभाषिक रूप में (हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ) छापा जाए तो इससे बचत भी होगी और इसकी उपयोगिता बढ़ जायेगी।

सांख्यिकी विभाग के सचिव **श्री जी० सी० बवेजा** ने इस बारे में बताया कि शेष 4 प्रकाशनों को भी हिन्दी में निकालने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। "सांख्यिकी पुस्तिका" को द्विभाषिक रूप में निकालने के **श्री रामविलास पासवान** के सुझाव को उन्होंने उपयोगी बताया और कहा कि ऐसा करने के लिये प्रयत्न किया जायेगा।

(12) **सदस्यों द्वारा अन्य सुझाव**

श्री रामविलास पासवान ने यह विचार प्रकट किया कि यद्यपि संविधान के अनुसार राजभाषा हिन्दी है और सुविधा के लिए अंग्रेजी में कामकाज चलाया जा रहा है और उद्देश्य यह था कि क्रमिक रूप में हिन्दी का प्रयोग बढ़ता जाये और वह अंग्रेजी का स्थान ले ले परन्तु व्यवहार में अंग्रेजी ही प्रधान भाषा बनी हुई है और हिन्दी का प्रयोग जहां सुविधा से किया जा सकता था, वहां भी नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति वांछनीय नहीं है। उनका यह विचार था कि योजना मंत्रालय और वित्त मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालय हैं और यदि वे इस दिशा में अग्रणी रहेंगे तो यह निश्चित है कि सरकार में अन्य मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी का प्रयोग और व्यवहार काफी बढ़ सकेगा और योजना मंत्री श्री चव्हाण साहब की तो इस विषय में पूर्ण रुचि और प्रोत्साहन रहा है।

श्री राम किंकर का यह विचार था कि आंकड़ों और प्रतिशत के रूप में सरकारी कार्यालयों में अनुवाद के जरिये हिन्दी के प्रयोग और प्रगति का जायजा लगाने की बजाय यह अधिक महत्वपूर्ण है कि कार्यालय में अधिकारी हिन्दी के प्रति रुचि रखते हैं और उसे अपने व्यवहार में अपनाकर अपना सरकारी कामकाज मूलरूप से हिन्दी में करते हैं।

श्री मदन शर्मा ने इस बारे में बताया कि योजना मंत्रालय में अधिकारियों में हिन्दी के प्रति रुचि है और अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति उत्साहजनक है। इसका अनुमान इस बात से लग सकता है कि योजना आयोग और सांख्यिकी विभाग--दोनों में हिन्दी में टिप्पणियों वाली कई फाइलें अनुभाग स्तर से मंत्री महोदय तक जाती हैं और उनमें सभी अधिकारीगण, जिनमें अहिन्दी-भाषी अधिकारी भी होते हैं, अपनी टिप्पणी हिन्दी में लिखते हैं। योजना आयोग के प्रशासनिक प्रभागों में यथासंभव काम हिन्दी में ही होता है, कुछ तकनीकी प्रभागों में भी तकनीकी अधिकारी, जिनमें अहिन्दी-भाषी अधिकारी भी शामिल है, हिन्दी में प्राप्त पत्र-व्यवहार को समझते हैं और उन पर सामान्य टिप्पणियां हिन्दी में लिखते हैं और मूल रूप से उनके उत्तर के मसौदे हिन्दी में तैयार करते हैं। इस दिशा में हिन्दी के और अधिक प्रयोग को बढ़ाने के लिये बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री ने यह कहा कि हिन्दी जानने वाले अधिकारियों को अपना कामकाज हिन्दी में करने में सहायता करने के लिये हिन्दी जानने वाले आशुलिपिकों की व्यवस्था आवश्यक है। इस सन्दर्भ में उन्होंने भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार से यह बताने को अनुरोध किया कि ऐसे आशुलिपिकों के लिये प्रोत्साहन के रूप में विशेष वेतन देने के सम्बन्ध में राजभाषा विभाग का जो प्रस्ताव था उसमें क्या प्रगति हुई है।

भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री जयनारायण तिवारी ने बताया कि इस विषय में वित्त मंत्रालय से चर्चा हो चुकी है और उनकी सहमति जल्दी ही प्राप्त होने की आशा है।

डा० महावीर अधिकारी ने इस विषय में यह स्पष्ट किया कि उन्होंने स्वयं भारत सरकार में कुछ समय रहकर एक तकनीकी पत्रिका के संपादन का कार्य किया था। उनका यह अनुभव रहा है कि जो नई नई संकल्पनाएं, तथा पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली अलग-अलग विषयों के क्षेत्र में प्रयोग में लाई जा रही हैं उनके संकल्पनामूलक और तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त हिन्दी पर्याय बनाने और तय करने का काम बहुत व्यापक और कठिन होता है। फिर सरकार में ऐसे तकनीकी विषयों पर हिन्दी में प्रलेख, रिपोर्टें, आदि तैयार करने का काम भी बिल्कुल समयबद्ध होता है और बहुत ही थोड़े समय में हिन्दी अनुवादक या लेखक या संपादक को उपयुक्त हिन्दी शब्दावली तैयार करने और हिन्दी रूपान्तर तैयार करने का काम करना पड़ता है। वास्तव में नित नूतन विकसित तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों की नवीन संकल्पना मूलक हिन्दी शब्दावली बनाते हुए उन्हें हिन्दी में प्रयुक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य करने के लिये सरकारी कार्यालयों के हिन्दी अधिकारी, हिन्दी संपादक, आदि बधाई के पात्र है। हिन्दी-भाषी लोगों ने परम्परागत रूप में या साहित्यिक माध्यम के रूप में हिन्दी का अध्ययन किया है, उनके लिये भी ज्ञान-विज्ञान की नवीनतम विकसित संकल्पनाएं और तकनीकी शब्दावली समझना कठिन होता है। जब हिन्दी के अच्छे जानकार व्यक्तियों के लिये भी ऐसे तकनीकी विषयों को हिन्दी में समझना कठिन होता है तो अहिन्दी-भाषी लोगों की इस विषय में कठिनाई का अनुमान लगाया जा सकता है। अधिकतर हिन्दी-भाषी व्यक्ति तकनीकी विषयों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिन्दी भाषा के नवीन विकासोन्मुख स्वरूप, शैली और शब्दावली से ठीक तरह से परिचित नहीं होते हैं और अधिकांश को भारत की अन्य भाषाओं और साहित्यों के बारे में जानकारी नगण्य ही होती है। अतः उन्हे भी अपने ज्ञान मे वृद्धि करनी चाहिये। **श्री गंगाशरण सिंह** ने इस स्थिति का कारण स्पष्ट करते हुए बताया कि राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 के साथ संसद द्वारा स्वीकृत संकल्प में जिस त्रि-भाषा सूत्र की व्यवस्था की गई है उसको अधिकतर अहिन्दी-भाषी

क्षेत्रों ने तो अपना लिया है और वहां विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के साथ दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी का अध्यापन किया जाता है, परन्तु हिन्दी-भाषी क्षेत्रों ने इस त्रि-भाषा सूत्र को व्यवहार में नहीं अपनाया है और कहीं भी दूसरी भाषा के रूप में अन्य भारतीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। वास्तव में सभी भाषाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान और सौहार्द्र के लिये इस त्रिभाषा सूत्र का, विशेष रूप से हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अपनाया जाना बहुत आवश्यक है।

समिति के विचार-विमर्श का समापन करते हुए अध्यक्ष महोदय ने समिति के सदस्यों के सहयोग और मूल्यवान सुझावों के लिये आभार प्रकट किया।

2. नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नागरिक पूर्ति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री, राव वीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कृषि भवन, नई दिल्ली में 29 अप्रैल, 1982 को हुई। इस बैठक में निम्न-लिखित सदस्य उपस्थित थे:—

1. राव वीरेन्द्र सिंह — अध्यक्ष
   मंत्री (कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति)
2. मौ० उस्मान आरिफ — उपाध्यक्ष
   उप मंत्री (कृषि तथा नागरिक पूर्ति)
3. श्री जे० के० जैन — सदस्य
   संसद सदस्य (राज्य सभा)
4. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री — सदस्य
5. श्री हिमांशु जोशी — सदस्य
6. श्रीमती इन्दुजा अवस्थी — सदस्य
7. श्रीमती मृदुला गर्ग — सदस्य
8. श्रीमती शैलबाला कानूनगो — सदस्य
9. श्री पन्ना लाल शर्मा — सदस्य
   उप प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि
10. श्री अ० कु० मजुमदार — सदस्य
    सचिव, नागरिक पूर्ति मंत्रालय
11. श्री जे० एन० तिवारी — सदस्य
    सचिव, राजभाषा विभाग
12. श्री टी० आर० परमेश्वरन् — सदस्य
    संयुक्त सचिव, नागरिक पूर्ति मंत्रालय
13. श्री धर्म दत्त — सदस्य
    महाप्रबन्धक, सुपर बाजार
14. श्री पी० एस० चीमा — सदस्य
    मुख्य निदेशक, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय
15. श्री ए० के० मुखर्जी — सदस्य
    प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ
16. श्री वि० ना० कापरे — सदस्य
    अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग,
17. श्री पी० के० गुप्त, — सदस्य
    महानिदेशक, भारतीय मानक संस्था
18. श्री इन्द्र मोहन सहाय — संयुक्त सचिव
    नागरिक पूर्ति मंत्रालय
19. श्री ए० के० अग्रवाल
    निदेशक नागरिक पूर्ति मंत्रालय
20. श्री एस० गुरूमूर्ति निदेशक (वित्त)
21. श्री वी० के० बालकृष्णन निदेशक (वित्त)
22. श्री एस० चन्द्रशेखरन निदेशक (वाट तथा माप)
23. श्री मोहन लाल जाटव, अवर सचिव
24. श्री रणजीत दत्त, अवर सचिव
25. श्री ठाकुर प्रसाद कपूर, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी
26. श्री राजमणि तिवारी, वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी (राजभाषा विभाग)

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि नागरिक पूर्ति मंत्रालय तथा उसके संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों में कुल मिलाकर सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम हो रहा है। तथापि स्टाफ की कमी तथा कुछ अन्य दिक्कतों की वजह से "क" तथा "ख" क्षेत्रों के राज्यों के साथ पत्राचार जैसे कुछ विशिष्ट कार्यों में हिन्दी के प्रयोग में वांछित प्रगति नहीं हो पाई है, अतः इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय को हिन्दी में मिलने वाले पत्रों के सौ फीसदी उत्तर हिन्दी में ही दिये जा रहे हैं। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे मंत्रालय तथा उसके अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दें।

3. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री ने जानना चाहा कि भारतीय मानक संस्था द्वारा ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है। भारतीय मानक संस्था के महानिदेशक ने बताया कि इनमें से कुछ विषय तकनीकी स्वरूप के हैं, लेकिन फिर भी जहां संभव है वहां

प्रश्न पत्रों को द्विभाषी रूप में बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि इस समय कुछ प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में दिये जा रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री ने उल्लेख किया कि कार्यसूची टिप्पण से पता चलता है कि भारतीय मानक संस्था द्वारा ली जाने वाली कुछ भर्ती परीक्षाएं बाह्य एजेंसियों द्वारा ली जाती हैं, जिन्होंने प्रश्न-पत्र हिन्दी में तैयार करने तथा इन परीक्षाओं को हिन्दी में आयोजित करने में कठिनाई व्यक्त की है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि उक्त बाह्य एजेंसी यह काम नहीं कर सकती है तो क्यों न उसके स्थान पर मंत्रालय में एक अलग एजेंसी बना ली जाये जो इन परीक्षाओं को हिन्दी में भी आयोजित कर सके ।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि स्वायत्त संस्थाओं में इस कार्य के लिए अपने यहां कर्मचारी नहीं हैं, इस वजह से वे यह काम बाहरी एजेंसियों से कराती हैं । तथापि उन्होंने कहा कि यह प्रबन्ध अधिक सन्तोषजनक नहीं है अतः भारतीय मानक संस्था तथा मंत्रालय इस मामले की आगे और जांच करे ताकि भर्ती प्रणाली को व्यवस्थित किया जा सके।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि ने जानना चाहा कि भारतीय मानकों को हिन्दी में भी छपवाने के बारे में क्या प्रगति हुई है। भारतीय मानक संस्था के महानिदेशक ने उत्तर दिया कि नवीनतम स्थिति के अनुसार इस समय 11000 से भी अधिक मानक लागू हैं। इन मानकों में से हिन्दी अनुवाद के लिए कुछ मानक छांटने हेतु एक विशेष समिति नियुक्त की गई है। इस समिति ने शुरुआत के रूप में अनुवाद के लिए 500 मानक छांटे हैं। ये मानक वे हैं जो आम उपयोग में आते हैं। इनमें से हर वर्ष 100 मानकों का अनुवाद करने का प्रस्ताव है। इस पर श्री हिमांशु जोशी ने कहा कि हर वर्ष नये मानक बनते रहते हैं और यदि एक वर्ष में केवल 100 मानकों का ही अनुवाद किया गया तो यह कार्य कई वर्षों में भी पूरा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक नये मानकों का सम्बन्ध है, उन्हें तो साथ-साथ ही हिन्दी में भी बना दिया जाना चाहिए और सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए अलग से तकनीकी व्यक्ति रखे जाएं। साथ ही उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि मानकों की तकनीकी शब्दावली को देखते हुए इनके अनुवाद का कार्य केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को सौंप दिया जाए । वे इस कार्य को दो साल में पूरा कर सकते हैं।

इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए सचिव, राजभाषाविभाग ने बताया कि इस प्रकार के अनुवाद कार्य के दो पक्ष हैं, एक तो मानकों के अनुवाद का काम और दूसरा तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय ढूंढने या बनाने का काम। मानकों के अनुवाद का कार्य यदि संस्था में ही हो तो वह ठीक रहेगा। जहां तक तकनीकी शब्दों का प्रश्न है केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि विषयों से संबंधित तकनीकी शब्दावलियाँ बना रखी हैं और आवश्यकता पड़ने पर वे मानकों के लिये भी शब्दावली तैयार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि मानकों के अनुवाद का कार्य भारतीय मानक संस्था भी करती है और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय भी, तो वह ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इससे शब्दावली अलग-अलग हो सकती है। यह निर्णय किया गया कि मानकों के अनुवाद तथा तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय बनाने का कार्य फिलहाल केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को सौंप दिया जाए।

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री ने उल्लेख किया कि मंत्रालय में हिन्दी कार्य के लिये केवल एक ही अनुभाग है। साल में 6-7 महीने संसद कार्य रहता है, जिसमें अनुवाद आदि का काम काफी बढ़ जाता है। साथ ही मंत्रालय तथा उसके नीचे के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम आदि के उपबन्धों का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना होता है जिसके लिए मंत्रालय के संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में हो रही प्रगति का जायजा लेने के लिए उनका दौरा करना पड़ता है तथा उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी भाग लेना होता है। अतः उन्होंने कहा कि राजभाषा नीति तथा अधिनियम के उपबन्धों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित ढांचे को मजबूत करना आवश्यक प्रतीत होता है।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस मामले की विस्तार से जांच की जाए और इस बारे में अगली बैठक में रिपोर्ट रखी जाये।

श्री जे० के० जैन ने यह विचार व्यक्त किया कि हिन्दी के विकास के लिए एक वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सब कामकाज प्रमुख रूप से अंग्रेजी में ही किया जाता है और ऐसा करना अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। उनका सुझाव था कि इस बात का पता लगाया जाए कि मंत्रालय में हिन्दी लिखने, हिन्दी पढ़ने और हिन्दी बोलने वाले कितने लोग हैं और फिर हिन्दी में बातचीत करने वालों तथा कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए। ये प्रोत्साहन पदोन्नति तथा पुरस्कार आदि के रूप में दिये जा सकते हैं और इनके लिए यदि नियमों में कोई परिवर्तन करना जरूरी हो तो किया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने उत्तर में कहा कि "आउट आफ टर्न" प्रमोशन देने का सुझाव व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि इससे हिन्दी न जानने वालों के बीच असन्तोष पैदा होगा। प्रमोशन के मामले में वरिष्ठता (सीनियारिटी) को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता किन्तू उन्होंने यह स्वीकार किया कि इनाम व प्रमाण-पत्र आदि दिये जा सकते हैं।

इस सन्दर्भ में सचिव (ना०पूर्ति) ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय और उसके कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक

ज्ञान (मट्रिक स्तर) रखने वालों के बारे में जानकारी कार्य-सूची में दी गई है। उसके अनुसार इन कार्यालयों में अधिकांश कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। ये लोग हिन्दी में बात तो कर सकते हैं लेकिन अभ्यास न होने के कारण हिन्दी में टिप्पणी या मसौदा लिखने में उन्हें दिक्कत होती है। उनकी इस कठिनाई को दूर करने के लिये मंत्रालय तथा इसके कुछ कार्यालयों में हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लिखने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिये कार्यशालाएं भी चलाई गई हैं। इन्हें हिन्दी में काम करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई इनाम देने की योजना इस मंत्रालय में चलाई जा रही है। इसके अलावा मंत्रालय के अनुभागों के लिये भी एक चल शील्ड और संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के लिये एक स्थाई शील्ड तथा दो ट्राफियाँ देने की योजना भी शुरू की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मंत्रालय में हिन्दी जानने वालों को हिन्दी में काम करने के लिये पूरा-पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

श्री जे० के० जैन ने सुझाव दिया कि गृह मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना के अलावा मंत्रालय द्वारा अलग से कोई योजना चलाई जाये जिसमें अधिक प्रोत्साहन दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना सभी मंत्रालयों के लिये है, अतः उससे हटकर अलग योजना बनाने में कठिनाई है। यह कार्य गृह मंत्रालय का है, इसलिये उन्हें ही इस बारे में अन्य योजनायें बनानी चाहिये।

श्री जे० के० जैन ने यह भी सुझाव दिया कि सुपर बाजार में सारे साईनबोर्ड और बेची जाने वाली वस्तुओं के नाम हिन्दी में भी लिखवाये जायें।

इस बारे में सुपर बाजार के महाप्रबन्धक ने बताया कि उनके यहां सभी साईनबोर्ड आदि हिन्दी में भी बना दिये गये हैं। सुपर बाजार द्वारा पैक की जाने वाली वस्तुओं के पैकेटों में डाली जाने वाली पर्ची भी हिन्दी में छपवा दी गई हैं।

श्री हिमांशु जोशी ने कहा कि मंत्रालय तथा उसके कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिन्दी की अधिक पुस्तकें मंगाई जायें, जिनमें मनोरंजक साहित्य भी हो। इससे कर्मचारियों की हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ेगी। ये किताबें अच्छे स्तर की हों। इस सन्दर्भ में सचिव महोदय ने बताया कि इस समय मंत्रालय के पुस्तकालय में हिन्दी की 28 पत्र/पत्रिकायें मंगाई जा रही हैं और 2222 हिन्दी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। इस पर श्री जोशी ने कहा कि यह संख्या पर्याप्त नहीं है। अतः और हिन्दी पुस्तकें खरीदी जायें। अध्यक्ष महोदय ने इस सुझाव पर अपनी सहमति व्यक्त की।

श्रीमती मृदुला गर्ग का सुझाव था कि अधिकारियों को हिन्दी प्रशिक्षण के लिये अनिवार्य रूप से भेजा जाये। इस बारे में स्पष्ट किया गया कि हिन्दी न जाने वाले कर्मचारियों के लिये हिन्दी में प्रशिक्षण पाना बाध्यकर है और इसके लिये गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत कक्षाएं लगाई जा रही हैं जिनमें हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाता है।

श्रीमती शैलबाला कानूनगो का कहना था कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये एक समय-सीमा नियत की जाये। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एक अग्रिम वेतनवृद्धि के रूप में दिये जाने वाले प्रोत्साहन से कुछ विशेष लाभ नहीं है क्योंकि यह प्रोत्साहन बहुत कम है। उनका यह भी सुझाव था कि हिन्दी शिक्षकों को अधिक वेतन मिलना चाहिये तथा उनके लिये प्रमोशन के अधिक अवसर होने चाहिये। इस बारे में अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि यह कार्य इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

अन्त में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

3. नौवहन और परिवहन मंत्रालय

नौवहन और परिवहन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 22 मार्च, 1982 को नौवहन और परिवहन मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:—

1. श्री वीरेन्द्र पाटिल, नौवहन और परिवहन मंत्री	अध्यक्ष
2. श्री सीता राम केसरी, राज्य मंत्री (नौवहन और परिवहन)	उपाध्यक्ष
3. श्री मोहिन्दर सिंह, परिवहन सचिव	वैकल्पिक उपाध्यक्ष
4. श्री शिव प्रसाद साहु, संसद सदस्य	सदस्य
5. श्री जगन्नाथ मिश्र, भूतपूर्व संसद सदस्य	,,
6. श्री शैलेन्द्र	,,
7. श्री वनमाली दास	,,
8. डा० जे० एम० आनन्द	,,
9. श्री विष्णु प्रभाकर	,,
10. श्री आर० शौरिराजन	,,
11. डा० एम० राजेश्वरय्या	,,
12. डा० महीप सिंह	,,
13. श्री चन्द्र गुप्त विद्यालंकार	,,
14. श्री हरिबाबू कंसल	,,
15. डा० चन्द्रशेखरन नायर	,,
16. श्री क्षेम चन्द्र सुमन	,,
17. श्री जयनारायण तिवारी, सचिव, राजभाषा विभाग, और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	,,

18. ब्रिगेडियर गोविन्द सिंह, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव — सदस्य
19. श्री हर्ष वदन गोस्वामी, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग — ,,
20. श्री रमेन्द्र नाथ डे, सचिव, सीमा सड़क विकास मण्डल — ,,
21. श्री व्या० श्री वत्सन, महानिदेशक, दीपघर और दीपपोत विभाग — ,,
23. श्री गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव (परिवहन) — सदस्य सचिव

अध्यक्ष ने सर्वप्रथम समिति के सदस्य श्री भगवती चरण वर्मा, एम० पी० के देहावसान पर गहरा दुख प्रकट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। समिति ने श्री वर्मा की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा।

इसके बाद अध्यक्ष ने बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की और सदस्यों से श्री सीताराम केसरी, राज्य मंत्री का परिचय कराया। उन्होंने हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की दिशा में हुई सफलताओं और 3 जुलाई, 1981 की बैठक के सुझावों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अब लगभग प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा अधिकारी नामजद हो चुके हैं और राजभाषा कार्यवयन समिति गठित की जा चुकी है। उन्होंने सदस्यों को बताया कि राजभाषा अधिनियम आदि को ध्यान में रखते हुए 'करें' और 'न करें' की एक सूची बनायी गई है और सभी अधिकारियों में वितरित कर दी गई है। इस सूची में जांच बिन्दुओं की सूची भी दी गई है जिससे राजभाषाओं के प्रयोग से संबंधित अनुदेश निश्चित रूप से कार्यान्वित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में हिन्दी की पुस्तकें खरीदी गई हैं और मंत्रालय हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में निष्ठापूर्वक प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने सदस्यों को विश्वास दिलाया कि वे जो भी सुझाव देंगे, उनको पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने सदस्यों से पिछली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने का अनुरोध किया।

1. आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों और वाक्यांशों का संकलन

यह बताया गया कि मंत्रालय में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों और वाक्यांशों का संग्रह कर लिया गया था और उनके हिन्दी पाठ तैयार करने का काम केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को सौंपा गया था। चूंकि मंत्रालय में इस काम को शुरू करने की कोई व्यवस्था नहीं है अतः इस संबंध में कार्य अध्ययन यूनिट से परामर्श किया जा रहा है। कर्मचारियों के उपलब्ध होते ही यह काम मंत्रालय में शुरू कर दिया जाएगा। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस काम में तटीय भाषाओं से शब्द सम्पदा लेने का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा इन भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि डा० रामधन शर्मा के सुझावों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

2. मैनुअलों, फार्मों आदि का हिन्दी में उपलब्ध होना

यह बताया गया कि सरकार की नीति के अनुसार यह काम शुरू-शुरू में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने आरम्भ किया किन्तु अब यह काम केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंप दिया गया है। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने स्वयं हमारे बहुत से कार्यालयों से सीधे लिखा पढ़ी की है। इसलिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से यह बताने का अनुरोध किया गया है कि उन्होंने हमारे मंत्रालय और उसके कार्यालयों के कितने फार्मों का हिन्दी में अनुवाद कर दिया है। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है। श्री हरिबाबू कंसल ने सुझाव दिया कि इस संबंध में पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे सभी फार्म और मैनुअल द्विभाषी हो जाएं और जिन फार्मों, मैनुअलों आदि का हिन्दी में अनुवाद हो जाए, वे मुद्रण के लिए पड़े नहीं रहें। सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री जयनारायण तिवारी ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेजे गए मंत्रालय के पत्र की प्रतिलिपि उन्हें भेज दी जाए ताकि वे इस बारे में ब्यूरो को आवश्यक निदेश दे सकें।

3. सूचना संकेतों और किलोमीटर पोस्टों पर हिन्दी का प्रयोग :

यह बताया गया कि महानिदेशक (सड़क) और अपर सचिव इस संबंध में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों/इंजीनियरों से संपर्क करके अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का निरीक्षण करने और मौजदा स्थिति के बारे में अपनी-अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए निदेश दे चुके हैं तथा ऐसे ही निदेश राज्य सरकारों को भी दिए गए हैं। श्री हरिबाबू कंसल ने कहा कि हरियाणा राज्य में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां असम राज्य के गांवों तक में सूचना संकेतों में हिन्दी का इस्तेमाल हो रहा है वहां हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां गांवों के नाम भी रोमन लिपि में लिखे हुए हैं। उन्होंने इसकी पुष्टि में दिल्ली से शिमला तक के राजमार्ग का उल्लेख किया। अध्यक्ष ने निदेश दिया कि इस संबंध में मंत्रालय के निदेशों के अनुपालन की स्थिति के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट समिति की अगली बैठक में रखीजाए।

4. हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा कार्यालयों का निरीक्षण

यह बताया गया कि हिन्दी के प्रयोग से संबंधित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अधिकारियों को पहले से ही निदेश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा सभी कार्यालयों को यह निदेश दिए गए हैं कि वे अपनी अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया करें। यह बताया गया कि इन्हीं निदेशों के तहत

मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में हिन्दी सलाहकार समिति के दो स्थानीय सदस्यों को प्रेक्षक के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था । विभिन्न कार्यालयों की कार्यपद्धति से सदस्यों को अवगत कराने के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त समझी गई ।

5. दिल्ली परिवहन निगम की समय-सारणी का हिन्दी में प्रकाशन :

यह बताया गया कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों की समय-सारणी का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है और यह शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। सदस्यों ने इसके शीघ्र प्रकाशन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है और आग्रह किया कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों की समय-सारणी हिन्दी में शीघ्र प्रकाशित की जानी चाहिए ।

6. राजभाषा अधिनियम आदि का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्षों का ध्यान आकृष्ट करना :

यह बताया गया कि समिति के सदस्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को राजभाषा अधिनियम 1963 आदि की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए 20 जुलाई 1982 को अर्धशासकीय पत्र लिखा था। सदस्यों ने कहा कि यह कार्रवाई निरन्तर होती रहनी चाहिए और तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समुचित रीति से समीक्षा की जानी चाहिए।

7. वाणिज्य नौचालन के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की परीक्षाओं और प्रशिक्षण में माध्यम के रूप में हिन्दी का इस्तेमाल :

यह बताया गया कि नौवहन महानिदेशालय प्रवेश परीक्षाओं को अगले महीने से आई० आई० टी० को सौंपने पर विचार कर रहा है। सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि वाणिज्य नौचालन के प्रशिक्षण संस्थानों में, प्रवेश की परीक्षाओं में, माध्यम के रूप में हिन्दी का इस्तेमाल सरकार की घोषित नीति के अनुरूप तुरन्त स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और इन प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी को माध्यम के रूप में अपनाए जाने के लिए आग्रह किया जाना चाहिए।

8. उपयुक्त संख्या में हिन्दी पदों का सृजन :

यह बताया गया कि विभागाध्यक्षों को संबोधित अर्धशासकीय पत्र में उचित संख्या में हिन्दी पदों के सृजन के लिए अनुरोध किया गया है। यह भी बताया गया कि परिवहन सचिव ने 27 फरवरी, 1982 को आयोजित राजभाषा अधिकारी सम्मेलन में कहा था कि सभी कार्यालयों में उचित संख्या में हिन्दी पदों का सृजन करने और तुरन्त भरने के लिए मंत्रालय के औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए। परिवहन सचिव ने इस सम्मेलन में आधारभूत सुविधाओं जैसे देवनागरी टाइपराइटरों आदि की व्यवस्था करने के लिए भी निदेश दिया था। सदस्यों ने अनुरोध किया कि इस मामले में अनुवर्ती कार्रवाई की जाती रहनी चाहिए और इस काम को प्राथमिकता देकर उचित संख्या में हिन्दी पदों का सृजन किया जाना चाहिए तथा इन पदों को भरा जाना चाहिए।

9. मंत्रालय में राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करना :

यह बताया गया कि मंत्रालय में 27 फरवरी, 1982 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में दिल्ली से बाहर स्थित सभी मुख्य कार्यालयों को आमंत्रित किया गया था। यह सूचित किया गया कि इस सम्मेलन में राजभाषा अधिनियम आदि की व्यवस्थाओं को तुरन्त कार्यान्वित करने के बारे में सभी का ध्यान आकृष्ट किया गया। सदस्यों ने इस आयोजन की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन समय-समय पर आयोजित होते रहने चाहिएं ।

10. भारतीय नाविकों में प्रचलित शब्दों का संकलन :

एक सदस्य का आग्रह यह था कि भारतीय नाविकों में जिन शब्दों और वाक्यांशों का इस्तेमाल होता है, उनका संग्रह किया जाना चाहिए। श्री चन्द्रभान बडगूजर, निदेशक (स्थापना) ने कहा कि कुछ व्यक्ति पहले ही इस क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं और यह कार्य शब्दों और वाक्यांशों का संकलन करने की मंत्रालय की परियोजना में शामिल किया जाएगा।

11. नौवहन और परिवहन विषय पर हिन्दी में मूल पुस्तकें लिखवाना :

यह बताया गया कि यह विषय पिछली बैठक में पेश किया गया था। इस मसौदे पर श्री विष्णु प्रभाकर के साथ 17–11–81 को पुनर्विचार किया गया। जैसा कि प्रस्तावित हुआ है, इस योजना को अन्य मंत्रालयों की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उदार बनाया जा रहा है जिससे नौवहन और परिवहन विषय पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें प्राप्त की जा सकें। यह भी कहा गया कि मंत्रालय द्वारा इस योजना पर इन पुस्तकों की खपत आदि अन्य दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना है। इसलिए इस योजना पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। मंत्रालय इस संबंध में सक्रिय है। इसके बाद यह योजना समिति के सम्मुख अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

12. कर्मचारियों का हिन्दी में प्रशिक्षण :

श्री शौरिराजन (मद्रास) ने सुझाव दिया कि मद्रास में हिन्दी शिक्षण की सुविधाएं मौजूद हैं और वहां क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिए अंशकालिक प्राध्यापक भी उपलब्ध हैं। श्री जयनारायण तिवारी, सचिव राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार ने कहा कि हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिए स्थानीय लोगों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है जिससे कि भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा सके। यह निर्णय

किया गया कि सभी कार्यालयों से अपने-अपने कर्मचारियों को हिन्दी के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा जैसी संस्थाओं की सहायता लेने के लिए अनुरोध किया जाय ।

13. मंत्रालय में निदेशक (हिन्दी) के अधीन हिन्दी अनुभाग का संगठन :

डा० महीप सिंह ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि मैं बराबर यह अनुरोध करता रहा हूं कि मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए निदेशक (हिन्दी) का पद बनाया जाना चाहिए लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है । निदेशक (स्था०) ने बताया कि मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में कर्मचारियों के अभाव के प्रश्न पर स्टाफ इंसपेक्शन यूनिट से परामर्श किया जाएगा । डा० महीप सिंह व अन्य सदस्यों ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि जब मंत्री महोदय स्वयं निर्णय कर सकते हैं तब यह निर्णय स्टाफ इंसपेक्शन यूनिट के सुझाव पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए । सदस्यों ने बल देते हुए कहा कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के काम में तेजी तभी आ सकती है जब इस काम की देखरेख करने के लिए उचित स्तर का अधिकारी और उसकी सहायता के लिए पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त हों । श्री जयनारायण तिवारी, सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार ने स्पष्ट किया कि राजभाषा विभाग ने केवल न्यूनतम पद निश्चित किए हैं जो अत्यंत आवश्यक हैं । निदेशक (हिन्दी) के पद का सृजन नीति संबंधी निर्णय है, जो ऊंचे स्तर पर लिया जा सकता है । श्री मोहिन्दर सिंह, परिवहन सचिव ने जो समिति के वैकल्पिक उपाध्यक्ष हैं, आश्वासन दिया कि हिन्दी अधिकारी के पद को निदेशक (हिन्दी) के स्तर का बनाने के बारे में उचित रूप से विचार किया जाएगा ।

14. तिमाही रिपोर्टों को उचित रीति से संकलित करना :

सर्वश्री हरिबाबू कंसल एवं विष्णुप्रभाकर ने तिमाही प्रगति रिपोर्टों के उचित रीति से संकलित न होने पर असंतोष व्यक्त किया और उदाहरण के लिए भारतीय नौवहन निगम के आंकड़े प्रस्तुत किए । यह निर्णय हुआ कि विभागाध्यक्षों से इन आंकड़ों को मंत्रालय में भेजने से पूर्व स्वयं देखने का अनुरोध किया जाए ।

15. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी का प्रयोग :

श्री जगन्नाथ मिश्र, भूतपूर्व संसद सदस्य ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें हिन्दी प्रदेशों से आने वाले मंत्रीगण भी शामिल हैं, अपने सरकारी दैनिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति उपेक्षाभाव बना रहता है । यह स्पष्ट किया गया कि मंत्रालय में परिवहन सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी यथासमय छोटी-छोटी टिप्पणियां हिन्दी में लिखते हैं । इस प्रयोजन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गनिर्देश के लिए वितरित की जा चुकी है ।

16. पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकों की खरीद :

डा० एन० चन्द्रशेखरन नायर ने सुझाव दिया कि पुस्तकालयों में अहिन्दी भाषियों की कृतियां भी खरीदी जानी चाहिएं । उन्होंने कहा कि इससे अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी सीखने की प्रेरणा मिलेगी । डा० महीप सिंह और कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया कि पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकें खरीदने के लिए सुझाव देने के बारे में एक उप समिति बनाई जानी चाहिए । यह सुझाव नोट कर लिया गया ।

श्री गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव (परिवहन) व सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन के काम को व्यवस्थित करने के लिए मंत्रालय निष्ठापूर्वक प्रयत्नशील है । उन्होंने कहा कि यह बैठक व्यापक आधार पर गठित हिन्दी सलाहकार समिति की मात्र दूसरी बैठक है । उन्होंने 27 फरवरी, 1982 को आयोजित राजभाषा अधिकारी सम्मेलन के निर्णयों पर ब्यौरेवार प्रकाश डाला और कहा कि राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम आदि मंत्रालय के सभी कार्यालयों को अब भली भांति विदित करा दिए गए हैं और अब हिन्दी का उचित वातावरण बन रहा है । उन्होंने कहा कि ये ऐसे कार्य हैं जो पहले नहीं शुरू किए गए थे । उन्होंने बताया कि हमारे अधिकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं का अनुपालन करने के लिए आधारभूत व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील हैं और राजभाषा कार्यान्वयन के बारे में ठोस परिणाम कुछ समय बाद ही प्राप्त हो सकेंगे ।

श्री सीताराम केसरी, राज्य मंत्री ने, जो हिन्दी सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष हैं, कहा कि हिन्दी भाषी राज्यों को सरकारी कार्यालयों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने का नेतृत्व करना चाहिए । उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि हिन्दी भाषी राज्य केन्द्रीय सरकार को अब भी अंग्रेजी में पत्र लिखते हैं । श्री केसरी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में जो हिन्दी इस्तेमाल की जाए वह सरल होनी चाहिए तथा लंबे-लंबे वाक्यों तथा कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । उन्होंने बताया कि मौजूदा बैठक उनके आग्रह पर ही ऐसे समय में बुलाई गई है जब संसद के दोनों सदनों के सत्र चल रहे हैं और हिन्दी अनुभाग संसद के कार्यों में व्यस्त है । उन्होंने घोषणा की कि वे मंत्रालय की फाइलों पर अधिकतर हिन्दी में टिप्पणी लिखा करेंगे ।

श्री विष्णु प्रभाकर और कुछ अन्य सदस्यों ने सरल हिन्दी की अवधारणा के बारे में अपने-अपने मत व्यक्त किए । समिति ने सर्वसम्मति से राज्य मंत्री के निर्णय का स्वागत किया और यह आशा व्यक्त की कि राज्य मंत्री जी का निर्णय मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणाप्रद सिद्ध होगा ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल, अध्यक्ष एवं नौवहन और परिवहन मंत्री ने समिति के सदस्यों को यह आश्वासन दिया कि इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि प्रत्येक सदस्य को उसके यात्रा भत्ते का शीघ्र भुगतान कर दिया जाय । उन्होंने कहा कि बैठक की कार्यसूची सदस्यों को समय पर भेजी जाया करेगी ।

विविधा

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा विधि-गोष्ठी का आयोजन

भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जन्म-शती समारोह के उपलक्ष में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने 8 एवं 9 मई, 1982 को इलाहबाद में 'विधि एवं न्याय के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचलन की समस्यायें' विषय पर एक उच्च-स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया था। यह गोष्ठी दो दिनों तक तीन सत्रों में चलती रही। इसमें भारत के अनेक विधि-वेत्ताओं, विधि शास्त्रियों, विधि प्रवक्ताओं, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों तथा अनेक विशिष्ट विद्वानों ने भाग लिया। गोष्ठी में विचार व्यक्त करने वाले विद्वानों में निम्नलिखित के नाम उल्लेखनीय हैं :—

1. न्यायमूर्ति श्री रामवृक्ष मिश्र, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. श्री श्यामनाथ कक्कड, भूतपूर्व विधि मंत्री, भारत सरकार।
3. न्यायमूर्ति श्री शिवदयाल, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश।
4. न्यायमूर्ति श्री प्रेमशंकर गुप्त, उच्च-न्यायालय, इलाहाबाद।
5. न्यायमूर्ति श्री कृष्णमोहन दयाल, उच्च-न्यायालय इलाहाबाद।
6. न्यायमूर्ति श्री महेशप्रसाद महरोत्रा, उच्च-न्यायालय, इलाहावाद।
7. न्यायमूर्ति श्री देवकीनन्दन अग्रवाल, उच्च-न्यायालय, इलाहबाद।
8. न्यायमूर्ति श्री रामसूरत सिंह, उच्च-न्यायालय, इलाहाबाद।
9. न्यायमूर्ति श्री महाबीर सिंह, उच्च-न्यायालय, लखनऊ बेंच,।
10. माननीय कल्पनाथ राय, संसदीय कार्य उप मंत्री भारत सरकार।
11. श्री ब्रजकिशोर शर्मा, संयुक्त सचिव एवं प्रारूपकार, विधि एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. डा० श्रद्धा कुमारी, डीन, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।
13. श्री नाथूलाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च-न्यायालय, जयपुर।
14. श्री कलानाथ शास्त्री, निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान शासन।
15. डा० पी०सी० जैन, विधि संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
16. श्री राधेश्याम गुप्त, अधिवक्ता, इलाहावाद उच्च-न्यायालय।
17. डा० मोती बाबू, प्रधान संपादक, विधि निर्णय सार, लखनऊ।
18. डा० कृष्ण बहादुर, डीन, विधि संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

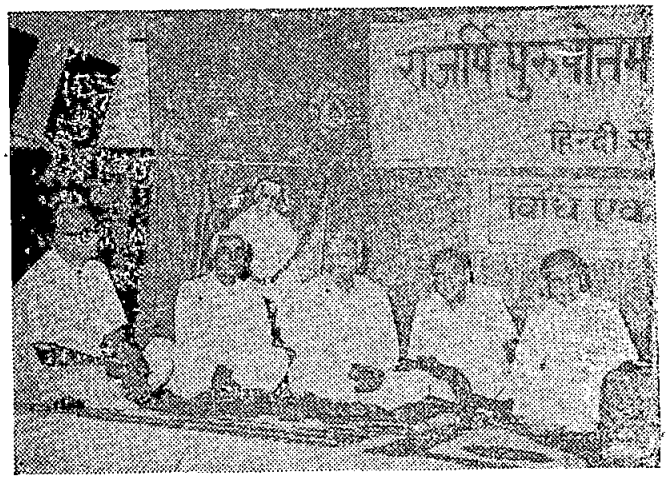

(दाएं से बाएं) न्यायमूर्ति श्री महेश प्रसाद मेहरोत्रा, न्यायमूर्ति श्री प्रेमशंकर गुप्त, न्या० मू० श्री देवकी नन्दन अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्रीराम सूरत सिंह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं डा० पी० सी० जैन, रीडर, विधि संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इस गोष्ठी में विधि एवं न्याय के क्षेत्र में हिन्दी की समस्याओं के संबंध में अत्यन्त उच्च-कोटि के विचार प्रकट किए गए और विभिन्न समस्याओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। इन समस्याओं के अन्तर्गत हिन्दी भाषा के प्रयोग की समस्या, विधि के क्षेत्र में प्रामाणिक और मौलिक पुस्तकों के अभाव की स्थिति, विधि की वर्तमान भाषा की क्लिष्टता, मौलिक, प्रारूपण का अभाव, विधि के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग करने में संकल्प की कमी आदि विषयों पर भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से विचार व्यक्त किए और अनेक उपयोगी समाधान भी प्रस्तुत किए। एक सत्र में डा० श्रद्धा कुमारी (लखनऊ) ने वर्तमान विधि प्रणाली में, जो विदेशियों की देन है, आमूल-चूल परिवर्तन की इच्छा व्यक्त की और उच्च कोटि के चिन्तन के धरातल पर तर्क प्रस्तुत करते हुए उपस्थित सज्जनों से इस पर विचार करने का अनुरोध किया।

गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री रामवृक्ष मिश्र ने कहा कि हिन्दी को सर्व ग्राह्य भाषा बनाने के लिये अन्य भाषाओं के शब्दों को भी आत्मसात् किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक शासक और शासित के बीच भाषा की बाधा दूर नहीं होगी तब तक सही अर्थों में जनतंत्र की स्थापना नहीं होगी और यह कार्य सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी ही कर सकती है।

उन्होंने कहा कि हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है और विश्व के अनेक देशों में उसका प्रचलन है । विधि के क्षेत्र में उसके प्रयोग की उपयोगिता बताते हुए उन्होंने इसका अधिक-से अधिक उन्नयन करने की अपील की ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में भूतपूर्व विधि मंत्री श्री एस० एम० कक्कड़ ने कहा कि 1950 से संविधान में हिन्दी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया है, किन्तु यह स्थिति संविधान के पन्नों में ही बंधी रह गयी । यद्यपि इसकी प्रगति का समय 15 वर्षों का रखा गया था, किन्तु प्रगति की बजाय हम कुछ पीछे ही चले गये हैं । उन्होंने कहा कि जो विधि साहित्य सृजित हुआ है, उसके खरीदने वालों का अभाव है और दूसरी तरफ जो इसका अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें अपेक्षित साहित्य प्राप्त नहीं होता । अतः विधि-साहित्य के व्यापक पैमाने पर सृजन और इसके वितरण की सुव्यवस्था होनी चाहिए ।

इस विषय का प्रवर्तन करते हुए इलाहबाद उच्च-न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेमशंकर गुप्त ने कहा कि आश्चर्य है कि राजभाषा हिन्दी के प्रवेश के लिए उच्चतम-न्यायालय के कपाट आज भी बन्द हैं और न्याय के क्षेत्र में हिन्दी समुचित न्याय नहीं पा रही है । श्री गुप्त ने अंग्रेजी से हिन्दी के अनुवाद की प्रक्रिया को अस्वाभाविक और दुरूह बताते हुए कहा कि विधि के क्षेत्र में किसी निर्णय का मूल पाठ अंग्रेजी में तैयार न किया जाकर हिन्दी में ही तैयार किया जाना चाहिए, ताकि विधि के क्षेत्र में मौलिक चिन्तन हो सके । उन्होंने विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा में हिन्दी को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। इसके पश्चात् मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के भतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री शिवदयाल ने कहा कि 35 वर्षों में हिन्दी का जो प्रचलन हुआ है, उससे सभी सन्तुष्ट नहीं है । उन्होंने उच्च-कोटि की टीकाओं और पूर्व निर्णयों के प्रकाशन तथा एल एल० बी० की परीक्षाओं में हिन्दी भाषा की अनिवार्यता पर बल दिया । इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मोहन दयाल ने हिन्दी को वर्ग-विशेष की भाषा न बनाकर सभी वर्गों और जातियों की भाषा बनाने की अपील की ।

विधि गोष्ठी में बोलते हुए संसदीय कार्य एवं उद्योग उप-मंत्री श्री कल्पनाथ राय

विधि और न्याय मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री ब्रजकिशोर शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय सरकार विधि के क्षेत्र में हिन्दी भाषा को समुचित स्थान देने के लिये प्रयत्नशील है । उन्होंने यह भी कहा कि विधि के क्षेत्र में श्रेष्ठ पुस्तकें लिखने वालों को केन्द्रीय सरकार की तरफ से एक लाख रुपये तक का पुरस्कार देने की व्यवस्था है, किन्तु अभी तक किसी वर्ष पूरी राशि खर्च नहीं हो पायी है ।

दूसरे सत्र में लखनऊ खण्ड पीठ के न्यायाधीश श्री महाबीर सिंह ने कहा कि यद्यपि भारत की राजभाषा हिन्दी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अभी भी अंग्रेजी है। उन्होंने कहा कि इस कमी को दूर करने के लिये संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे हिन्दी सर्वोच्च न्यायालय की भाषा बन सके । उन्होंने कहा कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी के लिए छूट देने का औचित्य तो समझ में आता है, लेकिन, हिन्दी भाषी प्रदेशों में अंग्रेजी को 15 वर्षों के बाद भी क्यों जीवन-दान दिया गया, यह बात समझ में नहीं आती । न्यायालयों की भाषा के संबंध में उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों की भाषा क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही विशेष संदर्भ के लिए अंग्रेजी की अनुमति दी जानी चाहिए। अनुवाद कार्य के स्तर की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी विधि पुस्तकों की भाषा अनुवाद की भाषा न होकर, मौलिक भाषा होनी चाहिए ।

जयपुर उच्च-न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नाथू लाल जैन ने कहा कि हिन्दी का प्रश्न केवल हिन्दी का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रश्न है । उन्होंने कहा कि न्याय-प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जो हमारी संस्कृति एवं धरती के अनुरूप हो । उन्होंने कहा कि स्वयं अंग्रेजों को अंग्रेजी भाषा में न्याय प्रणाली स्थापित करने के लिये सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था, तब कहीं वे अंग्रेजी को अपने देश में विधि की भाषा बना पाए थे । उन्होंने सुझाव दिया कि विधि संबंधी हिन्दी पुस्तकों में मौलिक प्रारूपण के लिए एक ऐसी संस्था बनायी जाए जहां इसका प्रशिक्षण दिया जा सके । उन्होंने कहा कि किसी समय कहा जाता था कि अंग्रेजी इतनी असमर्थ भाषा है कि इसमें कानून की पैरोकारी नहीं की जा सकती । इस भाषा में उच्च स्तर का न्याय प्रशासन संबंधी कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि लैटिन और फ्रेंच शब्दों में जो भाव और अर्थ आते हैं, वे अंग्रेजी में नहीं आते । श्री जैन ने कहा कि उक्त विरोध के बावजूद ब्रिटेन में अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा बनी और

1721 में कानून बना कि जो भी अंग्रेजी में काम नहीं करेगा, उस पर 50 पाउण्ड का जुर्माना होगा। इसके परिणाम-स्वरूप इंगलैण्ड में अंग्रेजी का प्रचलन बड़ी तेजी से हुआ। ऐसी ही कोई व्यवस्था भारत के लिये सोची जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति श्री देवकीनन्दन अग्रवाल ने कहा कि हिन्दी में न्यायालय के निर्णय व्यावसायिक स्तर पर अधिवक्तागण प्राप्त नहीं कर पाते, अतः उन्हें इस प्रकार का साहित्य उपलब्ध कराने तथा इसके अध्ययन की सुविधा बढ़ायी जानी चाहिए। इलाहबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन की बड़ी पुत्री के पुत्र श्री महेश प्रसाद महरोत्रा ने राजर्षि टण्डन की हिन्दी सेवाओं का स्मरण करते हुए कहा कि महज हिन्दी का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, हिन्दी के लिये कार्य करना पड़ेगा।

गोष्ठी के तृतीय सत्र में केन्द्रीय उप मंत्री श्री कल्पनाथ राय ने कहा कि भाषा का सम्बन्ध जीवन और देश की आजादी से जुड़ा होता है। भारत में मुट्ठी भर लोग अंग्रेजी के माध्यम से जनता पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि संविधान सभा ने जब सर्व सम्मति से हिन्दी को राजभाषा घोषित किया है, तो क्या कारण है कि अभी तक यह निर्णय व्यावहारिक रूप नहीं ले पा रहा है। इस अवसर पर विधि निर्णय सार के सम्पादक डा० मोती बाबू ने अंग्रेजी के संदर्भ में पाश्चात्य देशों के अनुकरण की आलोचना की और बताया कि अंग्रेजी का प्रयोग दासतापूर्ण मनोवृत्ति का प्रतीक है। इस गोष्ठी में न्यायमूर्ति श्री रामसूरत सिंह ने जनहित के लिये विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया। अन्त में काशी विश्वविद्यालय के डीन श्री कृष्ण बहादुर ने अनेक व्यावहारिक सुझाव दिये और कहा कि सम्मेलन की तरफ से विधि-पत्रिका का प्रकाशन पुनः प्रारम्भ किया जाना चाहिए। विधि की मौलिक पुस्तकों पर पुरस्कार देने की व्यवस्था होनी चाहिए और विधि शास्त्र में पी एच० डी० करने का भी अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वयं उनके अधीन एल एल० एम० का एक छात्र विधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रहा है।

जहां तक विधि और न्याय के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचलन की समस्या है, इस सम्मेलन में बहुत गहराई से उस पर विचार किया गया और अनेक विशिष्ट विद्वानों का सहयोग प्राप्त करके इसके प्रचार के लिये बहुत ही सुन्दर वातावरण की सृष्टि की गई।

प्रस्तोता--राजमणि तिवारी

मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, भोपाल द्वारा 'अक्षरा' का प्रकाशन

सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि एवं साहित्यकार श्री भवानीप्रसाद मिश्र ने पत्र-पत्रिकाओं को सत्ता से दूर रहने की सलाह देते हुए यह कहा कि सत्ता, सौन्दर्य और कला का एक त्रिकोण है। इसमें सत्ता तभी तक साथ रहती है, जब तक त्रिकोण के बाकी दोनों बिन्दु उसके इशारों पर नाचते रहते हैं। जिस दिन ये उसकी बात मानना बन्द कर देते हैं, सत्ता इन्हें अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर देती है।

श्री मिश्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की नई त्रैमासिक पत्रिका, "अक्षरा" के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के उपाध्यक्ष डा० शिवमंगल सिंह "सुमन" ने की।

लेखकों व साहित्यकारों का आवाहन करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि समाज के पुनर्निर्माण और प्रगति के लिये साहित्य-कारों को जिन्दा शब्द लिखना चाहिए और जिन्दा शब्द वही व्यक्ति लिख सकता है जो जीवित हो। मुर्दों से हम जिन्दा शब्द की अपेक्षा नहीं कर सकते।

समकालीन पत्र-पत्रिकाओं में लेखन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज ऐसी रचनाओं की भरमार है जिनकी अपनी पहचान है ही नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि लोक से जुड़ने वाली रचनायें लिखी जायें।

श्री मिश्र ने हिन्दी भाषा की उपेक्षा पर क्षोभ व्यक्त किया और कहा कि देश में सुनियोजित तरीके से हिन्दी को पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले इसे राष्ट्र भाषा कहा गया और फिर राजभाषा और अब सिर्फ भाषा कहकर इसके राष्ट्रभाषीय स्वरूप के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, न सिर्फ देश का बल्कि हिन्दी का भी हृदय स्थल है। यहां से निकलने वाली किसी भी हिन्दी पत्रिका का उद्देश्य हिन्दी भाषा को समृद्ध व सशक्त, बनाना होना चाहिए।

डा० सुमन ने पत्रिका की प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की कि यह पत्रिका साहित्य के क्षेत्र में नये मानदण्ड स्थापित करेगी।

पत्रिका के संपादक श्री प्रभाकर श्रोत्रिय ने कहा कि "अक्षरा" का उद्देश्य साहित्य से मनुष्य को जोड़ने का रहेगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होते हुए भी मनुष्य ही सबसे अधिक उपे-क्षित है।

पत्रिका के संरक्षक व शिक्षा राज्य मंत्री श्री मोतीलाल व्होरा ने प्रदेश में नयी पत्रिका का स्वागत करते हुए इसे हर सम्भव सहयोग देने का आश्वासन दिया।

राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के मंत्री एवं पत्रिका के संचालक, श्री बैजनाथ प्रसाद दुबे तथा सहकारिता उप मंत्री, श्री तनवन्त सिंह कीर ने भी समारोह को सम्बोधित किया।

--रामेश्वर दुबे

हिन्दी अकादमी, दिल्ली का उद्घाटन समारोह

हिन्दी अकादमी का उद्घाटन समारोह कांस्टीट्यूशन क्लब (बिट्ठल भाई पटेल भवन), रफी मार्ग, नई दिल्ली में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 27 मार्च, 1982 को सम्पन्न हुआ ।

समारोह का उद्घाटन उपराज्यपाल श्री सुन्दरलाल खुराना ने किया । सरस्वती वन्दना के साथ-साथ ज्योति प्रज्वलित करके समारोह का शुभारम्भ हुआ । आरम्भ में अकादमी के सदस्य श्री गोपाल प्रसाद व्यास ने अपने स्वागत भाषण में अकादमी की स्थापना पर हर्ष प्रकट करते हुए इस शुभ कार्य के लिये उपराज्यपाल महोदय को हार्दिक बधाई दी । उन्होंने अकादमी के प्रस्तावित कार्यों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला ।

उपराज्यपाल महोदय ने अपने उद्घाटन भाषण में हिन्दी अकादमी के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अकादमी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले कार्यों की ओर संकेत किया और हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास के कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए यह आशा प्रकट की कि दिल्ली के साहित्यकारों, लेखकों, विद्वानों और हिन्दी सेवी संस्थाओं के सहयोग से अकादमी जन साधारण की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकेगी । उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली प्रशासन में हिन्दी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति तथा उसको सरकारी कामकाज में बढ़ावा देने के लिये किए जा रहे कार्यों का उल्लेख भी किया । इस संदर्भ में उन्होंने भाषायी एकता तथा दिल्ली के सामाजिक जीवन में आपसी तालमेल के विचार से उर्दू अकादमी तथा पंजाबी अकादमी की स्थापना की चर्चा भी की ।

श्री जैनेन्द्र कुमार ने हिन्दी अकादमी की स्थापना पर हर्ष प्रकट करते हुए आशा व्यक्त की कि अकादमी हिन्दी की सेवा के लिये व्यावहारिक कार्यक्रम बनाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होगी । उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि अकादमी को अपने उद्देश्यों में सफलता तभी मिल सकेगी जब दिल्ली के साहित्यकार और हिन्दी प्रेमी अपनी-अपनी ओर से सहयोग करें और अकादमी निष्ठा के साथ अपने कर्त्तव्य का पालन करे ।

धन्यवाद देते हुए संसद सदस्य माननीय श्री भीकू राम जैन ने कहा कि अभी अकादमी का कार्य आरम्भ ही हुआ है, धीरे-धीरे इसका विस्तार होगा और हमें विश्वास है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के संरक्षण में अकादमी आदर्श रूप लेगी ।

पहला सत्र

सेमिनार के पहले सत्र में 'शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी व्यवहार की समस्या' विषय पर परिचर्चा हुई । इस गोष्ठी की अध्यक्षता हिन्दी के जाने माने एवं प्रतिष्ठित विद्वान डा० नगेन्द्र ने की । विषय का प्रवर्तन करते हुए हिन्दी अकादमी की सदस्य तथा दिल्ली विश्वविद्यालय की हिन्दी की विभागाध्यक्षा डा० निर्मला न ने शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी की व्यावहारिक कठिनाइयों पर प्रकाश डाला । उन्होंने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर रोजाना सामने आने वाली समस्याओं की चर्चा की और आशा व्यक्त की कि इनका समाधान खोजते हुए शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी को अपेक्षित स्तर पर लाने में सभी का सहयोग सुलभ होगा ।

मुख्य विषय को प्रस्तुत करते हुए डा० गोपाल शर्मा ने हिन्दी के अध्ययन, अध्यापन आदि से जुड़ी हुई समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया और पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा का माध्यम तथा शिक्षा शब्दावली आदि विषयों की ओर ध्यान देने की बात कही । इनका भाषण बहुत ही सारगर्भित और उपयोगी था ।

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद ने परिचर्चा में भाग लेते हुए हिन्दी को शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित स्तर तक प्रयोग में लाने की बात पर बल दिया और इस बात की आवश्यकता बताई कि इस दिशा में समेकित प्रयत्न हो ताकि हिन्दी को अध्ययन तथा अध्यापन के क्षेत्र में उचित स्थान मिले ।

आचार्य नगेन्द्र ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इस क्षेत्र की कठिनाइयों की चर्चा करते हुए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर हिन्दी को बढ़ावा देने के बारे में समाधान प्रस्तुत किए । उन्होंने आंकड़े देते हुए विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्व-विद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी के व्यवहार से जुड़ी हुई कठिनाइयों पर विस्तार से प्रकाश डाला । माध्यम की कठिनाई, अध्ययन और अध्यापन की कठिनाई, पुस्तकों की कठिनाई तथा शिक्षा पूरी करके जीवन के व्यावहारिक पक्ष अर्थात् रोजगार आदि से जुड़ी हुई कठिनाइयों की ओर उन्होंने संकेत किया ।

इस गोष्ठी की संयोजक डा० निर्मला जैन ने अंत में उपस्थित लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया ।

दूसरा सत्र

इस सत्र में "पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दी व्यवहार की समस्या" विषय पर परिचर्चा हुई जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध पत्रकार तथा हिन्दी अकादमी के सदस्य श्री अक्षय कुमार जैन ने की । हिन्दुस्तान दैनिक के संपादक तथा हिन्दी अकादमी के सदस्य श्री विनोद कुमार मिश्र ने विषय का प्रवर्तन करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में जो कठिनाइयां सामने आती हैं, उनकी चर्चा की और इस समस्या के समाधान के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए ।

मुख्य विषय प्रस्तुत करते हुए प्रसिद्ध पत्रकार श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दी की व्यावहारिक कठिनाइयों को अपने अनुभव के आधार पर गिनाया और हिन्दी पत्रकारिता को प्रतिष्ठित करने की बात पर जोर दिया । इस गोष्ठी में नवभारत टाइम्स के सह-संपादक श्री रामपाल सिंह ने परिचर्चा आरम्भ करते हुए दैनिक कार्य में हिन्दी को बढ़ावा देने की अपील की ।

इस गोष्ठी का दूसरा विषय 'प्रशासनिक क्षेत्र में हिन्दी व्यवहार की समस्या' था । मुख्य विषय को प्रस्तुत करते हुए डा० नारायण दत्त पालीवाल ने सरकारी कामकाज में हिन्दी की व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर संकेत करते हुए दिल्ली प्रशासन में हिन्दी की वर्तमान स्थिति तथा विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला ।

इस विषय पर परिचर्चा आरम्भ करते हुए श्री हरिबाबू कंसल ने विचार व्यक्त किया कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के मार्ग में मुख्य कठिनाई मनोवैज्ञानिक संकोच है । उन्होंने राजभाषा से संबंधित कानून और आदेशों की जानकारी न होना भी इसका मुख्य कारण बताया । उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि हम संकल्प के साथ फैसला कर लें कि काम हिन्दी में ही करना है तो कठिनाइयां हल होती जायेंगी ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री अक्षय कुमार जैन ने दोनों विषयों के बारे में अपने विचार प्रकट किये । काफी समय तक सम्पादक के रूप में कार्य करते हुए उन्हें जो अनुभव इस दिशा में प्राप्त हुए थे उनकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दी का जितना अधिक व्यावहारिक प्रयोग होगा उतना ही जनसाधारण के लिए देश की प्रगति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान होगा । इसी प्रकार उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देने की बात कहीं और इस बात पर जोर दिया कि आम जनता के लाभ के लिए जनता की भाषा में सरकारी कामकाज किया जाना आवश्यक है।

डा० विजयेन्द्र स्नातक ने अपने समापन भाषण में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक अकादमियों और उनके कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि दिल्ली में हिन्दी अकादमी की स्थापना शुभ संकेत हैं। उन्होंने अकादमी के मुख्य उद्देश्य की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि सभी के सहयोग से दिल्ली में हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास की ओर अकादमी अग्रसर हो सकेगी । उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि हिन्दी प्रेमियों और हिन्दी की सेवा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को अपनी ओर से समय-समय पर सुझाव भी अकादमी के पास भेजने चाहिए जिससे इस बात का पता चलता रहे कि अकादमी से जनसाधारण क्या अपेक्षा करता है । इस उद्घाटन समारोह को हिन्दी की वास्तविक सेवा के लिए शुभ आरम्भ मानते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिन्दी जगत में इस कार्य का स्वागत होगा जिसके लिए दिल्ली प्रशासन और दिल्ली के उपराज्यपाल बधाई के पात्र हैं ।

इस गोष्ठी के दूसरे सत्र का संयोजन श्री विनोद कुमार मिश्र ने किया । उन्होंने हिन्दी को व्यावहारिक रूप में अपनाकर प्रशासनिक क्षेत्र में इसे अंग्रेजी के स्थान पर प्रयोग में लाने की बात पर जोर दिया और अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए गोष्ठी के समापन की घोषणा की ।

प्रेषक—डा० नारायण दत्त पालीवाल
सचिव, हिन्दी अकादमी, दिल्ली

नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा तुलसी जयन्ती का आयोजन

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वसंत साठे ने 26 जुलाई, 1982 को एक समारोह में महाकवि तुलसीदास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जहां भी राम और रामचरित मानस की बात होती है वहां हम तुलसी को अलग नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि तुलसी कवि नहीं संत थे । अपने ईष्ट राम के प्रति अपार श्रद्धा के कारण ही तुलसी इतना महान काव्य रच सके और अपने को सबसे बड़ा पतित स्वीकारते हुए तुलसी ने राम को पतितपावन कहा जो तुलसी के सादे व्यक्तित्व और समर्पण भाव का बोध कराता है ।

नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधान मंत्री एवं संसद सदस्य श्री सुधाकर पाण्डेय ने कहा कि तुलसी द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की रचना हुई, यह गर्व की बात है । श्री पाण्डे ने कहा कि जिसका कोई नहीं होता सारी दुनिया उसकी हो जाती है । तुलसी ने दीन, हीन, पतित होते हुए भी राम

तुलसी जयन्ती समारोह में विचार व्यक्त करते हुए तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वसंत साठे । साथ बैठे हैं डा० रत्नाकर पांडेय (संयोजक) एवं श्री गंगाशरण सिंह।

के प्रति अपने को समर्पित कर महान कार्य किया जो अनुकरणीय है । उन्होंने कहा कि महापुरुषों का नाम लेकर, उनकी स्मृति में आयोजन करके हम महापुरुषों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान करते हैं और मैंने जब जब तुलसी की स्तुति की है मुझे अपेक्षित संतुष्टि मिली है ।

इस समारोह की अध्यक्षता महान हिन्दी सेवी बाबू गंगाशरण सिंह ने की । भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री श्यामनन्दन

मिश्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग की अध्यक्षा श्रीमती निर्मला जैन, भूतपूर्व संसद सदस्य श्री शंकर दयाल सिंह, प्रसिद्ध साहित्यकार श्री क्षेमचन्द्र सुमन, श्री मन्नूलाल द्विवेदी के अतिरिक्त हिन्दी के कई प्रमुख साहित्यकारों, पत्रकारों एवं हिन्दी सेवकों ने भी तुलसी के प्रति अपनी आदरांजलि प्रस्तुत की।

कार्यक्रम के संचालक और काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संयोजक डा० रत्नाकर पाण्डेय ने समस्त हिंदी सेवियों, हिन्दी सेवी संस्थाओं एवं हिन्दी पत्रकारों से अपील की कि वे तुलसी के महान आदर्शों और राष्ट्र भाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार में नागरी प्रचारिणी सभा को सहयोग प्रदान करें।

प्रेषक--- सुरेन्द्र वर्मा

छठा अखिल भारतीय नागरी लिपि सम्मेलन

नागरी लिपि परिषद् द्वारा विट्ठलभाई पटेल भवन के कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में "छठा अखिल भारतीय नागरी लिपि सम्मेलन" 21 तथा 22 अगस्त, 1982 को सम्पन्न हुआ। इसका उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय शिक्षा उपमंत्री श्री पी० के० थुंगन ने कहा कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता रही है तथा भारत की विभिन्न भाषाओं को जोड़ने में संपर्क लिपि के रूप में नागरी महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। इसमें कई खूबियां हैं। इसका विस्तार और प्रचार होना चाहिए। परिषद के अध्यक्ष डा० मलिक मोहम्मद ने परिषद की स्थापना के उद्देश्य और इसके कार्यों पर प्रकाश डाला और बतलाया कि परिषद् ने नागरी लिपि द्वारा विभिन्न भाषाएं सीखने के लिए कई पुस्तकें तैयार की हैं तथा आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से कई भारतीय भाषाओं की पत्रिकाएं नागरी लिपि में प्रकाशित की जा रही हैं। परिषद् के उपाध्यक्ष प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद ने कहा कि राष्ट्र के व्यापक हित की दृष्टि से नागरी लिपि का प्रचार किया जाना चाहिए। श्री शंकर दयाल सिंह ने सुझाव दिया कि नागरी लिपि के व्यापक प्रचार तथा प्रसार के लिए वर्ष में दो बार शिविर अथवा संगोष्ठियां आयोजित की जानी चाहिएं, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। विभिन्न भारतीय भाषाओं का सम्मिलित रूप से एक कोश नागरी लिपि में तैयार किया जाना चाहिए। श्री यशपाल जैन ने स्पष्ट किया कि नागरी लिपि देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली कड़ी है तथा आचार्य विनोबा भावे जी का कहना है कि देश की विभिन्न भाषाओं के लिए "नागरी भी चले" उनका कहना यह नहीं है कि "नागरी लिपि ही चले"।

सम्मेलन के अवसर पर तीन गोष्ठियों का आयोजन हुआ। प्रथम गोष्ठी "संपर्क लिपि तथा सहलिपि के रूप में नागरी लिपि की संभावनाएं" तथा दूसरी गोष्ठी "नागरी लिपि के व्यापक प्रचार के उपाय" के संबंध में हुई। डा० चन्द्रभान रावत ने नागरी लिपि में उच्चारण के संबंध में तेलुगु भाषा-भाषियों की कठिनाइयां बताईं और सुझाव दिया कि प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञों की समितियां बनाई जानी चाहिए जो वहां की कठिनाइयों का अध्ययन करके मोनोग्राम प्रस्तुत करें। प्रो० कैलाश चन्द्र भाटिया ने अंग्रेजी शब्दों के लिप्यंतरण की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया और सुझाव दिया कि विभिन्न व्यक्तियों के नामों तथा भौगोलिक स्थानों के नामों के कोश नागरी लिपि में तैयार किए जाने चाहिए जिनसे उनका उच्चारण ठीक प्रकार हो सके। श्री राजमणि तिवारी ने बताया कि नागरी लिपि में रेलवे स्टेशनों, डाकघरों आदि के नामों की विविधता को दूर करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। बोडो भाषा की पाठ्यपुस्तकें नागरी लिपि में छप सकें और इसका शब्द-कोश नागरी लिपि में प्रकाशित हो सके इसके लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जा रहा है तथा मुद्रण की समस्याओं को हल करने का भी प्रयास हो रहा है। नागरी लिपि में यांत्रिक सुविधाएं व्यापक रूप में उपलब्ध कराने के लिये छठी योजना में राजभाषा विभाग में यांत्रिक कक्ष बनाए जाने की बात सिद्धांत रूप में मान ली गई है। कोरापुट के श्री अक्षय कुमार महन्ती, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के डा० नजीर अहमद, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के डा० डी० पी० मैनी, फीजी से आए श्री ब्रह्मदत्त स्नातक, आन्ध्र विश्वविद्यालय के डा० इकबाल, हिन्दी अकादमी के सचिव डा० नारायण दत्त पालीवाल, कलकत्ता के श्री विधु-भूषण दास गुप्त तथा श्रीमती कमला रत्नम ने भी अपने अपने विचार प्रकट किये।

सम्मेलन के दूसरे दिन "नागरी लिपि में यांत्रिक सुविधाएं" विषय पर विचार गोष्ठी हुई। परिषद् के मंत्री श्री हरिबाबू कसंल ने बतलाया कि नागरी टाइपराइटर, पिन प्वांइट टाइपराइटर, बुलेटिन टाइपराइटर, बिजली चालित टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर आदि के उत्पादन में क्या-क्या समस्याएं रहीं हैं और उनके समाधान के क्या क्या प्रयास हुए हैं तथा कितनी सफलताएं मिली हैं। उन्होंने बताया कि नागरी में फोटो सैटिंग की सुविधा हो जाने से मुद्रण क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नागरी लिपि के कम्प्यूटर का प्रोटोटाइप नागरी लिपि में बन चुका है। इलैक्ट्रानिकी विभाग के संयुक्त निदेशक श्री सत्यनारायण जिन्दल ने बताया कि एशियाई खेलों के लिए जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में एक करोड़ रुपये की लागत का कम्प्यूटर लगवाया गया है जिससे स्कोर बोर्ड पर एक बार नागरी लिपि में और दूसरी बार रोमन लिपि में सूचनाएं दी जायेंगी। डा० महेश चन्द्र गुप्त, श्री मइयादीन सर्राफ तथा श्री राजा राम जायसवाल ने भी यांत्रिक सुविधाओं के विकास के संबंध में हो रहे कार्य पर प्रकाश डाला।

सम्मेलन का समापन विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव ने किया। उन्होंने नागरी लिपि की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए यह सुझाव दिया कि लिपि के बारे में कट्टरता नहीं होनी चाहिए तथा इसके प्रचार के कार्य को इस

(शेष पृष्ठ 33 पर)

बढ़ते कदम

☐ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद में हिन्दी

नैनी की औद्योगिक शृंखला की एक सशक्त कड़ी के रूप में भारत सरकार के संचार मंत्रालय के स्वामित्व की विश्व विख्यात उद्योग संस्था, "इंण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज" की दूसरी उत्पादन शाखा सन् 1971 से संचार जगत में अद्भुत क्रांति की विशिष्ट भूमिका निभा रही है। इस इकाई में ट्रांसमिशन, टेलीफोन तथा शोध एवं विकास नामक उत्पादन मण्डल हैं, जिनमें लगभग 325 उच्च प्रशिक्षित अभियन्ताओं तथा लगभग 5,000 कुशल कामगारों का विशाल समूह आधुनिकतम संचार उपकरणों के निर्माण एवं उनकी आपूर्ति में कार्यरत है। इसके उत्पादन अपनी गुणवत्ता में विशिष्ट श्रेष्ठता रखते हैं।

मुख्यत: एक तकनीकी संस्थान होने के बावजूद भी यह एकक अपने सरकारी कामकाज में राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार तथा प्रगामी प्रयोग में अटूट निष्ठा और लगन से निरन्तर उत्तरोत्तर नयी-नयी उपलब्धियों का यश-भागी रहा है।

28 जून, 1976 को भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने केन्द्रीय सरकार की ओर से "राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976" जारी किया था। इस नियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में आने वाले निगमों और कम्पनियों के कार्यालय भी सम्मिलित माने गए हैं। इस प्रकार यथासंशोधित "राजभाषा अधिनियम, 1967 और "राजभाषा नियम 1976" अन्य सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ सरकारी नियन्त्रण या स्वामित्व की कम्पनियों और निगमों पर भी लागू किए गए। यद्यपि, "राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों का पालन इस संस्थान में अपने प्रारम्भ के समय से ही किया जा रहा था, फिर भी, राजभाषा नियम, 1976 के लागू हो जाने के बाद राजभाषा के प्रयोग और प्रसार में निश्चित रूप से यहां एक अच्छी गति का संचार हुआ है। 1978 में सार्वजनिक उद्यम कार्यालय (बी० पी० ई०) द्वारा रखी गई "राजभाषा शील्ड" सर्वप्रथम इस संस्थान ने जीती और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस संस्थान द्वारा केवल 10 वर्षों के जीवन में राजभाषा के प्रसार और प्रयोग के क्षेत्र में जो उपलब्धियां अर्जित की गईं उनकी संक्षिप्त झांकी यहां प्रस्तुत की जा रही है :—

80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों के हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान रखने के कारण इस संस्थान का नाम भारत सरकार के राजपत्र में जनवरी, 1980 में अधिसूचित किया गया।

इस संस्थान में इस समय लगभग 120 अधिकारी और 860 कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें सामान्यत: लिखा-पढ़ी का भी काम करना होता है, शेष तकनीकी कार्मिक हैं। इनमें से थोड़े से लोगों को छोड़कर लगभग सभी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं और बड़ी संख्या में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी हैं।

कार्मिक, प्रशासन, स्थापना, औद्योगिक सम्बन्ध, कल्याण, जन सम्पर्क आदि कतिपय विभागों में अनुमानत: कम से कम 80 प्रतिशत कार्य हिन्दी में होता है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में तो लगभग सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में किया जाता है।

लगभग 135 टंककों और 40 आशुलिपिकों में 12 टंकक और 3 आशुलिपिक हिन्दी के हैं। स्वेच्छा से हिन्दी टंकण सीखे हुए और भी कर्मचारी हैं, जो आवश्यकतानुसार हिन्दी टंकण करते हैं। शेष को हिन्दी टंकण और आशुलिपि सिखाने की योजना विचाराधीन है।

लगभग 129 टाइप मशीनों में 28 टाइप मशीनें देवनागरी की हैं और ये सभी प्रमुख विभागों में वितरित की गई हैं।

काफी संख्या में फार्म और माडल ड्राफ्ट या तो द्विभाषी रूप में बनवा लिए गए हैं या आवश्यकतानुसार केवल हिन्दी में हैं। प्रक्रिया साहित्य के अन्तर्गत पर्याप्त सामग्री द्विभाषी अथवा आवश्यकतानुसार केवल हिन्दी में तैयार करवा ली गई है। कोड और मैनुअलों में से एक को द्विभाषी रूप में मुद्रित करा लिया गया है और शेष 12 का हिन्दी रूपान्तर हो गया है, जिन्हें छपवाने की प्रक्रिया चल रही है।

इस संस्थान में सभी नामपट्ट या तो द्विभाषी रूप में हैं या आवश्यकतानुसार केवल हिन्दी में हैं। सारे विभागों, अनुभागों के नामों का हिन्दी रूपान्तरण कर दिया गया है। इसी प्रकार से अधिकांश रबर मुहरें द्विभाषी रूप में प्रयुक्त की जा रही हैं।

केन्द्रीय पुस्तकालय में हिन्दी का पर्याप्त सहायक साहित्य अनुरक्षित है। विभागों में क्रय के लिए कुछ मानक शब्द-कोश निर्धारित कर दिए गए हैं।

संस्थान का मासिक मुखपत्र, "समाचार-दर्शन" हिन्दी में ही प्रकाशित होता है। समय-समय पर इसमें राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी सामग्री भी प्रकाशित की जाती है।

हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों, आवेदनों, अपीलों आदि के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं। "क" और "ख" क्षेत्रों से होने वाले पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है।

राजभाषा अधिनियम के अनुसार जिन कागजात में हिन्दी और अंग्रेजी का प्रयोग साथ-साथ होना अनिवार्य है उनमें ऐसा ही किया जाता है।

1973 से ही यहां चैक प्वाइण्ट्स (जांच बिन्दु) बना दिए गए थे। नियमों की अवहेलना न हो, इसके लिए तीनों मण्डलों में तीन "जांच अधिकारी" नामित किए गए हैं जो नियमों का पालन कराते हैं।

संस्थान में हिन्दी अनुवादक का पद बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। एक हिन्दी सहायक 1978 से कार्यरत है। 1979 में यहां हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति हुई। इस पद पर हिन्दी के साहित्यकार श्री सन्त कुमार टण्डन "रसिक" की सेवाएं प्राप्त हैं।

संस्थान के हिन्दी अधिकारी समय-समय पर विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते रहते हैं और कमियों को दूर कराने में तत्पर रहते हैं। सम्पूर्ण संस्थान में त्वरित सेवा के लिए प्रयत्नशील रहता है, जिससे हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ता रहे।

1973 में ही राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हो गया था। इसकी नियमित तिमाही बैठकें की जाती हैं और राजभाषा सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रमों पर गौर किया जाता है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर भी उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इस समय समिति के अध्यक्ष, महाप्रबन्धक श्री बृजमोहन खन्ना हैं और वे हिन्दी के कार्य में बड़ी निष्ठा और रुचि रखते हैं। हिन्दी अधिकारी इस समिति के सचिव और संस्थान के राजभाषा सम्पर्क अधिकारी हैं। सम्पर्क अधिकारी के रूप में नगर के विभिन्न कार्यालयों में होने वाली बैठकों में वे संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हिन्दी अधिकारी और राजभाषा अधिकारी समय-समय पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सम्मिलित होते हैं, महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं और उनमें लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित कराते हैं।

संस्थान में 1974 से ही "केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्" की शाखा कार्यरत है। सम्प्रति इसके संरक्षक संस्थान के महाप्रबन्धक, श्री बृज मोहन खन्ना जी हैं। समय-समय पर परिषद् के केन्द्र द्वारा कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। शाखा अपनी ओर से स्वतंत्र रूप से भी कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रबन्धक वर्ग की ओर से पूर्ण सहयोग रहता है। यहां यह उल्लेख्य है कि संस्थान के हिन्दी अधिकारी, श्री सन्त कुमार टण्डन, परिषद् की अखिल भारतीय केन्द्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं। परिषद् की नगर राजभाषा समन्वय समिति को हिन्दी अनुभाग का सक्रिय सहयोग प्राप्त रहता है।

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान में वर्ष 1979 को "राजभाषा वर्ष" के रूप में मनाया गया। उस वर्ष और अगले वर्ष अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनके सफल कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र और नकद पुरस्कार दिए गए। साहित्यिक कविता-कहानी प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, कारखाना गीत प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण-प्रारूप लेखन प्रतियोगिता आदि ने कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति विशेष अभिरुचि उत्पन्न की है। अच्छी प्रविष्टियों को "समाचार दर्शन" में प्रकाशित भी किया गया। कर्मचारियों में उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशस्ति-पत्र और पुरस्कार महाप्रबन्धक द्वारा 15 अगस्त तथा 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्वों पर प्रदान कराए गए।

1980 से हिन्दी कार्यशालाएं प्रारम्भ की गईं। अब तक दो सत्र पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें 48 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अप्रैल, 1982 में तीसरा सत्र प्रारम्भ किया जा रहा है। लगभग 250 कर्मचारियों को कार्यशाला के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रशस्ति-पत्र और पुरस्कार देने की व्यवस्था भी रखी गई है। प्रशिक्षण कार्य में वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त रहा है।

आई० टी० आई० लिमिटेड, नैनी जहां उद्योग जगत् में अपने विशिष्ट उत्पादनों से ख्याति पा रहा है, वहीं राजभाषा नीति को कार्यरूप देने में भी पूरी शक्ति, उत्साह और स्फूर्ति के साथ सजग-रूप से लगा हुआ है। राजभाषा हिन्दी की जैसी प्रगति इस सरकारी संस्थान के कार्यकलाप में हुई है और निरन्तर होती जा रही है, वैसी अन्यत्र किसी सार्वजनिक उपक्रम में मिलना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। वास्तव में यह सब के लिए, विशिष्टतः उद्योग जगत् के लिए, एक गर्व का विषय है कि यह संस्थान राजभाषा की व्यावहारिक प्रतिष्ठा के मार्ग पर तेजी से कदम बढ़ाता जा रहा है। संस्थान का यह दृढ़ संकल्प है कि वह राष्ट्रभाषा को उसके अधिकृत सम्मान के महिमायुक्त किरीट से अलंकृत करे क्योंकि उसका यह अटूट विश्वास है कि राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा से ही स्वतंत्र भारत में राष्ट्र की मर्यादा स्थापित हो सकती है और तभी विश्व के स्वाधीन राष्ट्रकुल के बीच स्वाभिमान से अपना मस्तक ऊंचा रखा जा सकता है। प्रातः स्मरणीय, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के इन शब्दों में संस्थान की बड़ी आस्था है—

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।"

प्रस्तोता : मदनलाल गुप्त

महालेखाकार आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के कार्यालय में हिन्दी कार्यक्रम

महालेखाकार-प्रथम और महालेखाकार-द्वितीय, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के तत्वावधान में दिनांक 27 जनवरी, 1982 के अपराह्न, महालेखाकार श्री सौन्दरराजन जी की अध्यक्षता में एक हिन्दी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हिन्दी पत्रिका "कलिका" के द्वितीय अंक का अनावरण, हिन्दी कार्यशाला के चतुर्थ सत्र में सफल प्रशिक्षितों को प्रमाण-पत्र वितरण और "सरकारी काम-काज की और बोलचाल की भाषा---हिन्दी" विषय पर चर्चा का आयोजन जैसे तीन उपक्रमों का त्रिवेणी संगम था। उस्मानिया विश्वविद्यालय के निवृत्त प्रोफेसर रामनिरंजन पांडेय जी मुख्य अतिथि थे। श्री मुनीन्द्र जी (संपादक, 'हैदराबाद समाचार') विशेष अतिथि थे।

महालेखाकार श्री सौन्दरराजन ने हिन्दी पत्रिका "कलिका" के द्वितीय अंक का अनावरण करते हुए हिन्दी में अपना भाषण देते हुए कहा कि "कलिका" एक ऐसा प्रयास है, जिससे अहिन्दी भाषियों के मन में बसने वाले स्नेह को प्रकट किए जाने का अवसर मिल रहा है और वे अपने विचार हिन्दी में प्रकट करने का लाभ उठा रहे हैं। महालेखाकार महोदय ने "कलिका" की समृद्धि की शुभकामना करते हुए "कलिका परिवार" के प्रयासों की सराहना की।

श्री गोपालकृष्ण वीड़कर ने "कलिका" का संपादकीय श्रोताओं को प्रस्तुत किया। बाद में हिन्दी कार्यशाला के चतुर्थ सत्र के सफल प्रशिक्षणार्थियों को महालेखाकार महोदय के करकमलों से प्रमाण-पत्र प्रदान कराए गए। कार्यशाला में प्रशिक्षित लेखा अधिकारियों, अनुभाग अधिकारियों, लेखापरीक्षकों और लिपिकों को उन्होंने परामर्श दिया कि वे "इस प्रशिक्षण का यथासंभव अधिकाधिक उपयोग अपने काम-काज में करें ताकि यह प्रशिक्षण व्यर्थ न जाए।"

"सरकारी काम-काज की और बोलचाल की भाषा---हिन्दी" विषय पर आयोजित चर्चा का प्रारम्भ करते हुए श्री नरहरदेव, अनुवादक ने कहा कि इस विषय के उठते ही अक्सर सरल हिन्दी के प्रयोग का उपदेश मिलता है जो संभवतः हिन्दी के प्रत्यक्ष प्रयोग की प्रगति में रोड़ा डालने का काम सरल कर देता है और आगे कहा कि क्या अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले सभी लोग सरल अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं? क्या उसके प्रयोक्ता शब्दाडंबर के पांडित्य प्रदर्शन का मोह संवरण कर पाते हैं? क्या अंग्रेजी में जो लिखा जाता है वह सभी लोग समझते हैं? यदि ऐसा होता तो क्या इन्टरप्रीटशन के कारण अनावश्यक पत्राचार होता? उन्होंने चर्चा की सुविधा के लिए निम्नलिखित कुछ मुद्दे प्रस्तुत किए :—

(1) न कोई भाषा सरल होती है न कोई क्लिष्ट, यह तो प्रयोक्ता पर और समझने वाले पर निर्भर होता है कि वे भाषा को सरलता या क्लिष्टता प्रदान करें।

(2) एक वर्ग ऐसा है जो हिन्दी में लिखे गए किसी अंश से संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द हटाकर उसके फारसी/अरबी रूपों को रखकर उसे सरल करार देता है।

(3) एक पक्ष कहता है कि भाषा बहता पानी है और जन-सामान्य जिसे सहजतापूर्वक समझ सके वही भाषा है, ऐसा कहते हुए बाजार में, घरों में, सिनेमा में प्रयुक्त भाषा का सरकारी काम-काज में उपयोग किया जाना चाहिए।

(4) एक और पक्ष है जो न अंग्रेजी समझता है, न हिन्दी और न ही उसे किसी भाषा के प्रति अपना-पन है। लेकिन नौकरी के कारण उसने अंग्रेजी में काम करना शुरू कर दिया और अब वह किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहता; इसलिए रूढ़ अंग्रेजी शब्द के बदले हिन्दी का कोई भी शब्द आते ही खिल्ली उड़ाने का कार्य बड़ी तत्परता से करता है।

उन्होंने प्रतिपादित किया कि, "हिन्दी के विरोध में न तो अंग्रेजी है न हीं कोई देशी भाषा बल्कि केवल अंग्रेजी दाँ ख्यालात के लोग हैं, जिनके मन में डर होता है कि अचानक हिन्दी आ जाए तो उनकी रोजी-रोटी का क्या होगा?" और इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा का श्रीगणेश करने का अनुरोध किया।

श्री मुनीन्द्रजी ने सभी वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत में जब तक बोलचाल का सवाल है सामान्य आदमी कामचलाऊ भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करता है। आज ही नहीं भक्तिकाल के दौरान भी दक्षिण के संतों ने भारतवर्ष के सुदूर भागों में अपने मत-प्रसार के लिए हिन्दी का ही सूत्र-ग्रहण किया था। अलग-अलग प्रान्तों में प्रांत विशेष की भाषा का महत्व रहे और सत्ता के केन्द्र की भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकारा जाए तो इस देश की प्रगति अपने आप होगी। प्रगति के लिए हमें दूसरे देशों का मुंह ताकने की आदत हो गई है, उससे बचना चाहिए और इसका सबसे सरल मार्ग है, बचपन से ही बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति का महत्व जानने का अवसर दिया जाए।

छोटे बच्चों को उनकी इच्छा की कदर किए बिना अंग्रेजी वातावरण में धकेल कर हम आत्मघात की ओर बढ़ रहे हैं जो व्यक्ति के साथ-साथ समाज और संस्कृति के नाश का मार्ग हैं।

सभी वक्ताओं के विचारों का सार-ग्रहण करते हुए मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामनिरंजन पांडे जी ने कहा कि हर आदमी का अपना स्तर होता है और भाषा का कोई स्तर निश्चित नहीं है। अतः किसी भाषा को सरल या कठिन कहना सापेक्ष बात है। जहां तक हिन्दी का प्रश्न है वह बोलचाल में स्वीकारी गई है।। अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि देश में ही नहीं विदेशों में भी हिन्दी को भारत की भाषा के रूप म काफी सम्मान प्राप्त है। जहां तक सरकारी काम-काज की भाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग का प्रश्न है वह तो न्याय-संगत, तर्क-संगत और संविधान-संगत है और

समझने का प्रश्न है तो हर व्यवसाय की अपनी भाषा होती है। रेल विभाग के तकनीकी कर्मचारी, वैद्यकीय व्यवसायी, यांत्रिकीय व्यवसाय के लोक, व्यापारी, डाक-कर्मचारी या ऐसे ही अनेकानेक क्षेत्र के लोग जब अपनी आपसी चर्चा अंग्रेजी में करते हैं तो अंग्रेजी जानने वाले अच्छे-अच्छे विद्वान उस चर्चा को समझ नहीं पाते, इसलिए सरलता या दुरूहता का आरोप सापेक्ष जान पड़ता है। हर भाषा आते-आते आती है और किसी भी भाषा में कम शब्दों में कोई चीज समझाना कठिन है ज्यादा शब्दों को प्रयोग कर के किसी चीज को समझाना आसान है।

भाषा को बनाने के प्रयास शुरू हुए हजारों वर्ष बीते लेकिन आज भी नये शब्द बनते जा रहे हैं और यह कार्य मानव जाति के अन्त तक चलता रहेगा। कोई भी भाषा आवश्यकता के अनुसार बनती है और अपनी शक्ति और जरूरत के अनुसार टिकती है। वैदिक-काल में विज्ञान से सम्बद्ध असंख्य शब्द बने, इसका मतलब है कि हमारी वैज्ञानिक प्रगति आज की तुलना में काफी बढ़ी हुई थी। बाद में एक दौर आया जब हम दिशाहीन भटकते रहे। शब्द रह गए उनका उपयोग समझने वाले न रहे तो वैज्ञानिक प्रगति रुक सी गई। अंग्रेज आये, अंग्रेजी के साथ तो हमें हर चीज नई दीख पड़ने लगी और उनकी हां में हां मिलाकर हम अपनी ही निन्दा करने लगे। उन्होंने आगे कहा कि आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि यदि हम वेदों को केवल संग्रह के रूप में न रखकर उनका उपयोग करना सीखें तो विज्ञान की प्रगति के क्षितिज हमारे लिए खुल जाएंगे। और यह तभी संभव है जब बालकों को अपनी भाषा में सोचने की और अभिव्यक्ति की शक्ति प्रदान की जाए।

प्रस्तोता—सत्य वर्धन;
उप महालेखाकार (प्रशासन)

हिन्दी भाषा में विधि पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार

लोक सभा अध्यक्ष डा० बलराम जाखड़ ने 26 मई 1982 को हिन्दी भाषा में पुरस्कृत विधि पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को कानून जैसे कठिन विषय पर हिन्दी भाषा में पुस्तकें लिखने पर बधाई दी और आशा व्यक्त की कि ऐसा करने से हम देश के कानून की जानकारी जन-साधारण तक पहुंचा सकेंगे। पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री ए० ए० रहीम ने की। इस समारोह में न्यायाधीश, अधिवक्ता विधि के अध्यापक एवं राजभाषा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। यह समारोह विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में सम्पन्न हुआ।

विधायी विभाग के सचिव श्री आर० वी० एस० पेरि-शास्त्री ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने हिन्दी भाषा में विधि पुस्तकों के अभाव का जिक्र किया और कहा कि विधि साहित्य प्रकाशन धीरे-धीरे हिन्दी भाषा में अच्छी विधि पुस्तकों और विधि पत्रिकाओं का प्रकाशन करके इस मांग की पूर्ति कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा में दो विधि पत्रिकाएं, अर्थात् "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" और "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" इस विभाग द्वारा क्रमशः अप्रैल, 1968 और जनवरी, 1969 से प्रकाशित की जा रही हैं। जहां तक हिन्दी भाषा में विधि पुस्तकों के प्रकाशन की स्कीम का संबंध है, अभी तक 15 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं और उनमें से कुछ पुस्तकों की बहुत प्रशंसा हुई है। इस स्कीम के अधीन प्राइवेट सैक्टर में उत्पादित सर्वोत्तम विधि पुस्तक/पाण्डुलिपि को पुरस्कार दिया जाता है। इस स्कीम की 10 भिन्न-भिन्न शाखाएं हैं और 10,000 रुपए की रकम का प्रथम पुरस्कार विधि की ऐसी प्रत्येक शाखा के लिए दिया जा सकता है। यदि प्रथम पुरस्कार के लिए किसी पुस्तक को उचित नहीं समझा जाता है तो विधि की ऐसी प्रत्येक शाखा के लिए 5,000 रुपए तक के सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाते हैं। सन् 1971 से इस स्कीम के अधीन 66 पुस्तकों को विभिन्न पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इन पुरस्कारों की कुल राशि 1,90,500 रुपए है। पुरस्कार विजेताओं में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विधि के आचार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने विधि पुस्तकों के लेखकों से अपील की कि वे हिन्दी भाषा में अधिकाधिक पुस्तकें लिखें। वर्ष 1978, 1979 और 1980 में दिए गए पुरस्कारों का ब्यौरा संलग्न है :—

1978

पुस्तक का नाम	लेखक	पुरस्कार की राशि
1. भारतीय दण्ड संहिता	स्वर्गीय श्री घनश्याम शरण भार्गव	10,000 रु०
2. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम	श्री सुरेन्द्रनाथ शर्मा और डा० सावंत राज भंसाली	3,000 रु०
3. प्रशासनिक विधि	डा० उमापति दास केसरी	3,000 रु०
1979		
1. कानूनों का निर्वचन	श्री दानसिंह चौधरी	5,000 रु०
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973	श्री गुलाब चन्द गोयल	5,000 रु०
3. भारत के संविधान के अधीन निर्वाचनों की विधि	श्री गुरुशरण लाल श्रीवास्तव	5,000 रु०
4. साक्ष्य विधि	डा० अवतार सिंह	3,000 रु०
5. राजस्थान में सहकारी कानून	सर्वश्री रघुनाथप्रसाद तिवारी, कंचन सिंह चौधरी और रामलाल चौधरी	4,000 रु०

पुस्तक का नाम	लेखक	पुरस्कार की राशि
6. अपकृत्य विधि	श्री श्याम किशोर कपूर	3,000 रु०
7. अपराधशास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन	श्री एम० एस० चौहान	2,000 रु०
8. अपकृत्य विधि	श्री राम अवतार सिंह	3,000 रु०
9. मध्य प्रदेश आबकारी विधि संग्रह	सर्वश्री ल० प्र० तम्बोली और सी० एन० झा	5,000 रु०
1980		
1. विधिक उपचार	श्री प्रकाश चन्द जैन	10,000 रु०
2. सम्पत्ति-अंतरण अधिनियम	श्री जगदीश नारायण कुलश्रेष्ठ	5,000 रु०
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता	श्री योगेन्द्र कुमार तिवारी	5,000 रु०
4. भारतीय दण्ड संहिता	श्री मुरलीधर चतुर्वेदी	5,000 रु०
5. मुस्लिम विधि	डा० डी० सी० जैन	3,000 रु०
6. भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास	श्री वी० एन० पाण्डेय	3,000 रु०
7. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955	डा० मोती बाबू और श्री अनूप अग्रवाल	2,000 रु०
8. मानव-वध, उपहतियां एवं (तत्संबंधी) चिकित्सीय विधिशास्त्र	श्री दिगम्बर शरण पाठक	2,000 रु०
9. विधायन के सिद्धांत	श्री जे० डी० अरोड़ा	1,000 रु०

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हिन्दी कार्यशाला

इस संस्थान में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 45 प्रशासनिक कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी और मसौदा लेखन का अभ्यास कराने के लिए दिनांक 19 जुलाई से 28 जुलाई तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन संयुक्त निदेशक (प्रशासन), श्री एम० डी० सिंह द्वारा किया गया। आठ दिन की इस कार्यशाला के दौरान प्रशासनिक कर्मचारियों को विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर हिन्दी में कार्यवाही करने का अभ्यास कराने के लिए राजभाषा विभाग के श्री राजमणि तिवारी तथा अन्य विभागों से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने प्रशासनिक कर्मचारियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया और उनको अभ्यास भी कराया।

इससे पूर्व संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 8 जुलाई, 1982 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे कुछ कामों की पहचान की जानी चाहिए जिनको संस्थान में सिर्फ हिन्दी में किया जा सकता है। संयुक्त निदेशक (प्रशासन), श्री एम० डी० सिंह द्वारा समापन कार्यक्रम में ऐसे कामों की पहचान किये जाने के लिये प्रशिक्षणार्थियों के साथ विस्तृत बातचीत की गई तथा हिन्दी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (हिन्दी एवं लेखा) भी इस बातचीत में सम्मिलित रहे। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद संयुक्त निदेशक (प्रशासन) ने निर्णय लिया कि इस संस्थान से जारी होने वाले नये पदों पर भर्ती के लिए सभी प्रकार के प्रस्ताव (आफर्स), स्थायीवत्ता के आदेश, स्थायी किये जाने के आदेश, वरिष्ठता सूची, वेतन बिल तथा वेतन चिट्ठा, कोटेशन आमंत्रित करने के पत्र तथा आवासों को आबंटन करने के आबंटन-पत्र केवल हिन्दी में दिये जायेंगे। संयुक्त निदेशक (प्रशासन) ने यह भी आदेश दिया कि सभी अधिकारियों को यह निर्णय भी परिचालित किया जाये कि उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों में से यदि कोई हिन्दी में कार्य करता है तो उसका उल्लेख उसकी चरित्र-पंजियों को भरते समय विशेष कॉलम में किया जाये। संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के उपरोक्त निर्णयों का सभी कर्मचारियों द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया तथा बाद में उपरोक्त प्रशासनिक आदेश परिचालित किये गये।

इसके अतिरिक्त, संस्थान में अलग से एक हिन्दी पुस्तकालय प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है और इस पर कार्यवाही जारी है तथा कृषि अनुसंधान में स्नातकोत्तर शिक्षा ग्रहण करने वाले विदेशियों तथा अहिन्दी भाषी छात्रों के लिये बोलचाल की हिन्दी सिखाने का भी निर्णय ले लिया गया है। इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

इस कार्यशाला से पहले एक कार्यशाला का आयोजन इसी वर्ष 22 जनवरी से 2 फरवरी तक किया जा चुका है, जो अपने प्रकार की पहली कार्यशाला थी।

—सतीश चन्द्र
हिन्दी अधिकारी

रक्षा लेखा नियंत्रक, मेरठ में हिन्दी कार्यशाला

21 जुलाई को सांय 4 बजे रक्षा लेखा नियन्त्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ के कार्यालय में हिन्दी में सरकारी काम-काज करने में सहायता के लिए चलाई जा रही हिन्दी कार्यशाला के 15वें सत्र का समापन समारोह सम्पन्न हुआ।

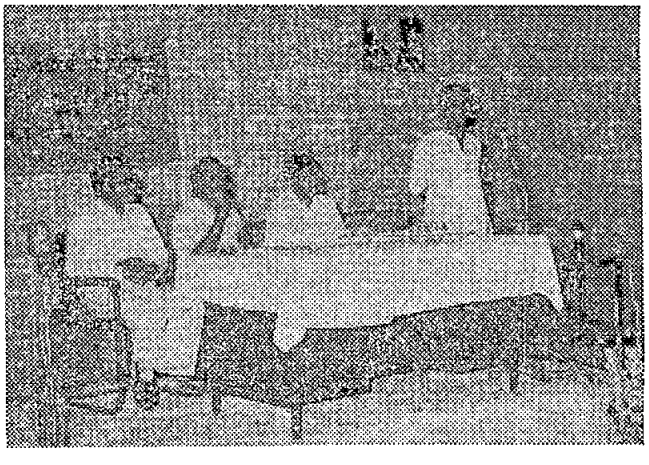

रक्षा लेखा नियन्त्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ के कार्यालय में आयोजित हिन्दी कार्यशाला के समापन समारोह का दृश्य

समारोह की अध्यक्षता श्री हरि मेहता, रक्षा लेखा नियन्त्रक अन्य श्रेणी (उत्तर) मेरठ ने की तथा उपाध्यक्ष श्री संजीव गोयल, रक्षा लेखा संयुक्त नियन्त्रक व संयोजक श्री इन्द्रसेन जैन ने कार्यशाला में प्रशिक्षित कर्मचारियों को अपना शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया। उनको राजभाषा हिन्दी के प्रति उनके दायित्व से भी परिचित कराया गया।

समारोह में प्रशिक्षित कर्मचारियों को निष्ठा और लगन से कार्यशाला में अभ्यास करने के लिए अध्यक्ष श्री हरि मेहता के कर-कमलों द्वारा प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये गये।

इसी अवसर पर कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष--श्री संजीव गोयल (संयुक्त नियन्त्रक) सदस्य--श्री राजेश कुमार सिंघल (उप नियन्त्रक) एवं संयोजक श्री इन्द्रसेन जैन द्वारा श्री हरि मेहता को उनके काव्यनाटक "हम ही सो गये" और श्री धर्मपाल 'अकेला' को उनके नाटक "देखो यह पुरुष" को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किये जाने के उपलक्ष में अभिनन्दन-पत्र भेंट करके सम्मानित किया गया।

--रक्षा लेखा नियन्त्रक पश्चिमी, कमान, मेरठ

पंजाब नेशनल बैंक की हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन

पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा दिनांक 5-7-82 को आमदान निवास, नागपुर में श्री डी० सी० अग्रवाल, आयकर आयुक्त, विदर्भ एवम् निदेशक, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर तथा अध्यक्ष, नागपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुआ। सर्वप्रथम श्री अशोक श्रीवास्तव, हिन्दी अधिकारी, बम्बई अंचल ने मुख्य अतिथि का परिचय देते हुए, कार्यशाला के तीन-दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। श्री डी० सी० अग्रवाल ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि पंजाब नेशनल बैंक से उनका सम्बन्ध सन, 1943 से है। देश की आजादी के बाद और राजभाषा अधिनियम बनने पर यह तय है कि हिन्दी आनी ही है और हमें हिन्दी पढ़नी होगी। आपने यह भी बताया कि बैंक का सम्पर्क समाज के छोटे से छोटे समुदाय के सदस्यों से भी होता है और के लिए हमें आसान,सरल और बोलचाल की भाषा को माध्यम चाहिए। जैसे, अंग्रेजों ने बाजार के लिए मार्केट शब्द आम भाषा में प्रचलित बाजार शब्द को भी अंग्रेजी लिया है, उसी तरह हम भी चैक के स्थान पर लिखने लगे तो किसी प्रकार की गलती नहीं अनेक शब्द बोलचाल में घुलमिल गये आत्मसात कर सकते हैं। किसानों से व की भाषा का प्रयोग करें तो उसे समझ पाएंगे। आपने सुझाव के रूप में बताया क हर अनुभाग में अंग्रेजी-हिन्दी डिक्शनरी, जैसे आक्सफोर्ड प्रॉग्रेसिव अंग्रेजी-हिन्दी डिक्शनरी, होनी चाहिए। रोजमर्रे के काम में आने वाले फॉर्म्स को मानक रूप देकर बैंक के काम में लाना चाहिए। सुबह तथा रात में प्रसारित हिन्दी समाचार को सुनने से भी हिन्दी भाषा को समझने में बहुत सहायता मिलती है। हिन्दी समाचार पत्र बैंक के सभी कार्यालयों में मंगाना चाहिए जिसे पढ़ कर हिन्दी के प्रति रुचि जागृत होगी।

आपने बताया कि राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के प्रशिक्षणार्थियों को सप्ताह में कम से कम एक हिन्दी पुस्तक पढ़ने के लिए नारा बुलन्द किया गया है, "वन बुक ए वीक" इसी प्रकार आपके बैंक के सदस्य भी कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों को आपने विशेष रूप से बताया कि कार्यशालाओं का उद्देश्य कर्मचारियों की झिझक को दूर करना है। केवल पढ़ने और पढ़ाने से झिझक दूर नहीं होती। इसलिए सभी प्रशिक्षण पाने वालों को अपने प्रशिक्षकों से पूछ-पूछ कर अपनी शंकाओं का निराकरण करने पर ही वे हिन्दी में काम कर सकेंगे।

पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर में आयोजित हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए आयकर आयुक्त श्री डी० सी०अग्रवाल।

कार्यशाला के आयोजनकर्ता को धन्यवाद देते हुए श्री डी० सी० अग्रवाल जी ने सभी प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि वे कार्यशाला के पश्चात् अपने बैंक के कार्यों में हिन्दी को अपनाएंगे, तभी इस कार्यशाला का उद्देश्य सफल माना जाएगा।

इसके पश्चात्, पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक, श्री आर० बी० अग्रवाल ने ऊपर बताई बातों पर अमल करने का आश्वासन दिया और कहा कि हम हर संभव प्रयत्न करेंगे जिससे हिन्दी हमारी कार्यपद्धति का अंग बन सके। श्री वाई० पी० सेठी, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक ने कुछ विभागीय प्रकाशनों की जानकारी दी और बताया कि इस कार्यशाला में 25 प्रशिक्षणार्थी सम्पूर्ण नागपुर, विदर्भ और नासिक तक के क्षेत्र के बैंक मैनेजर, एकाउंटेंट और क्लर्क भाग ले रहे हैं।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, कोचीन में कार्यशाला

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड उद्योग मंडल, कोचीन, (केरल) में हिन्दी कार्यशाला के माध्यम से हिन्दी में टिप्पण के प्रशिक्षण की शुरूआत 19 जुलाई, 1982 को हुई और उसका समापन सम्मेलन 23 अगस्त, 1982 को हुआ। एच० आर० एल० प्रधान कार्यालय, दिल्ली के राजभाषा कार्यान्वयन अधिकारी एवं रसायन और उर्वरक मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी श्री एम० एम० एल० मल्होत्रा प्रशिक्षक के रूप में विद्यमान थे। प्रशिक्षण में बीस प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

—तोमस फिलिप, कार्मिक प्रबन्धक

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०, कोचीन द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के अवसर पर बोलते हुए कार्मिक प्रबंधक एंव राजभाषा अधिकारी, श्री तोमस फिलिप।

बैरास्यूल परियोजना में हिन्दी शिक्षण

हिमाचल प्रदेश के दुर्गम स्थल पर पूर्ण हुई बैरास्यूल परियोजना में जिस तेजी से निर्माण कार्य हुआ है, उसी तेजी से हिन्दी का प्रयोग भी हुआ है तथा हो रहा है। परियोजना स्तर पर बनी हिन्दी समिति इस समय परियोजना प्रमुख श्री अ० ल० जग्गी, मुख्य परियोजना प्रबन्धक की अध्यक्षता में परियोजना में हर प्रकार के कार्य में हिन्दी को लाने के लिए प्रयत्नशील है। परियोजना का कार्य अत्यधिक तकनीकी है किन्तु हिन्दी समिति के प्रयासों से परियोजना में हिन्दी का प्रयोग निश्चित रूप से प्रकाश में आया है, जिसे कि ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) एवं एन० एच० पी० सी० मुख्यालय द्वारा सराहा गया है।

परियोजना में हिन्दी के बढ़ते हुए प्रयोग के काफी कारण हैं, किन्तु प्रमुख कारण यहां के कर्मचारियों तथा अधिकारियों में हिन्दी में काम करने के प्रति लगन का होना है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के कर्मचारी हों अथवा हिन्दी भाषी, सब हिन्दी में काम करने को उत्सुक रहते हैं। उनकी झिझक दूर करने के यथासम्भव प्रयास हो रहे हैं। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि यहां का समस्त स्टाफ राजभाषा अधिनियम से भली-भांति परिचित है। कर्मचारियों में हिन्दी में काम करने की उत्सुकता को देखते हुए अभी हाल ही में एन० एच० पी० सी० मुख्यालय द्वारा परियोजना में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन कराया गया है। यह आयोजन क्रमशः सुरंगानी तथा वनीखेत (डलहौजी) नामक स्थानों पर किया गया। इसमें परियोजना के 7 कर्मचारियों को विशेष प्रकार से प्रशिक्षित कराया गया, जो कि भविष्य में परियोजना में समय-समय पर कार्यशाला में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया करेंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 33 कर्मचारियों को हिन्दी में सरकारी कामकाज करना सिखाया गया। कार्यशाला का कार्यक्रम 6 दिन तक चला जिसमें बतौर प्रशिक्षक के ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) के सेवानिवृत्त हिन्दी अधिकारी श्री जगदीश चन्द्र जैन एवं एन० एच० पी० सी० के हिन्दी अधिकारी डा० जगदीश प्रसाद गुप्त ने भाग लिया। श्री जगदीश चन्द्र जैन को परियोजना द्वारा आमंत्रित किया गया था।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्य परियोजना प्रबन्धक, श्री जग्गी जी ने कहा कि यह आयोजन अत्यन्त सराहनीय है तथा इस प्रकार के आयोजन से निःसंदेह परियोजना में हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा। लेकिन इन आयोजनों के साथ यदि हमारे अन्दर हिन्दी में काम करने की लगन नहीं है, तो ऐसे आयोजनों से कोई लाभ नहीं होगा। अतः मैं समस्त परियोजना कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि वे अपने अन्दर लगन तथा विश्वास पैदा करें तथा अपना संकोच छोड़कर हिन्दी में काम करें।

कार्यशाला के समापन से पूर्व परियोजना राजभाषा समिति की ओर से एक कवि गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलायें भी सम्मिलित हुईं। कार्यशाला का आयोजन तथा कवि-गोष्ठी परियोजना के उप प्रबन्धक (कार्मिक) श्री शीलेन्द्र कुमार जौहरी की देखरेख में हुआ।

एन० एच० पी० सी० मुख्यालय आयोजित हिन्दी का

अतीत के झरोखे से:

[निम्नलिखित दानपत्र द्वारा जयपुर नरेश महाराजा श्री सवाई जयसिंह ने सम्वत् 1779 विक्रमी अर्थात् सन् 1722 ईस्वी में अपने राजपुरोहित पण्डित बलभद्र जी के पौत्र नन्दराम एवं जीवा राम को पांच हजार रुपए दिए जाने का आदेश दिया था।]

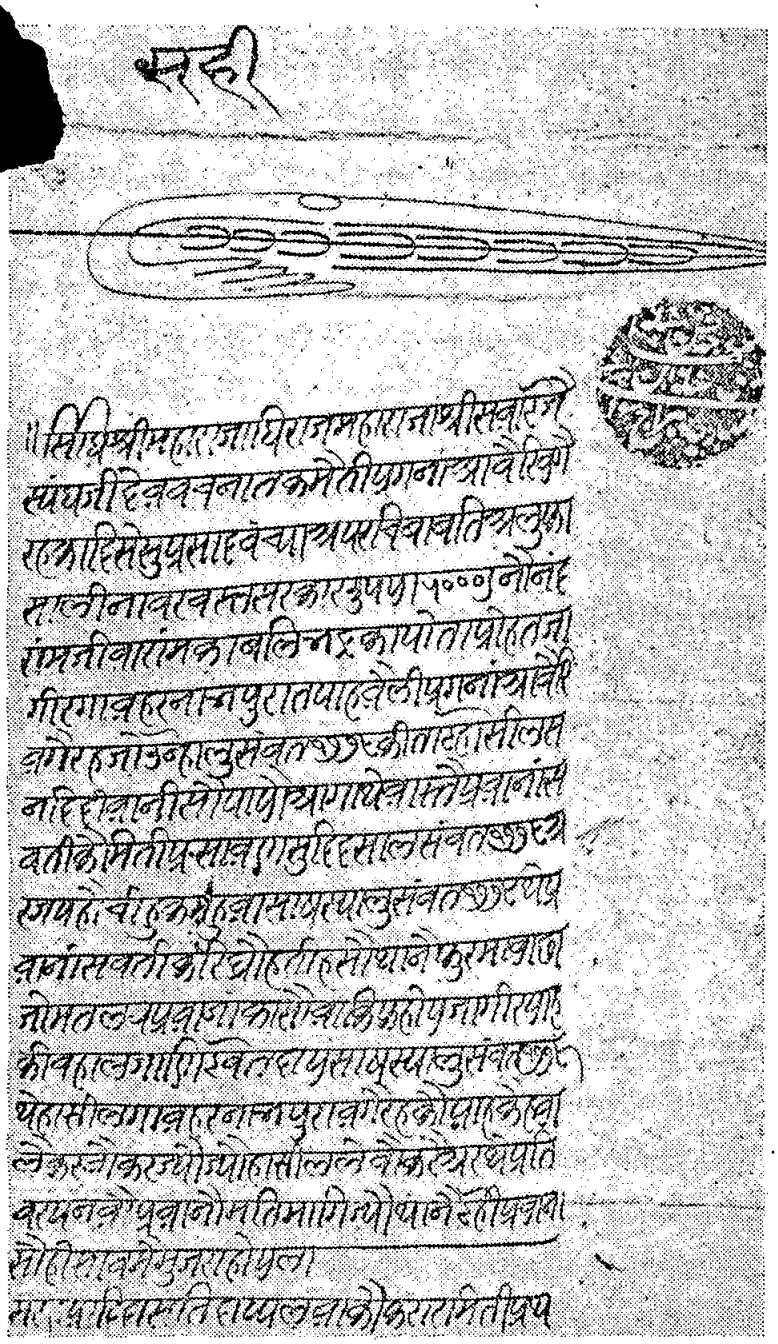

"भारत एक बहुभाषी देश है जहां सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग हरेक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है । वाणिज्य-व्यापार तथा राजनीति में इस भाषा का पहले से अधिक प्रयोग किया जा रहा है । हमारे देश में अनगिनत लोगों की मातृभाषा हिन्दी है । परन्तु बहुत से अहिन्दी भाषी लोग भी हिन्दी समझ, बोल और लिख सकते हैं ।

कुछ लोगों को भ्रांति है कि सरकार के संरक्षण से किसी भाषा की उन्नति होती है । किसी भाषा का विकास तब होता है जब वह जनता के हृदय में स्थान पाती है । यह तभी संभव है जब वह भाषा अपने दरवाजे और खिड़कियां खुली रखे और दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात् करे और बढ़ते हुए ज्ञान को अभिव्यक्त करे।"

—इन्दिरा गांधी

भाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री रंगनाथ त्रिपाठी 'राकेश' द्वारा लोकनायक भवन, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित ।